राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम सत्र का 9वां दिवस [संख्या 7

मंगलवार,

6 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री मूलचन्द डागा ।

राज्य में योजना बोर्ड का गठन

128. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने आज तक योजना बोर्ड नहीं बनाया है ? यदि हां, तो नहीं बनाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार विकास के लिए योजना बोर्ड की आवश्यकता नहीं समझती ?

आयोजना मन्त्री (श्री माणक चन्द सुराणा) : (1) जी नहीं। आयोजना बोर्ड का पुनर्गठन 14-9-78 को जारी आज्ञा द्वारा किया जा चुका है।

(2) प्रश्न (1) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मूलचंद डागा : राजस्थान में विकास का आकार बढ़ रहा है। जैसा आप बतलाते है और जैसा आपके खुद का स्टेटमेंट अखबारों में छपा है, विकास के आकार को देखते हुए और जो डिस्ट्रिक्ट प्लान्स बनाये गये हैं उनको देखते हुए योजना बोर्ड का गठन करना आवश्यक है ताकि जन सहयोग और लोक सेवा में जो काम करने वाले हैं उनका सहयोग लिया जा सके। क्या सरकार यह चाहती है कि नौकरशाही के भरोसे छोड़ दिया जाये ?

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय डागा साहब, आपका प्रश्न (1) यह है, "क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने आज तक योजना बोर्ड नहीं बनाया है ?" आपका प्रश्न नकारात्मक है जिसका मैंने उत्तर दिया है, जी नहीं। बोर्ड का पुनर्गठन 14-9-78 की आज्ञा द्वारा किया जा चुका है। बोर्ड का गठन हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : उसके सदस्य कौन कौन हैं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : आयोजना बोर्ड का गठन 14–9–79 को किया गया है। उसके अध्यक्ष हैं मुख्य मन्त्री, उपाध्यक्ष आयोजना मन्त्री, आयोजना सलाहकार। 10 अंशकालिक कार्य सलाहकार सदस्य हैं जिनमें से कम से कम चार सदस्य विभिन्न विषय व क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। मुख्य सचिव भी हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अगर व्यक्ति वाइज नाम बोल दिये जायें.......

श्री माणकचन्द सुराणा : मुख्य सचिव वित्त आयुक्त, विकास आयुक्त, विशेष सचिव आयोजना। अन्य मन्त्रियों को आवश्यकतानुसार आयोजना मण्डल में विशेष रूप से आमन्त्रित किया जा सकता है। आयोजना सलाहकार तथा कार्य सलाहकार अंशकालिक की नियुक्ति राज्य सरकार के आयोजना विभाग द्वारा की जायेगी। उनकी नियुक्ति की शर्तों के आदेश जारी किये जायेंगे।

श्री मूलचंद डागा : यह तो आपने कान्स्टीट्यूशन बताया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि विकास का आकार बढ़ रहा है, बड़ी-बड़ी बातें आप कर रहे हैं उसके आधार पर कौन से विशेषज्ञों को आपने लिया है? न तो यह हाउस में आया, न इस पर कभी डिस्कशन हुआ, न कभी चर्चा हुई और आपने सेक्रेटेरियट में बैठ कर सब कर दिया। नौकरशाही पर भरोसा करके आप काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ, लोगों के नाम लीजिये, जिनको आपने ले लिया है।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अभी नोमीनेट ही नहीं किये हैं।

श्री मूलचंद डागा : आपको तो मालूम है, हमको तो मालूम नहीं।

श्री नवरंग सिंह : अभी तो कान्स्टीट्यूशन बनाया है, अभी गठन नहीं किया गया। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि गठन कब करने जा रहे हैं?

श्री माणकचंद सुराणा : दस अंशकालिक गैर सरकारी सदस्य, जो नोमीनेट करने हैं, के नाम राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। नामों को फाइनल करके घोषणा की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मूलचंद डागा : अध्यक्ष महोदय, कागजी कार्यवाही तो आपने बता दी ....

श्री माणकचंद सुराणा : आगामी एक माह में इसका गठन हो जायेगा।

श्री मूलचंद डागा : Sir, my question is not answered. क्या मीठालाल मेहता को भी इसमें सम्मिलित करने का कोई इरादा है या नहीं?

एक माननीय सदस्य : नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह अशासकीय सदस्य कौन हैं? जन प्रतिनिधियों को लेने का क्या क्राइटेरिया होगा, यह तो बता दें?

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरड़।

श्री मूलचन्द डागा : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जन प्रतिनिधियों को लेने का क्या क्राइटेरिया होगा? कितने साल की सेवा होगी, क्या योग्यतायें होंगी, यह तो बताएं?

श्री माणकचन्द सुराणा : जन प्रतिनिधियों के चयन करने का कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है। उनकी योग्यताओं को देखते हुए उनका चयन किया जाएगा। दस अंशकालिक सदस्यों का चयन करना है। उनकी सार्वजनिक, राजनैतिक और आर्थिक, विज्ञान के क्षेत्र में योग्यता देख कर उनका चयन किया जाएगा। विधायकों, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों के नामों पर भी विचार किया जाएगा।

मैं सदन को यह भी सूचना देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय ले लिया है कि जिला आयोजना समितियों का गठन किया जायेगा और इन समितियों की कोई न कोई मन्त्री अध्यक्षता करेगा। पहले कलेक्टर इनकी अध्यक्षता करता था। अब उस परम्परा को बदल दिया गया है और जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कोई मन्त्रिमण्डल का सदस्य होगा, और उपाध्यक्ष भी कोई जन प्रतिनिधि होगा। मन्त्री की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन जिला आयोजना समितियों की रिपोर्ट्स पर ही जिलों की योजनाएं बनाई जायेंगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या हर जिले के लिए मन्त्री होगा ?

श्री अध्यक्ष : No more questions.

प्रश्न संख्या 126

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 127

श्री जेटमल वरवड़। श्री राम रघुनाथ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी गठन ही नहीं हुआ। गठन हो, उसके बाद क्वेश्चन पूछें।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। No more श्री ईश्वर चन्द्र।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मेरा 128 है।

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा।

एक माननीय सदस्य : श्रीमती उजला अरोड़ा भी आ गई हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा आ गई हैं, तो देर से क्यों आईं। माननीय सदस्या, आपका नाम इसके बाद आ जायेगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा।

संजय गांधी की राजस्थान यात्रा

128. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि 1977 की जनवरी में श्री संजय गांधी की जयपुर यात्रा के अवसर पर प्रबन्ध व्यवस्था या अन्य सेवाओं के कारण कुछ अधिकारियों के सर्विस रेकार्ड में गुड एन्ट्रीज दर्ज की गई ? यदि हां, तो वे अधिकारी कौन-कौन हैं ? ऐसी ऐन्ट्रीज दर्ज करने का कारण क्या था ?

पंचायत राज मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : अध्यक्ष महोदय प्रश्न सं० 128 को पोस्टपोन करने के लिए प्रार्थना है।

(5)

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : संजय गांधी 14 जनवरी, 77 को यहां आये। आज 6–3–1979 है, दो साल से अधिक अर्सा हो जाने के बाद क्या राज्य सरकार अब भी जवाब नहीं देना चाहती है ? दो साल बाद भी सरकार इस प्रश्न को स्थगित करवा रही है। पोस्टपोन करने से पूर्व आप अपना डिस्क्रिशन यूज करें कि पोस्टपोन करने का वाजिब आधार है या नहीं। That has to be seen, Sir.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के साथ मेरी सहानुभूति है। यह राज्य सरकार की निष्क्रियता का द्योतक है। माननीय मन्त्री महोदय चाहें तो उत्तर दे दें, अगर नहीं दे सकते तो स्थगित करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रश्न पहले सैशन में आया था। मुख्य मन्त्री ने यह व्यक्त किया था कि आंकड़े इकट्ठे करवा रहा हूं, उनको सदन में रखूंगा। पहले मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय मुस्करा रहे हैं, जवाब की तैयारी में हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कानसिंह आयोग बैठा कर इस बारे में बयान करवाये हैं। सारी बातें क्यों की गई हैं ? यह क्या तरीका है कि आज कह रहे हैं कि स्थगित किया जावे.......

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह तथ्यों को छिपा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने बाला साहब देवरस के जयपुर आने पर और राजस्थान में आने पर.......

(व्यवधान)

श्री एच. एच. शर्मा (बेगू) : यह प्रश्न नहीं है.......

श्री रामनारायण चौधरी : इसका भी उल्लेख आना चाहिये.......

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : पहले प्रश्न तो लिख कर देवें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार) : क्या इस प्रश्न का जवाब 5 साल तक नहीं आयेगा ? पिछले सैशन के अन्दर भी स्थगित हुआ। यह जवाब कब देना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : आप 15 दिन में जवाब मांग लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को शीघ्र रखने की व्यवस्था करूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान के खजाने से.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा जी।

जयपुर गोली कांड के घायलों को आर्थिक सहायता

126. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 7 मार्च, 1967 को जयपुर नगर में हुए गोली काण्ड के हताहतों और घायलों को न्याय मूर्ति श्री कानसिंह आयोग ने दिये गये मुग्रावजों और सहायता को कम बताते हुए अधिक सहायता धन राशि राज्य सरकार द्वारा दिये जाने की सिफारिश की है ? यदि हाँ, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रयास किये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार न्याय मूर्ति श्री बेरी द्वारा बेरी आयोग की रिपोर्ट में दी हुई सिफारिशों और निर्णयों को क्रियान्वित करने का विचार रखती है और उस रिपोर्ट को सिद्धान्ततः स्वीकार करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हाँ। रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) बेरी आयोग रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की क्रियान्विति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु श्री कानसिंह जी सेवा निवृत्त न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय को नियुक्त किया था। न्यायमूर्ति श्री कानसिंह जी द्वारा दिया गया प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कब तक विचाराधीन चलेगा ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा प्रश्न है, मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

हाउस के अन्दर यह कहा गया था कि 9 महीने के अन्दर कानसिंह रिपोर्ट आ जायेगी और 9 महीने के अन्दर उसके कुछ निर्णयों को कार्यान्वित कर लेंगे। यह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : सदन में दिये गये बयानों की कोई सैंक्टिटी है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह लाएतलाली नहीं है ?

श्री सम्पतराम : जो कानसिंह जी ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के ऊपर सरकार अन्तिम निर्णय 31 मार्च से पहले ले लेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रिपोर्ट कौन सी तारीख को आ गई सरकार के पास ? तारीख बताने की कृपा करें।

श्री सम्पतराम : रिपोर्ट आ गई है।

एक माननीय सदस्य : कौन सी तारीख को ?

श्री सम्पतराम : यह 29-1 को हमारे पास आई है।

श्री गुलमोहम्मद : एक महीने में कुछ नही कर सके ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा है, 31 मार्च से पहले पहले निर्णय ले लेंगे। धन्यवाद।

(6)

श्री अध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र।

राज्य में दुर्लभ पक्षी ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड (सारंग) की गणना

129. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में दुर्लभ पक्षी ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड (सारंग) की गणना कब कराई गई थी व उनकी दिनांक 9–2–79 तक कितनी संख्या थी ?

(2) यदि ऐसी गणना नहीं कराई गई तो उसके क्या कारण रहे व अब राज्य सरकार का उन पक्षियों की गणना कराने का इरादा है या नहीं ?

(3) क्या राज्य सरकार इन दुर्लभ पक्षियों की रक्षा व संख्या वृद्धि हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मन्त्री, वन (श्री हरिसिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय,……

एक माननीय सदस्य : जरा ज़ोर से बोलिये।

श्री हरिसिंह यादव : मैं जोर से बोल रहा हूं, माइक छोटा है……

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप बैठ कर मुंह माइक के पास लगा दें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा भी माइक छोटा है। हमारी ऊंचाई ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष : आप दो तीन इंच नीचे हैं, यह दो तीन इंच ज्यादा हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : इनकी घिसाई कर दीजिये।

श्री हरिसिंह यादव : (1) अभी तक कोई गणना नहीं कराई गई है। इनकी अनुमानित संख्या 1000 है।

(2) इस प्रजाति के राज्य के विशाल क्षेत्र पर विस्तृत होने एवं गणना की उचित तकनीक के अभाव में गणना नहीं कराई जा सकी है। गणना की तकनीक का विकास होने पर इन पक्षियों की गिनती सम्भव हो सकेगी।

(3) इस पक्षी को वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम, 1972 में पूर्ण संरक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त राज्य सरकार जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थापित कर रही है। योजना का **विवरण संलग्न है**।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कृपया यह बतायें कि क्या डा० सालिम अली से इस बारे में परामर्श कर लिया गया था कि अभी मौजूदा हालात में यह सम्भव है या नहीं ? उनका अभी अखबारों में स्टेटमेंट छपा है कि इनकी गणना सम्भव नहीं है।

(श्री ईश्वरचन्द्र)

दूसरा आपने जो एक हजार की संख्या बताई है इसका क्या आधार है ? यह संख्या शहजादा बदर आये थे उसके पूर्व की है या बाद की ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। चूंकि मेरा भी प्रश्न दिया हुआ है, अभी एनलिस्ट नहीं हुआ है इसलिए मुझे भी प्रश्न पूछने की इजाजत हो तो एक सवाल कर लूं।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा भी प्रश्न दिया हुआ है। यह जिस पक्षी के बारे में प्रश्न है वह मेरे क्षेत्र का ही है। इसलिए मैं भी कुछ सप्लीमेंट्री पूछना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी : मन्त्री महोदय कृपया यह बतायें कि क्या इस पक्षी की संख्या माननीय विदेश मन्त्री को एक रिपोर्ट देकर दो हजार नहीं बताई गई थी ?

नम्बर 2, आपने कहा की इस तकनीक का आविष्कार नहीं हुआ है। तो डेढ़ वर्ष से मुख्य वन संरक्षक अधिकारी, जो इसमें बड़े ही ट्रेंड हैं, बड़े ही एक्सपर्ट हैं, जिनकी इस विषय पर बड़ी बुक्स हैं, जो स्वयं इस विषय में स्पेशलाइज्ड किये हुये हैं, ने डेढ़ साल में क्या किया ?

तीसरा यह कि जिस तरह से इन-डिस्क्रिमिनेटली स्लाटर किया गया, शिकार नहीं स्लाटर किया गया तिलोड़ पक्षी का, जो कि ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड, गोडावण और लेसर इण्डियन बस्टर्ड यानि कि तिलोड़ कहलाता है इनकी संख्या जो एक हजार बताई गई है वह एक हजार है अथवा दो हजार ?

वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सैक्शन 4, फर्स्ट एण्ड सैकिंड के अनुसार कोई भी सरकार, चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, इसके शिकार की इजाजत नहीं दे सकती। कोई आथोरिटी नहीं है इजाजत देने की। इसके शिकार की इजाजत तभी दे सकते हैं जब कि कोई जानवर या पक्षी हजार्डियस टू ह्यूमन लाइफ हो या हजार्डियस टू क्रोप्स हो या वायरस, सीरियस इंफेक्सियस डिसीज से सफर कर रहा हो, जिससे इन्फेक्शन फैलने का डर हो ऐसी हालत में ही इस तरह के पक्षी को मारने की इजाजत चीफ वार्डन दे सकता है, अन्यथा किसी को कोई अधिकार नहीं होता है। तो आज तक जो इतने पक्षी मारे गये हैं, जो इतना जघन्य अपराध किया गया है, कानूनी प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है, सरकार की नजरों के सामने किया गया है उसके बारे में क्या एक्शन लिया गया है ? यह भी बतायें।

श्री ईश्वरचन्द्र : मन्त्री महोदय यह भी बतायें कि श्री कैलाश सांखला, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के इन्चार्ज हैं, भी उस समय पार्टी, शिकार पार्टी के साथ मौजूद थे, उन्होंने गोडावण के शिकार को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया ? मैं निवेदन करूंगा कि ब्लिट्स जनवरी 13,

(६)

(श्री ईश्वरचन्द्र)

1979 में यह साफ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है :

"The relevant law here is the Wild Life Protection Act, 1972. It says that 'no person shall hunt any wild animal specified in Schedule I' and the great Indian bustard is listed in Schedule I along with 60 other species on the verge of extinction."

आगे उसमें लिखा है, वह शहजादा बदर के बारे में लिखा है :

"They rode in 15 landrovers, 12 heavy vehicles and two tankers with aviation fuel. The vehicles, all of American make, could move smoothly over sand dunes of the Rajasthan desert. They also carried 100 ferocious falcons with which they started hunting the Great and Lesser Bustards with one Indian assigned as a liaison officer. He was Rajasthan's Chief Wild Life Warden, Kailash Shankhla, who could not even partake of the great feasts after the spells of royal hunt, being a pure vegetarain."

तो, माननीय मंत्री महोदय, जिस आदमी को नियुक्त किया गया है, श्री कैलाश सांखला को वह आदमी पार्टी था। श्री सांखला और इसके बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे हिन्दुस्तान के अखबारों ने एडीटोरियल लिखे हैं। राजस्थान पत्रिका ने लीड आर्टिकल दिये हैं, इसमें सारे आंकड़ दिये हैं। उसके बारे में राज्य सरकार ने क्या किया ? यह जो आपने 9-2-79 के आंकड़े दिये हैं उसका क्या आधार है ? कितने घोटाले हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था.......

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे सवालों का जवाब तो दिला लें।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या राज्य सरकार ने शहजादा बदर को शिकार की अनुमति दी ?........

श्री किशनसिंह भाटी : मेरे सवालात हैं उनके जवाब तो आ जायं फिर और सवाल पूछे जावें।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : क्या राजस्थान सरकार ने शिकार की इजाजत दी.......

(व्यवधान)

क्या राज्य सरकार ने शहजादा बदर को शिकार की इजाजत दी ? यह उत्तर फर्मायें। मंत्री महोदय से इसका जवाब दिलवायें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है........

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्त्ता ! माननीय बजरंगलाल, माननीय भाटी और माननीय अब्दुल अजीज, इनके सप्लीमेंट्री प्रश्नों के उत्तर आ जावें फिर और प्रश्न।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं सप्लीमेंट्री पूछ लूं, हुकुम।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो तीन दफा प्रश्न पूछ चुके हैं। आपने तीन दफा आइज कैच की थीं। आपने तीन दफा चर्चा की। मैं आपकी इस बात को मानने में कत्तई विवश हूं कि आपने सप्लीमेंट्री नहीं पूछा। आपने अवश्य पूछा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : नहीं पूछा है, हुकुम।

श्री अध्यक्ष : The best thing we can say is that we agree to disagree. इसके उपरान्त भी अगर पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अगर मैंने सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लिया है तो मन्त्री महोदय बतायें कि मैंने कौन सा प्रश्न पूछा है?

मेरा सप्लीमेंट्री यह है कि क्या शहजादा बदर को शिकार करने के लिए....

श्री किशनसिंह भाटी : पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जावे।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : Hon'ble Speaker has permitted to ask a question and he is disrupting. एक ही सप्लीमेंट्री का जवाब क्यों हो? क्या निहित स्वार्थ है इसमें........

श्री किशनसिंह भाटी : निहित स्वार्थ तो आपका हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर दिलवाने का उत्तरदायित्व मेरे पर छोड़िये। स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा एक प्रश्न पूछना था। अगर शहजादा बदर का इरादा गोडावण का शिकार करने का नहीं था तो फिर वे वहां क्या कर रहे थे? जब राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पेश हुई और वहां से निषेधाज्ञा जारी हुई तो विदेश राज्य मंत्री कुण्डु पधारे और शहजादा से रिक्वेस्ट की कि कृपया अपना बिस्तर बोरिया उठाइये। निषेधाज्ञा जारी होने पर शहजादा साहब रवाना हुए, इसीलिए कुण्डु साहब वहां पर पधारे। तो उनके आने का गोडावण के शिकार करने का एकमात्र लक्ष्य नहीं था क्या?

नम्बर 2, यदि उनका यह लक्ष्य था कि उनको गोडावण का शिकार करना था, जिसके लिए मुख्य मन्त्री ने कहा था कि 75 गोडावण मारने तक की इजाजत है, तो क्या 75 ही मारे या उससे अधिक मारे? कृपा करके यह जो दो स्पेसिफिक क्वेश्चन्स हैं, इनका रिप्लाई दें। Why he was

(10)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

obliged to leave Rajasthan and India on account of the stay order of the High Court not to hunt 'Godavan'?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब पहले माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों को मैं और समय दूंगा। इस तरह से मंत्री किस तरह से उत्तर दे सकते हैं। असम्भव है।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले एक बात स्पष्ट कीजिये·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। मुझे सह-सहयोग दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : एक बात स्पष्ट कीजिये। जो माननीय सदस्य खुद वहाँ पर मौजूद थे उन्हीं माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है····

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय के उत्तर के बाद आपको समय दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : उत्तर से पहले इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। जो माननीय सदस्य गोडावण के शिकारियों से जाकर मिले हैं और जिन्होंने गोडावण का सफलतापूर्वक शिकार करने पर मुबारक बाद दिया है, उनके साथ जिन्होंने खाना खाया है, शहजादा बदर को तिलोड का सफलतापूर्वक शिकार करने में मदद की है, आज वही प्रश्न कर रहे हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर दिलाये जा रहे हैं·······

(व्यवधान)

उन लोगों को प्रश्न करने का क्या अधिकार है·······

श्री ईश्वरचन्द्र : कृपया इसको पोलिटिकल क्वेश्चन मत बनाइये।

(व्यवधान)

श्री रामनाराण चौधरी : राजस्थान में आपने कानून को खतम किया है।

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या कांग्रेस ने इस शिकार करने की सन् 72 से 77 तक इजाजत दे रखी थी ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : ऐसे लोगों को कोर्ट में खड़े करवाइये न····

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : इसकी हत्या, शिकार करने की इजाजत कांग्रेस सरकार ने दे रखी थी।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसे शिकार करने वाले विदेशियों को मुबारकबाद देने वाले माननीय सदस्य को तो कटघरे में खड़ा

(श्री रामनारायण चौधरी)

करना चाहिये। जो गोडावण पक्षी का शिकार करने आये शिकारी बदर को मुबारकबाद देने गये थे, ऐसे माननीय सदस्य को तो कटघरे में खड़ा करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : आसन की व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मन्त्रिमण्डल के शहजादे हरिसिंह यादव से पहले इसके बारे में उत्तर दिलवा दिया जाये।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का दायरा सीमित है। माननीय मन्त्री महोदय ने इसका जवाब दे दिया है। जैसलमेर और बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न के संबंध में जो सवाल पूछे हैं, वे सारे के सारे प्रश्न इस तरह के हैं कि मन्त्री महोदय को इसका जवाब देने में विस्तार में जाना होगा, इसलिये मैं समझती हूं कि इसकी अनुमति नहीं दी जाए। क्योंकि इसके आगे जो प्रश्न आने वाले हैं वह भी महत्वपूर्ण हैं इसलिए इस सवाल को यहीं खतम करने का कष्ट करें।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न पूछा जा रहा है, यह इन्टरनेशनल इम्पार्टेन्स का है। माननीय सदस्य इसको साइड ट्रैक कर रहे हैं। वे कितने इन्ट्रेस्टेड हैं गोडावण की सुरक्षा में ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको तो भूख हड़ताल करनी चाहिये थी। आप खुद तो उनको लेने को गये हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : आपको शर्म आनी चाहिए। ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : शर्म तो आपको आनी चाहिये।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पोलिटिकल कलर दिया जा रहा है। प्रश्न यह है कि गोडावण पक्षी की रक्षा होनी चाहिए ताकि भविष्य में इसका शिकार नहीं हो। इन्दिरा गांधी की सरकार ने इस पक्षी के शिकार के लिए 8 वर्ष पहले से इजाजत दे रखी थी। क्या वह इजाजत कन्टीन्यू रहेगी ? इस सम्बन्ध में सरकार का उत्तर आना चाहिये।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के किसी व्यक्ति को इस पक्षी का शिकार करने की इजाजत नहीं है। इस पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। लेकिन इस प्रतिबन्ध के बावजूद बाहर से लोगों को इसका शिकार करने के लिए बुलाया जाता है। तो उनको क्यों इजाजत दी गई ? यह इस सदन को बताया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम सवाल है। इस गोडावण पक्षी के शिकार की इजाजत कांग्रेस शासन के समय में दी गई थी। तब से इसका शिकार होता चला आ रहा है। यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। इससे भी ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि जो

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

संस्कृति की बात करते हैं, महान् संस्कृति की बात करते हैं, वे दूसरे देश के लोगों को यहां पर बुलावें, गोडावरण का शिकार करने देवें। वे लोग देश की इज्जत के साथ सौदा करें तो इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती। सवाल यह नहीं है कि कितने मारे गये, और न ही यह महत्वपूर्ण सवाल है कि कितने पक्षी बच गये हैं। सवाल तो यह महत्वपूर्ण है कि शहंशाह और बड़े अधिकारी अपने पैसे की ताकत पर यहां आकर हमारी भावनाओं से खेलते हैं। हमारी सरकार उनके पैसे की ताकत पर शिकार खेलने की इजाजत देती है, यह शर्म की बात है। यह महान् संस्कृति की बात करने वालों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : चींटी मकोड़े सब खा जाते हो, चूहे तक खा जाते हो और गोडावरण पक्षी की बात करते हैं....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार को आगाह कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन का बहुमूल्य समय नष्ट हो रहा है। माननीय सदस्य आपस में ही इस प्रश्न में उलझे हुए हैं। सरकार का उत्तर आवें, उसको सुने, उसके बाद सदन इस पर विचार कर सकता है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जाए। मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगा। सही उत्तर नहीं आने देना और इन्टरनेशनल क्वेश्चन, नेशनल क्वेश्चन और कांग्रेस का क्वेश्चन और जनता का क्वेश्चन........

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय।

श्री हरिसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मूल प्रश्नकर्त्ता ने कुछ मुद्दे उठाये हैं। एक प्रश्न तो यह पूछा गया है कि डा० सालम अली से राज्य सरकार द्वारा यह राय ली गई थी कि ये कितने पक्षी हैं और क्या इनकी गणना सम्भव है? इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इनकी जो संख्या है, जिस प्रकार से इनकी गणना की गई है, जहां-जहां पर ये मिलते हैं, उसके अनुसार करीब एक हजार है।

नम्बर दो, यह पक्षी मरुस्थल में रहता है। इस मरुस्थल का क्षेत्रफल विशाल है। इतने बड़े भू-भाग में यह पक्षी रहता है वहां एक एक करके या फोटोग्राफ लेकर इसकी गणना करना सम्भव नहीं है। इसके लिए जैसा कि मैंने अर्ज किया है इस प्रकार की कोई टेक्निक नहीं है जिससे इस पक्षी के विशालतम क्षेत्र में फैले हुए होने पर संख्या उस क्षेत्र में कितनी है यह जाना जा सके। टेक्निक पर्याप्त नहीं है। इसकी गणना की कोई टेक्निक आ जाएगी तो उसको अवश्य ही अपनाया जायेगा।

जहां तक और माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये हैं, उनका मूल प्रश्न से कोई ताल्लुक

(श्री हरिसिंह यादव)
नहीं है। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इस गोडावण पक्षी के बारे में सदन में चिन्ता व्यक्त की है। जनता ने भी इसके बारे में चिन्ता व्यक्त की है। सरकार माननीय सदस्यों की जो गोडावण के प्रति भावना है, उसका आदर एवं प्रशंसा करती है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका गोडावण सुरक्षित है।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार तो इस प्रश्न पर निष्क्रिय रही है।

श्री हरिसिंह यादव : फिलहाल यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गोडावण पक्षी का राजस्थान में कोई शिकार नहीं हुआ। इसकी संख्या वही है जो पहले थी। बाज से इसका कोई शिकार नहीं किया जा सकता है अतः बाज से शिकार करने वाले आने के बाद भी इसकी संख्या में कोई फर्क नहीं आया है। गोडावण जितने पहले थे, उतने ही आज हैं। एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। गोडावण पक्षी एक ही अण्डा देता है और पेयर में रहता है। यह अण्डा मैदान में घोंसला बना कर देता है। बरसात के महीने में या सितम्बर, अक्टूबर में शायद वह अण्डा देता है।

श्री अध्यक्ष : आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं।

श्री हरिसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस पक्षी की जो प्राकृतिक प्रजनन शक्ति है वह ऐसी है जिससे हम यह चाहें कि बहुत बड़ी संख्या में यह बढ़ जाये, यह एकदम सम्भव नहीं है। हम इसकी संख्या एकदम नहीं बढ़ा सकते। फिर भी मरुस्थलीय क्षेत्र में एक मरु उद्यान, डेजर्ट पार्क लगाने की बात है। उस पर काम शुरू हो रहा है। 5 साल के अन्दर यह पार्क पूर्ण हो जाएगा। यह पार्क अपने आप में रक्षा की योजना है जिसमें कई हजार किलो मीटर डेजर्ट का एरिया रोकेंगे ताकि ये वन्य जीव सुरक्षित रह सकें, इनकी बढ़ोतरी हो सके और इनको कोई डिस्टरबेंस न हो।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने तीसरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है इसमें कांट्रेडिक्शन है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भाटी को बोलने दीजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि मूल प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है उसके तीसरे भाग में इसकी रक्षा के लिए कहा गया है। रक्षा का जो एक्ट है उसका जो वायोलेशन हुआ उसके लिए वन मन्त्री जी हाउस को यह कह कर गुमराह नहीं कर सकते। वन मन्त्री जी ने इसकी संख्या एक हजार बताई। डा० सालिम अली ने भी लिखा है किन्तु क्या विदेश मन्त्री जी को बताई वह संख्या दो हजार है? इसमें कौन सी बात सही है?

(14)

(श्री किशनसिंह भाटी)

तीसरे मरु उद्यान का कहा गया है। विशेष तौर से ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक तार बन्दी या पक्षी रक्षण की नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण न दें। Please ask short question.

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो शाहजादा बदर के आने के पहले संख्या थी वही उनके जाने के बाद संख्या है, प्रिन्स बदर का गोडावण से कोई लेना देना ही नहीं था तो फिर क्यों हाई कोर्ट से स्टे आर्डर लिया गया और क्यों राज्य मंत्री, वन को आवश्यकता पड़ी जैसलमेर जाने की ? क्यों उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रिन्स बदर से कि हाई कोर्ट का स्टे हो गया है, अदालत का हुक्म हो गया है ? उसको मान कर वे चले गये। अगर उनका गोडावण से कोई लेना देना नहीं था तो वे कह सकते थे कि हम निश्चित अवधि तक रहेंगे। वे क्यों बीच में ही चले गये ? इस रिलेवेन्ट क्वेश्चन का कृपा करके वन मन्त्री महोदय स्पेसिफिक उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : मन्त्री महोदय, कृपया यह बतावें कि राजस्थान के मांसाहारी अफसरों और मिलिट्री और बी. एस. एफ. से इस पक्षी को बचाने की क्या योजना है ?

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मन्त्री महोदय द्वारा बताया गया कि वहां जितने पहले थे उतने ही अब हैं। लेकिन 25 दिसम्बर को राजस्थान पत्रिका में छपा है कि मन्त्रिमण्डल द्वारा मन्त्री महोदय पर दबाव डाला गया तो मन्त्री महोदय ने 75 छोटे गोडावण के शिकार की अनुमति दे दी। कृपया यह बतावें कि छोटे गोडावण कितने मरवाये और कितने लाख रुपये बदर से वसूल किये ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोडावण चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा, किसी भी तीसरे शासक को इस देश में इस तरह की इजाजत देना किसी भी देश के लिए एक शर्म की बात है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। केन्द्रीय सरकार को हमारी सरकार को लिखना चाहिये कि आइन्दा कोई इस तरह का हौसला न करे।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें छोटे और बड़े का सवाल नहीं है। एक्ट का वायोलेशन किया गया उस पर क्या क्या कार्यवाही की गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब तक इसका पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : जो भी उत्तर दिया है वह गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अच्छा होगा कि इस संबंध में आधे घंटे की चर्चा हो। इस बारे में व्यवस्था करूंगा आधे घण्टे की चर्चा के लिये।

(श्री अध्यक्ष)

नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री गोपाल पचेरवाल ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज गलत उत्तर दिया गया है । माननीय वन मन्त्री जी कहते हैं कि गोडावण को नही मारा गया ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने घोषणा की कि पार्क हो, पार्क में फेंसिग हो । यह ग्रेट बस्टर्ड हमारी धरोहर है । यह महान धरोहर राजस्थान की ही नहीं है । यह राजस्थान का सौभाग्य हैं कि सारे एशिया भर में यह पक्षी इसी ग्रेट इंडियन डेजर्ट में है । अरेबिया से शहजादा बदर यहां आया क्योंकि वहां ये बिल्कुल खतम हो गये । इसकी रक्षा की व्यवस्था के लिये फेंसिंग लगा कर पार्क की व्यवस्था की जायेगी ताकि उसमें कोई भी डिफेंस के लोग दाखिल नहीं हो सकें। राजस्थान सरकार इसके लिये सजग है । इस प्रश्न को मैं अलग से सुरक्षित रखता हूं आधे घण्टे की चर्चा के लिए ।

श्री किशनसिंह भाटी : लेकिन उत्तर गलत आया, अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि गोडावण नहीं मारे गये, यह अन्दाज से ही कहा गया है वे अधिकृत रूप से नहीं कह रहे हैं । शिकार किये पक्षियों को गिनने या जांच करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आधे घंटे की चर्चा हो तब कह दें ।

श्री गोपाल पचेरवाल ।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे की चर्चा हो जायेगी लेकिन एक्ट का वायोलेशन हुआ या नहीं ? अगर हुआ तो क्या एक्शन लिया गया मन्त्री महोदय द्वारा या सरकार के द्वारा ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप विराज रहे हैं उस समय सरकार गलत बयान दे और कहे कि नहीं मारे गये । आपकी सदारत में बैठ कर सदस्य इस तरह के झूठे बयान को बरदाश्त करें, यह हमारी बरदाश्त के काबिल नहीं है । हमारी भावना को ठेस पहुंची है । मन्त्री महोदय सही उत्तर दें ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो वातावरण बना है उसके बाद आधे घण्टे की चर्चा का प्रश्न खतम हो गया । हाउस मानता है, सदन मानता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मारा गया है और, मान्यवर, आपने स्वीकार किया है कि मारे गये हैं....

श्री अध्यक्ष : मेरे अनुमान से मारे गये हैं । यह मेरी भावना है ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका अनुमान सही है । राजस्थान की सरकार को इस गलत बयानी के लिये कटघरे में खड़ा किया जाय और कटघरे में खड़ा करने के बाद उनके खिलाफ जुर्म लगाया जाय । सदन से उनको सजा दी जानी चाहिए,

(16)

(श्री रामनारायण चौधरी)

मान्यवर ! उन्होंने राजस्थान में गोडावण पक्षी मारे हैं इस तथ्य को छिपाने की कोशिश की है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह भाषण का समय नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : इस राजस्थान ने अपनी कुर्बानियाँ की हैं ..

श्री किशनसिंह भाटी : मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने गोड वण पक्षियों को मारा गया है ? मन्त्री महोदय अन्दाज से उत्तर दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बजरंगलाल जी ने कुछ प्रश्न इस प्रकार के उठाये हैं, मैं उनकी मानसिक स्थिति और वेदना को समझता हूं ...

श्री किशनसिंह भाटी : यह कोई उत्तर नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या मतलब है ?

श्री किशनसिंह भाटी : What do you mean by that ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय जिस हालत में बोल रहे हैं और जिस ढंग से बोल रहे हैं मुझे उसका उत्तर देने का आप समय दें। कोई सरकार का मन्त्री इस तरह से बिना फैक्ट्स के उत्तर दे तो उसकी बातों का मुंह तोड़ उत्तर देने में मैं अपने आपको सक्षम समझता हूं।

श्री हरिसिंह यादव : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किसी पक्षी को मारने की इजाजत नहीं दी। आप अपने ख्याल से ही ऐसा कहते हैं, यह ठीक नहीं है। आप गोडावण के शिकार की बात केवल झूठ के सहारे कह रहे हैं। यह पूर्णतया असत्य है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : राजस्थान पत्रिका में, अध्यक्ष महोदय, यह छपा है और हाई कोर्ट में इस बारे में रिट पेश की गई है उसका कन्ट्रेडिक्शन नहीं किया गया तो दोनों तथ्य ऐसे हैं....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : राजस्थान पत्रिका ने लिखा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उन्होंने स्वयं ने कहा है कि गोडावण मारने की इजाजत नहीं दी, तो उन्होंने 75 तक मारने की इजाजत कैसे दी ?

नम्बर दो यह है कि इसके बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन हुई है उसमें उन्होंने स्टे आर्डर दिया है। उस स्टे आर्डर को लेकर भारत सरकार के विदेश राज्य मन्त्री कुन्डु साहब जैसलमेर गये हैं। उन्होंने प्रिन्स बदर से प्रार्थना की है, हिन्दुस्तान में अदालत की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब आप प्रस्थान कर जाइये। फैक्ट्स आफ सरकम्स्टान्सेज पर उत्तर दें। फैक्ट्स आफ सरकम्स्टान्सेज को एक्सप्लेन न कर के उत्तर दें, यदि इस सरकार को इस प्रकार से उत्तर देने की आदत नहीं है अथवा अभ्यास नहीं है तो उत्तर न दें अन्यथा तथ्यों को एक्सप्लेन करते हुए उत्तर देना चाहिए।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

जहां तक मानसिक स्थिति का प्रश्न है तो जैसा मैं मानता हूं और सब मानते हैं कि यदि किसी का दिमाग ऊंचा रखा हुआ है तो वह माननीय हरिसिंह जी यादव का रखा हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सब चर्चाएं हैं। अगर आपको उत्तर सरकार का सुनना है तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह उत्तर दें।

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा....

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 130

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री बहादुरसिंह।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे की चर्चा का क्या हुआ?

प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु किये गये उपाय

131. **श्री बहादुरसिंह (नोहर)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य सरकार ने प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए तथा प्रशासन को कुशल बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किये हैं?

(2) राज्य सरकार ने कितने अधिकारियों को भ्रष्टाचार, कार्यहीनता के जुर्म में दण्डित किया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहती है? अगर हां, तो कैसे तथा कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (1) राज्य सरकार द्वारा किये गये कुछ मुख्य उपाय यह हैं :—

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का पुनर्गठन किया गया है। अन्वेषण तथा सूत्र एकत्रित करने के लिए पांच विशेष जांच इकाइयां स्थापित की गई हैं। एक विशिष्ट अनुसन्धान इकाई (इन्टेलिजेन्स) तथा चार विशिष्ट अनुसन्धान इकाइयां (इन्वेस्टीगेशन) हैं।

(2) दो राजस्व अभियानों में गांव-गांव में केम्प लगा कर खुली अदालतों में 18 लाख मुकदमों के निर्णय होने से भ्रष्टाचार उन्मूलन में बड़ी सहायता मिली है। विभिन्न पदों पर सही व्यक्तियों की नियुक्ति से भी भ्रष्टाचार उन्मूलन में सहायता मिली है।

(3) पहले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पद रिक्त रहने से कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता था। रिक्त पदों पर कुशल व्यक्तियों की नियुक्तियों से भ्रष्टाचार निरो-

(श्री कैलाश मेघवाल)

षक विभाग के कार्य में काफी गति आई है। जहां जून, 1977 में 55 प्रारम्भिक जांच, 90 जांच प्रकरण तीन वर्ष पुरानी अवधि के शेष थे वहां दिसम्बर, 78 के अन्त में केवल 8 प्रारम्भिक जांच व 33 जांच प्रकरण अवशेष रहे। जुलाई, 1977 के पूर्व के 18 महीनों में 212 प्राथमिक जांचों का निपटारा हुआ था जिसके मुकाबले जुलाई, 1977 से दिसम्बर 78 तक 261 प्राथमिक जांचों का निपटारा किया गया। जहां तक जांच प्रकरण का प्रश्न है, जुलाई, 1977 से पूर्व 18 के महीनों में 166 अपराधों में निपटारा किया गया जब कि जुलाई, 77 से दिसम्बर, 78 तक 170 अपराधों का निपटारा किया गया। जुलाई, 77 से पूर्व के 18 महीनों में 92 अपराधियों का चालान किया गया, जब कि इसकी तुलना में जुलाई, 77 से दिसम्बर 78 तक 106 अपराधों में चालान हुआ।

(4) विभागीय जांचों का तत्परता से निपटारा किया गया········

श्री गुल मोहम्मद : तीन ही तो प्रश्न हैं चौथा कहां से आ गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह प्रश्न के खण्ड (1) का जवाब चल रहा है। यह चौथा पाइंट है। जो भिन्न-भिन्न उपाय किये हैं उनमें यह चौथा है।

········जुलाई, 77 से पूर्व के 18 महीनों में 190 जांचों का निपटारा किया गया था उसकी तुलना में जुलाई, 77 से दिसम्बर, 1978 तक 312 जांचों का निपटारा किया गया। इन 18 महिनों के काल में कुल 178 अधिकारियों को विभिन्न दुराचरण के मामलों में दण्डित किया गया है।

(5) विभिन्न विभागों में बहुत लम्बे समय से विभागीय जांचें विचाराधीन पड़ी थीं। इन पुरानी जांचों के निपटारे में होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में उचित सलाह देने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया गया, जो विभागों के अध्यक्षों को बुला कर प्रत्येक दो वर्ष से पुरानी जांच के मामलों का अध्ययन कर उसे शीघ्र से शीघ्र निपटाने के लिए सलाह देती है। इस समिति की सिफारिशों की वजह से पुरानी जांचों के निपटारे में बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

(6) विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की राय से बनी विभागीय समितियों में विचार किया जा रहा है।

(2) 178 राज्य सेवा अधिकारियों को दण्डित किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा पिछले पौने दो वर्षों में प्रशासन में सुदृढ़ता एवं चुस्ती लाने हेतु जो मुख्य सुधार किये गये हैं वह इस प्रकार है :—

1) प्रशासन व्यवस्था को लक्ष्यपरक तथा जनता के प्रति संवेदनशील बनाया है। पिछले वर्षों की तुलना में योजना कार्यों में तेजी, अन्त्योदय व काम के बदले अनाज योजना का सफल क्रियान्वयन व दो राजस्व अभियानों में 18 लाख मुकदमों का निपटारा इस बात का संकेत है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

2) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन कर वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

3) राज्य कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी मामलों का समय पर निपटारा न होने से प्रशासनिक कुशलता का ह्रास होता था। सरकार ने एक विशेष अभियान आयोजित कर वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, पेन्शन, वरिष्ठता निर्धारण आदि के अनिर्णीत 1, 22, 327 मामलों में से 99,400 मामलों का निस्तारण किया है। विशेष मामलों के शीघ्रता से निस्तारण के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

4) पदोन्नति की नई नीति निर्धारित कर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें की गई जिससे तदर्थ पदोन्नति की रोकथाम हुई।

5) सेवा नियमों में पेन्शन, पदोन्नति, वरिष्ठता आदि के बारे में कई सुझाव दिये गये।

6) अन्तर विभागीय मामलों के निपटारे तथा विभागीय कार्यों को उच्च स्तरीय नीति-निर्देशन देने के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में समन्वय समितियों की बैठकें बुला कर नई प्रणाली आरम्भ की गई।

7) जिला स्तरीय विकास कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न जिलों में अलग-अलग शासन सचिवों को अधिकृत किया गया है।

8) नीति-निर्देशन के लिये एक नीति निर्देशन प्रकोष्ठ तथा नीति निर्धारण समिति का गठन किया गया है।

9) सप्ताह में एक दिन विभागीय मंत्री स्तर पर सम्बन्धित शासन सचिवों तथा विभागाध्यक्षों की बैठक विभाग के कार्यों की समीक्षा करने हेतु बुलाने की एक नई व्यवस्था कायम की गई है।

10) 6 सेवाओं के सेवा नियम बनाये गये हैं जिनसे इन सेवा सम्बन्धी जो अनिश्चितता बनी हुई थी वह समाप्त हो गई और काफी लम्बे समय से सेवा नियमों के अभाव में जो मामले लम्बित पड़े थे, उन्हें निपटाना संभव हो गया है।

(11) जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियों का पुनर्गठन कर उन्हें अधिक प्रभावकारी बनाया गया है, ताकि जिला स्तर पर जनता के अभाव अभियोग को अधिक कुशलता से निपटाया जा सके। इन जिला समितियों को अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अभाव अभियोग को प्राथमिकता के साथ निपटाने के लिए अधिकृत किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : यह सब कागजी कार्यवाही है।

श्री कैलाश मेघवाल : इन समितियों का कार्यक्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है जिनमें विद्युत........

एक माननीय सदस्य : इनके जवाब में भी भ्रष्टाचार है।

श्री कैलाश मेघवाल : कनेक्शन के मामले, फौजदारी मामले पुलिस में दर्ज

(श्री कैलाश मेघवाल)

कराने, राजस्व के मामले, जल वितरण के मामले आदि के सम्बन्ध में जनता के सामने आने वाली कठिनाइयां भी शामिल कर ली गई हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य

(व्यवधान)

प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता।

श्री बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के दो पहलू हैं। एक तो जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं। अगर पालन करते हैं तो करते हुए रिश्वत लेते हैं। न तो उनके रिश्वत लेने में कोई कमी आयी है और न उनकी कर्त्तव्य पालन में चेष्टा दिखाई पड़ती है। मेरे पास जो लिस्ट आई है, उसमें अधिकारियों को कई चेतावनियां दी गई हैं। वेतन वृद्धि रोकी गई है। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहूंगा कि क्या चेतावनी कानून से ज्यादा कारगर है? जब कि भ्रष्टाचार के लिये कानून बना हुआ है क्या आपकी चेतावनी से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वह रुक जायेंगे?

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से माननीय मन्त्री महोदय को इन्फार्म करना चाहूंगा कि एक आदमी था, जिसका नाम लेकर कहा था, उसने 4 लाख का गबन किया है। वह मामला 6 महीनों से पड़ा हुआ है। उस चोर लड्ढा का नाम पड़ा हुआ है। उसका नाम लड्ढा है।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो एक इन्स्टांस है। ऐसे हजारों हैं।

श्री लालचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, अभी थोड़े दिन पहले कलेक्टोरेट में एक भ्रष्टाचारी कर्मचारी पकड़ा गया है। एण्टी-करप्शन डिपार्टमेण्ट ने पकड़ा तो वहां पर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। 6 दिन तक वहां पर हड़ताल रखी गई। उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। कलेक्टर ने कोई मदद नहीं की। छापा मारने वालों को यह कहा गया कि तुम हमें मत पकड़ो। हम आपको नहीं पकड़ेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सब मिली भगत है। भ्रष्टाचार चल रहा है।

श्री लालचन्द : उन हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से क्यों नहीं बरखास्त किया गया? कोई अवसर आता है, भ्रष्टाचारी अधिकारी पर छापा मारने के लिए कहा जाता है तो उनका जवाब मिलता है कि हम क्यों छापा मारें? कोई मिनिस्टर के मुंह लगा हुआ है तो छापा डालने वालों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी।

कई माननीय सदस्य : शेम! शेम!

श्री मदनसिंह दांता : अगर यही मर्यादा रही तो सुप्रिम कोर्ट के जजेज पर भी हमले होंगे। वह कहेंगे कि हमें सजा क्यों दे रहे हो।

श्री मूलचन्द डागा : कलेक्टर के आफिस में सारे सबूत खतम कर दिये गये। सारे कर्मचारी उसकी मदद में आ गये। उन्होंने मदद लेकर ए. सी .डी. को धकेल दिया। कलेक्टर ने मदद नहीं की। ए. सी. डी. को चालान नहीं करने दिया। जिस आदमी ने शिकायत की थी, उसकी मरम्मत की गयी है। जिसने शिकायत की थी उसका नाम शायद ताराचन्द है। ऐसे एक नहीं हजारों केस हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मन्त्री महोदय क्या सी. आई. डी. लगा कर रखते है ?

श्री श्रवणलाल (हिंडौन) : आपके समय में भी यह होता था।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था कि मन्त्री महोदय अपनी सम्पत्ति की घोषणा करेंगें कि हमारे पास यह सम्पत्ति है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मूलचन्द डागा : मन्त्रियों को अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री एच० एन० शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल समाप्त हुआ है भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम गोगवा, तहसील परबतसर के पास हुई ट्रक दुर्घटना

127. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 15 अगस्त, 1978 के दिन ग्राम गोगवा, तहसील परबतसर, जिला नागौर में खोकर के पास एक ट्रक दुर्घटना हुई, जिसमें ट्रक चालक, ट्रक को महिला भंवरीदेवी निवासी गोगवा, के ऊपर से निकाल कर तथा उसे कुचल कर चला गया ?

(2) क्या यह सही है कि वहां उपस्थित लोग भंवरीदेवी को तत्काल परबतसर हास्पिटल में ले गये, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया तथा उसी समय दुर्घटना के एक घण्टे के अन्दर अन्दर पुलिस थाना परबतसर को भी सूचना कर दी गई थी ?

(3) क्या पुलिस वालों ने तत्काल उस ट्रक का पीछा किया था ? अगर हां; तो ट्रक चालक को क्यों नहीं पकड़ा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। थाना प्रबन्धक, परबतसर द्वारा ही भंवरीदेवी को बेहोशी की अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित किया। थाना प्रबन्धक सूचना मिलने के 20 मिनट में ही घटना स्थल पर पहुंच गये थे।

(3) जी हां। ट्रक के तुरन्त भाग जाने तथा पुलिस को देर बाद पता लगने के कारण ट्रक हाथ नहीं आया। उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट अदालत द्वारा जारी किया जा चुका है।

थाना केशोराय पाटन जिला बूंदी में दर्ज मामले

130. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) 14 नवम्बर, 78 से 20 नवम्बर, 78 तक थाना केशोराय पाटन, जिला बूंदी में कितनी रिपोर्ट किस जुर्म में दर्ज हुईं ? किन-किन व्यक्तियों द्वारा किन के विरुद्ध दर्ज कराई गईं ?

(2) क्या यह सही है कि 17 नवम्बर 78 को कार्तिक मेला मजिस्ट्रेट द्वारा भी थाना केशोरायपाटन में उक्त अवधि में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी नही।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकिक प्रश्नोत्तर

चूरू जिले की औद्योगिक इकाइयां

38. **श्री जगदीशचन्द्र शर्मा** (रतनगढ़): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं ? किनको कितना ऋण दिया गया है ? कितनी इकाइयों में ऋण बकाया है और कितने समय से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिले की अनेक औद्योगिक इकाइयां बन्द पड़ी हैं और उनमें राज्य सरकार का लाखों रुपया बकाया चला आ रहा है ? कब से और कितनी बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में जनवरी, 79 तक पंजीकृत इकाइयों की संख्या 2110 है। जिन इकाइयों को ऋण दिया गया है एवं बकाया ऋण सम्बन्धी सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। कुछ इकाइयां बन्द हैं। बन्द इकाइयों के बकाया ऋण सम्बन्धी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य की कृषि उपज मंडियां

39. **श्री श्योपतसिंह मकासर** (हनुमानगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कहां-कहां कृषि उपज मण्डियों की स्थापना हो चुकी है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 1975-76, 76-77 एवं 76-78 की मण्डीवाइज आय की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

(3) कृषि विपणन बोर्ड को कृषि मण्डी की आय से कितना प्रतिशत देना होता है ? इसमें पी. डब्ल्यू. डी. को दी जाने वाली राशि शामिल होगी या नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि चूरू जिले की कुछ मण्डियों का नियमन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में अभी तक स्थापित कृषि उपज मण्डी समितियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1975–76, 76–77 तथा 77–78 की मण्डी समितिवार आय की तालिका भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विपणन बोर्ड को मण्डी समिति की मासिक आय का 10 प्रतिशत अंशदान देना होता है।

इसमें पी. डब्ल्यू. डी. को दी जाने वाली राशि शामिल नहीं है।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अन्त्योदय योजना की प्रगति

40. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : क्या अन्त्योदय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में अन्त्योदय योजना की क्या प्रगति है ? अब तक की प्रगति का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कितनी राशि को किन-किन कार्यों के लिए राज्य सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों, जिला सहकारी बैंकों आदि द्वारा कितने गरीब लोगों को अब तक वितरित की गई है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में भी रूपरेखा तैयार की है कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले गरीब व्यक्ति कितने वर्षों में गरीबी की रेखा को पार कर सकेंगे ? अभी उनकी आर्थिक स्थिति में क्या सुधार आया है ?

उत्तर

(1) राज्य में विभिन्न जिलों में अन्त्योदय योजना के प्रथम चरण की दिनांक 31–1–79 तक की प्रगति संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(2) अन्त्योदय योजना के प्रथम चरण में जिलेवार व्यावसायिक सहकारी बैंकों के माध्यम से जितने अन्त्योदयी परिवारों को ऋण स्वीकृत किया गया व वितरित किया गया का विवरण जिले वार संलग्न तालिका में प्रस्तुत है। ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए ही दिया गया है।

(3) अन्त्योदय योजना की रूप रेखा एक पुस्तिका के रूप में तैयार है। अनुमान

(अन्त्योदय मन्त्री)

है कि चयनित व्यक्ति 5 वर्ष में गरीबी की रेखा को पार कर सकेंगे। अभी तक आर्थिक स्थिति में सुधार आया है उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(तालिका व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

रासा एजेन्सी, जोधपुर से सामान की खरीद

41. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रासा एजेन्सी जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि., जोधपुर को कई प्रकार की वस्तुयें व पुर्जे सप्लाई करती है ?

(2) क्या यह सही है कि नट बोल्ट, बैरिंग्स, पिस्टन, रिंगें, अन्य मोटर पार्ट्स, स्टेशनरी, निर्माण सामग्री, पत्थर आदि-आदि रासा एजेन्सी द्वारा सप्लाई किये जाते हैं ? खरीद का विवरण कृपया निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :—

दिनांक	वस्तु का नाम	खरीद की तादाद
1	2	3

दर	कुल खरीद	कुल रकम
4	5	6

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

डग विधान सभा क्षेत्र के लघु पशु चिकित्सालय

42. श्री बालचन्द आर्य (डग) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डग विधान सभा क्षेत्र जिला झालावाड़ में लघु पशु चिकित्सालय पंचायत समिति में लिये गये हैं ? यदि हां, तो उसमें आज तक दवाइयों का कितना बजट दिया गया है ?

(2) यदि बजट नहीं दिया गया तो क्या कारण है और पशु चिकित्सालय खोलने का क्या उपयोग है ?

(3) क्या यह भी सही है कि गंगधार पशु चिकित्सालय में कई वर्षों से बजट नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

4) उक्त चिकित्सालयों के लिये यदि बजट दिया गया तो उसका उपयोग कहां और किस कार्य में हुआ ?

(5) पशु चिकित्सा विभाग इनका भार अपने ऊपर क्यों नहीं लेता ?

उत्तर

(1) जी हां। लघु पशु चिकित्सालय पंचायत समितियों द्वारा संचालित है। अतः

(पशुपालन मन्त्री)

इन हेतु दवाइयों का बजट विभाग द्वारा नहीं दिया जाता था।

(2) पंचायत समितियों द्वारा संचालित लघु पशु चिकित्सालयों पर दवाइयों की व्यवस्था पंचायत समितियों की निजी आय से पंचायत समिति द्वारा ही की जानी चाहिये थी।

(3) गंगधार में भी पंचायत समिति द्वारा संचालित लघु पशु औषधालय है, अतः विभाग द्वारा पंचायत समिति को केवल कर्मचारियों का वेतन अनुदान के रूप में दिया जा रहा है।

(4) उक्त चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन हेतु सम्बन्धित पंचायत समितियों को वेतन आदि के लिए बजट अनुदान के रूप में दिया गया है।

(5) क्योंकि पंचायत समितियां निजी आय से उनके द्वारा संचालित औषधालयों में दवाईयां आदि का प्रबन्ध नहीं करती अतः इस वर्ष उन संस्थाओं में चिकित्सा हेतु आने वाले औसत बीमार पशुओं के आधार पर आवश्यक मात्रा में इन्हें दवाईयां उपलब्ध कराने हेतु जिला पशु पालन अधिकारियों के माध्यम से प्रबन्ध किया जा रहा है।

बूंदी जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

43. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी के कितने गांवों का विद्युतीकरण अभी तक किया जा चुका है तथा कितने गांवों का विद्युतीकरण करना अभी शेष है? गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिला बूंदी में ही अनुसूचित जाति क्षेत्र के केशोरायपाटन में जनता सरकार के शासन संभालने के बाद कितने गांवों में विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांव ऐसे हैं जिनमें विद्युतीकरण करना अभी शेष है मगर उक्त विद्युतीकरण योजना में लिये जा चुके हैं?

(3) विद्युतीकरण की पोकेट विलेज योजना के अन्तर्गत केशोरायपाटन क्षेत्र के कितने गांव आते हैं तथा उनमें से कितने गांवों को लिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इस प्रकार पाकेट विलेज योजना के अन्तर्गत आये हुए गांवों का विद्युतीकरण राज्य सरकार कब तक करने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) बूंदी जिले के कुल 738 गांवों में से माह जनवरी, 79 के अन्त तक 136 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा 602 गांवों का विद्युतीकरण करना शेष है। सूचियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) केशोरायपाटन क्षेत्र में जनता सरकार के शासन संभालने के बाद से 154 गांवों का विद्युतीकरण शेष है। इनके

(विद्युत मन्त्री)
विद्युतीकरण की अभी कोई योजना नहीं बनी है।

(3) केशोरायपाटन क्षेत्र के चार गांव इन्द्रपुरीया, माधुराजपुरा, नया गांव तथा बीलापुरा पाकेट विलेज योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है।

(4) योजना अभी तैयार की जा रही है। अतः निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

पंचायत समितियों की ग्रामीण विद्युतीकरण प्रसार योजना

44. **श्री शिव नारायण** (थानागाजी): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी पंचायत समितियों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत प्रसार किया जा चुका है तथा कितनी पंचायत समितियों में इस समय कार्य चालू है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में जनता सरकार के शासन में आने के बाद इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी पंचायत समिति स्वीकृत की गई और उनकी स्वीकृति का क्या आधार था?

(3) क्या यह सही है कि थानागाजी पंचायत समिति का इस योजना के अन्तर्गत काफी समय पहले सर्वेक्षण हो चुका है? यदि हाँ, तो इसे अब तक स्वीकृत न करने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) राज्य की 90 पंचायत समितियों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के अन्तर्गत विद्युत प्रसार किया जा चुका है तथा 83 पंचायत समितियों का कार्य चालू है। पंचायत समितियों के नाम की सूची 'अ' व 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जनता सरकार के शासन में आने के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के अन्तर्गत 46 पंचायत समितियों में उक्त विद्युत प्रसार योजनायें स्वीकृत की गई। पंचायत समितियों के नामों की सूची 'स' सदन के पटल पर रख दी गई है। स्वीकृति के निर्णय के आधार निम्नलिखित हैं :

(अ) पर्याप्त एवं उपयुक्त भू-जल की उपलब्धि,

(ब) प्रस्तावित एवं चालू लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विद्युतीकरण,

(स) उपलब्ध विद्युत प्रसारण प्रणाली की क्षमता एवं प्रसारण लाइनों से दूरी,

(द) जलदाय विभाग की ग्रामीण पेयजल योजनायें,

(इ) क्षेत्रीय असन्तुलन आदि।

(3) जी हां। सर्वेक्षण के पश्चात्

(विद्युत मन्त्री)

थानागाजी क्षेत्र की योजना बना कर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रेषित कर दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

ट्यूब वेल्स के बन्द रहने पर भी विद्युत चार्जेज की वसूली

45. **श्री हरचंद सिंह** (पीलीबंगा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि घग्घर बाढ़ के महीनों में सिंचाई हेतु पानी की कोई आवश्यकता घग्घर क्षेत्र में नहीं रहती है, इस कारण घग्घर तल में लगे तमाम ट्यूब वेल्स बन्द रहते हैं परन्तु विद्युत मंडल ट्यूब वेल्स बन्द रहने के महीनों का भी औसतन चार्ज करता है ? यदि हां, तो क्या इस अवैध चार्जिंग प्रणाली को राज्य सरकार रोकने की सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि नाली-क्षेत्र के ट्यूब वेल्स से सिंचाई केवल अक्टूबर से जून तक होती है और जुलाई, अगस्त व सितम्बर तक वास्तव में विद्युत का उपयोग नहीं होता ? यदि हां, तो फिर औसतन चार्जेज प्रणाली के अन्तर्गत उक्त अवधि का काश्तकारों से विद्युत चार्ज क्यों लिया जाता है ? ऐसी स्थिति में क्या औसतन चार्जेज प्रणाली को राज्य सरकार समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर के महीनों में सामान्यतः घग्घर तल में लगे हुए ट्यूब वेल्स के बाढ़ पानी के कारण बन्द रहते हैं। औसतन चार्जेज केवल मीटर बन्द होने पर ही लिये जाते हैं। विद्युत प्रदाय की सामान्य शर्तोंके अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को कनेक्शन दो वर्षों तक रखना आवश्यक है। यदि कोई उपभोक्ता कनेक्शन पहले कटवा ले तो भी दो वर्ष के चार्जेज देना अनिवार्य है। दो वर्ष के बाद भी चार्जेज देना तब तक अनिवार्य है जब तक कनेक्शन स्थाई रूप से नहीं कटवा ले। पीटर्ड सप्लाई टेरिफ के अन्तर्गत यदि कोई उपभोक्ता पूरे वर्ष में न्यूनतम चार्जेज के बराबर बिजली का उपयोग नहीं करता है तो उसको वार्षिक आधार पर मिनिमम चार्जेज देना आवश्यक है।

(2) जी हां। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है और औसतन चार्जेज नहीं; अपितु मिनिमम चार्जेज वार्षिक आधार पर लिये जाते हैं।

ट्यूब वेल्स द्वारा सिंचाई भूमि का आबयाना

46. **श्री हरचन्द सिंह** (पीलीबंगा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या राज्य सरकार नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में लगाये गये ट्यूब वेल्स द्वारा सिंचित भूमि का आबयाना भी नहरी सिंचित क्षेत्र कह कर ले रही है जबकि ट्यूब वेल्स द्वारा सिंचित भूमि का आबयाना अन्य जगहों पर नहीं लिया जा रहा है ?

(28)

(श्री हरचन्दसिंह)

(2) क्या राज्य सरकार इस दोहरी आबयाना वसूली प्रणाली को सुधारने की कोई योजना बना रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य, सरकार ऐसे काश्तकारों को जो नहरी सिंचित क्षेत्र के साथ-साथ अपने निजी ट्यूब वैल्स से भी अपनी खेती की सिंचाई करते हैं, आबयाना में कोई छूट देने की व्यवस्था के बारे में सोच रही है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

सिर्फ ट्यूब वैल्स द्वारा सिंचाई करने पर कोई सिंचाई आबयाना वसूल नहीं किया जाता है।

परन्तु जब ट्यूब वैल्स का पानी नहरी सिंचित भूमि पर विभाग द्वारा स्वीकृत जल मार्ग द्वारा सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है तो राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम 1955 के नियम 29 व 30 के अनुसार सिंचाई दर निर्धारित करके वसूल की जाती हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य की सिंचाई की दरें

47. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (मांडलगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में सिंचाई की दरें समान हैं, यानी बड़े बान्धों से व छोटे तालाबों से सिंचित भूमि की पिलाई दरें एक हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बड़े बांधों से चार बार पानी निकलता है जबकि छोटे तालाबों से एक या दो बार या कभी कभी बहुत ही कम ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह दर जनता सरकार की देन न होकर पिछली सरकार की देन है ?

(4) क्या यह भी सही है कि बराबर पानी उपलब्ध होने पर फसल के पकने की गारंटी रहती है जब कि पानी की कमी से फसल अधूरी पकी रह जाती है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार दरों को पानी के अनुसार वसूल करेगी ? अगर हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

किसी भी छोटे या बड़े बांध से पानी देने का नम्बर प्रतिवर्ष बांध में उपलब्ध पानी पर निर्भर करता है।

(3) संशोधित पिलाई दरें वर्ष 1967 से ही लागू हैं।

(4) जी हां।

[सिचाई मंत्री]

पानी की कमी या अन्य किसी कारण से यदि किसान को एक या दो पानी ही मिलते हैं तो जल दरों की अनुसूची के प्रथम भाग के सामान्य प्रावधान पैरा 6 के अनुसार दर में क्रमश: दो तिहाई व एक तिहाई की कमी की जाती है। यह प्रावधान वर्ष 1967 से ही लागू है।

विद्युत मण्डल की फिक्सेशन कमेटी

49. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)– क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल में फिक्सेशन कमेटी द्वारा ही फिक्सेशन एड-जस्टमेन्ट प्रमोशन किया जाता है? अगर हां, तो किस समझौते के तहत? समझौतों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कमेटियों के फैसले पर सुनवाई की जाती है? अगर हां, तो उसकी सुनवाई कौन करता है और उसके फैसले को इम्प्लीमेन्ट करने का तरीका क्या है?

(3) क्या यह सही है कि कनिष्ठ श्रमिकों को वरिष्ठ की जगह प्रमोशन किये गये? अगर हां, तो राजस्थान स्तर पर ऐसे केसों की संख्या कितनी है?

(4) विद्युत मण्डल में कनिष्ठ श्रमिकों को प्रमोशन देने के लिये क्या कोई समझौता हुआ? अगर हां, तो समझौते की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(5) क्या इस सम्बन्ध में संगठनों ने जांच की मांग की? अगर हां, तो उसकी जांच का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत मण्डल में श्रमिकों के फिक्सेशन/एडजस्टमेन्ट/प्रमोशन मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन के साथ किये गये समझौतों के अधीन गठित कमेटी द्वारा किये जाते हैं। इससे सम्बन्धित समझौते दिनांक 26-1-70, 8-6-71, 1-7-71, 20-7-72 2-11-73 व 26-6-74 की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(2) जी हां। फिक्सेशन कमेटी द्वारा किये गये फिक्सेशन/ऐडजस्टमेन्ट/प्रमोशन के फैसलों पर अपीलेट अथोरिटी द्वारा अपीलों की सुनवाई की जाती है। वर्तमान में श्री सरदारी लाल कक्कड़ (सेवा निवृत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य) अपीलेट अथोरिटी हैं। अपीलेट अथोरिटी द्वारा रिमान्ड किये गये मामलों पर फिक्सेशन कमेटी द्वारा पुनः विचार किया जाता है और जहां पर फिक्सेशन कमेटी अपीलेट अथोरिटी से फैसले के असहमत होती है उन मामलों को अपीलेट अथोरिटी के पास पुनरावलोकन हेतु भेजा जाता है। यदि अपीलेट अथोरिटी उन मामलों पर पुनराव-लोकन के पश्चात् भी फिक्सेशन कमेटी से सहमत नहीं हो तो ऐसे मामलों को मण्डल के अध्यक्ष को अन्तिम निर्णय के लिये भेजने का प्रावधान है।

[विद्युत मंत्री]

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रमोशन जानबूझ कर नहीं किया गया। श्रमिकों के फिक्सेशन/प्रमोशन/एवं ऐडजस्टमेन्ट उनकी वरीरियता के आधार पर ही नहीं अपितु उनकी उनके ट्रेड में उपयुक्तता के आधार पर ही किये जाते हैं। यदि फिक्सेशन कमेटी द्वारा किसी वरिष्ठ श्रमिक का फिक्सेशन नहीं हुआ हो तो उसको अपीलेट अथोरिटी के समक्ष अपील करने का अधिकार है।

(4) विद्युत मण्डल में सभी श्रेणी के श्रमिकों को प्रमोशन देने के लिए उपरोक्त प्रश्न (1) में वर्णित समझौते लागू हैं।

(5) असन्तुष्ट श्रमिकों से व्यक्तिगत रूप में या उनके संगठनों द्वारा यदा-कदा प्रतिवेदन प्राप्त होते रहते हैं किन्तु ऐसे प्रतिवेदनों पर अलग से कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है क्योंकि समझौतों के अन्तर्गत असन्तुष्ट श्रमिकों को फिक्सेशन कमेटी द्वारा किये गये फिक्सेशन/प्रमोशन के विरुद्ध निश्चित अवधि में अपील करने का अधिकार प्राप्त है। अपीलों की सुनवाई के समय श्रमिक स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि अपीलेट अथोरिटी के समक्ष प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

(समझौते की प्रति विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

पीपल्दा क्षेत्र में सिंचाई की बकाया राशि

50. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा):— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पीपल्दा क्षेत्र में किन व्यक्तियों पर 1000 रु. तथा इससे अधिक की राशि सिंचाई विभाग की बकाया है? प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति, तथा ग्राम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त बकाया राशि अभी तक भुगतान नहीं किये जाने का क्या कारण है?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त बकाया राशि को शीघ्र वसूल कर अनियमितताओं को दूर करेगी?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र से सम्बन्धित 1000/रु. से अधिक सिंचाई कर के बकाया दारान की सूची वांछित प्रपत्रानुसार संलग्न की जा रही है।

(2) 1-10-74 से पूर्व वसूली कार्य राजस्व विभाग द्वारा सम्पादित होता था उस अवधि में बकाया अधिक मात्रा में एकत्रित हो गई।

(3) राज्य सरकार द्वारा बकाया राशि को वसूल करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें चल सम्पत्ति को कुर्क करने एवं सम्बन्धित खेतों को नहरी पानी से वंचित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य की लघु सिंचाई योजना

51. **श्री गंगा सहाय** (कठूमर):—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी लघु सिंचाई योजनाएं हैं जो अकाल राहत योजना के अन्तर्गत कब-कब चालू की गई थीं ? इनमें से कितनी योजनाएं आज भी अपूर्ण पड़ी हुई हैं ? इन पर कितनी धनराशि अब तक व्यय की जा चुकी है ?

(2) इन लघु सिंचाई योजनाओं की उस समय (चालू करते समय) कोस्ट आफ कन्स्ट्रक्शन क्या थी और अब क्या है ? ये अधूरी योजनायें कब तक पूर्ण कर दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) अकाल राहत योजना के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वर्षों में चालू की गई 1205 लघु सिंचाई योजनाएं थीं। इनमें से 31-3-78 तक 1014 योजनाएं पूर्ण करा कर 191 योजनाएं अपूर्ण हैं, इन अपूर्ण कार्यों पर 114·71 लाख रु. खर्च किये जा चुके हैं।

(2) इन अपूर्ण कार्यों को चालू करते समय अनुमानित लागत 431·91 लाख रुपये थी और अब इनकी अनुमानित लागत 511·21 लाख रुपये है। इस वर्ष 24 कार्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लिये गये हैं। शेष 167 कार्यों में से छठी पंचवर्षीय योजना में उन्हीं कार्यों को लिया जायगा जो सिंचाई विभाग के वर्तमान नार्म्स के अनुसार पूर्ण किये जाने योग्य होंगे।

ओराई डेम (चित्तौड़गढ़) की नहर

52. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़ जिले के ओराई डेम का पानी बरुंदनी, सिगोंली, धाकड़खेड़ी, विट्ठलपुरा और जोजवा आदि गांवों को मिलता है जो इसकी टेल पर है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जब तक नहर पक्की नहीं बने इस डेम के पानी का पूरा लाभ मिलना अत्यन्त कठिन है ?

(3) क्या इस नहर को पक्की बनाने के लिए रकम स्वीकृत हो गई है ? यदि हां, तो रकम कब लगेगी ? यदि नहीं, तो इस नहर को पक्की बनाने की योजना अब कब तक स्वीकृत हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

अभी नहर को पक्का करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम सिंगोली का तालाब

53. **श्री मनोहर सिंह मेहता** (माण्डलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

[श्री मनोहर सिंह मेहता]

(1) क्या यह सही है कि सिंगोली (तहसील मांडलगढ़) में ठिकाने के वक्त का एक बड़ा तालाब है और मजबूत पाल बनी हुई है ?

(2) क्या इस पाल का मुआवजा देकर राज्य सरकार इसे अपने कब्जे में लेकर तालाब का पूरा उपयोग करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सिंगोली तालाब तहसील माण्डलगढ़ के सिंगोली ग्राम में बना हुआ एक प्राचीन तालाब है।

(2) जी नहीं।

ग्राम आमोर का तालाब

54. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव आमोर तहसील कोटड़ी में एक पुराना तालाब है ?

(2) क्या यह सही है कि जब कभी भी फसल सूखती है, लोग अपनी ही तरफ से व्यवस्था करके बिना मोरी के भी इस तालाब से पानी निकाल कर फसल को मरने से बचाते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा इसमें मोरी बिठाकर और नहर बनाकर इसका पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता ?

उत्तर

(1 जी हां।

आमोर ग्राम में एक पुराना तालाब है। परन्तु वह सिंचाई विभाग के अधीन नहीं होकर पंचायत समिति के अधीन है।

(2) इस तालाब का जल वितरण सिंचाई विभाग नहीं करता है क्योंकि यह तालाब पंचायत समिति के अधीन है।

(3) सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

ग्राम मांडल का तालाब

55. श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माण्डल का तालाब एक पुराना तालाब है जिससे लगभग 4,000 बीघा भूमि सिंचित होती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि माण्डल का तालाब जब खाली रहता था तो सन् 1862 यानि 116 वर्ष पूर्व माण्डल तालाब को भरने के लिये मेवाड सरकार ने लाखों रुपये लगा कर लुहारिया के पास बंधा बना कर सप्लाई चैनल बनाई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि मेजा बांध के निर्माण के पूर्व माण्डल तालाब के केचमेंट

[श्री राम प्रसाद लड्ढा]

एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ था ?

(4) क्या यह भी सही है कि मेजा-बांध के निर्माण के बाद माण्डल तालाब के केचमेंट एरिया में नाना प्रकार के निर्माण कार्य हुए थे ?

(5) क्या यह सही है कि माण्डल तालाब को मेजा बांध का कोठा मान कर केचमेंट एरिया होने वाले निर्माण कार्यों का एतराज नहीं उठा था ?

(6) क्या यह भी सही है कि माण्डल-तालाब को कोठा मान कर 1957 से 63 तक बराबर पानी दिया तथा माण्डल तालाब में डाला गया था ?

(7) क्या यह भी सही है कि 1965 के बाद सरकार ने माण्डल तालाब में पीछे से मेजा लिफ्ट केनाल को डाइवरशन के रूप में निकाल ली ?

(8) डाइवरशन नहर के बन जाने से माण्डल तालाब का पानी काफी मात्रा में रुक जाता है जिससे तालाब खाली रहने लग गया है ?

(9) क्या यह भी सही है कि माण्डल तालाब हर वर्ष भरता था ? जबकि मेजा बांध निर्माण के बाद केवल एक बार भरा था। उस समय जब कि मेजा बान्ध कम से कम 5-6 बार भरा था ?

(10) क्या सैकड़ों वर्षों से सिंचित भूमि जो अकारण बरबाद हुई थी सरकार पुनः उसी प्रकार कोठा बना कर सिंचित करने का न्यायोचित कदम उठावेगी ? अगर हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) सिंचाई विभाग द्वारा केचमेन्ट एरिया में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया।

(5) जी हां।

(6) जी हां।

(7) जी हां।

(8) जी नहीं।

(9) जी नहीं।

माण्डल तालाब पहले भी खाली रहता था।

(10) माण्डल तालाब को मेजा नहर से भरने का कोई विचार नहीं है। परन्तु माण्डल तालाब का सिंचित क्षेत्र मेजा लेफ्ट कैनाल से सिंचित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बांदर मूथा बांध

56. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्यामपुरा, धनवाड़ा, जलीन्द्री आदि गांव मांडलगढ़ क्षेत्र के ही नहीं पूरे भीलवाड़ा जिले से भी अत्यन्त पिछड़े हुए गांवों में से हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों के विकास के लिये बांदर मुथा बाँध बंधना अत्यन्त जरूरी है ? यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या इस तालाब का सर्वे हो चुका है या नहीं ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(1) इन गांवों में विद्युत एवं सिंचाई के साधन नहीं हैं तथापि पिछड़ेपन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) इन ग्रामों की सिंचाई के लिए बांदर मूथा बांध की योजना का प्राक्कलन बनाया जा रहा है।

(3) जी हां। सर्वेक्षण हो चुका है।

सेवा सदन पुष्कर रोड अजमेर

57. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग द्वारा संचालित राजकीय सेवा सदन पुष्कर रोड अजमेर में कितने आवासी कब कब से हैं और उन पर हर साल कितना रुपया खर्च होता है ? गत पांच सालों के बजट आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनको क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ? क्या अन्य सुविधाओं के अलावा काम करने वाले आवासियों को नकद राशि दी जाती है ? यदि हां, तो आवासियों से क्या-क्या काम कितने घन्टे कराया जाता है और धन राशि कहां जमा रहती है और उसका क्या उपयोग होता है ? हर आवासी के पास कितना धन है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि सेवा सदन के पास खेती की जमीन है जिसमें हर समय काफी मात्रा में सब्जियां आवासियों द्वारा बोई जाती हैं ? यदि हां, तो कितनी जमीन में ? गत दो सालों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि सेवा सदन के आवासियों के लिये सब्जी का हर साल ठेका होता है और झूठे बिल सब्जी के बनाकर पेमेन्ट व्यवस्थापक उठाते हैं ? गत दो सालों में सब्जियों का कितना पेमेन्ट किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त सदन की व्यवस्था के लिये किस किस श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं, और उनके वेतन भत्ता टी. ए., डी. ए. आदि पर हर साल क्या खर्चा होता है ? नाम व पदवार आंकड़े दो सालों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा संचालित राजकीय सेवा सदन पुष्कर रोड अजमेर में रह रहे आवासियों तथा उन पर हुए व्यय की सूचना निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	वर्ष	आवासियों की संख्या जो प्रवेशित हुई	संस्था द्वारा आवासियों के निमित कुल व्यय
1.	1973–74	162	1,34,670 रु.
2.	1974–75	189	1,50,390 रु.
3.	1975–76	130	1,62,265 रु.
4.	1976–77	153	1,73,130 रु.
5	1977–78	177	1,80,560 रु.

उपरोक्त दर्शाई गई राशि जो व्यय की गई है वह आवासियों के भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पुनर्वास आदि में व्यय हुई। इसमें प्रशासनिक व्यय भी शामिल है।

(2) इस सदन के आवासियों को भोजन (माह में एक बार विशेष भोजन) वस्त्र, (पहनने, ओढ़ने तथा बिछाने) नाश्ता, चिकित्सा, मनोरंजन (समाचार पत्र) रेडियो, फिल्म शो तथा खेल आदि की सुविधा दी जाती है। सदन में सुथारी, लौहारी एव बुनाई उद्योगों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है तथा जो वस्तुएं इनके द्वारा निर्मित होती हैं उसकी कीमत का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत भाग बनाने वाले आवासियों को दिया जाता है जो इनके व्यक्तिगत खातों में जमा कर दिया जाता है तथा यह जमा राशि आवासी के पुनर्वास हेतु काम में ली जाती है। आवासियों से प्रातः 10 बजे से $1\frac{1}{2}$ बजे तक तथा 2 बजे से 5 बजे तक कार्य लिया जाता है। प्रत्येक आवासी की जमा रकम का ब्यौरा संलग्न तालिका में अंकित है।

(3) जी हां। सदन की चार दीवारी के अन्दर लगभग 1500 वर्ग गज खेती योग्य भूमि है जिसमें आवासियों को व्यस्त रखने की दृष्टि से उनके द्वारा सब्जी आदि लगाई जाती है। गत 3 वर्षों में उत्पादित सब्जी आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	धनराशि जो सब्जी से प्राप्त हुई	
1976-77	1663.75 रु०	
1977-78	503.67 रु०	
1978-79	491.40 रु०	20 फरवरी, 79 तक

सदन द्वारा उत्पादित सब्जियां अधिकृत सब्जी ठेकेदार की स्वीकृत दरों पर ही विक्रय की जाती है जिसका हिसाब पृथक से 'कृषि कैश बुक' में दिनांक 13-5-76 से उपलब्ध है। इससे पूर्व जो भी सब्जी सदन में उत्पादित हुई उसका कोई बिल नहीं उठाया गया है। सब्जी उत्पादन से अर्जित धनराशि आवासियों को बीड़ी, बीज खाद आदि में व्यय किया जाता है।

(4) जी हाँ। आवासियों के लिए सब्जी हेतु प्रतिवर्ष ठेका होता है किन्तु यह आरोप निराधार है कि सब्जी के झूठे बिल बनाकर व्यवस्थापक भुगतान उठा लेते हैं। गत 2 सालों में सब्जियों के लिए किये गये पैमेन्ट्स की सूची निम्न प्रकार है :—

(समाज कल्याण मंत्री)

वर्ष	धनराशि
1976-77	2000.94 रु०
1977-78	3293.05 रु०

सदन द्वारा उत्पादित सब्जी जिस दिन प्राप्त होती है उस दिन सब्जी के ठेकेदार से सब्जी नहीं मगवाई जाती है तथा उसका बिल स्वीकृत दरों के आधार पर कृषि इन्चार्ज द्वारा तैयार कर प्रस्तुत करने पर भुगतान हो किया जाता है जिसे कृषि कैश बुक में जमा कर लिया जाता है। इसी आधार पर उपरोक्त आंकड़े प्रश्न सं० 3 में दिये गये हैं।

(5) उक्त सदन की व्यवस्था के लिए जिस जिस श्रेणी के जितने-जितने कर्मचारी हैं और उनके वेतन, भत्ता, टी. ए., डी. ए. आदि पर हुए व्यय की सूचना संलग्न परिशिष्ट (अ) पर अंकित है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

पीपल्दा क्षेत्र में दी जा रही वृद्धावस्था तथा अपाहिज पेन्शन

58. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पीपल्दा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति है जिन्हें अभी वृद्धावस्था या अपाहिज पेन्शन मिल रही है तथा हर महीने कितनी तथा किस प्रकार ? नाम, पिता का नाम, जाति, ग्राम आदि पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की पीपल्दा एवं इन्द्रगढ़ तहसील के जिन-जिन व्यक्तियों को अभी वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेन्शन मिल रही है उनकी सूची संलग्न है।

हर महीने दी जाने वाली राशि, व्यक्ति का नाम, पिता का नाम व ग्राम तथा जाति भी सूची में अंकित कर दी गई है। पेंशन की राशि मनीआर्डर द्वारा वितरित की जाती है तथा जो व्यक्ति स्वयं लेने आते हैं उन्हें नकद भुगतान कर दिया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

चूरू जिले में दी गई सहायता

59. **श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़):** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विगत पांच वर्षों में समाज कल्याण विभाग एवं राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड से चूरू जिले में किन किन संस्थाओं को कितनी कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई तथा किस प्रयोजन हेतु प्रदान की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

विगत पांच वर्षों में समाज कल्याण विभाग एवं राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड द्वारा चूरू जिले में जिन जिन संस्थाओं को जितनी जितनी राशि की सहायता प्रदान की गई है तथा सहायता के प्रयोजन की सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

रसद विभाग का प्रशासनिक व्यय

60. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में आज कल कौन-कौन सी वस्तुओं का वितरण रसद विभाग द्वारा किया जाता है ?

(2) खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग पर प्रतिवर्ष कितना प्रशासनिक व्यय होता है और उसके द्वारा क्या-क्या काम किया जाता है ?

(3) क्या राज्य सरकार यह ठीक समझती है कि इस विभाग पर जो खर्चा हो रहा है वह सही हो रहा है तथा इस विभाग की मेनपावर का उपयोग पूरा-पूरा होता है ? यदि हां, तो कैसे ?

उत्तर

(1) राज्य में गेहूं, सीमेन्ट, केरोसिन तेल, कोयला, नियन्त्रित कपड़े का वितरण खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा कराया जाता है ।

(2) वर्ष 1977-78 में वोटेड व्यय 98,85,725 रुपये का हुआ है और चार्ज्ड व्यय 3,800 रुपये का हुआ है । विभाग द्वारा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों की पालना करवाई जाती है । केन्द्रीय पूल हेतु खाद्यान्न की अवाप्ति की व्यवस्था की जाती है । केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आवश्यक वस्तुओं को उपभोक्ताओं में वितरण करवाने की व्यवस्था की जाती है ।

(3) जी हां । आदेशों की पालना कराई जाती है । केन्द्रीय सरकार से आवश्यक वस्तुओं का अधिकाधिक आवंटन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है । केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वस्तु उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को समान रूप से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाती है । आवश्यक वस्तुओं के स्टाक एवं प्रचलित कीमत की निरन्तर जानकारी रखी जाती है । इन सभी कार्यों को सम्पन्न करवाने में विभाग के मेनपावर का पूरा-पूरा उपयोग होता है ।

केन्द्रीय योजनाओं का राज्य में खर्च

61. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में केन्द्रीय योजनाओं का कितना-कितना रुपया कब-कब किस-किस कार्य में खर्च हुआ ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) केन्द्र सरकार अपनी योजनाओं का धन अन्य राज्यों में खर्च कर रही है उस में प्रति व्यक्ति खर्च के हिसाब से राजस्थान का कौनसा नम्बर है तथा अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति खर्चा कितना हो रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजनाओं का अधिक धन राज्य में खर्च करने का प्रयत्न किया ? यदि हां, तो किस-किस योजना के लिए क्या-क्या प्रयत्न किए और उनका क्या-क्या नतीजा निकला ?

(4) भविष्य में केन्द्र सरकार का राज्य में किस-किस योजनाओं में विशेष रूप से धन खर्च करने का इरादा है ?

38

उत्तर

(1) राजस्थान में केन्द्रीय प्रवर्तित व अन्य योजनाओं पर सेन्टर का व्यय पिछले पाँच वर्षों में निम्न प्रकार हुआ है।

सेक्टर	संभावित व्यय (करोड़ रु०) 1974-78*	1978-79* प्रावधान
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम	73.20	37.82
सहकारिता	6.35	4.15
जल एवं विद्युत विकास	3.54	2.`6
उद्योग एवं खनिज	3.37	1.95
यातायात एवं संवहन	18.22	9.14
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	48.87	24.28
आर्थिक सेवायें	0.45	0.18
योग	154.00	80.28

* अस्थाई

(2) राजस्थान में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना व केन्द्रीय योजनाओं पर 1974–78 काल में प्रति व्यक्ति व्यय 60 रुपये रहा है। उपलब्ध तुलनात्मक सूचना के आधार पर राजस्थान का नम्बर 5 है राज्य वार प्रति व्यक्ति व्यय निम्न प्रकार है—

राज्य	प्रति व्यक्ति व्यय (रुपयों में)
1. आंध्र प्रदेश	32
2. बिहार	17
3. गुजरात	45
4. हरियाणा	44
5. कर्नाटक	36
6. केरल	25
7. मध्य प्रदेश	32
8. महाराष्ट्र	33
9. उड़ीसा	33
10. पंजाब	35
11. राजस्थान	60
12. तमिलनाडु	23
13. उत्तरप्रदेश	22
14. पश्चिम बंगाल	29
15. असम	23
16. हिमाचल प्रदेश	68
17. जम्मू कश्मीर	44
18. मणिपुर	82
19. मेघालय	56
20. नागालैण्ड	177
21. सिक्किम	182
22. त्रिपुरा	39

उत्तर

(3) जी हाँ। राज्य सरकार के विशेष प्रयासके फलस्वरूप सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास, लघु एवं सीमान्त कृषक अभिकरण, दुग्ध विकास भूमि संरक्षण, वन विकास, हाथ करघा विकास, सड़क निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था पिछड़ी व जनजाति विकास आदि पर राज्य को केन्द्र से काफी धन प्राप्त हुआ है।

(4) सूचना उपलब्ध नहीं है।

अकाल राहत कार्यों पर व्यय की गई राशि

62 श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल राहत पर शुरू से लेकर आज तक कितनी धन राशि व्यय हुई ? वर्ष वार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने अकाल के स्थायी हल के लिये क्या योजना बनाई है ? योजना की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सहायता विभाग के पद से पिछले वर्षों में जो व्यय किया गया है वह निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि (लाखों में)
1949–50	41–00
1950–51	36–06
1951–52	37–08
1952–53	131–78
1053–54	122–86
1954–55	20–47
1955–56	38–36
1956–57	6–77
1957–58	24–01
1958–59	32–94
1959–60	5–84
1960–61	16–22
1961–62	67–54
1962–63	12–15
1963–64	155–85
1964–65	463–29
1965–66	131–78
1966–67	1212–77
1967–68	796–52
1968–69	1695–25
1969–70	6592–47
1970–71	4983–26
1971–72	234–24
1972–73	1279–05
1973–74	5219–13
1974–75	704–16
1975–76	1025–85
1976–77	277–39
1977–78	265–68
1978–79	449–37 (दिसम्बर 78 तक)

(2) अकाल एवं अभाव की स्थिति प्राकृतिक आपदा है जिसकी हर समस्या का स्थाई हल सम्भव नहीं है। लेकिन सरकार का बराबर यह प्रयास रहा है कि अकाल एवं अभाव से प्रभावित जनता के कष्टों को जहां तक सम्भव हो कम किया जाय। इस हेतु सरकार ने सूखा सम्भावित कार्यक्रम, पशु पालन एवं डेयरी विकास, सिचाई के साधनों में वृद्धि, मरु विकास तथा चरागाह विकास कार्यक्रम हाथ में लिए हैं जो इस उद्देश्य में काफी हद तक कारगर सिद्ध हो रहे हैं।

गंगानगर तथा नोहर क्षेत्र की सड़कें

63 श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने नोहर क्षेत्र में कौन सी तथा कितनी लम्बी सड़क बनायी ?

(2) राज्य सरकार ने नोहर क्षेत्र में सन् 1979-80 के दौरान कौन सी तथा कितनी लम्बी सड़क बनाने की योजना बना रही है ?

(3) राज्य सरकार सन् 1979-80 में चूरू तथा गंगानगर जिलों में 10 कि.मी. से लम्बी कौन सी सड़क बना रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) राज्य सरकार चूरू तथा गंगानगर जिले में कौन कौनसी सड़कें निर्माणाधीन है जिनको बना रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नोहर क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कें बनाई गई हैं :—

सड़क का नाम	लम्बाई
1. रावतसर पल्लू सड़क	58 कि०मी०
2. टिब्बी चाईयां सड़क	12 ,,
3. नोहर फेफाना सड़क	27 ,,
4. नोहर सोनड़ी सड़क	8 ,,
5. रावतसर नोहर सड़क	42 ,,
6. नोहर भादरा डाबड़ी सड़क	59 कि०मी०
7. भादरा साहवा सड़क	33 ,,
8. भादरा भौसल सड़क	25 ,,
9. डाबड़ी शेरड़ा सड़क	12 ,,
10. थालड़का मैंडा सड़क	5 ,,
11. ग्रामीण सड़क संख्या 1 फेहूरवाला।	25 ,,
12. ग्रामीण सड़क संख्या 3 टोपरिया	2 ,,
13. ग्रामीण सड़क संख्या 6 नुग्रवालियां	1.5 ,,
14. जावड़ावाली रावतसर सड़क	4 ,,
15. सम्पर्क सड़क ग्राम नियराना	6 ,,

(2) 1979-80 में नोहर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सड़कें प्रस्तावित है।

सड़क का नाम	लम्बाई
1. सोनड़ी पल्लू सड़क	2 कि०मी०
2. नोहर सावा सड़क	2 ,,
3. ललाना डंगरराना, रतलाना	2 ,,
4. अमरपुरा अजीतपुरा सड़क	5 ,,
5. सम्पर्क सड़क ग्राम नियराना	4 ,,

(3) सन् 1979-80 के लिए गंगानगर एवं चूरू जिलों के लिए निम्न सड़कें प्रस्ता-

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

विन है। जिनकी लम्बाई 10 कि०मी० से ज्यादा है।

सड़क का नाम	लम्बाई	
1. कमीनपुरा से पदमपुरा	22	कि०मी०
2. हनुमानगढ़-बडप्पोल सूरतगढ़ सड़क	30	,,
3. विजयनगर राजीसर सड़क	10	,,
4. गंगानगर-छतरगढ़ सड़क	30	,,
5 गंगानगर-करनपुर सड़क	20	,,
6. एप्रोच रोड़ टू नाम्नी गांव करनपुर से	10	,,
7. एप्रोच रोड़ टू सरदारपुरा पदमपुर-बुडाजोड़ वाया रंडमलसर सड़क	22	,,
8. हनुमानगढ़-रावलसर पल्लू सड़क का सुधार	20	,,
9. गंगानगर-छतरगढ़ सड़क का सुधार।	10	,,
10. भादरा-जांसल सड़क सुधार	10	,,
11. भादरा-सादुलपुर सड़क	26	,,
12. सोनरी-पल्लू सड़क	35	,,
13. नोहर सावा सड़क	45	,,
(जिला चूरू)		
14. लच्छासर-मोयासर (छूटा हुआ भाग)	13	,,
15 चूरू-सरदार शहर रोड	35	,,
16. छापर—श्री गंगानगर सड़क का सुधार	13	,,
17. लागगढ़ काटर सड़क	21	,,
18. चूरू-राजगढ़ सड़क	57	,,

(4) चूरू तथा गंगानगर जिलों में निम्नलिखित सड़कें निर्माणाधीन है :—

(जिला गंगानगर)

1. सड़क राष्ट्रीय उच्च मार्ग (गंगानगर) बीकानेर मार्ग से सरदारपुरा बीकानेर।
2. सम्पर्क सड़क राष्ट्रीय उच्च मार्ग से गांव ढाबा तक।
3. भादरा साहुवा सड़क
4. संगरिया टिबी सड़क
5. अमरपुरा अजीतपुरा सड़क
6. मम्मडखेडा सरदारपुरा सड़क
7. नोहर भादरा सड़क से ग्राम निथराना
8. सम्पर्क सड़क ग्राम लिखमीसर
9. संगरिया टीबी से तलवाडा सड़क
10. संगरिया टीबी मिलींग लिंक
11. सूरतगढ़ हनुमानगढ़ वाया बडोपल
12. सम्पर्क सड़क रायसिंह नगर से 66 एन०पी०
13. सम्पर्क सड़क 26 पी० एस० से भादु-वावली
14. सम्पर्क सड़क ए० आर० से 61 जी० बी०
15. सम्पर्क सड़क करनपुर से नान्गी
16. सम्पर्क सड़क 20 जेड से 8 जी वाया 3 एच०
17. सम्पर्क सड़क 0 आर०बी० से राजपुरा
18. सम्पर्क सड़क 2 जीबी से सरदारगढ़
19. सम्पर्क सड़क सरदारगढ़ से 3 जीबी
20. सम्पर्क सड़क मागरसर से बनवाली
21. सम्पर्क सड़क कृपाली से भाईवाली
22. सम्पर्क सड़क चंचाइयां से गन्धेली

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

23. अमरपुरा से शाहपीनो
24. खरखेडा से सावूवाला
25. ढालीया से सूरे वाला
26. मादरा से भट्ट सड़क
27. मादरा से लूडेसर सड़क
28. सम्पर्क सड़क हनुमानजी मंदिर सूरतगढ़ के पास

(जिला चूरू)

1. राजगढ़ से मादरा वाया सिद्धमुख
2. सूजानगढ़ से गोपालपुरा वाया डूंगरीवास
3. हनुमान मन्दिर (तार का कार्य)
4. सांत्यू हडियाल सड़क
5. दरीबा तक सड़क निर्माण
6. सम्पर्क सड़क ग्राम सोमासर
7. चूरू से सरदार शहर वाया पुलासर दुग्ध मार्ग डी०पी० एपी० के अन्तर्गत ससना पुनरासर मल्कासर
8. रणिसर से रंधीसर पहाडी तक सड़क
9. राजगढ़ बहाल सड़क
10. नांगलबड़ी से भूपा सड़क।

निगमों तथा बोर्डों में अध्यक्ष पद पर की गई नियुक्तियां

64. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के किन किन निगमों, बोर्डों, न्यासों में किन किन व्यक्तियों को अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) शेष बचे निगमों, बोर्डों तथा न्यासों में नियुक्तियां कब तक किस आधार पर की जावेंगी?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) वर्तमान में ऐसा निगम, बोर्ड तथा न्यास नहीं है, जिसमें अध्यक्ष का पद रिक्त हो।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

बेरी आयोग के समक्ष प्रस्तुत गलत ढंग से भूमि हथियाने के मामले

65. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बेरी आयोग के समक्ष गलत ढंग से भूमि हथियाने के मामले किन किन के खिलाफ आज तक पेश हुए हैं? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किन किन मामलों पर बेरी आयोग ने अपना निर्णय लेकर राज्य सरकार को रिपोर्ट दे दी है? राज्य सरकार ने आज तक उन पर क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) बेरी आयोग पर कुल कितना प्रशासनिक खर्चा किन किन मदों पर आज तक हो चुका है?

उत्तर

(1) बेरी आयोग के समक्ष गलत ढंग से भूमि हथियाने के बारे में जो मामले प्रस्तुत

(मुख्य मन्त्री)

हुए हैं, उनकी सूची संलग्न प्रेषित है जो अनुसूची 1 व 2 में है।

(2) अब तक बेरी आयोग ने 2 अन्तरिम प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं, जो कि राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) बेरी आयोग पर 28 फरवरी, 1979 तक जो प्रशासनिक खर्चा हुआ है, उसका विवरण मदवार निम्न प्रकार दिया जा रहा है :—

16-1-1978 से 28-2-1979

मद	कुल खर्चा
1. सैलेरी	1,87,484.96
2. चिकित्सा व्यय	4,938 28
3. यात्रा व्यय	9,165.13
4. संस्थापन व्यय	1,12,216.20
योग	3,13,804.57

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम चांदसरा का तालाब

67. **श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मई-जून, 1978 में ग्राम चांदसरा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर का तालाब 'काम के बदले अनाज योजना' के अन्तर्गत खुदवाया गया था? यदि हाँ, तो उस पर कितने मजदूरों ने कितने दिन काम किया ?

(2) क्या उन मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र की प्राथमिक शालाएं

69. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र में कितनी प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी है ?

(2) उक्त शिक्षकों की कमी कब से चली आ रही है ?

(3) अब उन शिक्षकों की कमी कब तक पूरी कर दी जायगी ?

(4) क्या राज्य सरकार कुछ प्राथमिक पाठशालाएं पंचायत समितियों की निजी आय में से चलवाने की इजाजत देना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उन पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक पाठशाला भवनों की भी बुरी हालत है और भवन है ही नहीं ? अगर हां, तो इस बारे में राज्य सरकार क्या सोच रही है ? राज्य सरकार काम के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बदले अनाज योजना के तहत पाठशाला भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाती ?

उत्तर

(1) दो प्राथमिक शालाओं में तीन अध्यापकों की कमी है।

(2) दो पद जनवरी, 1979 से व एक पद अध्यापक का स्थानान्तरण शिक्षा विभाग में हो जाने से दिनांक 13-2-79 से रिक्त है।

(3) दिनांक 8-3-79 को प्रत्याशियों का साक्षात्कार किया जाकर रिक्त पदों की पूर्ति नियमानुसार कर दी जावेगी।

(4) जी नहीं। पंचायत समिति की निजी आय से प्राथमिक पाठशालाऐं चलाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार आठ प्राथमिक शालाऐं कच्ची झोपड़ियों में चल रही हैं। पक्के शाला भवनों के निर्माण एवं जिन भवनों की हालत खराब है उनकी मरम्मत "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत करवाये जाने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति शिक्षा उपकर की राशि में से निर्माण सामग्री हेतु अनुदान प्राप्त किये जाने के भी निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

राज्य के निलम्बित सरपंच व विकास अधिकारी

70. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनता सरकार बनने के बाद राज्य भर में कितने सरपंचों को निलम्बित किया गया ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त निलम्बित सरपंचों में से किस-किस सरपंच को राज्य सरकार या न्यायालय ने कब-कब बहाल किया ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) टौंक जिले के किस-किस सरपंच या भूतपूर्व सरपंचों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) राज्य सरकार ने गत एक साल की अवधि में कितने विकास अधिकारियों को निलम्बित किया व किन-किन कारणों से ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जनता सरकार बनने के पश्चात् 209 सरपंचों को निलम्बित किया गया है। नाम वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा बहाल किये जाने वाले सरपंचों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पंचायत मन्त्री)

(4) राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष 1978 में 5 विकास अधिकारियों को वित्तीय अनियमितताएँ एवं राज्यादेशों की अवहेलना आदि कारणों से निलम्बित किया गया है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पीपल्दा क्षेत्र की पंचायत समिति की बकाया

71. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पीपल्दा क्षेत्रमें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन पर 5,000 रुपये या उससे अधिक की राशि पंचायत समिति की वसूल की जानी बाकी है? प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति तथा ग्राम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अभी तक इस राशि के वसूल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या राज्य सरकार इस बकाया राशि को शीघ्र वसूल करेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) पीपल्दा में 5000 रुपये या इससे अधिक की राशि पंचायत समिति इटावा की 17 व्यक्तियों में बकाया है, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इस विभाग की वसूलियां राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। राजस्व मण्डल को इस विभाग के पत्र संख्या एफ–173/2/319/ऋण वसूली/लेखा/75/253511 दिनांक 30–11–78 द्वारा लिखा गया था जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व मण्डल ने अपने पत्र सं० एफ 4 (12) राज०/ग्रुप–2/78 दिनांक 27–1–79 द्वारा समस्त जिलाधीशों को वसूली त्वरित गति से करने हेतु निर्देश दिये हैं।

(3) जी हाँ। राज्य सरकार काश्तकारों में बकाया राशि की वसूली शीघ्र किये जाने के लिए प्रयत्न कर रही है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल ने समस्त जिलाधीशों को निर्देश जारी किये हैं। परिपत्र सं० प० 4/12/राज/ग्रुप–2/78 दिनांक 27-1-79 की प्रतिलिपि संलग्न हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

राज्य की पुलिस सेवाओं में सुधार कार्य

73. श्री बहादुर सिंह (नोहर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार को पुलिस सेवाओं में सुधार करने, भ्रष्टाचार मिटाने की कोई योजना विचाराधीन है या बनाने का इरादा रखती है? अगर हाँ, तो क्या और अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या राज्य सरकार पुलिस के जांच करने के तरीके में सुधार तथा तब्दीली करने का इरादा रखती है? अगर हां, तो कब तक तथा कैसे? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(श्री बहादुर सिंह)

(3) क्या राज्य सरकार पुलिस कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता लाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या राज्य सरकार सचिवालय में कार्यरत पुलिसमैनों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ओवर टाईम वेतन देने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सेवाओं में सुधार लाना एक निरंतर क्रम है, जिस पर विचार होता रहता है। अलग से कोई योजना विचाराधीन नहीं है। पुलिस सेवाओं में सुधार लाने की दृष्टि से जो भारत सरकार द्वारा नेशनल पुलिस कमीशन गठित है उसकी सिफारिशें प्राप्त होने पर उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार विचार करेगी। भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच कराई जाती है व दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(2) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नेशनल पुलिस कमीशन इस पहलू पर भी विचार कर रहा है। व उसकी रिपोर्ट उपलब्ध होने पर उनकी सिफारिशों को देखते हुए विचार किया जा सकेगा।

(3) कर्मचारियों के अलग-अलग वर्ग में उनके कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुये वेतन निर्धारित हैं अतः सभी वर्ग को समान वेतन देना संभव नहीं हो सकता।

(4) सचिवालय में कार्यरत पुलिस मैनों के ओवर टाइम का कोई ऐसा मामला नहीं है कि ओवर टाइम वेतन देने के प्रस्ताव पर विचार आवश्यक हो।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ओवर टाइम वेतन देने का भी कोई मामला विचारार्थ न नहीं है।

सार्वजनिक सम्पत्ति ट्रस्ट भीलवाड़ा की अस्थाई व स्थाई सम्पत्ति

75. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक सम्पत्ति ट्रस्ट भीलवाड़ा के अन्तर्गत कौन कौन सी कितने मूल्य की अस्थाई तथा स्थाई सम्पत्ति है ?

(2) इस ट्रस्ट के नाम भीलवाड़ा जिले में कितनी बीघा काश्त एवं हल्के आबादी की जमीन है ?

(3) गत कितने वर्ष पूर्व ट्रस्ट के विधिवत चुनाव हुये थे ?

(4) क्या यह भी सही है कि ट्रस्ट की सम्पत्ति का उपयोग व्यक्तिगत निहित स्वार्थों के लिए हो रहा है।

(5) भूपाल छात्रावास की जमीन ट्रस्ट के नाम किसने दी ?

(श्री कौशल किशोर जैन)

(6) ट्रस्ट की आडिट हुये कितना समय हो गया है ?

(7) क्या राज्य सरकार भीलवाड़ा जिले के इस प्रकार ट्रस्टों की संपत्ति के समुचित उपयोग के लिये कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक सम्पत्ति ट्रस्ट, भीलवाड़ा की निम्न स्थाई सम्पत्ति है :—

1) भूपाल छात्रावास मय दुकानें

2) भूपाल पुस्तकालय की दुकानें

3) गौ शाला

4) पुरानी गौ शाला व जल मंदिर।

उक्त सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य 1,75,000) है।

(2) इस प्रन्यास के नाम कृषि भूमि का होना पंजीयन हेतु भरे गये प्रपत्र 6 में सम्पदा का विवरण अंकित नहीं है। आबादी में जो सम्पदा स्थित है, उसका विवरण बिन्दु सं० एक में दे दिया गया है।

(3) इस प्रन्यास के गठन के पश्चात् विधिवत चुनाव होने की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(4) प्रन्यास की सम्पत्ति का निज स्वार्थ में उपयोग होने बाबत कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(5) प्रन्यासधारियों ने इस विभाग में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भूपाल छात्रावास की सम्पदा इस प्रन्यास को किसने दी थी।

(6) इस प्रन्यास के पंजीयन के पश्चात अभी तक आडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(7) यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

तहसीलदारों के विरुद्ध शिकायतें

76. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में 1978 से आज तक कितने तहसीलदारों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई ? इनमें से कितनों की जांच हो चुकी है तथा कितनों की जांच चल रही है ? और कितने निर्दोष व कितने दोषी पाये गये तथा उनको क्या दण्ड दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्व मण्डल में वर्ष 1978 से आज तक कुल 50 तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें मण्डल स्तर से सम्बन्धित जिलाधीशों को वास्ते जांच भेजा गया। इन शिकायतों में से अब तक केवल 6 शिकायतों की जांच होकर रिपोर्ट मण्डल में प्राप्त हुई है जिनमें तहसीलदारों को निर्दोष पाया गया था तथा दो के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना

(राजस्व मन्त्री)

उचित मान कर उनके विरुद्ध ड्राफ्ट चार्जशीट जिलाधीशों से मांगी गई है तथा 2 रिपोर्ट अभी मण्डल में विचाराधीन है। समस्त शिकायतों की सूचि संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राज्य में 1978 के बाद चालू किये गये नये डिवीजन

79. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत किस किस तरह के डिवीजन 1978 के बाद चालू किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किस किस डिवीजन का कार्यालय कहां कहां किस किस भवनों में है ?

(3) कितने डिविजनों में क्या क्या स्टाफ है और उनका आज तक कुल खर्चा कितना हुआ है ?

(4) नये डिवीजनों ने क्या क्या कार्य किया है ? प्रत्येक डिवीजन का खर्च और काम की प्रगति की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) प्रत्येक डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता ने कोई दौरा किया है ? यदि हां, तो कहां का किस लिये तथा किस किस ने कितना किया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978 के बाद कोई डिविजन चालू नहीं किया गया। अतः सूची बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

केशोरायपाटन की लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत आये गांवों का विद्युतीकरण

80. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि केशोरायपाटन, जिला बूंदी के उस सम्पूर्ण क्षेत्र का जो कि लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत लिया गया है का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो उस क्षेत्र के अन्तर्गत कौन कौन से गांव आते हैं एवं जिनका विद्युतीकरण कर दिया गया है ? सूची क्षेत्र में आने वाले गांव का नाम एवं विद्युतीकरण किया गया या नहीं दर्शाते हुये सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

यदि उक्त क्षेत्र का विद्युतीकरण नहीं किया गया है तो अब राज्य सरकार कब तक विद्युतीकरण कर देगी ?

५१

उत्तर

कमान्ड ऐरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट, कोटा में प्राप्त जानकारी के अनुसार केशोरायपाटन जिला बून्दी क्षेत्र में कोई लिफ्ट सिंचाई योजना नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सरदार समंद बांध की नहरों को पक्का बनाने की योजना

81. **श्री मूल चन्द डागा (पाली)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पाली जिले में हेमावास बांध खाड़ा बांध और सरदार समंद बांध है ? क्या राज्य सरकार उनकी नहरों को पक्की बनवाने की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि बिना पक्की नहरों के हेमावास बांध, खाड़ा बांध और सरदार समन्द का पानी बहुत बड़ी मात्रा में खराब होता है ?

उत्तर

(1) जी हां।

पाली जिले में हेमावास, खारड़ा एवं सरदार समन्द बांध हैं। हेमावास तथा खारड़ा की मुख्य नहरें पक्की है। कुछ वितरिकाएं कच्ची हैं जिनको पक्का करने की योजना विचाराधीन है।

सरदार समन्द बांध व इसकी नहरें जोधपुर रियासत के भूतपूर्व राजा की निजी सम्पत्ति है इस कारण इन पर कोई भी कार्य उनकी स्वीकृति के बिना नहीं कराया जा सकता।

कच्ची नहरों से रिसाव पक्की नहरों के रिसाव से अधिक होता है।

संदेश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का संदेश प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है :

"4 मार्च, 1979

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 2 मार्च का अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एफ 10 (3) सदन/वि. स/79/8872 मिला।

इस कृतज्ञता संदेश के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरी कृतज्ञता ज्ञापन पहुँचाने का कष्ट करें।

भवदीय,

रघुकुल तिलक।"

श्री रामनारायण चौधरी : हमें नहीं चाहिये।

50

श्री कौशल किशोर जैन : हम आपको नहीं पहुंचा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। संदेश है राज्यपाल महोदय का।

सभापति तालिका

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत मैंने निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत किया है :—

(1) श्री मंजूर अली

(2) श्री रामेश्वर दयाल यादव

(3) श्रीमती सुमित्रा सिंह

(4) श्री रघुनाथ विश्नोई

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था :

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1) सर्वश्री रघुनाथ विश्नोई व परसराम मदेरणा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मामलों में की जाने वाली आपाधापी व धांधलेबाजी के कारण विश्वविद्यालय में व्याप्त असंतोष के विषय में।

यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और हाल की किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

2) सर्वश्री मूलचन्द डागा, शंकरलाल पाली, श्योपतसिंह मकासर, नूरा, रणजीत सिंह राठौड़, रामचन्द्र व रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 5 मार्च, से की जा रही पूर्ण हड़ताल के विषय में।

3) सर्वश्री राम रघुनाथ व गंगाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 5 मार्च को केशोरायपाटन जिला बून्दी में पुलिस की हिरासत में बुन्दू नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

उदयपुर में हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में गृह मन्त्री की गलत बयानी

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रिविलेज मोशन दिया है क्योंकि एक तारीख को हमारे गृह मन्त्री महोदय ने उदयपुर में जो लाठी चार्ज

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

हुआ है उसके बारे में कहा कि हल्का लाठी चार्ज हुआ है। उसमें स्वतन्त्रता सेनानी श्री बलवन्तसिंह मेहता घायल हुये, उन लोगों के हाथ तोड दिये गये, सिर फोड़ दिये गये। एक 70 साल की बुढ़िया की टांग भी तोड़ दी गई। माननीय गृह मन्त्री महोदय ने बहुत ही स्पेसिफिक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वह बुढ़िया 0 साल की नहीं थी, 45 साल की थी इसलिए सिर फोड़ दिया और यह बात भी कही कि हल्का लाठी चार्ज हुआ।

श्री अध्यक्ष : यह इसमें नहीं है, लेकिन आप बोलिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके हाथ पर लाठी मारी गई और जिसका हाथ तोड़ दिया गया उसके ये खून आलूदा कपड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री महोदय कहते हैं कि हल्का लाठी चार्ज हुआ।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन घटनाओं को रोकें।

श्री नूरा : जरूरत की पूर्ति सरकार को करनी है—

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर थोड़ी बहुत भी इस सरकार में शर्म और गैरत होगी तो गृह मन्त्री इस तरह का जवाब देने का हौसला नहीं करते। 80 साल का बूढ़ा और 70 साल की बुढ़िया क्या वहां पर कब्जा करने के लिए गये थे? क्या उनका यही गुनाह था कि वे उनके साथ गये थे? आप जाइये उदयपुर में अगर हौसला है तो, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकायें हैं, बड़े-बड़े होटल्स हैं, वहां पर आप जाते नहीं। गरीब आते हैं तो उनका सिर फोड़ा जाता है और आप यहां इस प्रकार से जवाब देते हैं, यह नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री महोदय को यह बता देना चाहता हूं कि लाठी चली, गुजरात और बंगाल में. कांग्रेस की हुकूमत में सड़कें पाट दी गई, लोगों को गोलियों से भून दिया गया। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि लोगों की समस्याओं को आप हल करो नहीं और लाठियों से इनका सिर फोड़ो, पैर तोड़ दो और फिर यह कह दो कि हल्का लाठी चार्ज किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन का घोर अपमान है कि कोई भी मन्त्री इस तरह से गैर जिम्मेदार तरीके से यह कहे, यह सदन की गरिमा का सवाल है। इसलिये मैंने प्रिविलेज मोशन दिया है। मैं यह चाहता हूं आप मुलाहिजा कीजिये। इस तरह से मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है जब कि बलवन्त सिंह मेहता, जो स्वतन्त्रता सेनानी और सरकार में एक केबिनेट मन्त्री भी रह चुके हैं,........

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय लाठी चार्ज करवाया गया है जो ठीक नहीं है। मन्त्री महोदय मामले की जांच करवा के स्थिति स्पष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय ने जवाब

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

दिया है, अगर वे यह कहते हैं उन्होंने लाठी चलवाई तो तुम्हारे भी····शब्द अध्यक्ष महोदय, के आदेशानुसार अपलोपित किये गये कल और हम देखेंगे। तो बाहर निकलो····

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग दंगा कराने वालों में हैं,

(व्यवधान)

स्वतन्त्रा सैनानियों की आड़ लेकर ये कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य····

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय महोदय, माननीय सदस्य को रोकिये।

श्री मदनसिंह दाता : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री एच. एन. शर्मा : गरीबों की भावनाओं को उकसाया जा रहा है। बाद में कहते हैं कि लाठियां बरसाई जा रही है····

श्री मदनसिंह दाता : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। जब कोई सदस्य आपकी इजाजत से बोलता है तो इनको कोई राइट नहीं है बीच में बोलने का। हमारे पर दोष लगाया जा रहा है कि बोलने नहीं देते हैं। मन्त्री महोदय पक्षपात कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब श्री मेहता जी····

(व्यवधान)

सरकार में थे तब भी लाठी चार्ज हुआ था। कम्युनिस्ट स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम का नाजायज फायदा न उठायें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अरे बैठो बूढ़े बाबा —

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं—

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

गृह मन्त्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री डूंगरराम पंवार (टी.बी.) : अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता सैनानियों की आड़ लेकर, उनको जुलूस में भेज कर लाठी चार्ज करवाया गया। ये लोग भीड़ को भड़काते हैं······

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न सामने आया है, उदयपुर में जो प्रदर्शन हो रहा था, जुलूस जा रहा

[श्री एच. एन. शर्मा]

था उन लोगों के हाथों में लाठियां थी, बर्छे थे तो लाठियां और बर्छे का प्रयोग करने वाले कौन लोग थे ? इद तथ्यों की जानकारी कराई जाए तो मालूम होगा कि स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेकर जो आगे जा रहे थे वे यही लोग थे। इन्हीं लोगों ने उनसे कहा कि लाठियां लेकर चलो, इन्होंने ही अराजकता फैलाई, इन लोगों के खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

(व्यवधान)

आज हमदर्दी दिखा रहे हैं, आज धोती और कुर्ता दिखा रहे हैं। वे कौन लोग थे जो लाठियों व बर्छों से लेस होकर जुलूस में चले थे ?

श्री मूलचंद डागा : रूल 269।

श्री श्योपतसिंह मकासर : रावतसर पहुंचना तब पता लगेगा। यह कोई तरीका नहीं है। यदि सत्ता पक्ष का रवैया यही रहा तो हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचंद कटारिया : जिस प्रकार आपने लोगों को भड़काकर सरकार को लाठी चलाने को मजबूर किया उसकी लोगों ने तारीफ की है, ये लोग बदमाशी करके शहर में अशांति फैलाना चाहते हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस तरह से तो हम अपनी बात नहीं रख सकते....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचंद कटारिया : इसकी जांच होनी चाहिए। उन सब लोगों के नाम सामने आने चाहिए जो इस प्रकार लोगों को भड़का कर ले गए। एक भी ऐसा आदमी नहीं था जिसके हाथ में लाठी या बर्छा न हो। हिंसा पैदा करने का प्रयत्न किया....

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

(1) किसी सदस्य के भाषण करते समय बाधा उपस्थित न करना।

(2) अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर सदस्य का बोलना।

श्री मूलचंद डागा : Point of order sir.... मैं आपका ध्यान नियम 269 (ए) और 270 की तरफ दिलाना चाहता हूं :

Rule 269. "Rules to be observed by members while present in the House."

श्री दाऊ दयाल जोशी : हिन्दी से चिढ़ है ? यह तय किया हुआ है कि सदन की सारी कार्यवाही हिन्दी में चलेगी।

श्री मूलचंद डागा : 269 का (ए) है।

"Rules to be observed by members while present in the House."

नियम 270 :

कई माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिए।

श्री मूलचंद डागा : अच्छा, हिन्दी में बोलूंगा।

श्री मदन सिंह दांता : ये तो अंग्रेजी में बोलेंगे। आप तो यह किताब फड़वा दो।

श्री मूलचंद डागा : रूल 270 है :

"When a member rises to speck, his name shall be called by the Speaker. If more members than one rise at the same time, the member whose name is so called shall be entitled to speak."

श्रीमान् नियम 269 में है जब एक सदस्य को इजाजत दी तो दूसरे सदस्य बैठे रहेंगे और शांति से सुनेंगे। नियम 270 में है कि जब भी आप इजाजत देंगे और आप उस सदस्य का नाम घोषित करेंगे तब बोलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य सचेतक समझें कि नियम 269 के अंदर जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सबका कर्तव्य है कि वे शांति से सुनें। नियम 270 में है कि जब श्रीमान् इजाजत दें तभी बोलें, नाम लें तब बोलें। यह नियम सबके लिए है। मैं भी आपकी इजाजत के बिना बोलता हूं। मैंने पाइंट आफ आर्डर इसलिए रेज किया, श्रीमान्, आपने हमारे माननीय सदस्य को इजाजत दी बोलने की, उस समय बेगू से आने वाले माननीय व नाथद्वारा से ..

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): नाथद्वारा से नहीं।

श्री मूलचंद डागा : व दूसरे माननीय सदस्य बोलने लगे। नियम 269 में है कि shall maintain silence.

श्री मदन सिंह दांता : अगर यही हालत रही तो 6 महीने तक भी यह सदन नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां से 3-4 जनों को बाहर निकाल दिया जाए तो कार्यवाही अच्छी तरह से चलें। बेंचों पर खड़े हो जायें, लेकिन एक घंटा तो हम चुप रहें। यह बिजनेस सरकारी पक्ष का है। आप हमारा बहुमूल्य समय बिगाड़ रहे हैं....

श्री माणकचंद सुराणा (आयोजना मंत्री) : जब डागाजी बोल रहे हैं तो क्या इस तरह माननीय सदस्य बोल सकते हैं ?

श्री मूलचंद डागा : नियम 269 व 270 की पालना हो ताकि सबको बोलने का अवसर मिले। सब सदस्य बोलने लग जायेंगे तो इन नियमों का पालना कैसे होगी ? आप ऐसी व्यवस्था दें कि जब तक आप किसी का नाम न लें तब तक वह न बोलें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैंने प्रिविलेज मोशन मूव किया था। उस मोशन के दौरान मैंने फैक्ट्स रखे थे जो गृह मंत्री ने सदन को मिसगाइड करने के लिए कहे।

ऐसा करना गुनाह नहीं है। मगर इस तरह सदन का कोई सदस्य बोले और बीच में इन्ट्रप्शन हो तो माननीय सदस्य, जो यहां पर बोल रहे हैं, अपनी कान्सटीट्यूएंसी में जाकर नहीं बोल सकते. वहां कोई भी बोलने नहीं देगा। यही जगह है जहां बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे तो। जलसा मैं भी करता हू वह भी करें, उनकी कान्सटीट्यूएंसी में ही उनको शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गए।

(व्यवधान)

सत्तापक्ष यदि सोचता है कि हम किसी की आवाज बंद कर दें तो हम भी उसको बोलने नहीं देंगे, कोई कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

मुझे दो शब्द व्यवस्था के बारे में बोल लेने दीजिए। माननीय सदस्य श्री डागा ने मेरा ध्यान आकर्षित किया रूल 269 और 270 की ओर। रूल 269 और 270 के प्रावीजन्स मुझ पर लागू होते हैं उससे अधिक माननीय सदस्यों पर लागू होते हैं....

श्री श्योपत सिंह मकासर : सत्ता पर ज्यादा होते हैं।

श्री अध्यक्ष : .. मेरे लिए दोनों पक्ष समान हैं। मैं इसमें कोई डिफरेन्सियेशन और डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। मेरे लिए सदन के सब सम्माननीय सदस्य एक समान हैं। मैंने माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंह को अनुमति दी कि वह बोल सकते हैं। उसमें इन्ट्रप्शन हो सकता है लेकिन इन्ट्रप्शन को सहन भी एक हद तक किया जा सकता है। इन्ट्रप्शन इस हद तक हों कि माननीय सदस्य जो बोलने का अधिकार रखते हैं उनको बोलने ही नहीं दिया जाये या सुना ही नहीं जाय या सुनने ही नहीं दिया जाय। यह सदन की परम्परा के लिए शोभनीय नहीं है। इन्ट्रप्शन आप कर सकते हैं लेकिन इन्ट्रप्शन की सीमा होती है अतएवं माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंह अपनी बात कहें।

श्री मदनसिंह दांता : On a point of order, Sir....

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर के ऊपर पाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता। पाइन्ट आफ आर्डर पर पाइन्ट आफ इनफार्मेशन या क्लेरिफिकेशन हो सकता है।

व्यवस्था का प्रश्न

(1) विशेषाधिकार प्रश्न की ग्राह्यता।

(2) विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति।

श्री रामनारायण चौधरी : I have raised a point of information, Sir....

मैं आपका ध्यान नियम 157 और 160 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंह जी ने विशेषाधिकार का जो प्रश्न दिया है आपने उस प्रस्ताव को

[श्री रामनारायण चौधरी]

नियम 157 के तहत मान्य करके क्या नियम 160 के तहत उठाने की उनको इजाजत दे दी है ? यदि ऐसी स्थिति है तो विशेषाधिकार का जो प्रस्ताव है वह विधिपूर्वक सदन में पढ़ा जाना चाहिए ताकि हम अवगत हों कि वह विशेषाधिकार का प्रश्न क्या है और हम भी उस पर अपने विचार रख सकें। ऐसा यदि नहीं है और नियम 157 के तहत सम्मति आपने नहीं दी है तो नियम 160 के तहत माननीय सदस्य को भाषण देने और इस प्रश्न को उठाने का अधिकार नहीं होता है। यदि आपने अनुमति दे दी तब तो मुझे आपत्ति नहीं है वरना यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का प्रश्न है वह देखा जा रहा है, अण्डर एग्जामिनेशन है। लेकिन प्राइमाफेसी माननीय सदस्य अपने विचार 5 मिनट के लिए व्यक्त करें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

उदयपुर में हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में गृह मंत्री की गलत बयानी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में आता है कि आज सत्तापक्ष के लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनमें हिम्मत नहीं है कि किसी बड़े सेठ के नाजायज कब्जों को रोका जाये। उदयपुर में ऐसा लगता है कि सिवाय गरीबों के और किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। उदयपुर की यू आई. टी. में रिकार्ड मौजूद हैं, बड़े-बड़े महलों और भवनों में रहने वाले धनी लोगों के नाजायज कब्जे बरकरार हैं। मैंने एक बात कही थी कि गृह मंत्री जी ने जो फैक्ट्स रखे थे वह गलत थे और सदन को गुमराह किया था। उन्होंने कहा था कि सिम्पल इन्जरीज हैं, जबकि मैंने सदन के सामने सारे सबूत पेश किये हैं। वह स्वतंत्रता सेनानी हैं। श्री बलवन्तसिंह की मेहता क्या है मुझे ज्यादा पता नहीं है लेकिन वह जनता पार्टी के मेम्बर हैं, जनता पार्टी को इन्होंने इमदाद पहुँचाई थी, वह जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता रहे और जनता पार्टी की विजय में उनका हाथ रहा। यह सवाल तो जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा ही उठाया जाना चाहिए था मगर इस तरह के लोगों द्वारा सवाल तो उठाना दूर रहा लेकिन किसी ने उठाया है तो उल्टा विरोध कर रहे हैं। इस तरह से 80 साल के लोगों के सिर आप फोड़ें और फिर बेशर्मी के साथ डिफेण्ड करें यह उचित नहीं होगा। गृह मंत्री जी ने सदन के सामने झूठे आंकड़े पेश किये हैं इसलिए उनके खिलाफ बाकायदा कार्यवाही होनी चाहिए। मैं आपकी आज्ञा से कपड़े और फोटो सबूत के तौर पर सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मूलचंद डागा : श्रीमान्, मैंने प्रस्ताव दिया है। पहले मेरा प्रस्ताव है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले प्रस्ताव दिया है....

श्री अध्यक्ष : आपका भी है और श्री रघुनाथ जी का भी है...

श्री मूलचंद डागा : मेरा प्रस्ताव पहले है।

श्री अध्यक्ष : आपका अस्पष्ट है इसलिए मैंने स्वीकृति देने में असमर्थता प्रकट की है। श्री डागा, आप किस संबंध में बोलना चाहते हैं ?

श्री मूलचंद डागा : सचिवालय के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्षजी, पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है....

श्री मदनसिंह दांता : On a point of order, Sir, गृह मंत्री जी के खिलाफ आरोप लगाये हैं लेकिन वह मौन हैं। क्या हम यह मान लें कि वह उनको मान्य हैं ? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। यह आरोप सही है क्या ?

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : मैंने जवाब पहले ही सदन के सामने दे दिया है। वह माननीय अध्यक्ष जी देख लें। यह तो सारा आपके और सदन के परव्यू में है। इस पर मेरा रिटन स्टेटमेन्ट था।

श्री मदनसिंह दांता : क्या आप पर आरोप लगाये गये वह सही हैं ?

श्री सम्पतराम : बिल्कुल गलत है। यह आरोप भ्रम पैदा करने के लिए लगाये हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव रखा था।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई प्रस्ताव है तो आप मुझसे चैम्बर में मिल लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय; कोई विधिवत काम नहीं चल रहा है। सर्वप्रथम श्री श्योपतसिंह जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे बीच में उठा लिया इसलिए यह गड़बड़ हो गयी।

श्री अध्यक्ष : इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। आपका क्या प्रस्ताव है, माननीय सदस्य ?

श्री रामकरणसिंह : मेरा निवेदन यह था कि मैंने स्थगन प्रस्ताव एक व्यक्ति विशेष के संबंध में दिया है। कुछ दिनों में उसका कत्ल भी हो सकता है। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। व्यक्तिशः नाम देकर और आंकड़े देकर इस तरह का काण्ड होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि आपके समक्ष भी वह नहीं पहुंच पाया और उसके पहले ही आपके सेक्रेटेरियट से गायब हो गया। इसमें कुछ घपला है। मुझे घोर आपत्ति है कि माननीय अध्यक्ष को कोई चीज हम दें वह आपकी प्रापर्टी है और वह आप तक नहीं पहुंचे आपका सेक्रेटेरियट आप तक हमारी चीज को नहीं पहुंचाये।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे चैम्बर में मिल लें। मैं आपको कल बोलने की अनुमति दे सकता हूं, अगर महत्वपूर्ण प्रश्न है तो।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं कि जो स्थान प्रस्ताव माननीय सदस्यों

[श्री रामनारायण चौधरी]

ने दिये हैं उन पर आपने व्यवस्था दी। आज के स्थगन प्रस्तावों के साथ मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था मालवीया रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज के बारे में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामकरण जी, आपकी जो समस्या है वह मेरी जानकारी में लाई गई। मैंने उसे जानकारी के लिए सरकार के पास भेजा है। अगर आप चाहते हैं तो कल इस पर बोल सकते हैं 5 मिनट के लिए।

श्री रामकरण सिंह : इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सरकार को भेज दिया। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था। वह मालवीया रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज के विद्यार्थीयों के अन्दर असन्तोष के बारे में है। उनके असन्तोष का कारण यह था कि 22-1 79 को राजस्थान सरकार के साथ इन लड़कों का समझौता हुआ उस समझौते की पालना नहीं हुई। उन लड़कों में असंतोष व्याप्त है। उसको लेकर मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। आज आपने जो व्यवस्था दी उसमें इस प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिये मैं सदन के सम्मुख खड़ा हुआ हूं। दूसरा मैंने 27 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव और दिया था, वह राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान के दूसरे विश्वविद्यालयों और कालेजों के अन्दर उत्पन्न छात्र असंतोष के बारे में है। उसको भी....

श्री अध्यक्ष : आपने एक से अधिक प्रस्ताव दिये थे। मैंने एक लिया, दूसरा अस्वीकार कर दिया।

श्री मदनसिंह दांता : जितने भी स्थगन प्रस्ताव दिये गये हैं....

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य का एक दिन में एक ही प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है।

श्री मदनसिंह दांता : दो स्थगन प्रस्ताव देते हैं। जो लेट देते हैं, वह महत्वपूर्ण होता है।

श्री रामनारायण चौधरी : इस संबंध में आपकी ऐसी मान्य व्यवस्थायें हैं कि अगर कोई माननीय सस्दय एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव देता है तो आप एक को ही स्वीकार करते हैं। अगर उसी माननीय सदस्य ने कोई अकेला प्रस्ताव दिया है, अकेले हस्ताक्षर से स्थगन प्रस्ताव दिया है तो उसको आप प्राथमिकता देकर अनुमति देते रहे हैं। दूसरे माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्य ने हस्ताक्षर किये हैं उन माननीय सदस्य को महरूम कर दिया है। यह प्रक्रिया रही है। एक प्रक्रिया चलनी चाहिये। मनमाने तरीके से सचिवालय वाले निर्णय करते हैं हालांकि आपको सारे अधिकार हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं आपके अधिकारों के प्रति पूर्णतया सहानुभूति व्यक्त करता हूं। आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिये और आपको पूरी आजादी देने के लिये मैं

[श्री ग्रध्यक्ष]

बिल्कुल उत्सुक हूं। ग्रापको बोलने की पूरी छूट दी जाय। ग्रगर ग्रापकी कोई समस्या हो तो ग्राप मेरे कक्ष में ग्राकर मिलें, मैं सुनूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : एक व्यवस्था और चाहता हूं। मान्यवर, दो साल से यह हो रहा है। पहले जब कोई स्थगन प्रस्ताव इम्पोर्टेंट ग्राता था, ग्रासन से वक्तव्य देने के लिये व्यवस्था हुई है ग्रौर सरकार को बाध्य भी किया गया है कि वह वक्तव्य दे। पिछले दो साल से ग्रासन द्वारा या तो प्रस्ताव रिजेक्ट किया जाता है या सरकार के पास भेज दिया जाता है। ग्रासन ने महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्तावों को कापनीजेंस नहीं दी ग्रौर यह व्यवस्था नहीं दी कि महत्वपूर्ण मामला है सरकार इस पर वक्तव्य दे। ऐसी व्यवस्था पहले रही है जब कभी कोई ज्वलंत समस्या ग्राई है तो सरकार को बाध्य किया गया है कि वह वक्तव्य दे। लोक सभा में भी ऐसा हुग्रा है। लोक सभा के ग्रन्दर क्षेत्रीयकरण का मामला उठा था। बिना किसी एडजोर्नमेंट मोशन के स्पीकर साहब का ध्यान दिलाया गया, स्पीकर लोक-सभा ने कहा इस पर ग्रभी विचार किया जाय। होम मिनिस्टर ने ग्रासन से समय मांगा, कि चार बजे तक का समय दें। ग्रासन ने फिर कहा सरकार का हर हालत में चार बजे जवाब ग्राना चाहिये। मैं ग्रासन से प्रार्थना करूंगा ग्राप उन परम्पराग्रों को त्यागें नहीं। लोकसभा की परम्पराग्रों को छोड़ें नहीं ग्रौर सरकार को बाध्य करें कि वह स्टेटमेंट उसी दिन या दूसरे दिन, जिसको ग्रासन उचित समझें, दे। इससे कई समस्यायें हल होंगी, सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मिलेगा ग्रौर उस पक्ष वालों का भी सहयोग मिलेगा।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रापने जो मेरा ध्यान ग्राकर्षित किया है उससे मेरी पूर्ण सहानुभूति है। जो स्थगन प्रस्तावों की सूचना मेरे पास ग्राती है उनको मैं दो श्रेणियों में विभाजित करता हूं। एक वह स्थगन प्रस्ताव जो सरकार की जानकारी हेतु भेजता हूं ग्रौर एक वह स्थगन प्रस्ताव, जो विशेष महत्व के होते हैं, मेरी जानकारी के लिये सरकार को भेजता हूं। ग्रभी सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुए 3-4 दिन हुए हैं। मैंने कुछ स्थगन प्रस्ताव मेरी जानकारी हेतु सरकार को भेजे हैं। उनका उत्तर ग्राने पर यदि सरकार को उत्तर देने के लिये बाध्य करने की व्यवस्था देने की ग्रावश्यकता होगी तो उत्तर दिलवाऊंगा, ग्रवश्य दिलवाऊंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रान ए पाइन्ट....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका क्या पाइंट ग्राफ ग्रार्डर है? माननीय सदस्य, कोई पाइंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्थान ग्रहण करें।

माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ग्रापका ध्यान इस बात की ग्रोर दिलाना चाहता हूं कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री ग्रध्यक्ष : कब दिया था?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आज दिया था। किसी कारण वश....

श्री अध्यक्ष : आज दिया था और आज ही व्यवस्था मांग रहे हैं, स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान युनिवर्सिटी के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना देकर आपकी मार्फत मैं शिक्षा मन्त्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, शायद शिक्षा मन्त्री जी यहां नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री बैठे हुए हैं। जोईन्ट रेस्पांसिबिलिटी है। शिक्षा मन्त्री के ऊपर कौन सी मोहर, छाप है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब से वेदपाल त्यागी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद पर स्थापित किये गये हैं तब से लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय का क्या हाल हुआ है, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय का जो प्रांगण है वह पुलिस और आर. ए. सी. से लैस है। 14 महीने के अन्दर, यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा, विद्यार्थियों की विधिवत पढ़ाई 14 दिन भी नहीं हुई। इससे संबद्ध कालेजों का भी इसी तरह से हाल रहा है। जिस दिन उन्होंने चार्ज सम्भाला, न मालूम वह कैसा दिन था, वैसे कोई त्यागी ब्राह्मण होता है वह कोई विशेष समय देखकर पद सम्भाला करता है ताकि उसको सफलता मिले। लेकिन इनको दुर्भाग्यपूर्ण समय पर पद स्थापित किया गया है। जोधपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से जबर्दस्त फैसला इन्होंने दिया, इसके कारण राजनैतिक आधार पर कुलपति बनाए गए। राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जोधपुर विश्वविद्यालय तो रेजिडेन्सियल विश्वविद्यालय है, उदयपुर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। सम्पूर्ण राजस्थान के शिक्षा जगत में, हायर एज्यूकेशन की एक मात्र यह संस्था है। राज्य सरकार ने यह क्या उच्च कोटि का कार्य किया है, मेरी समझ में नहीं आता है, विश्वविद्यालय का प्रशासन किस तरह से चलेगा। इनका पक्षपात पूर्ण रवैया है। अपने ही रिश्तेदारों को यूनिवर्सिटी के सारे प्रशासन में रख कर यूनिवर्सिटी में इन्होंने धांधली चला रखी है। अच्छे-अच्छे प्रोफेसर, रिसर्च पी. एच. डी. करने वाले प्रोफेसर छोड़ कर चले गये। उनका कोई प्रशासन में दखल नहीं है। जो पहले कुलपति पाण्डे थे उनके चमचे कुछ लेक्चरर्स हैं जो अनुभवहीन हैं। वे त्यागी जी के चारों तरफ लगे रहते हैं। नतीजा यह होता है कि जो कुछ वे कहते हैं उन्हीं के अनुसार फैसला होता है। अध्यक्ष महोदय, इस यूनिवर्सिटी का यह हाल है। जहां राज्य की राजधानी है और मन्त्रिमण्डल बैठा है वहां की युनिवर्सिटी का बुरा हाल है। फिर लड़कों को हम दोष देते हैं। आज प्रशासन में अनुशासनहीनता बढ़ रही है, तोड़फोड़ हो रही है, लड़के पढ़ नहीं रहे हैं फिर हम लड़कों को दोष देते हैं? इस यूनिवर्सिटी के प्रशासन में इतना भयंकर घोटाला है और आपा-धापी त्यागी जी ने लगा रखी है। जैसे अभी तक वे यही समझ रहे हैं कि मैं चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा हूं और मैं फांसी तक की सजा दे

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, शुरू शुरू में जब लड़कों का प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिला तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं चीफ जस्टिस रहा हूं। तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता हूं। उसका नतीजा यह हुआ कि इस यूनिवर्सिटी में अव्यवस्था उसी समय से फैली। आर० एस० एस० की शाखा को लेकर यूनिवर्सिटी प्रांगण में लड़कों में झगड़ा हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि कुलपति ने बिना सरकार की राय लिये हुए अचानक यूनिवर्सिटी बन्द कर दी। फिर इस विधान सभा के जरिये से सवाल हुए और दो घण्टे की बहस के बाद सरकार ने जवाब दिया कि कुलपति ने बहुत अदूरदर्शिता का कार्य किया है। यूनिवर्सिटी बन्द नहीं होनी चाहिये थी। अब यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं। यह तो अध्यक्ष महोदय, शुरू शुरू का मामला है।

अब, माननीय अध्यक्ष जी, इस कुलपति का हाल देखिये। 3500) रु० तो पेंशन मिलती है। जो खुद का मकान है वह 1500) रु० किराये पर यूनिवर्सिटी को दे दिया है तो 3500+1500 कितने होते हैं? 5,000) तो ये कमा रहे हैं और कुलपति पद पर रह कर कितना कमाते हैं यह तो भंवरलाल जी बतायेंगे और फिर लड़कों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रतिभा रखने वाले स्टूडेन्ट्स हताश होकर विश्वविद्यालय छोड़ छोड़ कर चले गये। जोधपुर यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में जान है राजस्थान की। इसमें सब तरह के प्रोफेसर, रिसर्च करने वाले और अच्छे अच्छे प्रतिभा रखने वाले हैं, उनका इसमें कोई दखल नहीं है। इसके बाद भी राज्य सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में खुला पक्षपात होता है। पक्षपात के अनेकों उदाहरण है। मैं क्या-क्या बताऊं, समय भी नहीं है, क्योंकि एक घण्टा तो झगड़े बाजी में चला गया। यूनिवर्सिटी की समस्याओं के समाधान के लिये, प्रशासन को सुधारने के लिए राज्य सरकार को सलाह देने के लिए कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं परन्तु यहां कोई नहीं सुनता है। जनता आन्दोलन करती है, लड़के मारे मारे फिरते हैं, पढ़ाने वालों की कोई कीमत नहीं है, खुला पक्षपात किया जाता है। सरकार के आदेशों को बाईं पास त्यागी जी करते हैं। जो पढ़ाना जानते नहीं हैं वे लड़कों पर रोब जमाते हैं, इससे हर बार झगड़े बाजी होती है। कोई टीचर पीरियड नहीं लेते हैं। यह है यूनिवर्सिटी का हाल। जो इतनी उच्च शिक्षा का प्रांगण है उसमें आर. ए. सी. का बोल बाला है। इस सारे मामले में कालवी जी का दखल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस यूनिवर्सिटी के कुलपति की वजह से, धांधली बाजी की वजह से अस्थाई प्राध्यापकों का जो एक अध्यादेश आया था और सदन द्वारा कानून पास किया था उसको कुलपति की राय से गवर्नर महोदय ने सदन को रिटर्न किया पता, नहीं अब उसका क्या हो रहा है। जो अस्थायी टीचर्स थे उनको निकाल दिया गया था वे मारे मारे सड़क पर फिर रहे हैं। सदन में उनके बारे में कोई आश्वासन दिया था। उन अस्थायी शिक्षकों का क्या होगा, यह हमने पूछा था तो भंवरलाल जी उठकर खड़े हुए थे और

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सूर्यनारायण जी ने कहा था कि हम समस्या का समाधान कर देंगे, हमें उनकी चिन्ता है। उस चिन्ता का क्या हुआ ? वे सभी शिक्षक अभी मारे मारे फिर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस यूनिवर्सिटी में काफी अनुशासनहीनता है और सारे रिश्तेदारों को कुलपति ने भर्ती करा रखा है और भी भर्ती करते जा रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार इसका हस्तक्षेप कर रही है ? जब सरकार बनी थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वच्छ प्रशासन देने के लिए कहा था और यूनिवर्सिटी के स्वच्छ प्रशासन के लिए कानून भी आपने पास किया था। इमर्जेन्सी में जो अमेन्डमेंड किये थे आपने हठधर्मी से वापस रद्द करके जैसे पहिले थे एज इट इज रख कर के यूनिवर्सिटी की स्वायतत्ता रखने के बारे में कानून बनाया, उसका क्या फायदा हुआ, यह मैं जानना चाहता हूं।

आज परीक्षाएं समय पर क्यों नहीं होती हैं ? एल. एल. बी. में लड़कों की भर्ती आज एक साल बाद हो रही है, लड़कों का एक साल खराब हो गया। एक साल तो यूं ही बरबाद हो गया, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं जो लड़के डेपूटेशन लेकर त्यागी जी से मिले, कौन से लड़के थे....

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मन्त्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो कालवी जी चुनाव में बनेड़ा में समर्थन करने गये थे, उनकी हठधर्मी देखिए। कालवी जी ग्रुप के लड़कों के कहने से त्यागी जी विश्वविद्यालय का प्रशासन चला रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : व्यवस्था का प्रश्न, आप, मन्त्री महोदय उठा रहे हैं ? उठाइये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, घन्टी बजा चुके हैं। नियमों में प्रावधान है.... ।

श्री मूलचन्द डागा : कौन सा नियम है ? अगर आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय की घन्टियों की कौन परवाह करता है, मैं तो सन् 62 से लेकर आज तक यह देखता आया हूं। अध्यक्ष महोदय मेरी आदत को जानते हैं, मैं घन्टी के बाद नहीं बोलता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यूनिवर्सिटी की पूरी पोल खोलना चाहता था परन्तु आपने समय कम दिया है। आपको क्या तकलीफ है। आप तो बैठे-बैठे मजाक करते हैं और यूनिवर्सिटी का मखौल उड़ाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी घण्टी का आप ध्यान रखिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने पहली घंटी बजाई है। मैं रोज देखता हूं सौ सौ बार घन्टी बजाते हैं और सत्ता पक्ष के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सदस्य बैठते ही नहीं हैं। यह घन्टी का डण्डा हमारे ऊपर ही क्यों चलता है ? अब, अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार पर काले बादल छाने वाले हैं।

(व्यवधान)

यूनिवर्सिटी की समस्याओं के बारे में, अध्यक्ष महोदय, ये सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय सदस्य को मैं निवेदन करूं कि वे चेयरमैन के पैनल में हैं। उनको अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का जरूर पालन करना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं तो सबसे ज्यादा आज्ञाकारी हूं। मैं अध्यक्ष महोदय की आंख की ओर बराबर देख रहा हूं। मैं कोई फैक्ट्स नहीं रख रहा हूं तो एक मिनट में बैठ जाऊं। यह चिट्ठा काले कारनामों का मेरे पास पड़ा है। मुझे तो अभी बहुत सारे काले कारनामें बताने हैं। जो विरोधी पक्ष के नेता महोदय हैं, वे अभी पधारे नहीं हैं। वे आ जाते तो मैं बैठ भी जाता और वे कुछ कहते....

(व्यवधान)

घन्टी की परवाह मत करो, थानवी जी आपकी भूख हड़ताल का क्या हुआ ? आपकी हालत तो बड़ी खस्ता है। आप क्या बोल रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, आपकी घण्टी को तो मैं शिरोधार्य मानता हूं और बैठ जाता हूं परन्तु यूनिवर्सिटी के घोटालों को बताने का समय बार बार नहीं आयगा।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जरूर करने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जिन लेक्चरर्स के साथ पक्षपात हुआ है, जिस प्रोफेसर के साथ पक्षपात हुआ है, इनको कुलपति ने अस्थाई के रूप में बाहर निकाला है। एक प्रोफेसर की बदतमीजी और उनके पक्षपात पूर्ण रवैये से इस यूनिवर्सिटी के कर्मचारी चालीस दिन की हड़ताल पर रहे। चालीस दिन तक इस यूनिवर्सिटी में हड़ताल रही और यूनिवर्सिटी का सारा कार्य ठप्प रहा। इसके बाद में भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। आपको डायरेक्शन देने की पावर्स कानून में नहीं हैं क्या ? अगर नहीं हैं तो हमसे ले लो, और पावर्स ले लो लेकिन इस यूनिवर्सिटी की हालत को सुधारो और बच्चों के भविष्य को मत बिगाड़ो, शिक्षा मन्त्री जी। अगर इस यूनिवर्सिटी की हालत को सुधारना है तो इस कुलपति को बर्खास्त करो। भगवान के नाम पर इसकी हालत को सुधारो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि ये त्यागी जी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के डीलक्स वार्ड में जाकर सो गए। हमने डाक्टरों से पूछा कि इनको क्या बीमारी है ? डाक्टरों ने कहा कि इनको कोई बीमारी नहीं है। ये तो लड़कों से डरते हुए यहां आकर छुप कर बैठे हुए हैं सोये हुए हैं। हमने सारी जांच की है, सब तरह से तन्दुरुस्ती का एग्जामिन किया है लेकिन इनको कोई बीमारी ही नहीं है तो इलाज

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

क्या करे डाक्टर। यहां पर मेडिकल मन्त्री जी मौजूद हैं उनको अगर इनकी बीमारी का ज्ञान हो तो बता दें कि त्यागीजी को कौन सी बीमारी थी, किस बीमारी का इलाज करवाया और कितने रुपयों का पेमेंट लिया ? माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार से ये त्यागीजी लड़कों से डर कर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। जो कुछ उनके चहेते लड़के कहते हैं मानते जा रहे हैं। एक साल तो इस तरह से इन्होंने गुड़ा दिया, अब आगे क्या होगा ? कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, सारे लड़के फैल होंगे। सेमेस्टर प्रथा लागू हुई थी वह भी एकदम हुल्लड़बाजी में खत्म कर दी। लड़कों के कहने से ही सेमेस्टर प्रथा लागू की गई थी और अब पीसमील में एग्जाम नहीं होकर एक साथ एग्जामिनेशन होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी लड़के आन्दोलन कर रहे हैं। फिर इस यूनिवर्सिटी में बुरे हालात पैदा हो रहे हैं। फिर किसी न किसी दिन विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। लड़के मांग कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन आगे सरकाओ, हमारी पढ़ाई नहीं हुई है। आपने बार बार यूनिवर्सिटी को बन्द किया है, कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। इसका प्रशासन इतना खराब होते हुए भी त्यागीजी महाशय को क्यों बिठा रखा है ? इन्होंने पहले स्तीफे का भी ड्रामा किया था। उस स्तीफे का क्या हुआ ? आप इनका स्तीफा मंजूर क्यों नहीं करते। क्या त्यागीजी नहीं रहेंगे तो यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी ? क्या त्यागीजी की जगह हिन्दुस्तान में आपको कोई दूसरा आदमी नहीं मिल रहा है, इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति पद पर स्थापित करने के लिए ? अगर हिन्दुस्तान में आदमी नहीं मिल रहा है तो इंग्लैंड से बुला लीजिए, अमेरिका से बुला लीजिए परन्तु इस यूनिवर्सिटी को सुधारिये। भगवान के लिए आगे इसको इस तरह से नहीं छोड़ें। जोधपुर यूनिवर्सिटी की जो हालत थी वह भी आपको बता दी कि 70–70 स्टेबिंग के केसेज हुए थे। मैं आपको कहता हूं कि वहां की हालत को तो हम हाथ जोड़ कर सुधार लेंगे लेकिन आप भगवान के लिए इस राजस्थान यूनिवर्सिटी को त्यागीजी के भरोसे पर और दयाकृष्ण जी के भरोसे पर मत छोड़ें। इनको इस यूनिवर्सिटी से फौरन बर्खास्त करिये। इसका प्रशासन सुधारने के लिए और अच्छा कुलपति मुकर्रर करिये ताकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अच्छे हालात कायम हो। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी इस पर करोड़ों रुपया राज्य सरकार ने लगाया है। राजस्थान की यह एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसके मुकाबले की दूसरी कोई यूनिवर्सिटी नहीं। एक तरफ घडोती दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी कायम करने की मांग लोग कर रहे हैं दूसरी तरफ जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज हैं उनकी हालत सुधार नहीं पाते। फिर नई नई यूनिवर्सिटीज खोलने की बात करके क्या करेंगे ? यहाँ पर, अध्यक्ष महोदय, कुलपति अब टीचर्स के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। जिन प्रोफेसर्स ने यहां पर आकर अपाइन्टमेंट लिया है अब उनका ट्रांसफर करेंगे। जनता पार्टी राज्य में अब उन टीचर्स, को जिन्होंने बाहर से आकर अपाइन्टमेंट लिया था, दूसरी यूनिवर्सिटी में, कालेजों में भेजेंगे। जो रिसर्च वर्क्स, पी. एच. डी. का काम इनके अण्डर में चल रहा है, उसका क्या होगा ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनका कांट्रेक्ट है इस यूनिवर्सिटी से,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

यहां पर उन्होंने श्रपाइन्टमेंट लिया है फिर बाहर कैसे भेजोगे ? इस तरह का कानून श्राप त्यागीजी के कहने पर पास कराने जा रहे हो। श्रध्यक्ष महोदय, हालांकि मुझे काफी बातें कहनी थी लेकिन जो कुछ मैंने कहा है, उन पर शिक्षा मन्त्री जी दो शब्द खड़े होकर कहने की कृपा करें तो मैं बैठ जाता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमारे नेता महोदय के भी उस स्थगन प्रस्ताव पर दस्तखत हैं लेकिन वे पधार नहीं पाये हैं फिर भी मैंने जो बातें कही हैं, यूनिवर्सिटी को सुधारने के बारे में माननीय भंवरलाल जी शर्मा चिंतित है या नहीं यह तो जब वे जवाब देंगे तब पता चलेगा लेकिन उनके चेहरे से भांप रहा हूं कि जरूर वे कोशिश कर रहे हैं फिर भी उनकी कुछ चलती ही नहीं है, उनके सामने दिक्कत श्रा रही है। श्रगर नहीं चलती है तो इस पद को छोड़ कर हमारे साथ श्रा जाश्रो। इसलिए श्रध्यक्ष महोदय, यही बात कह कर....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : श्रध्यक्ष महोदय, मैं श्रापसे एक बात की श्रनुमति चाहता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी पर माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसी तरह का एक स्थगन प्रस्ताव मेरा भी था। 27 तारीख को मैंने श्रपना स्थगन प्रस्ताव श्रापकी सेवा में प्रस्तुत किया था परन्तु श्रापने उस वक्त यह फर्माया....

श्री अध्यक्ष : दो तीन थे, एक मान लिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : एक पर भी बोलने की श्रनुमति नहीं दी। यह फर्माया कि राज्यपाल महोदय के श्रभिभाषण पर चर्चा करते समय बोल सकते हैं लेकिन राज्यपाल महोदय के श्रभिभाषण पर बोलने का हमें मौका नहीं मिला। श्राज जब यह प्रश्न उठा दिया गया है तो दो मिनट बोलना चाहूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : श्रध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे राठौड़ साहब, जो शिक्षा मन्त्री जी रहे हुए हैं, उस समय विश्वविद्यालय के लिए क्या एक्शन लिए, ये आपको बतायेंगे। इनसे श्रनुभव लो। यह मामला एक बार सदन में उठ गया है तो श्रब दोबारा सदन में उठेगा नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मदेरणा साहब नहीं है तो खेतसिंह जी को श्रौर रामनारायण जी को पांच पांच मिनट का समय मेरे ख्याल से श्राप देने की श्रनुमति दें तो श्राउट श्राफ स्कोप नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण विषय है।

(व्यवधान)

श्री श्रध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी, श्रापने कुछ दिन पहले दिया था। मुझे याद है। श्राप बोल सकते हैं। पहले खेतसिंह जी, फिर श्राप।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है, वह कब श्राएगा ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : खेतसिंह जी तो बोलना ही नहीं चाहते हैं। पहले श्राप, पहले श्राप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं विपक्ष से जानना चाहूंगा इस सम्बन्ध में। रामनारायणजी चौधरी बोलेंगे और माननीय खेतसिंह जी आप बोलेंगे ? आप नहीं बोलते तो उनको दे दीजिए अपना टाइम।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : आपका इसके बाद आएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बोलने से कोई खास मकसद हल नहीं होने वाला है। माननीय रघुनाथ जी विश्नोई ने सारी बातें बता दीं। रामनारायण जी और बातें रख देंगे लेकिन भंवरलाल जी शर्मा के कान पर जूं रेंगने वाली नहीं है। ख्वामख्वाह टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपके पास बोलने को कुछ है ही नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, 27 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था। आज इस विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा उठी है तो मैं भी जो जानकारी मेरे पास है वह निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, जब से राजस्थान में जनता पार्टी का शासन कायम हुआ है तब से बराबर इन विश्वविद्यालयों को राजनैतिक स्थल बना करके न केवल सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

आज तक, मान्यवर, आप परिचित हैं इस बात से कि विश्वविद्यालयों के अन्दर विधान सभा की तरफ से और सरकार की तरफ से जो नामजदगी होती थी उसमें विपक्ष का ध्यान बराबर रखा जाता था। राजस्थान विश्वविद्यालय में बराबर कांग्रेस के शासन में जो नियुक्तियां हुई उनके अन्दर प्रतिपक्ष का नोमीनेशन, प्रतिपक्ष का रिप्रेजेन्टेशन रहता था और छात्रों की मांगें उस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अभी तक रखी जाती थीं। लेकिन जनता पार्टी का शासन आने के बाद एक तरफ तो नोमीनेशन में और दूसरी तरफ वाइस चांसलर्स की नियुक्तियों में पूर्ण आपाधापी और मनमानी करके जैसे जनता पार्टी की सरकार पूर्व की अदायगी के साथ पूंजी के ब्याज को चुकाना चाहती है। मान्यवर, अब शासन की तरफ से भी प्रतिपक्ष का आदर नहीं करने से हम हमारी भावनाओं को विश्वविद्यालय में पहुंचाने से किसी प्रकार से वंचित रहे हैं, यह मैं नहीं कह सकता, यह तो आप स्वयं देखेंगे। फिर भी मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इसमें सुधार होगा।

मान्यवर, राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर जिनकी वाइस चांसलर के पद पर नियुक्ति की गई है, यह दुनियां को मालूम है कि एक ऐसा विवादास्पद मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्षों से निर्णित होने के लिए पड़ा हुआ था, ऐन वक्त पर उसका फैसला हुआ, किन परिस्थितियों वश यह किया गया, यह तो मैं नहीं कह सकता परन्तु उस फैसले के बाद, चीफ जस्टिस को

(श्री रामनारायण चौधरी)

वाइस चांसलर, कुलपति इस विश्वविद्यालय का बनाया गया। उस फैसले के परिणाम स्वरूप इनको कुलपति बनाया गया। अवार्ड के रूप में वाइस चांसलर का पद इनको दिया गया, यह तो मैं नहीं कहता परन्तु आज जनता में यह आम धारणा है। जो आम धारणा होती है वह किन्हीं तथ्यों पर आधारित होती है।

मान्यवर, आपको मालूम है राजस्थान विश्व विद्यालय इस सत्र के आरम्भ होने से कोई मुश्किल से 15 दिन भी नहीं चल पाया है, यह बराबर बन्द रहा है। कभी कर्मचारियों की स्ट्राइक रही, कभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हड़ताल पर रहे, कभी, स्टूडेन्ट्स की स्ट्राइक रही, तो कभी किन्हीं अन्य कारणों से विश्वविद्यालय बन्द रहा।

अब, मान्यवर, आपने कल ही देखा होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत होने वाली परीक्षाओं का एक शिड्यूल प्रकाशित हुआ है। ये परीक्षाएं अप्रैल से प्रारंभ होंगी। आप अन्दाज लगा सकते हैं किस प्रकार से ये परीक्षाएं अप्रैल में प्रारम्भ हो सकती हैं? क्या विद्यार्थी परीक्षाएं दे सकेंगे? इससे विद्यार्थियों में असन्तोष है, आक्रोश है, उग्रता है। इस सम्बन्ध में जयपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र 'राष्ट्रदूत' में आज ही मैंने पढ़ा है। छात्रों का आज प्रदर्शन। स्थानीय महाराजा कालेज के छात्र आयोजित परीक्षा एक महीने स्थगित करवाने के लिए कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। छात्र नेताओं ने कहा है कि 11 मार्च तक निर्णय नहीं होने पर छात्र अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जायेंगे। यह हड़ताल महाराजा कालेज से प्रारम्भ होगी। इसके बाद सब कालेजों में क्या होगा इसका आप अन्दाज लगा सकते हैं।

आज आपके राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन पूर्ण तरह से ठप्प है और पूरी तरह से पंग है। छात्र और नेताओं में असन्तोष है। उनकी समस्याएं विश्वविद्यालय के उचित स्तर पर आज पहुंच नहीं पाती हैं। सब जगह राजस्थान सरकार ने अपने ढंग से नोमीनेशन कर रखे हैं। एक प्रकार से विश्वविद्यालय का गला घोंट रखा है। ऐसा महसूस होता है, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन को देख कर कि देखने वालों का भी दम घुट जाता है तो उसके अन्दर रहने वाले किस प्रकार से सांस ले सकते हैं, यह समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि विश्वविद्यालय के अन्दर जो विधान सभा से नोमीनेशन होता है, उसको आप क्यों अपने माफिक करवाते हैं? आप अपनी मनमानी करने से चूक नहीं रहे हैं। छात्रों की परीक्षाएं होने वाली हैं पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हो पाई है, विश्वविद्यालय खुले नहीं तो यह क्या है? इसलिए शिक्षा मन्त्री एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य दें। छात्रों का असन्तोष महाराजा कालेज से प्रकट हो रहा है, यह असन्तोष दूसरे कालेजों में भी फैलेगा। पहले तो विश्वविद्यालय बन्द कर के रखा तो पूरी पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए, मान्यवर, शिक्षा मन्त्री महोदय से एक वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें कि वस्तु स्थिति क्या है और क्या कारण है? मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, इस संबंध में कोई उत्तर देने का विचार है।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विश्वविद्यालय के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। यह विषय इस सदन में कई बार आ भी चुका है जहां तक वाइस चांसलर की नियुक्ति का सवाल है, पिछले विधान सभा सत्र में हमने बहुत चर्चा की है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को यहां पर रखने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक दृष्टिकोण तो यह हो सकता है कि हम वास्तव में विश्वविद्यालय को किस प्रकार चलावें ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई ठीक हो। जिस बात से हम सबको चिन्ता है, उसका निराकरण किस प्रकार से हो। एक तो यह दृष्टिकोण है। दूसरा यह दृष्टिकोण है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, उसका हम राजनैतिक लाभ कैसे उठावें ? मेरा यह निवेदन है कि माननीय विश्नोई साहब जब बोल रहे थे तब उनके मन में वेदना थी, इससे तो मैं इन्कार नहीं करता परन्तु जिस ढंग से वे इस बात को यहां पर रख रहे थे, उसमें राजनैतिक पुट ज्यादा था और वेदना कम थी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय को हम राजनीति से दूर रख कर ही इस पर विचार करें....

एक माननीय सदस्य : और रामनारायण जी की क्या वेदना है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वेदना तो सभी माननीय सदस्यों को है। अपने अपने दृष्टिकोण में फर्क होता है। माननीय परसराम जी मदेरणा यहां होते तो वह सही सलाह देने का प्रयास करते। उनकी अनुपस्थिति में श्री विश्नोई जी को बोलना पड़ा और वे जल्दी में कुछ कह गये।

श्री मूलचन्द डागा : आप प्रश्न का उत्तर दीजिये। We want complete answer.

श्री टीकमचन्द कांत : आप बीच में मत बोलिये। अध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री महोदय बोल रहे हैं तो माननीय सदस्य बीच में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय डागा साहब, मैं आप से विनम्र निवेदन करूंगा....

श्री मूलचन्द डागा : आप सवालों का जवाब दीजिये। मेरा नाम मत लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब जोधपुर विश्वविद्यालय का प्रश्न आया था तब भी विरोधी दल के नेता माननीय परसराम जी से मैंने व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क किया था और निवेदन किया था कि विश्वविद्यालय की इस समस्या का हम किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं, ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिये। उन्होने यह भी कहा कि कल मेरे से सम्पर्क कर लें, समय ले लें किन्तु कल विधान सभा स्थगित हो गई, हम मिल नहीं सके। आज भी कोशिश कर रहा हूं कि उनसे मिलूं। जो माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वे अगर इस समस्या के समाधान में सहयोग

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कर सकते हैं तो निश्चित रूप से उनका सहयोग लेकर समस्या का समाधान किया जा सकता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मंत्री महोदय हमारा किस तरह से सहयोग लेना चाहते हैं ? आप बुला कर बात करेंगे या हम स्वयं आकर आप से बात करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : पहल मेरी तरफ से होगी। आप धैर्य रखेंगे।

मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जब तक हम सभी लोग बैठकर इसके बारे में कोई समाधान नहीं ढूंढेंगे, तो केवल राजनैतिक दृष्टि से समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि कोई सुझाव देना चाहें तो दें। परीक्षायें पास हैं, पढ़ाई भी नहीं हुई है—जो समय बचा है उसमें किस तरह से विद्यार्थियों का साल खराब न हो और आगे भी विश्वविद्यालय ठीक से चले, इसके लिए कोई मिल जुल कर ही हम हल निकालें। इसके लिये मैं आपको आमन्त्रित करता हूं और व्यक्तिशः भी आमन्त्रित करूंगा, माननीय मदेरणा साहब आ जाते हैं तो आज ही बैठ जायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम सब तैयार हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : परीक्षाओं के बारे में तो लड़कों के प्रतिनिधियों से बात करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह विषय अपने अधिकार में नहीं है। वहां के प्रशासन से बात करके ही यह किया जा सकता है। रोज चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। इस समस्या के हल के लिए मैं आप सब को आमन्त्रित करता हूं। माननीय परसराम जी आ जाते हैं तो आज या कल इस विषय पर बैठ कर विचार करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो लड़कों के प्रतिनिधि हैं, प्रोफेसर हैं, सहायक कुलपति है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को बुला कर यह मामला डिसकस किया जाना चाहिये। इस तरह से समस्या का समाधान होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : धांधलेबाजी ऐसे ही चल रही है। लॉ एण्ड आर्डर का विश्वविद्यालय में खतरा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम बैठ कर तय करेंगे। जिसको बुलाना हो उसको बुला कर विचार-विमर्श करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : महाराजा कालेज के लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के सामने। इसी तरह दूसरे भी जाने वाले हैं। उनके बारे में आप क्या कहते हैं ? परीक्षाओं को लेकर छात्रों में भारी असंतोष है। इसके लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इन समस्याओं के समाधान के बारे में, जैसा मैंने कहा, बैठ

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कर विचार करेंगे। जिन-जिन की ग्राव-श्यकता होगी उनको इत्तिला देंगें। इसके ग्रलावा ग्रौर कोई हल हो तो ग्राप बता दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : छात्रों की यूनियन्स के प्रेसीडेंट्स, सेक्रेटरीज को बुला कर क्या ग्राप कल ही बातचीत के लिए तैयार हैं ? महाराजा कालेज के हजारों लड़के यूनिवर्सिटी के सामने गये हैं। कल दूसरे लड़के जायेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, ग्रध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री जी से क्या विद्यार्थी संघों के अध्यक्ष, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार को ग्राप ग्रपने चैम्बर में या सचिवालय में बुला कर समाधान निकालने को तैयार हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रापकी सलाह की मैं कद्र करता हूं लेकिन परसराम जी मदेरणा ग्रा जायं तो ग्रच्छा हो। उसके बाद हम विद्यार्थी यूनियन्स को भी बुला कर इस समस्या का समाधान करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, छात्रों की समस्या कोई नई समस्या नहीं। पहले भी इस तरह की समस्या ग्राई है। हमने भी इसी तरह किया था। ग्राप भी इसी तरह कीजिये। छात्रों के रिप्रेजेन्टेटिव्स को बुला लीजिये, वाइस चांसलर ग्रौर रजिस्ट्रार को बुला लीजिये और कोई समाधान निकालिये। पहले भी ऐसा ही हुग्रा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमें इसमें कोई ग्रापत्ति नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैंने कल एक बुलेटिन पढ़ा। उसकी तीन लाइनें पढ़ रहा हूं—"सचिवालय के समस्त कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर, राज्य सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया, जो एक साल से चला ग्रा रहा है, सचिवालय संघ के निरन्तर प्रयासों के बावजूद मुख्य मन्त्री ने बार-बार आश्वासन देकर उनको गुमराह किया है। वे भूल गये हैं कि सचिवालय के कर्मचारी उनके झूठे ग्राश्वासनों को भली-भांति समझ गये हैं। धैर्य की सीमा होती है। जबकि तेरह बार मुख्य मन्त्री ने समय देकर भी हमारी मांगों को बराबर उपेक्षा-पूर्ण बनाये रखा...."

एक माननीय सदस्य : यह क्या पढ़ रहे हैं आप ?

श्री मूलचन्द डागा : यह सरकार इतनी निष्क्रिय है। एक साल तक सरकारी कर्मचारियों ने ग्रपनी मांगों को लेकर ग्रान्दोलन किया ग्रौर एक साल तक निरंतर उन्होंने ग्रपने ज्ञापन में लिखा कि हम बार बार ग्रपनी प्रार्थना विनम्रता पूर्वक लेकर मुख्य-मन्त्री जी के पास गये। उन्होंने सदन के नेता पर ग्रारोप लगाया है, उन्होंने 1-1 गिना कर लिखा है कि 13 बार गये ग्रौर उन्होंने सुनवाई नहीं की। सचिवालय के कर्मचारी, शासन का ग्रंग हैं, शासन करने वाली सत्ता के ग्रंग हैं, उनके सहयोग से शासन काम करता है। एक साल तक उनकी किसी भी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सचिवालय के प्रांगण में जाकर ग्रान्दोलन किया, ग्रपनी आवाज उठाई ग्रौर ग्रारोप लगाया कि मुख्य मन्त्री झूठे ग्राश्वा-

(श्री मूलचन्द डागा)

सन देते हैं। 13 बार कोशिशों के बावजूद उन्होंने उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है। इस कारण आज सचिवालय का काम ठप्प पड़ा हुआ है। सारे कर्मचारी सड़क पर आ गये हैं। कल विधान सभा के बाहर प्रदर्शन भी था। उन्होंने कहा कि हमारी वाजिब मांगों को भी सरकार सुनती नहीं है। श्रीमान्, उन्होंने अपनी जो मांगें रखी हैं उनमें उन्होंने यह मांग रखी है कि वेतन आयोग मुकर्रर किया जाये। वेतन आयोग का गठन किया जावे, यह कौन सी गैर वाजिब मांग है। उन्होंने कहा है कि वेतन की अधिकतम सीमा अवरुद्ध न हो। अब तो सचिवालय, सचिवालय न रह कर कमिश्नर कार्यालय बन गया है। अब उसका सचिवालय नाम नहीं होना चाहिये। मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि एक साल में एक लाख रुपया और कमिश्नरों पर खर्च होगा। यह गैर योजना खर्च इस सरकार ने बढ़ा दिया। उच्च पद पर जो आसीन हैं उनकी तनख्वाह और, और कर्मचारियों की तनख्वाह में जो विषमता है उस विषमता को किस प्रकार कम किया जाय। उनका शोषण नहीं किया जाय। उनकी मांग है कि मेहरबानी करके वेतन आयोग का गठन किया जावे, जो वेतन की अधिकतम सीमा है उसको अवरुद्ध न किया जावे। पहले जो पे-कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें कहा था :···

"The Islington Commission of 1915 had laid down the principle that the Government should pay so much and so much only to its employees as was necessary to obtain recruits of the right stamp and to maintain them in such degree of comfort and dignity as would shield them from temptation and keep them efficient for the term of service"

कर्मचारियों को इतना दिया जाय कि किसी प्रकार के लोभ लालच में वे न आयें और वे लोभ में न आकर बराबर अपनी क्षमता के साथ काम करें। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया ? जब कर्मचारियों ने अपनी मांगें रखीं तो आज तक न तो कोई कमेटी मुकर्रर की ···

श्री टीकमचन्द कांत : टैक्स कहां से लायेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : ···और न कोई और बात की।

अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि टैक्स कहां से लायेंगे। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि 70,000 का भत्ते का खर्चा होता है वहां पर मन्त्रियों पर भत्ते का खर्चा 5 लाख का बन गया है। तो टैक्स कहां से लायेंगे, उसका उत्तर यह है। मन्त्रियों का खर्चा कम था···

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

वह खर्चा बजट में बढ़ गया है। आपने नान-प्लान एक्सपेन्डीचर पर दो साल में 40 करोड़ बढ़ा दिया है। तो 40 करोड़ का खर्चा बढ़ गया है, नान प्लान एक्सपेन्डीचर पर दो सालों में जब कर्मचारी अपनी मांगें लेकर आते हैं तो श्रीमन्, जब आप 48

72

(श्री मूलचन्द डागा)

करोड़ रुपया नान-प्लान एक्सपेन्डीचर पर ज्यादा कर सकते हैं, तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं तो इन कर्मचारियों ने क्या गुनाह किया? मैं यह नहीं कहता, आप उनसे काम मत लीजिये, उनकी एफिशियेन्सी और उनकी ईमानदारी पर वजन मत डालिये। सचिवालय के कर्मचारी एक साल से मांग कर रहे हैं किन्तु उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं जिससे सचिवालय का काम ठप्प पड़ गया है। प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं, क्योंकि सचिवालय का कार्य बन्द हो गया है। आज इस प्रकार की हालत हो गई है, राजस्थान में। श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न किया था तो उसके उत्तर में सरकार द्वारा बतलाया गया था कि एक साल में 120 हड़तालें सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों ने की हैं। कोई विभाग नहीं है जिसने कि हड़ताल न की हो। यहां पर मेडिकल के कर्मचारियों ने हड़ताल की, जेल में हड़ताल हुई, फिर शिक्षकों ने हड़ताल की। सीनियर टीचर्स ने हड़ताल की, कालेज के अध्यापकों ने हड़ताल की। यह मेरे क्वेश्चन के आन्सवर में बताया गया है। उस क्वेश्चन से मालूम होगा कि एक साल में 120 अलग अलग वर्गों के कर्मचारियों ने हड़तालें की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई सदस्य बात करना चाहे तो वह बाहर चला जाय। यह हमारे नियमों में है। यह हमारे नियम 269 में दिया हुआ है। मैं बोलता रहूं और वह सदन में बैठ कर बातें करते रहें। 269 से बढ़ कर और बता दूं। श्रीमन्, आपके द्वारा म कहना चाहता हूं कि जो सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं वह इस प्रकार से बातें न करें।

श्री मदनसिंह दांता : जोर से कहिये उन्होंने नहीं सुना। माननीय मन्त्री महोदय, आप बात न करें। यह पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अगर इस प्रकार से बात करनी है तो उनको चाहिये कि वे लाबी में चले जायं।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इनके पक्ष में बैठे हुए लोग लिख रहे हैं वह भी उनको बन्द करना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : लिखने की कोई मनाही नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : आपका बढ़िया भाषण वह सुन नहीं रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने आगे लिखा है कि सचिवालय में केवल सचिवालय सेवाओं के अधिकारी और कर्मचारियों की पदवृद्धि हो। लेखा सेवा और विशेष प्रकार के पदों को खत्म करें। उन्होंने यह भी लिखा है कि सहायक कर्मचारियों को वर्दी की धुलाई के लिए भत्ता दिया जाय। छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उनकी छोटी और वाजिब मांगों का भी अगर सरकार निराकरण न करे, उनकी मांगों को सुने नहीं, उनकी यह मांगें वाजिब हैं या गैर वाजिब हैं उनकी मांगों पर निर्णय न करे इस कारण आज सरकार का काम ठप्प पड़ा है। सचिवालय का काम ठप्प पड़ा है। इसलिए मैं चाहता

(श्री मूलचन्द डागा)

हूं कि सरकार कोई वक्तव्य दे कि किस प्रकार से सचिवालय के कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जायेगा अन्यथा वह हड़ताल पर जायेंगे। कई लोगों ने कई बार भूख हड़ताल की है और काम ठप्प हो गया। इस बात पर वक्तव्य आना चाहिये।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। एक दूसरा भी मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था इसीलिए वह नहीं लिया गया कि मेरा यह प्रस्ताव था।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी चाहते हैं अपनी बात कहना, लेकिन मेरा निवेदन करना यह है····

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य डागा साहब द्वारा सचिवालय की हड़ताल के सम्बन्ध में यह कुछ बातें उठाई गई हैं····

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव आये हैं उनको बोलने दें।

श्री नूरा : हमारे प्रस्ताव पूरे हो जायं उसके बाद में जवाब दें। हम जो बोलेंगे उन सबका जवाब एक साथ आ जाए। मन्त्री महोदय बैठ जायं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम दो दो मिनट में ही बात कह देंगे।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का अधिवेशन चालू होने से पूर्व सचिवालय के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की। उसके बाद भी उनकी बातों पर विचार होकर कुछ निर्णय नहीं हुआ तो एक दो ने नहीं सैंकड़ों की तादाद में सरकारी कर्मचारियों ने गिरफ्तारियां दीं। उनकी बातें सुनीं भी तो उनकी बातों पर कहां तक विचार हुआ इसका पता नहीं। उसके बाद कुछ थोड़े थोड़े टाइम की हड़तालों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 5 मार्च को सचिवालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की और विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को मनवाने के लिये। एक वैधानिक ढंग से मांगें सरकार के सामने रखना चाहिये तो जब तक सचिवालय के सामने, विधान सभा के सामने लाकर रख दीं तब तक आगे बढ़कर सरकार ने पहल करके उनको सुनने के लिए और उनकी मांगों को निपटाने के लिए पहल करके बात नहीं की। मेरे से पहले बोलने वाले पाली से आने वाले माननीय विधायक ने कई बातें सामने रखीं। उन्होंने बताया कि जो सरकार ने आश्वासन दिया उस आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई। यह आश्वासन झूठे हैं। इस तरह से कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यह सरकार है। कहां पर असन्तोष नहीं है? स्कूलों के बच्चों में असन्तोष है, पढ़ाने वालों में असन्तोष है

(श्री नूरा)

और सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष है। प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले लोगों में असन्तोष हैं। सत्ता के भूखे अधिकारियों और मिनिस्टरों के पीछे लगने वाले जनता पार्टी के अन्दर बैठने वाले कुछ ऐसे साथी भी हैं जो वह बोल नहीं सकते हैं अनुशासन के डर से, लेकिन उनमें भयंकर असन्तोष बढ़ रहा है। उनको अनुशासन के डंडे से दबाने की बात कही जाती है। अध्यक्ष महोदय, यहां तक बात आ जाती है तो उसके बाद सरकार का नक्शा सामने आता है। मैं कहना चाहूंगा कि समय रहते सम्हल कर उनकी वाजिब बातों को मानें। सरकारी पक्ष से कहा जाता है कि इसके पीछे राजनीति है, इसके अन्दर राजनीति घुस गई है। अभी रघुनाथ जी विश्नोई कह रहे थे कि प्रिंसीपल त्यागीजी को 3500 रु० पेन्शन और 1500 रुपया मकान किराया मिलता है। उनको इतने रुपये की जरूरत नहीं है.......

श्री ओंकार लाल चौहान : वह वाइस चांसलर हैं प्रिन्सीपल नहीं हैं।

श्री नूरा : आप कहें वह कह दूंगा। त्यागी जी का नाम लेकर कह दूंगा क्या फर्क पड़ता है।

उनको इतने सारे पैसे दिये जायं जिसकी उनको जरूरत नहीं है और केवल यह कह दें कि कानून की व्यवस्था है। अगर इस प्रकार से इतने सारे रुपये देने की व्यवस्था पहले से बनी हुई है तो सरकार को उस व्यवस्था को बदलना चाहिये। कपड़ा धोने के लिए साबुन वगैरह की मांग करते हैं ऐसी कर्मचारियों की मांग है तो उसको पूरा करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की न्याय पूर्ण मांग को भी समय से पहले नहीं सुना है ·· ····

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

....उनका असन्तोष बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए समस्या को हल करना चाहिए, नहीं तो जैसे कि भाई श्योपत सिंह जी ने उदयपुर के खून से भरे हुए कपड़े रखे हैं। वह आपको पता है। सरकार डण्डे लेकर आयेगी। हम नहीं आयेंगे, आप डण्डे लेकर आयेंगे। मैं कहता हूं कि इस सरकार को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। या तो यह सरकार मांगें पूरी करे या इस्तीफा दे दे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडम्बना है? जो नेता हुकूमत में आने से पहले बड़ी-बड़ी बातें करते थे, लम्बे चौड़े वादे करते थे हुकूमत में आने के बाद उनका नजरिया बदल गया है। यह बहुत बुरी बात है। अध्यक्ष महोदय, सचिवालय की हालत क्या है। परसों और कल सचिवालय में किसी मन्त्री और किसी आफिसर को एक गिलास पानी पिलाने के लिए भी चपरासी नहीं था। चपरासियों की जगह बन्दूकधारियों और तोप धारियों का कब्जा था। ऐसा लगता था जैसे खुमैनी के लोगों ने कब्जा कर लिया

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

हो। मैने देखा तो मुझे सन् 1917 की रूसी क्रान्ति की याद आ गई। सारी की सारी आर. ए. सी. की टोपधारी पुलिस थी। सारे के सारे बाहर के लोग थे। आखिरकार यह क्या हो रहा है ? सचिवालय की हालत यह क्यों है कि एक चपरासी भी पानी पिलाने के लिए नहीं मिले। प्रदेश में करीब सभी महकमों में हड़ताल चल रही है। पशुपालन में हड़ताल चल रही है। इण्डस्ट्री विभाग में हड़ताल चल रही है। कोई महकमा ऐसा नहीं है जहां हड़ताल नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री जी से कहूंगा, अब तो आपकी पुलिस का नम्बर आ रहा है। अब आप उनको धमकाना शुरू कर रहे हैं, अनुशासन में रहना चाहिए। आप उनको अनुशासन में रहने के लिए कह रहे हैं। आप उनको उपदेश दे रहे हैं। आप में इतना शऊर नहीं है, आपमें इतनी तमीज नहीं है कि आप उनकी बात सुन सकें तथा उनकी समस्याओं का हल निकाल सकें। आप उनकी बात नहीं सुन सकते हैं। आप उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। आप डण्डा चलाये तो डण्डा उनकी समस्या का समाधान नहीं है। आपका डण्डा और गोली समस्या का समाधान नहीं है। यदि ऐसा होता तो आप यहां कुर्सी पर नहीं होते। आपको लोगों से बात करनी चाहिए। परसों जिन लोगों ने आपको वोट देकर भेजा है, आज उन्हीं से आपको एलर्जी हो गई है, यह ठीक नहीं है। सारा का सारा राजस्थान का प्रशासन डगमगा रहा है। आपके हाथ-पैर फूल रहे हैं। आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है। कभी भी आपको कुछ होता है। आपने शासन चलाने के लिए नये मंत्री बनाये हैं। यह शासन चला नहीं सकते हैं। कालवी साहब को आपने अधिक अधिकार सम्पन्न मन्त्री बनाया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ये उलटा आपका बेड़ा गर्क करेंगे। यह चलेंगे नहीं। फौज की फौज आ गई है। तुम्हारी नाव पर बन्दर सवार हो गया है। जिस नाव पर बन्दर सवार हो जाता है, वह डूब जाती है। जिस नाव पर बन्दर सवार हो जाये और ऊंट सवार हो जाये तो वह नाव बैठ जाती है। यह नाव डूबेगी। इस प्रशासन में कोई बहबूदी नहीं आयेगी।

(व्यवधान)

धमकाने से मामला नहीं चलेगा। यह हम मानते हैं कि आप पांच साल पूरे नहीं कर सकेंगे। गुजरात वाला नुस्खा आप चलायेंगे। पकड़ो-पकड़ो करेंगे। लेकिन आपकी पुलिस बागी हो रही है। पुलिस बगावत करने को तैयार हो रही है। आज सारे के सारे पुलिस कर्मचारी तैयार बैठे हैं। बीकानेर में तबादले को लेकर हड़ताल हो रही है। जोधपुर में पुलिस हड़ताल हो रही है। यह सच है राजस्थान के सारे के सारे कर्मचारी हड़ताल करेंगे। आपने सारा जोर लगा लिया, आपने तरह-तरह से सारे अपने परीक्षण कर लिये हैं, कोई भी काम नहीं आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चपरासी भी नहीं रहा है। आप सारे राजस्थान के प्रशासन की सुनहरी योजना बनाते हैं। आंकड़े बताते हैं, हम इतना ले आये, हम 700 करोड़ रुपया ले आये, हम 800 करोड़ रुपया ले आये। आपकी चिट्ठी लेकर जाने वाला कोई है ? आप उनकी मांगें मान लें। आपके हाथ

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

में मजिस्ट्रेट है, पुलिस है। नहीं मानते हैं तो इसका असर नहीं होगा। यह प्रजातन्त्र है। इसके अन्दर, इस व्यवस्था के अन्दर आप डण्डे से कुछ नहीं कर सकते हैं। आपसे ज्यादा तो जाट समझदार होता है। वह जानता है जिसका बैल कमजोर होगा, उसका हल कमजोर हो जाएगा। आपसे तो जाट अच्छा है। वह जानता है कि उसका बैल मजबूत होगा तो वह मजबूत होगा।

श्री मदनसिंह दांता : होम डिपार्टमेंट हरिसिंह जी को दे दीजिए।

श्री संपतराम : अच्छी बात।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

श्री अध्यक्ष : जानकारी को भेजा है। आप शासन पक्ष के हैं, माननीय सदस्य।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है। इसलिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, पांच मिनट बोल लें।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सचिवालय के सभी कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है। यह बहुत ही अफसोस की बात है। एक साल पूर्व उन्होंने जो मांगें सरकार के सामने रखी हैं उन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

कई माननीय सदस्य : शेम ! शेम !

श्री गुल मोहम्मद : मेरा निवेदन है कि उनकी मांगें वाजिब हैं। अगर वाजिब मांगें हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मानने में क्या दिक्कत है। कल पूरा सेक्रेटेरियेट बन्द था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपके ड्राइवर आपको कहीं का कहीं ले जाएंगे। आप यह बात अच्छी तरह से सोच लें। आपके ड्राइवर आपका अपहरण करेंगे। सभी मिनिस्टरों का अपहरण करेंगे। इसका आप ध्यान रखें।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगें ऐसी नहीं हैं जो मानी नहीं जा सकें। राजस्थान का शासन सचिवालय पूरे राजस्थान पर शासन चलाता है। सचिवालय के कर्मचारी अगर काम नहीं करते हैं तो पूरे राजस्थान पर असर पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी मांग यही है कि सचिवालय के अधिकारियों को विशेष वेतन दिया जाता है तो उन कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जाता है। सन् 1961 के पहले वह दिया जाता था। 1961 के बाद से वह बन्द कर दिया गया है। वह बन्द क्यों कर दिया गया है? उन सबकी यह मांग है। राज्य सरकार ने तय किया था कि 10 साल के बाद नये वेतन मण्डल की घोषणा की जाती रहेगी तो इस वाजिब मांग को क्यों नहीं मान लिया जाता है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

(श्री गुल मोहम्मद)

इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, साइकिल सवारों को भत्ता दिया जाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि ये किस प्रकार से बेरोजगारी दूर करेंगे ! एक एक साइकिल सवार, जो डाक ले जाने का काम करता था, को बन्द कर दिया गया है। उनको बन्द करके अधिकारियों को 75/- भत्ता दिया जाता है। क्या वे खुद डाक देने जाते हैं इसलिए साइकिल सवार नहीं रखे जाते ? इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, यह मेरी समझ में नहीं आता। जो आदमी एक छोटी सी तनख्वाह से अपने बच्चों का गुजारा चलाता था उसको आपने बन्द करके वह पैसा अधिकारियों को दे दिया—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या वह अधिकारी डाक देने जायगा ?

अध्यक्ष महोदय एक बात और कहना चाहता हूं। मैं आज सचिवालय में गया। वहां पर देखा कि चारों तरफ उन कर्मचारियों, जो सचिवालय में काम कर रहे हैं, के लिए एक ऐसा वातावरण बना रखा है कि सचिवालय एक पुलिस की छावनी बन कर रह गया है। मैं पूछता हूं कि क्या आवश्यकता थी इतनी पुलिस की ? आप उनको डराना और धमकाना चाहते हो। प्रत्येक मन्त्री के दरवाजे पर पुलिस के आदमी बैठा रखे हैं। वे लोग कोई अनुशासनहीनता नहीं कर सकते हैं। कनिष्ठ लिपिकों की मांग है, कनिष्ठ लिपिकों को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं से मुक्त करने की। जिन लोगों को एडहाक नियुक्तियां दी गई हैं, जिन्हें काम करते पांच साल हो गए हैं, जिनको पांच साल का एक्सपीरियेन्स हो गया है उसके बाद उनसे कहा जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से परीक्षा पास करनी पड़ेगी। बड़ी अजीब बात है।

उनकी छोटी-छोटी मांगें हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, उनको मान लेना चाहिए। मुझे आशा है सरकार इस पर तुरन्त कार्यवाही करेगी, इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने सरकारी कर्मचारियों की मांगों और उनकी हड़ताल की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस बारे में निवेदन है कि समय-समय पर कर्मचारियों की मांगों पर सरकार विचार करती रही है। अभी थोड़े दिन पहले हमने निश्चय किया है और तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जिसमें माननीय माणकचन्दजी सुराणा, श्री ललितकिशोरजी और डाक्टर हरिसिंह जी हैं, उसमें हमने सचिवालय कर्मचारियों और अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी शामिल किया है। उसकी 4-5 मीटिंग भी हो चुकी हैं। आज भी चार बजे उनको बुलाया गया है। उनकी जो भी सरकार उचित मांग समझेगी और जितना कुछ कर सकती है उस पर विचार करेगी। इस समय मैं फाइनली कुछ भी कहना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि उनकी मांगें विचाराधीन हैं।

श्री मूलचन्द डागा : एक साल तक आपने उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया। कर्मचारी

(श्री मूलचन्द डागा)

हड़ताल पर क्यों गए ? इसका कारण यही है कि एक साल तक आपने सुना नहीं और मुख्य मन्त्रीजी ने उनको मुगालते में रखा। आज वे सड़क पर आ गए हैं और काम काज ठप्प कर दिया है। आश्चर्य है आप कहते हैं कि कमेटी बना दी। भगवान ही जानता है कि वह कमेटी क्या करेगी और कब तक निर्णय लेगी ? यह तो कुछ बताया नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : यह मामला सब-जुडिस है इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते।

श्री नूरा : इस समस्या को सुलझाने के लिए कमेटी ने क्या-क्या प्रयास किए हैं ? क्या हल हैं आपके पास ? आज वे हड़ताल कर के सड़कों पर आ गए हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मन्त्री, संसदीय कार्य) : This is not question hour.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि किसी भी मांग को तय करने के लिए उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए और उनसे भी राय लेनी चाहिए, क्या सरकार इस बात पर भी विचार करती है कि असली प्रतिनिधि कौन है ?

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव है, केशोरायपाटन की घटना के सम्बन्ध में—

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन की घटना के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव है ...

श्री अध्यक्ष : दो बजने वाले हैं, माननीय सदस्य। दस-पांच मिनट बोल लीजिए। बुन्दू पर है क्या ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : हां।

शासकीय वक्तव्य

केशोरायपाटन (जिला बून्दी) में पुलिस की हिरासत में बुन्दू खां नामक व्यक्ति की मृत्यु

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेटमेंट दे दूं, आप इजाजत दें तो।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जब मैं खड़ा हुआ तो गृह मन्त्रीजी को स्टेटमेन्ट देने की बात याद आई है।

श्री अध्यक्ष : यह हितकर होगा, पहले आप स्टेटमेंट सुन लें, बाद में आपको बोलने का अवसर दूंगा।

श्री श्योपतसिह मकासर : मरने वाला हरिजन तो नहीं है ? यह बता दें।

श्री सम्पतराम : न तो हरिजन है और न जाट है।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान का एक गरीब आदमी है जो मारा गया है पुलिस से।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन जिला बून्दी में दिनांक 27-28 फरवरी को मध्य रात्रि को कालू व सुलेमान की दुकानों में नकबजनी हुई जिसका अभियोग थाना केशोरायपाटन में मुकदमा नं० 26/79 धारा 457, 380 आई. पी. सी. में दर्ज हुआ। तफतीश पर इस वारदात का शक रामदेवा, मोहम्मद सलीम, छोटिया और बुन्दु पर होने के कारण इन चारों को दिनांक 4.3.78 को दिन में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम सलीम की सूचना पर उसकी निशानदेही से चोरी का कैश वावस उसी रोज बरामद कर लिया गया। मुलजिम बुन्दू ने भी चोरी स्वीकार करते हुए माल बरामद कराने की सूचना दी मगर रात हो जाने के कारण बरामदगी नहीं की गई।

उसी रात करीब 12 बजे मुलजिम बुन्दू ने अपने सीने में दर्द होने की शिकायत की। केशोराय पाटन के डाक्टर के कोटा चले जाने के कारण बूंदी से जीप मगवा कर थाना प्रबंधक मुलजिम बुन्दू को लेकर रात्रि को 1·30 बजे बून्दी रवाना हुए मगर रास्ते में ही बुन्दू की मृत्यु हो गई। बून्दी पहुंचने पर थाना प्रबन्धक ने इसकी सूचना जिलाधीश बून्दी को दी और शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल में रखवा दिया। जिलाधीश बून्दी ने एस. डी. एम. बून्दी को तत्काल जांच हेतु नियुक्त किया तथा शव परीक्षण हेतु 3 डाक्टरों के बोर्ड का गठन किया गया। डाक्टरों ने शव का परीक्षण किया और बुन्दू की मौत का कारण दोनों फेफड़ों तथा आंतों में क्षय रोग होना बताया।

दिनांक 5.3.79 को प्रातः बुन्दू की मौत का समाचार सुन कर केशोराय पाटन थाने के सामने सैंकड़ों लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने थाने के हैड कांस्टेबल को घसीटा, थाने पर पथराव किया। पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया मगर भीड़, जिसकी संख्या करीब दो-ढाई हजार थी, जबरदस्ती थाने में घुस गई। उन्होंने थाने में आग लगा दी। बैरकों से कर्मचारियों का सामान निकाल कर उसमें भी आग लगा दी। इस पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए तथा आत्म रक्षार्थ अश्रु गैस छोड़ी। परन्तु भीड़ पुलिस कर्मचारियों पर पथराव करती रही, जिस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर बलवाइयों को तितर-बितर कर दिया।

सूचना मिलते ही जिलाधीश, उप जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक बून्दी से केशोराय पाटन पहुँचे। प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि जांच उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी।

मृतक बुन्दू के रिश्तेदारों ने डाक्टरी जांच द्वारा बताई गई मौत की वजह से सन्तुष्ट न होकर शव की दुबारा जांच की मांग की है जिस पर जिलाधीश द्वारा शव का पुनः परीक्षण कोटा के डाक्टरों द्वारा कराने के आदेश दिए हैं, जहां आज दुबारा शव-परीक्षण किया जा रहा है।

इस घटना में 24 पुलिस कर्मचारियों के चोटें आई हैं तथा पुलिस स्टेशन सहित 26 पुलिस कांस्टेबिलान का सामान जला

(श्री सम्पतराम)

दिया गया है। पुलिस ने कुल 28 अश्रु गैस के गोले छोड़े हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अभी जो गृह मन्त्रीजी ने स्टेटमेंट किया है उसके कई मुद्दों से हम सहमत नहीं हैं। बुन्दू के लिए कहा गया कि 4 तारीख को नकबजनी के मामले में गिरफ्तार किया गया। चाहे कागजों में पुलिस ने 4 तारीख दिखाई होगी लेकिन पुलिस उसको एक तारीख को पकड़ कर ले गई। एक से लेकर चार तारीख तक, जब तक वह मर नहीं गया, पुलिस ने निरन्तर उसको पीटा एवं उसको अपने कब्जे में रखा। हमें यह सूचना मिली है। मुझे यह स्पष्ट बताया गया एवं उपरोक्त तथ्य से यह घोषित है कि बुन्दू की थाने में बहुत बुरी तरह से निर्मम पिटाई हुई। पिटाई बरदाश्त नहीं कर सका और पिटाई होने की वजह से वह मारा गया। आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी यदि नकबजनी करने वाला हो या चोर हो या आदम अपराधी हो, क्या उसकी मदद के लिए या खेद प्रकट करने के लिए एक दो हजार आदमी इकट्ठे हो सकते हैं? निश्चित तौर से उस आदमी का आचरण ऐसा नहीं था। पुलिस उसको शक में पकड़ कर ले गई, उसको 4 दिन अपने कब्जे में रखा व उसकी निर्मम पिटाई की। कहते हैं कि उसको टी० बी० थी एवं इस बीमारी के कारण ही मौत हुई है। अगर उसकी टी०बी० इतनी एडवान्स्ड स्टेज की थी तो जरूर उसने दर्द की शिकायत की होगी। उसको खून की उल्टियां भी हुई होंगी। उसके बाद फिर कोई इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? जब निर्मम पिटाई हुई तो उसकी हालत ऐसी होनी ही थी। इन्टरनल चोटों से जब हालत मरने जैसी हो गई तब उपचार की प्रक्रिया शुरू हो गई। स्वाभाविक बात है जब ऐसी बात हो जायगी, किसी की थाने में नाजायज पिटाई होगी तो भीड़ इकट्ठी होगी। हो सकता है कि पुलिस और जनता के बीच खींचातानी हो गई होगी। पुलिस ने वहां भीड़ को तितर-बितर करने को लाठी चार्ज किया। जनता वहां से जुलूस बनाकर तहसील में गई। वहां जुलूस सभा में परिवर्तित हो गया। वहां भाषणों का कार्यक्रम चलता रहा ताकि लोगों को वास्तविकता बता सकें कि क्या हुआ है।

हमें सूचना मिली है तथा राष्ट्रदूत में समाचार छपा है, उसमें विस्तार से लिखा है कि "श्री बुन्दू की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई की गई, पुलिस की बर्बरता के विरुद्ध आज नागरिकों ने मौन जुलूस निकाला जो तहसील मुख्यालय के निकट एक आम सभा में परिवर्तित हो गया। इस शांत जुलूस पर पुलिस ने अचानक लाठी चार्ज किया और अश्रुगैस छोड़ी और दुकानों के आस-पास नागरिकों को बेरहमी से पीटा। इसका मतलब यह है कि थाने में आग जनता ने नहीं लगाई। यह आपकी रिपोर्ट झूठी है। जब मौन जुलूस वहां की तहसील पर गया और आम सभा में परिवर्तित हो गया तब वहां लाठी चार्ज करने और अश्रुगैस छोड़ने का मामला समझ में नहीं आता। यह तो स्पष्ट है कि पुलिस ने बिल्कुल ज्यादती की। निर्मम पिटाई की वजह से बुन्दू की पुलिस के हाथों से मौत हो गई। उस मामले को दबाने के लिए सारी कार्यवाही की गई। थानेदार वहां से भग गया, अब लौट कर आया या नहीं—यह आपकी

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जानकारी में होगा किन्तु आपने बताया नहीं। आपने कहा कि दुबारा डाक्टरी मुआयने के आदेश दे दिये हैं, अच्छी बात है। उससे जो तथ्य होंगे आगे सामने आयेंगे। इसके अलावा पुलिस ने गलत कार्यवाही की है नागरिकों के साथ, उनकी पिटाई की एवं आम सभा पर लाठी चार्ज किया है। आप उनकी पूरी जांच करायें कि लाठी चार्ज कब कब हुआ, जनता के कितने लोगों के चोटें आईं, कितनों का इलाज हुआ। यह समस्त रिपोर्ट सदन में सदस्यों की जानकारी के लिए प्रस्तुत करें।

श्री मूलचन्द डागा : बुन्दू को जब पुलिस कस्टडी में लाया गया तो 24 घन्टे के अन्दर किस मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया गया? मजिस्ट्रेट ने क्या तहकीकात की? मजिस्ट्रेट ने उसका बदन देखा उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसको कहां भेजा? रिमांड में क्या कारण बताए गए? रिमांड के बाद कौन अधिकारी था जिसने उसको लाक-अप में रखा? फिर उसकी हत्या हो गई तो किसने उसकी रिपोर्ट दी?

श्री ईश्वरचन्द्र : मुझे केशोराय पाटन के माननीय सदस्य से बात करने का मौका मिला है। मेरा निवेदन है कि बुन्दू का जो पोस्ट मार्टम किया गया तो उसके शरीर पर एक्सटर्नल इन्जरीज थीं या नहीं? दूसरे, कितने नागरिक लाठी चार्ज में घायल हुए? आपने कृपा कर के बताया कि 28 गोले पुलिस ने छोड़े और 26 पुलिस वाले घायल हुए। आप यह भी बतायें कि कितने नागरिक घायल हुए? मेरी सूचना के आधार पर काफी संख्या में नागरिक घायल हुए हैं और गम्भीर रूप से घायल हुए हैं।

दूसरे, सरकार ने बुन्दू के परिवार को मुआवजा देने के बारे में क्या दिमाग बनाया है? कब तक मुआवजा दिया जाएगा?

इसके साथ एक बुनियादी सवाल और जुड़ा हुआ है। वह है पुलिस थाने में टार्चर को रोकना। बुन्दू कोई हेबीचुअल आफेंडर नहीं था, कंजर या सांसी नहीं था…………

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मंत्री) : हमारे साथ वह जेल में रहा है, आपको पता ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य की बात सुन लीजिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : पुलिस थानों पर इस तरह टार्चर कब तक चलाऊ करेंगे? इसमें संदेह नहीं कि वह क्षय रोग से नहीं मरा है, T. B. may be one of the factors लेकिन उसकी दशा पुलिस की मारपीट से बिगड़ी होगी। जैसी माननीय सदस्य ने इंगित किया, अगर मौन जुलूस था, तो फिर आम सभा पर क्यों लाठी चार्ज किया गया? क्या पहले वहां पर धारा 144 लगाई गई? सबको प्रतिबंधित किया? क्या उन्होंने आदेश नहीं माने इस कारण उन पर लाठी चार्ज किया? पिछले दिनों से हमारी पुलिस शायद हमारे नियंत्रण से बाहर जाकर बार-बार लाठी और गोली का प्रयोग कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को पुलिस पर नियंत्रण रखना होगा, थाना आपका जल गया तो वह दुबारा बन सकता है और रिकार्ड जल गया तो वह रीकन्सट्रक्ट हो सकता है, लेकिन किसी की टांग टूट गई,

(श्री ईश्वरचन्द्र)

कोई अपाहिज हो गया पुलिस के डण्डे से तो वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। इसलिए पुलिस पर थोड़ा प्रभावी नियंत्रण करें और जो गोली व लाठी चार्ज की घटनायें जनता राज में शुरू हुई हैं उन पर रोक लगायें।

श्री माणकलाल ठाकौर (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बून्दी जिले का विधायक हूं। मुझे निश्चित रूप से जानकारी मिली है टेलीफोन द्वारा कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक एक नकबजनी का सम्बन्ध है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, उसका रिमांड लेना है तो यह न्याय की बात है। जैसा माननीय भटनागर ने कहा, किसी व्यक्ति का केवल संदेह के कारण टार्चर किया गया, कत्ल किया गया। सामाजिक दृष्टि से एक कमजोर वर्ग का आदमी है, उसने नकबजनी की है या चोरी की है, इसका क्या प्रमाण है? बुन्दू नामक व्यक्ति के साथ पुलिस ने यह जानते हुए कि वह क्षय का मरीज है और साधारण टार्चर से उसकी मृत्यु हो सकती है, मारपीट की। मृतक क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण उसके साथ मारपीट करना एक अधिक गंभीर जुर्म हो जाता है और 304(ए) ताजीरात हिन्द में स्पष्ट जुर्म बनता है। यदि थाने में आग लगाते समय, पुलिस के साथ मारपीट, करते समय या थाने पर आक्रमण करते समय जनता के साथ कोई कार्यवाही की गई होती तो समझ में आ सकता था। उस समय कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में बदले की भावना से कार्यवाही की गई। थानेदार लोग समझते हैं कि हमें इस बात का अधिकार है। थाने पर जो आता है, उस समय उन पर कोई जाब्ता फौजदारी कानून लागू नहीं होता है। उनको जान लेने का पूरा अधिकार है। अगर जनता उसके विरुद्ध असंतोष प्रकट करती है या प्रदर्शन करती है तो पुलिस बदले की भावना से काम करती है। इसलिए जैसा कि एक माननीय सदस्य, जिन्होंने 'ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा, ने कहा कि थाने के सामने पुलिस किसी तरह का बल प्रयोग करती या किसी तरह का लाठी चार्ज करती या अश्रु गैस का प्रयोग करती तो समझ में आ सकता है। लेकिन उस जगह पर जाकर पुलिस ने लाठी चार्ज किया या अश्रु गैस का प्रयोग किया है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। माननीय गृह मन्त्री जी····

श्री मदनसिंह दांता : बुन्दू ने चोरी की उसमें थानेदार शामिल था··· ····

श्री माणकलाल ठाकौर : ·······हमारा जो गृह मन्त्रालय है मैं कहता हूं कि हम कभी भी आरोप नहीं लगायेंगे कि गृह मन्त्री महोदय ने या आई० जी० पुलिस ने आदेश देकर उस व्यक्ति को मरवाया है। लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गयी, उसका कत्ल हो गया उसके बाद लाठी चार्ज हो जाने के बाद, अश्रु गैस का प्रयोग हो जाने के बाद अगर हमारे गृह मन्त्री महोदय पुलिस का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से साथ देते हैं और पुलिस द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट मान कर बयान देते हैं तो यह दुर्घटना जो अभी हुई है या भविष्य में हो सकती है, को प्रोत्साहन देने का आपके ऊपर आरोप लगाता हूं। अगर समय पर 'नैनवा' जैसे काण्ड में दोषी व्यक्तियों को

(श्री माणकलाल ठाकोर)

दण्डित नहीं किया जाये और उसी प्रकार से अगर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों को समय पर नहीं रोका जाये, जालिम के हाथों को समय पर नहीं रोका जाय और समय पर नहीं काट दिया जाय तो मैं कहता हूं कि ये हाथ, जो कि तथाकथित असामाजिक तत्व के विरुद्ध उठे हैं एक दिन विधायकों के ऊपर भी उठ सकते हैं और माननीय सम्पतराम ज़ी के ऊपर भी उठ सकते हैं। इसलिए जालिमों का जो अन्याय है उसको समय पर रोक दीजिए। मैं स्पष्ट निवेदन करता हूं कि आप'केवल ए. डी. एम. और....

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

एस. डी. एम. से जांच करा कर सन्तुष्ट होना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच या तो विधायकों की समिति से कराई जाये या फिर इसकी कोई न्यायिक जांच कराई जाये। एस. डी. ओ. कभी किसी पुलिस अधिकारी या एस. पी. के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दे सकता और कलेक्टर किसी रूप में सही निर्णय नहीं दे सकता। इसलिए विधायकों की एक समिति बनाई जाये या फिर किसी उच्च न्यायालय के जज से नहीं तो किसी सत्र न्यायाधीश से ही इसकी जांच करायें.......

श्री मदनसिंह दांता : मुझे सूचना मिली है कि इस चोरी में थानेदार का भी हाथ था और उसने कहा तो उसको मार दिया।

श्री माणकलाल ठाकोर : ....पुलिस पर हत्या का मामला है। इसी प्रकार नैनवा में हुआ है। वहां सरपंच को टार्चर किया गया। अगर उसको भी नहीं रोका गया तो कल ही स्थगन प्रस्ताव आयेगा कि सरपंच की हत्या कर दी गयी। इसलिए आप समय पर इन घटनाओं को रोकें। यह बिलकुल गम्भीर मामला है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष जी, गृह मन्त्री जी से कुछ पूछना चाहूंगा........

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी बून्दी जिले से एक विधायक हूं। पाटन की घटना के बारे में मुझे पूरी जानकारी है। मैंने बून्दी टेलीफोन द्वारा बात की कि वहां किस तरह से घटना घटी। बुन्दू की हत्या पुलिस ने की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों भी पाटन में पुलिस ने गम्भीर अत्याचार किये। कापरेन में भी लाठी चार्ज हुआ और पुलिस कहती है कि हमने कोई लाठी चार्ज नहीं किया। मेरा निवेदन करना यह है कि अगर इस प्रकार पुलिस द्वारा बराबर अत्याचार होते रहे तो मेरा निवेदन यह है ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यान आकर्षित हो गया सरकार का। माननीय सदस्य, अब चर्चा नहीं होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, कुछ सवाल हैं........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हां ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले कांग्रेस शासन में जो भी पुलिस कस्टडी में लोग मर जाते थे उनके लिए तय किया गया था कि जो भी पुलिस कस्टडी में मारा जाएगा, सारे के सारे स्टाफ को, चाहे जो भी उसका जिम्मेदार हो, सबसे पहले सस्पेण्ड किया जायेगा। तो गृह मन्त्री जी बतायें कि आपने उनको अभी तक सस्पेण्ड क्यों नहीं किया जब कि यह डिसीजन हो चुका है और सरकार का फैसला है ।

दूसरी बात मेरी यह है कि अभी हमारे माननीय मन्त्री ललितकिशोर जी कह रहे थे कि वह तो बहुत बदमाश था। सुन्दर डाकू क्या था ? सूर्यनारायण जी, आपको मालूम है कि आपके आई. जी. जेल में पड़े हैं। किसी आदमी को जान से मार दो और ऊपर से हंसो, मुझे अफसोस है इस बात का ....

श्री अध्यक्ष : बस, माननीय सदस्य, हो गया अब ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तीसरे.... ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें कृपया ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तीसरे यह बतायें कि उससे कोई सामान भी बरामद हुआ या नहीं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कह दिया नहीं हुआ ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था....

श्री मदनसिंह दांता : He cannot speak on two motions at a time. He has already spoken on one.

श्री अध्यक्ष : मैं सुन तो लूं, माननीय सदस्य ।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, इनको थोड़ा आप समझाइये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। मैं गृह मन्त्री जी से दो जानकारी चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : कौन सा था ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसी पर बून्दी में जो हिरासत के अन्दर पुलिस वालों ने मार दिया ।

श्री अध्यक्ष : सरकार को जानकारी के लिए भेजा है ।

श्री रामनारायण चौधरी : सबको इजाजत दे दी और मुझे नहीं दी ।

श्री अध्यक्ष : यह इसी तरह का मामला है। अगर हिरासत में पुलिस द्वारा कोई व्यक्ति मर गया तो 5 मिनट बोल लीजिए ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट भी नहीं लूंगा, 2 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा ।

श्री मदनसिंह दांता : On a point of order, Sir. I invite your kind attention to rule No. 295. इस रूल के अन्तर्गत अधिकार है कि इनको

(श्री मदनसिंह दांता)

बोलने ही दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, आप अपने अधिकारों में लूजनैस मत कीजिए। जो आपके नियम हैं उनको लूज करते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, नियमों का उल्लंघन होता रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है वह वास्तविक है।

श्री रामनारायण चौधरी : कौन से माननीय सदस्य का ? मेरा या इनका ? अध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रदूत में पढ़ा, उसके बाद मुझे इसी सदन के बहुत लम्बे अर्से तक रहे माननीय सदस्य से जानकारी मिली कि इस प्रकार से पुलिस ने लाठी चार्ज किया और अश्रुगैस का प्रयोग किया। पुलिस हिरासत के अन्दर एक व्यक्ति को मार दिया। मान्यवर, मरने वाला सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कि एक माइनोरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति है। यदि आज कोई पंडित या सेठ मारा गया होता तो, मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के अन्दर हंगामा हो गया होता.... ....

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जातिवाद चला रहे हैं। वहां एस. एच. ओ. भी स्वयं मुसलमान है। आप सार्वजनिक दंगा फैलाते हैं।

(व्यवधान)

हिन्दू और मुसलमानों में भेदभाव कर के सारे हिन्दुस्तान में रोइट्स करवा रहे हैं कांग्रेसी लोग।

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : श्रीमान्, यह पार्टी पर दोष लगा रहे हैं।

श्री मूरा : कोई भी बिरादरी का हो, इसकी जांच होनी चाहिये। पुलिस की हिरासत में मरा है।

श्री रामनारायण चौधरी : बूंदी जिले से आने वाले माननीय ठाकौर साहब ने प्रस्ताव किया है कि इस सदन की एक कमेटी बनाई जानी चाहिये। माननीय ठाकौर साहब ने जो प्रस्ताव किया है उस प्रस्ताव पर गौर करें। हमारे पर विश्वास नहीं है तो यह भी संशोधन रखने के लिये तैयार हूं कि जिन को वे चाहें उन को रख लें। इसकी जांच करवाई जानी चाहिये। क्या यह सही नहीं है कि 1-3-79 को सलीम, रामदेव और बुन्दू खां को हिरासत में लिया गया था और थाने में हिरासत में लिया जाना नहीं दिखाया गया था ? 4-3-79 को फिर गिरफ्तार किया गया। चार और पांच की रात को खूब बुरी तरह से पीटा गया। वह थाने में मर गया तो थाने में मरा हुआ नहीं बता कर उसको बूंदी ले जाया गया। और वहां मरे हुए की कार्यवाही की गई। बारां की घटना का खून अभी सूखा नहीं है, उदयपुर के श्री बलवन्तसिंह मेहता, राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री, सर्वोदय नेता, स्वतन्त्रता सैनानी को आपने पिटवाया, वह आपने मामूली सी बात बताई। पुलिस कस्टडी....

एक माननीय सदस्य : तुर्कमान गेट....

श्री रामनारायण चौधरी : मुझे अफसोस है.......

(व्यवधान)

(86)

श्री नूरा : तुर्कमान गेट की बात कह कर रोक नहीं सकते। इसकी भी इन्क्वयारी होनी चाहिये........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जवाब नहीं देना चाहते हैं।.......

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मौके पर जाये। माननीय मन्त्री महोदय द्वारा आज ही घोषणा की जानी चाहिये, माननीय ठाकौर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाये उसमें सरकार माननीय सदस्यों को ले। वह कमेटी मौके पर जाकर फैक्ट फाईंडिंग करे कि वास्तव में मामला क्या था.......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इधर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देते रहे, उधर पुलिस कत्ल करती रहे, इसको बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। गृह मंत्री जी पंगु हैं, नाकाबिल हैं। लगातार चार दिनों से बुरी तरह से राजस्थान की पुलिस ने अत्याचार मचा रखा है और आप यहां कह रहे हैं कि मामूली सी घटना हो गई। मैं मांग करता हूं कि श्री ठाकौर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जानी चाहिये।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के माननीय सदस्यों ने पुलिस कस्टडी में मरे बुन्दूखां के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं समझता हूं इस तरह की घटना के लिए आई० पी० सी० बनाने वाले लोगों ने भी सोचा था। अगर पुलिस कस्टडी में कोई भी आदमी मर जावे, क्यों मरा, पुलिस ने मारा, या कैसे मरा, उसके लिये उसमें खास तौर से यह व्यवस्था की गई है कि उसकी मजिस्टीरियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। उस मजिस्टीरियल इन्क्वायरी का आर्डर दे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि इस इन्क्वायरी में बाकायदा इत्तला दी जाती है, उसके रिलेशन्स को, लड़कों को सबको इत्तला दी जाती है, एवीडेन्स रिकार्ड होती है। उसकी डिटेल्ड में इन्क्वायरी होने के बाद जो कुछ भी तथ्य हमारे सामने आयेंगे, उनके आधार पर निर्णय लेंगे। जब मालूम पड़ा कि मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं है तो डाक्टरों की कमेटी बनाई गई। उसके बाद आपत्ति उठाई। आपकी मौजूदगी के अन्दर कोटा ले जाया गया। कोटा के अन्दर दुबारा पोस्टमार्टम हो रहा है। पुलिस हो, चाहे कोई हो, कानून के दायरे में सब बराबर हैं। जिस किसी की गलती है, उसको स्पेयर नहीं किया जायेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उन लोगों को सस्पैण्ड किया जाये। इस तरह का फैसला सदन में लिया जा चुका है। अगर सस्पैण्ड नहीं करते ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल चर्चा का नहीं है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : क्या अधिकारी के रहते हुए कोई भी जांच की जा सकती है.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री बजरंगलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री लालूदास।

(अनुपस्थित)

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। माननीय मन्त्री महोदय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मन्त्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मैं आपत्ति कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको आपत्ति करने का समय दूंगा। मुझे सूचना मिली है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप प्रतिवेदन को पूरा पढ़िये। अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्रतिवेदन को पढ़ा जाए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सक्यूंलेट हो गया है। मैं पढ़ देता हूं।

राजस्थान विधान सभा
कार्य सलाहकार समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 5 मार्च, 1979 को अपराह्न 1.00 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि 6 मार्च, 1979 से 15 मार्च, 1979 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये—

मंगलवार, दिनांक 6 मार्च, 1979	बजट पर सामान्य वाद विवाद
बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 1979	
गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 1979	
शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 1979	
शनिवार, दिनांक 10 मार्च, 1979	

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

रविवार, दिनांक 11 मार्च, 1979
सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 1979
मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 1979
बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 1969 } बैठक नहीं होगी

व गुरुवार को बजट पर सामान्य वाद-विवाद और सरकारी उत्तर।

ह० लक्ष्मण सिंह

पदेन सभापति।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। आपके दल के नेता महोदय ने इस सम्बन्ध में सहमति प्रकट की है।

व्यवस्था का प्रश्न

अशासकीय कार्य के लिए समय का नियतन

श्री मूलचन्द डागा : मैं उस बात को मानता हूं लेकिन आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि नियमों का उल्लंघन कोई समिति नहीं कर सकती है। नियमों का उल्लंघन करती है तो मेरा फर्ज है कि आपका ध्यान उस ओर दिलाऊं। श्रीमन्, आपके दो निर्णय हो चुके हैं। मैंने रूल 23 की ओर आपका ध्यान दिलाया है। मैंने यह देखा इस बार कि जो आपने अजेन्डा रखा था पहले, वह यह नहीं था। जब शुरू में प्रोग्राम रखा था 26 तारीख को तो आपने आल्टरनेट फ्राइडे एक दिन प्राइवेट मैम्बर्स डे रखा था। मैंने दो बार कहा था कि रूल 23

श्री रघुनन्दन व्यास : डागा जी, It is not private........

श्री मूलचन्द डागा : रूल 23 में यह प्रोविजन है कि आप आल्टरनेट फ्राइडे प्राइवेट मैम्बर्स के लिए रखेंगे। यह रूल 23 है। श्रीमन्, आपने पिछले अधिवेशन में यह बताया था कि मैं अपने टाइम में इसकी पूरी अनुपालना करूंगा और कराऊंगा क्योंकि सदन में प्राइवेट मैम्बर्स डे के बिना हम अपनी बात रख नहीं सकते, कोई अपना रिजोल्यूशन रख नहीं सकते हैं। रूल 23 में यह है :

"The last two and a half hours of a sitting on each alternate Friday shall be allotted for the transaction of private members' business;

Provided that the Speaker may allot different such Fridays for the disposal of different classes of such business and on such Fridays so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence :

Provided further that the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot any day other than such Friday for the transaction of private members' business."

पहले पहल जब प्रोग्राम निकला 21 तारीख को, जो प्रोग्राम निकला हुआ था उस प्रोग्राम में आपने कृपा कर के शुक्रवार दिनांक 9 को ढाई बजे गैर सरकारी कार्य रखा था। यह तो पहले प्रोग्राम निकला है, 21 फरवरी, 1979 को सचिवालय से जो कार्यक्रम निकला है, उस कार्यक्रम में शुक्रवार के रोज नियम के अनुसार आपने कृपा कर के प्राइवेट मैम्बर्स

[श्री मूलचंद डागा]

के लिये समय रखा था। पहला फ्राइडे चला गया दूसरा फ्राइडे है, उस दिन भी आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा रख दी। ये दोनों दिन चले गये, फिर आ जायेंगे होली के दिन। तो, श्रीमान्, जो प्राइवेट मैम्बर्स डे होता है इस पर हमारा अधिकार है। पिछले सत्र में आप रूलिंग दे चुके हैं कि मैं प्राइवेट मेम्बर्स डे को महत्व दूंगा। अभी रूल्स कमेटी ने रिकमन्डेशन्स की हैं कि पूरा दिन लिया जाय। तो फिर यह रूल 23 किसलिये है? हम अपनी कोई बात कह नहीं सकते और सरकार अपना बिल ले आये और पास करवा लें। रूल 23 में मेन्डेटरी है कि प्राइवेट मैम्बर्स डे एक दिन रखें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कोई निर्णय देती है तो वह नियमों के विरुद्ध है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको अमेन्ड किया जाय और वापस विचार किया जाय कि प्राइवेट मैम्बर्स डे होगा या नहीं होगा। फर्स्ट फ्राइडे चला गया, सेकिन्ड फ्राइडे चला गया, दोनों चले गये इसलिये मैं आपका ध्यान रूल 23 की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय डागा जी की आपत्ति बहुत इम्पार्टेंट है। यह नियम स्पष्ट है। जब तक इसमें संशोधन नहीं करवाया जाता अथवा नियमों को सस्पैन्ड नहीं करवा लें तब तक प्राइवेट मैम्बर्स डे रखना आवश्यक है। अभी विधि मंत्री जी ने और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर महोदय ने जो प्रस्ताव किया है कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त की जाय, वह प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। पहले नियमों में संशोधन करवाना पड़ेगा। नियम 23 के रहते हुए यह प्रस्ताव, मान्यवर, नहीं रखा जा सकता है। नियमों की रक्षा आपके हाथ में है, नियम समिति के आप अध्यक्ष हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के आप स्वयं चेयरमेन हैं। यहां पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर यह प्रस्ताव करें तो मैं समझता हूं यह नियम के विपरीत है बल्कि नियम के विपरीत ही नहीं सदन की परम्पराओं के भी विपरीत है। इसलिये बिना संशोधन करवाये, किस प्रकार का यह प्रस्ताव पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर लाये हैं।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचंद जैन : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय डागा जी ने आपत्ति प्रस्तुत की है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनकी जो आपत्ति है, उस पर मैं व्यवस्था दे दूं फिर आपको कुछ कहना है वह भी सुनूंगा, आपको अधिकार है।

श्री वृद्धिचंद जैन (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष जी, यही तो निवेदन करना है कि रूल 23 के अन्तर्गत जो माननीय डागा जी ने सुझाव प्रस्तुत किया है, उसका मैं भी समर्थन करता हूं। मैं बराबर देख रहा हूं कि प्राइवेट मैम्बर्स डे को महत्ता नहीं दी जा रही है। गत सत्र में भी यह स्थिति हुई है। पार्लियामेंट में भी बराबर प्राइवेट मैम्बर्स के बिजनेस पर डिस्कशन के लिये दिन रखा जाता है। लगातार वहां प्राइवेट मेम्बर्स डे

(श्री वृद्धिचंद जैन)

अलाट किया जाता है, और डे अलाट किया जाकर डिस्कशन किया जाता है। यहां पर यह परिपाटी चलती रही है। अब इस नियम का उल्लंघन करके प्राइवेट मैम्बर्स डे को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, रूल 23 के अनुसार प्राइवेट मैम्बर्स डे नियत किया जाय। प्राइवेट मेम्बर्स के बिजनेस के लिये फ्राइडे एप्रोप्रियेट होता है, वह रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण श्री डागा जी, श्री रामनारायण जी चौधरी, श्री वृद्धि चन्द जी जैन ने जिस समस्या की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है वह एक ऐसी समस्या है जिसके प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है। मैं समझता हूं कि यह सदन का अधिकार है कि नान आफिशियल बिजनेस शुक्रवार के दिन रखा जाय किन्तु बिजनेस एडवाइजरी कमेटी-कार्य सलाहकार समिति का यह सर्व सम्मति से निर्णय है। अब यह भी इस सदन के समक्ष है। अगर माननीय सदस्य अपना कोई अमेन्डमेंट रखना चाहते हैं और उसे प्रेस करते हैं तो इसके ऊपर भी सदन का मत जानने के लिये व्यवस्था दूंगा। अन्यथा आप तीनों माननीय सदस्यों के नेता महोदयों ने जो सर्व सम्मति से निर्णय लिया है, मैं कार्य सलाहकार समिति का पदेन सभापति हूं लेकिन कार्य सलाहकार समिति का जो सर्व सम्मति का निर्णय है, उसके ऊपर मैं कोई निर्णय दूं, यह मैं उचित नहीं समझता हूं।

दूसरे प्रोविजो के सम्बन्ध में जो मेरा ध्यान आकर्षित किया है, उसके साथ भी मेरी पूर्ण सहानुभूति है ...

"Provided further that if there is no sitting of the House on such Friday, the Speaker may direct that two and a half hours on any other day in the week may be allotted for private member' business."

मैं इस बारे में भी पूर्ण सजगता बरतूंगा। आपके अधिकारों को अक्षुण्ण रखने के लिए पूर्णतया सजग और सतर्क रहूंगा।

श्री मूलचंद डागा : मैं आपके इस आश्वासन पर अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन को स्वीकृति दी जाय ?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

धन्यवाद !

घोषणा

आय-व्ययक (बजट) 1979-80 पर सामान्य वादविवाद के लिये समय का विभाजन

बजट पर वादविवाद के लिए जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि आय-

(श्री अध्यक्ष)

व्ययक पर सामान्य वादविवाद हेतु छः दिवस का समय नियत किया गया है । इन छः दिनों में सदन में माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हेतु लगभग 24 घण्टे का समय उपलब्ध होगा । इस समय का मैं दलवार सामान्य तौर पर इस प्रकार विभाजन करता हूं :—

जनता पार्टी— साढ़े 15 घण्टे,

कांग्रेस-आई—साढ़े 3 घण्टे,

कांग्रेस-एस—ढाई घण्टे,

प्रगतिशील मोर्चा—45 मिनट

सी. पी एम.—30 मिनट

सी.पी-आई.—30 मिनट

निर्दलीय—45 मिनट ।

माननीय विरोधी दल के नेता महोदय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कांग्रेस का समय बताया नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ढाई घण्टे ।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरा थोड़ा सुझाव था । शायद हम सभी कई कारणों से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद के समय बाहर चले गए थे । हमको ज्यादा टाइम मिलना चाहिए ताकि बजट पर ज्यादा बोल सकें।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न देख लेंगे ।

आय-व्ययक पर सामान्य वादविवाद

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो वर्ष 79-80 के बजट के अनुमान प्रस्तुत करते हुए भाषण दिया है, उस बजट के भाषण से इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों को बहुत बड़ी निराशा हुई है । यह बजट जनता सरकार का डिस-अपोइंटिंग डाकूमेंट है । जब इस डिस-अपोइंटिंग डाकूमेंट का उल्लेख करता हूं, अध्यक्ष महोदय, तो मैं स्पष्ट रूप से अनुभव करता हूं कि जनता सरकार को सत्ता में आए बीस महीने का समय व्यतीत हो गया है, अपने इस सदन के कार्यकाल की एक तिहाई अवधि समाप्त हो गई है, इस एक तिहाई अवधि समाप्त होने के बाद भी यह सरकार सदन में आर्थिक नीति के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश लेकर के नहीं आई है । लेकिन जो योजनायें पूर्व में कांग्रेस सरकार, तात्कालिक सरकार के वक्त चल रही थीं उन्हीं को यहां पर दोहराया गया है चाहे डी. पी. ए. पी. का सवाल हो; चाहे स्माल फार्मर्स का सवाल हो या मार्जिनल फार्मर्स को राहत देने का सवाल हो, चाहे ट्राइबल वेलफेयर का सवाल हो, चाहे वह एरिया डवलपमेंट का प्रश्न हो, चाहे इरिगेशन की योजना हो और इसी के साथ साथ चाहे बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो पूर्व में प्रारम्भ किए गए हों, उनको कोई भी नामेनक्लेचर दे दें, वे सारे काम पूर्व सरकार के वक्त प्रारम्भ कर दिए गए थे । वित्त मंत्रीजी ने यह बजट प्रस्तुत किया है 7.44 करोड़ के घाटे का और साथ ही 28

(९२)

(श्री परसराम मदेरणा)

तारीख को जो केन्द्रीय सरकार ने बजट प्रस्तुत किया, उसमें 1350 करोड़ का घाटा है, यह जो घाटे के बजट केन्द्र और राज्य सरकार प्रस्तुत कर रही है, न तो इनसे गरीबी मिटने वाली है, न इनसे इकोनोमिक तरक्की होने वाली है और न ही यह एम्प-लोयमेंट ओरियेंटेड है।

(2.44 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का सख्त एतराज है कि बजट प्रस्तुत करने के तीन सप्ताह पूर्व इस जनता सरकार ने सैल्स-टैक्स को 7 पर्सेंट से 8 पर्सेंट बढ़ाया। साथ ही दूसरा आर्डिनेंस निकाल करके इन्होंने कुछ आर्टिकल्स के ऊपर 30 पर्सेंट से 60 पर्सेंट की बढ़ोतरी की। आपकी मार्फत वित्त मंत्री, जो यहाँ हैं नहीं, से मैं कहना चाहता हूं कि यह मैगनाकाशा का सिद्धान्त है, डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले जिन लोगों का शासन है उनका और संसार की सारी पार्लियामेंट्स में यह मापदण्ड है कि no taxation without represen tation. हिन्दुस्तान के संविधान के आर्टिकल 174 के अन्दर इस प्रकार का उल्लेख है कि हर करेंट ईयर के प्रारम्भ के अन्दर राज्यपाल महोदय सदन को सम्बोधित करेंगे, उसके बाद में बजट प्रस्तुत किया जावेगा। किन्तु यह सदन आहूत होने वाला था और बजट सैशन प्रारम्भ होने वाला था, उसमें बजट प्रस्तुत करने के पूर्व इस सरकार का करों में बढ़ोतरी करना इस सदन की अवमानना है। वित्त मंत्री महोदय की इसके लिए जितनी भर्त्सना की जाय, कम है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस बजट की जो इकानामिक्स है उस सम्बन्ध में वित्त मंत्रीजी ने कल अपने भाषण में कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करने का उल्लेख किया है। उन्होंने उद्योगों के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में यहां पर प्रति व्यक्ति विकास की बढ़ोतरी का उल्लेख किया। इसका उल्लेख वही नहीं कर रहे हैं बल्कि ट्रेजरी बैंचेज पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य, कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता होगा जिसमें इन आंकड़ों को दोहराने की कोशिश नहीं करते हों। बहुत प्रचार करते हैं कि हमने एक सैक्टर के अन्दर इस वक्त धनराशि रखी है, हमने योजना का आकार बढ़ा दिया है, हमने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में बढ़ा दिया। जब मंत्रीजी जोधपुर गए तो उन्होंने लम्बा चौड़ा भाषण दिया उसी प्रकार की बात गवर्नर के भाषण में भी थी। केवल कुछ आंकड़ों के कम्पेरीजन का उल्लेख है। उस उल्लेख में भी जनता सरकार ने राज्यपाल के अभि-भाषण के अन्दर जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना है उसको बीच में एलिमिनेट कर दिया है। उसका आकार बड़ा था उसको छुपा कर आंकड़े प्रस्तुत किये हैं जिसकी ओर मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने जो यह बजट एट ए ग्लांस दिया है इसमें जो आखरी पेज पर आइटम 28 और 29 दिया है उसमें पर कैपिटा इनकम करेंट प्राइसेज के अनुसार 925 रुपये है और पर कैपिटा इनकम 1960-61 प्राइसेज के अनुसार 308 रु. है। माननीय वित्त मंत्रीजी You can befool some people some-time, but not all people all the

(श्री परसराम मदेरणा)

time. यह तीन सौ और नौ सौ का डिफरेंस 60–61 और करेंट प्राईसेज पर है जिसका आपने कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है हमारे जो डिफरेंस सैक्टर्स के प्रावधान और एलोकेशन हैं और पूरी योजना के बजट अनुमानों का आंकड़ा है, वह करेंट प्राइस के ऊपर है। करेंट प्राइसेज में आज 60 के बाद दुगुनी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए आपके इस बजट की इकानामिक्स यह है कि यह न तो ग्रोथ ओरियेंटेड है, न रूरल ओरियेंटेड है और न ही यह बजट एम्पलोयमेंट ओरियेंटेड है। न यह बजट प्राइस की डिस्क्रिपेंसीज का हल निकालता है, न बजट में प्राइसिंग पोलिसी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की दृष्टिगोचर होती है और न इस बजट से इस राजस्थान के सर्वहारा वर्ग के रहने का जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा। इसलिए मेरा सरकार पर यह आरोप है कि इस इकानामिक्स आफ बजट है वह यह है कि इस बजट में किसानों पर भारी बोझ लाद दिया है। जो कर आपने आरोपित किये हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आपने और भारत सरकार ने उनका बर्डन इस देश में रहने वाले 80 फीसदी किसानों पर शिफ्ट किया जाएगा। इसलिए मुझे निःसंकोच यह बात कहनी पड़ती है कि यह किसान विरोधी बजट है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने यहां पर इस बात का उल्लेख किया था पहले कि मैं मोड़ नहीं दे सका था, वर्ष 1977 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मन्त्री जी ने यह बात अपने बजट स्पीच में कही थी, मुझे बहुत कम समय मिला है इसलिए मैं इसको मोड़ नहीं दे सका हूं। अब वित्त मन्त्री जी ने जो मोड़ दिया है, वह मोड़ यह किया है कि वे आर्थिक ढांचे का पुनर्गठन करने जा रहे हैं। इस सरकार की तीन बजट स्पीचेज का अध्ययन किया जाय तो सिवाय घोषणाओं के नतीजे स्थापित करने के कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं किया है। हां इस सरकार ने बकरी प्रजनन केन्द्र में जरूर नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नरायण चौधरी : आपको बात समझ में नहीं आई है।

श्री परसराम मदेरणा : बकरियों की संख्या में आप जरूर बढ़ोतरी करना चाहते हैं। अन्त्योदय वालों को ऊपर उठाने वाला है और आप पूछते हैं कि समझ में नहीं आया है।

नये कीर्तिमान की बात उद्योग के क्षेत्र में कही गई है। मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में कही थी सीमेन्ट प्लान्ट की बात, उसका क्या हुआ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उपलब्धि के बारे में, फिजीकल टार्गेट आपने कितने एचीव किए हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। दूसरे बजट और पहले बजट में इसका उल्लेख किया गया था लेकिन इस बार इस बजट में कोई एचीवमेन्ट नहीं बताया गया है बमुकाबले करन्ट ईयर और उसके पहले के साल के। तो आपके फिजीकल टार्गेट क्या हैं? इस सम्बन्ध में हमारे वित्त मन्त्री जी ने बड़ी चतुराई के साथ चुप्पी साधी है। यह इस सदन को भूल-भुलावे में रखने की बात है। आप ऐसा मत कीजिए।

पिछले साल की जो स्थिति रही है, वह

(श्री परसराम मदेरणा)

स्थिति काफी गम्भीर है। स्टूडेन्ट्स में अनरेस्ट है। सामाजिक टेन्शन बढ़ा है। कल रात मैं जोधपुर बात कर रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि वहां पर पुलिस के जवान पिछले 5–10 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं।

आप समस्याओं का निदान करने में असफल रहे हैं, असफल साबित हुए हैं इसलिए आपने आयोगों की झड़ी लगा दी है। आयोगों के सम्बन्ध में भी मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा। पिछले साल आपने क्या प्रगति की है, इसका उल्लेख एक शब्द में भी नहीं किया गया है लेकिन जो आयोग आपने अब तक स्थापित किये हैं, उनकी संख्या कुल मिला कर राजस्थान में 21 हो गई है। आपने सबसे पहले कानसिंह जांच प्राधिकरण बिठाया। उसके बाद बैरी आयोग, फिर राजस्थान विश्वविद्यालय की जांच के लिए जगतनारायण आयोग, उदयपुर विश्वविद्यालय के लिए एक्स जस्टिस सिंह आयोग बनाया, एम. एल. एज. की तीन कमेटियां बनाईं। पेयजल निगम की घोषणा जो आपने की है वह अभी हवा में है। अभी तक निगम नहीं बना है। इसके बाद जो घोषणा की है वह है 'मुख्य मन्त्री चिकित्सालय कोष' की। फिर आपने पिछले साल ही 'बाढ़ सहायता कोष' का एलान किया था। इसके साथ-साथ आपने एलान किया था 'मुख्य मन्त्री प्रकोष्ठ द्वारा प्रशासन में चुस्ती' का जो राज्य कर्मचारियों को इस राज्य की जनता के अनुरूप सवेदनशील बनायेगा। इसके बाद अभी आपने घोषणा की है, इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है— वह है, पुल निर्माण निगम, वन विकास निगम, पर्यटन विकास निगम, मंडी विकास निगम और अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम। इसके साथ-साथ आपने चार कोष और बनाने की घोषणा की है। ये हैं:—अन्त्योदय कोष, और अन्त्योदय में जो घाटा होगा कार्मशियल बैंक को उसके लिए जोखिम कोष। जोखिम कोष के बाद है जनसंख्या आयोजन कोष। इसके बाद में आया है राज्य स्तरीय बाल विकास कोष। निगमों, कोषों की आपने झड़ी लगाई है, किन्तु किसी कोष को कामयाब नहीं बनाया है। पहले के जो निगम बने हुए थे, वे कार्य कर रहे हैं। वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। आपने यह जो कोष, निगम बनाये हैं, ये अभी तक कागजों पर हैं। आप निगम और कोष बना रहे हैं, तो वास्तव में आपका यह देखना चाहिए कि क्या ये निगम और कोष राजस्थान की जनता का आर्थिक विकास कर पायेंगे। मैं समझता हूं कि आप मृग मरीचिका में हैं।

आपने जिन चीजों का सबसे ज्यादा उल्लेख किया है, पिछले लगातार दो साल से जिसका उल्लेख कर रहे हैं, जिसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और वित्त मन्त्री जी ने अपनी बजट स्पीच में भी किया है, वह है अन्त्योदय योजना, राजस्व अभियान और काम के बदले अनाज। गवर्नर स्पीच पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का आयोजना मन्त्री जी जिस दिन उत्तर दे रहे थे, उन्होंने यह शंका की थी कि पिछले साल 1 लाख 56 हजार परिवारों में से 16000 परिवारों को अभी तक ग्राण्ट नहीं दे पाए हैं। तो यह है आपकी कार गुजारी। अन्त्योदय परिवारों को आइडेन्टीफाई किया है, परिवारों का चयन

(श्री परसराम मदेरणा)

किया है, उनकी संख्या इस बार वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट में 1 लाख 15 हजार बताई है, लेकिन यह 1 लाख 15 हजार की संख्या बजट स्टडी के पेज 78 पर 1 लाख 11 हजार है। यह आप दो तरह के आंकड़े, सरकार के आंकड़े हाउस को दे रहे हैं। इस प्रकार आप हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। इससे तो आपके खिलाफ प्रिविलेज इश्यू बनेगा। माननीय सदस्य, जो प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों से अवगत हैं, आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे। कम से कम जो सरकारी आंकड़े आप हाउस को दें, वे एक-से होने चाहिए। इसी प्रकार का एक मोशन जो आज आपके मुख्य मन्त्री जी है, जब मेरे पास में फूड और फेमिन विभाग था, उसके अलग-अलग आंकड़े हाउस में आ गये थे तो मेरे खिलाफ उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया था। यह जो आपके आंकड़े आये हैं, ये काफी डिसीटफूल हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते वक्त हमारे वित्त मन्त्री जी ने यह कहा था कि राजस्थान में 6 लाख 40 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हम यह जानना चाहते हैं कि 6 लाख 40 हजार लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला। यदि मिला तो किस सैक्टर में मिला, विकास की किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत मिला? इस वर्ष कितने नये अध्यापक लिए जाएंगे, उनका केवल एक आंकड़ा यहां प्रस्तुत कर दिया गया है लेकिन 6 लाख 40 हजार लोगों के मुकाबले में कितने और लोगों को रोजगार देने का आपका लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैं समझता हूं कि 6 लाख 40 हजार को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार नाकामयाब रही इसलिए चुप्पी साध ली।

अन्त्योदय परिवारों का नाम ले रहे हैं, अन्त्योदय योजना का नाम ले रहे हैं, अन्त्योदय योजना के सम्बन्ध में जोखम कोष की स्थापना भी कर दी है। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी है कि अखिल भारतीय मान्यता मिल गई है। बजट अभिभाषण में राज्यपाल महोदय, जो कि एक औपचारिकता पूरी करते हैं, से बुलाया गया कि भारत सरकार भी इस योजना को मान्यता देकर राष्ट्र में लागू करना चाहती है। जिस दिन यह अभिभाषण पढ़ा गया उसी दिन शाम को मैंने रेडियो पर सुना, स्टेट मिनिस्टर, एग्रीकल्चर ने लोकसभा में कहा कि अन्त्योदय योजना को हम स्वीकार नहीं करते। यह मैंने रेडियो पर सुना। आप इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अन्त्योदय योजना को अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता मिल जाय लेकिन बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इसको झूठ साबित कर दिया है। यह एक दुर्भाग्य है।

आपने कहा, कांग्रेस सरकार ने विरासत में हमें नंगा और भूखा राजस्थान दिया है। यह आपने हमारे पर आक्षेप लगाया कि राजस्थान की 56 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अब आप कह रहे हैं कि इकानामिस्ट्स, अर्थ शास्त्री हमारे आंकड़ों को नहीं मान रहे हैं। क्या एक भी ऐसा इन्सटांस हो सकता है कि आपने जो कुछ भी आंकड़े दिये वह माने गये हों? कल ही आपने यह बात कही कि हमको

(श्री परसराम मदेरणा)

बहुत मार खानी पड़ी है सातवें वित्त आयोग के सामने । फिर आप अन्त्योदय को अखिल भारतीय मान्यता देने की हमको चुनौती दे रहे थे कि हमारे सामने लड़ने वाले शेर हैं नहीं और हम तो लम्बी छलांग भरने वाले लोग हैं । मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि मैं कुर्सी से चिपका नहीं रहूंगा । भारी भरकम बहुमत के, 150 माननीय सदस्यों, जो जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, के मुख्य मन्त्री जी को अभी केन्द्रीय सहायता दी गई है उसमें नेशनल डवलपमेन्ट कौंसिल ने 7वें वित्त आयोग में आधार बनाया है। 600 करोड़ सुरक्षित कोष में, आप सोच रहे हैं, मिलेगा या नहीं। आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपको वहां से कुछ नहीं मिलना, रेत से भरी मुट्ठी आपके पल्ले पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अन्त्योदय योजना में पेंशन, जो आप बूढ़ों, अपाहिजों को दे रहे हैं यह काम तो ठीक है, 40 रु. दे रहे हैं आप उनको अफीम खाने के लिए । बाकी योजना के सम्बन्ध में आपको बहुत निश्चित तौर से देखना पड़ेगा । जमीनें आपने अलाट कीं, आपने राजस्थान लेण्ड अलाटमेंट फार एग्रीकल्चर पर्पजेज रूल्स के अन्दर फर्स्ट प्रायोरिटी में अन्त्योदय परिवारों को जोड़ा है और जमीनें उपलब्ध कराई हैं। कुछ जमीनें उदयपुर में आपने अन्त्योदय परिवारों को आवंटित की हैं पहाड़ी के ऊपर घास उगाने के लिए हैं। उससे क्या आप उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने 20 सूत्री कार्यक्रम चला कर क्या किया है ?

श्री मदनसिंह दांता : 20 सूत्री में जो दिया वह आपने कैंसिल कर दिया उसकी लिस्ट है मेरे पास ।

श्री परसराम मदेरणा : जो भूमि बची है, मगरे की भूमि, पहाड़ी भूमि, काश्त के बिलकुल अयोग्य भूमि, उसको एस. डी. ओ. साहब गरीबों को आवंटित करके पट्टे दे रहे हैं उनके हाथ में। इससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि, जिसकी कि मैं कल्पना कर सकता हूं, होने वाली नहीं है। आपने गाय, भैंस और भेड़ें अन्त्योदय परिवारों को दी हैं। इससे उनका जीवन स्तर ऊँचा उठ सकेगा। इस सम्बन्ध में भी मुझे डाउट है। अगर भैंस दूध देना बन्द कर देगी तो वह परिवार क्या उस भैंस के पीछे बैठा रहेगा। आपने भेड़ें दीं। जिसने कभी भेड़ें चराई नहीं, उनकी बीमारी को जानता नहीं, जिनको दूर-दूर तक चराने के लिए ले जाना पड़ता है, उनके चराने के लिए जो हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं तो ऐसी सूरत में यह योजना जो आपने बनाई है, इसमें 1/3 आप अनुदान दे रहे हैं किन्तु काफी लोगों की भेड़ें तो मर चुकी हैं। इसलिए अनुदान तो ठीक है लेकिन इसके लिए जो जोखिम कोष है उसका पूरा उपयोग आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार रहिये। मैं अन्त्योदय का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं।

दूसरे जो आपने रोजगार देने के सम्बन्ध में काम के बदले अनाज योजना की बात कही। आपने कहा कि आपने बहुत से लोगों को रोजगार दे दिया है इस राज्य में, जैसा कि आप जानते हैं, एक साल में चार प्राकृतिक प्रकोपों से जनता प्रभावित हुई है—पहले कातरे की बीमारी हुई जिसने फसल को साफ कर दिया, फिर अतिवृष्टि

(श्री परसराम मदेरणा)

हुई, फिर ग्रनावृष्टि हुई जिसने फसल को साफ कर दिया ग्रौर फिर सदन के ग्राहूत होने के पहले ग्रौर बाद में बहुत से जिलों में ग्रोलावृष्टि से फसल खराब हुई। 4-4 प्राकृतिक प्रकोप पड़ने के बाद राज्य सरकार डींग हांक रही है कि हमने सब लोगों को रोजगार दे दिया है। इन दुखी लोगों को ग्रापने कतई कोई रोजगार नहीं दिया है। कई तो हमारे जिले से हरियाणा गये हैं, कई पंजाब गए हैं ग्रौर कई कश्मीर-जम्मू के पास तक पहुंचे हैं। ग्राप उनको रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। यह जो काम के बदले अनाज वाली योजना है इसमें 5 हजार रुपये किसी काम के लिए पंचायत स्वीकृत करती है 65 व्यक्तियों के लिए जो कि 15 रोज तक मजदूरी पा सकते हैं। तो क्या ग्रापने 15 रोज मजदूरी दे दी ? ग्रापने राज्यपाल महोदय से कहलवा दिया कि हमने सरकार से 2 लाख 28 हजार टन ग्रनाज लेकर काम के बदले ग्रनाज योजना में वितरित कर दिया है। वित्त मन्त्री जी, ग्राप जानते हैं कि ग्रनाज इकट्टा किया हुग्रा था ग्रगर वह ग्रनाज नहीं बांटा जाता तो उसका बाद में क्या हाल होता ? बाद में राख बन जाता। यह ग्रापने नहीं बांटा, यह ग्रापको बांटने के लिए दिया गया। काम के बदले ग्रनाज योजना का कोई मानदण्ड नहीं है, इसका कोई इन्सपेक्शन नहीं होता है, कोई बात नहीं है, ग्रौर इसमें भेदभावपूर्ण तरीके से काम हो रहा है। इस सम्बन्ध में शेरगढ़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने मुझे ग्रांकड़े दिये हैं उनका थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा। इनके विधान सभा क्षेत्र में जेड़ा नाम का गांव है जिसकी ग्राबादी 3200 है उसमें काम हुग्रा है 3 लाख का। दूसरा चोरड़िया गांव है, जो इनकी खुद की पंचायत है उसकी 3500 की ग्राबादी है वहां पर काम हुग्रा है 25 हजार का। एक गांव है सांई जिसकी ग्राबादी है 7000 की, वहां पर काम हुग्रा है 20000 का। जेड़ा की ग्राबादी 3200 है वहां 3 लाख का काम हुग्रा है क्योंकि वहां से जो जनता पार्टी के मन्त्री हैं वह इनके खिलाफ पराजित हुए थे उनकी पंचायत है। इसलिए मन्त्रीजी ग्रौर गवर्नमेंट के ग्राफिसर्स ने पक्षपात ही नहीं किया वहां पर लोगों को खुले लूटने की छूट दी है। यह है ग्रापकी 'काम के बदले ग्रनाज' की योजना।

श्री कौशल किशोर जैन : खेतसिंह जी की कान्स्टीट्यूएंसी में कई काम हुये हैं, विकास के।

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर जिले में जो कार्य हुये हैं उसकी जो कुछ भी मजदूरी बनती है इस मजदूरी के एवज में 176 मैट्रिक टन अनाज दिया जाना चाहिये, लेकिन अनाज का वितरण हुग्रा है 2।। हजार टन। जोधपुर के यह फिगर्स मैं ग्रपनी ग्रोर से नहीं दे रहा हूं जो फिगर्स कलेक्टर ने दिये हैं वह बता रहा हूं। तो 15।। हजार टन ग्रनाज का गांवों में वितरण नहीं हुग्रा है। फिर किस प्रकार रोजगार दिया जा गया है ? यह 18 हजार मैट्रिक टन ग्रनाज लाकर वितरण कर के नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। क्यों ग्रांखों में धूल झोंकते हो ? क्यों निराधार बातें करके प्रशस्ति पत्र और वाहवाही लूटते हो ? यह बीमारी कुछ लोगों में सता में ग्राने के बाद सामान्यतया हो जाती है। इसमें पायोनियर बनने ग्रौर पहल करने वाली बात नहीं की गई। पहल करने वाली बात करके निश्चित

(श्री परसराम मदेरणा)

तौर से पायोनियर बन जाइये। आप तो गांधीवादी और सर्वोदयी हैं।

एक माननीय सदस्य : थे।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो प्रधान मन्त्री के साथी और विश्वास पात्र व्यक्ति हैं। देश के प्रधान मन्त्री किन के क्या हुए हैं यह एक राजनैतिक पहलू है जिसका जिक्र आज नहीं करता हूं।

अब रोजगार की जो समस्या खड़ी उसके लिए कहा है कि 10 साल के अन्दर हिन्दुस्तान में एक भी बेकार आदमी नहीं रहेगा। इस बात की घोषणा आपने की है। लीप्स एण्ड बाउण्डस में इस देश के अन्दर आबादी बढ़ती हुई जा रही है लेकिन आपने परिवार कल्याण का उल्लेख नहीं किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डरते हैं, जी कांपता है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने कोष कायम किया है तो कोष में क्या करेंगे? परिवार कल्याण का जो कोष है उसमें आप इन्स्ट्रूमेंट खरीदेंगे, तथा एक्सपेरीमेंट करेंगे? क्या कोष है यह मेरी समझ में नहीं आया? जो. एफ. पी. का प्रोग्राम है उसको आपको सीरियसनेस के साथ लेना चाहिए नहीं तो इस देश में बेकारों की फौज बढ़ती जायगी। आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से बढ़ने से आपकी सारी योजनायें डाउनड्रेन्स मे ही नहीं जायगी बल्कि नेगेटिव हो जायेंगी। मेरा निवेदन है कि आपने 31 लाख जन-स्वास्थ्य रक्षकों का उल्लेख किया है तो 31 लाख लोगों को ट्रेनिंग देकर आबादी को रोकने में कौनसी सुविधा उपलब्ध करादी गई है? ट्रेन्ड आदमी गांवों में पहुंच गये हैं। यह जो आपके जन-स्वास्थ्य रक्षक हैं इनको गांवों में जन-रक्षक कहते हैं। यह नीम हकीम खतरा-ए-जान क्या कुछ जानते हैं? कुछ थोड़ी बहुत दवायें अपनी जेब में रखते हैं। यह योजना जो तत्कालीन जन-स्वास्थ्य मन्त्री जी ने देश के सम्मुख रखी थी उनको छुट्टी मिल गई है तो इनको भी आप जितना जल्दी हो सके छुट्टी दे दें। यह राशि 2000 जो मद्य-निषेध की सोसाइटीज हैं उसको दे दें तो ज्यादा लाभ होगा। ज्यादा कार्यकर्त्ता काम करेंगे और सरकारी कोष का पैसा भी जाया नहीं होगा। इससे ज्यादा इस सम्बन्ध में और नहीं कहना चाहता।

मैं निवेदन करूंगा कि पब्लिक सैक्टर की परफार्मेन्स क्या रही उसका कतई उल्लेख नहीं किया गया है। आपके यहां कितने यूनिट्स इस साल नये स्थापित होंगे? 2500 या 3000 तो उसमें 200 या 300 ही ज्यादा होंगे तो क्या फर्क पड़ा? आपने क्या किया? आपके पास पब्लिक सैक्टर था। जो उद्योग चल रहे हैं वह घाटे में हैं। पब्लिक सेक्टर में मिस मेनेजमेंट है और घाटे में चल रहा है, उनके बारे में केन्द्रीय सरकार में द्वन्द्व चल रहा है कि नेशनलाइजेशन किया जाय या नहीं, मल्टी-नेशनल्स को इन्वाइट किया जाय या नहीं, या सीमेंट की इन्डस्ट्री का नेशनलाइजेशन हो कि नहीं हो, इस प्रकार का वहां पर वैचारिक संघर्ष चल रहा है। आप कम से

(श्री परसराम मदेरणा)

कम इस बात का ब्यौरा देते कि राजस्थान में पब्लिक सैक्टर की क्या उपलब्धि है तो सदन को जानकारी मिलती। लेकिन उस पर आप चुप्पी साध गये।

पिछले साल इस बात का एलान किया गया था कि अरबन विकास को बढ़ा रहे हैं। प्रोडेक्शन आफ फारेस्ट को बढ़ाया जायगा। पिछले साल इस बात की घोषणा की थी कि 200 गांवों में 10-20 हैक्टेअर में फारेन्ट्री लगाई जायगी। वह लगाई गई कि नहीं? पेड़ लगाये गये या नहीं लगाये गये। उन 200 गांवों में कितने पेड़ लगाये गये हैं? वह जीवित हैं या नहीं? वह योजना आपने हाथ में ली है या नहीं ली? इसका उल्लेख नहीं किया है। आपने जो घोषणा की और उसको समाप्त कर दिया।

जो मास प्रोडक्शन की चीजें हैं उनका प्रोडक्शन गिरा है, चाहे वह कोयला हो, कपड़ा हो और चाहे मास कन्जूमर्स गुड्स हों। मैं निवेदन कर रहा था कि इकानामी देश की आज हेल्दी है या नहीं, इसका श्रेय, वित्त मन्त्रीजी, आपको नहीं मिलने वाला है। यह श्रेय हिन्दुस्तान के मानसून को है यह मैं नहीं कह रहा हूं, सैन्ट्रल बजट पर भी, अर्थशास्त्रियों की यही राय आई है। इस इकानामी के अन्दर फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन और बैलेन्स आफ पेमेन्ट की पोजीशन आगे एक्स्प्लायट करनी थी। अब जो भारत सरकार का इकानामिक सर्वे निकला है उसमें लिखा है कि हमारा एक्सपोर्ट काफी गिरा है और इम्पोर्ट इन्क्रीज हुआ है। इसमें यह बात भी लिखी है कि जी. एन. पी. बढ़ा है वह 3–5 पर्सेन्ट बढ़ा जब कि 74–78 तक 5-5 प्रतिशत रहा है। यह आपकी वित्तीय स्थिति है। इसमें यह भी कहा गया है अकाल और ओलावृष्टि के बाद जो हमारे अनाज का उत्पादन है वह पहले जितना ही होगा। यह बात निश्चित है कि आपके पास अनाज 2 करोड़ टन है, लेकिन आपका जो रिजर्व फारेन एक्सचेन्ज का है वह गिरता हुआ चला जा रहा है। यह खतरनाक मामला है। यह खतरनाक मामला इसलिये भी है कि आपकी विकास की योजनाओं को मानसून की वजह से कहीं धक्का लग जाये। एक बार मानसून के धक्के के साथ में दूसरे धक्के भी लग सकते हैं। आज जो हमारे देश के चारों तरफ वातावरण बना हुआ है, चीन का वियतनाम पर हमला हुआ यह बात भी लोक सभा में आई है। पाकिस्तान भी एटम हथियार बना रहा है। यह बात भी अखबारों में आई है कि भूटान और नेपाल के सम्बन्ध में कुछ षडयन्त्र चल रहे हैं। इस कारण डिफेन्स पर खर्चा जो इस समय 200 करोड़ का बढ़ा है वह अगर ज्यादा बढ़ जायगा तो विकास योजनाएं सबकी समाप्त हो जायेंगी।

डेयरी के सम्बन्ध में आपने कुछ बातें कही हैं। सितम्बर, अक्टूबर के सैशन में भाषण दिया था उसमें साढ़े 4 लाख लीटर दूध एकत्रित करने का लक्ष्य रखा था। यह 79–80 की बजट है, इसमें साढ़े 3 लाख लीटर दूध पर आ गये हैं। यह किस इकानामिक अचीवमेण्ट का द्योतक है? यह सदन के जानने की बात है।

आपने पिछले साल में भिक्षुक गृह का उल्लेख किया था। राजस्थान के अन्दर जो

(श्री परसराम मदेरणा)

लोग भीख मांगते हैं, उनके लिए भिक्षुक गृह खोलने की बात का आपने उल्लेख किया था। इसमें आपने उसका कोई उल्लेख ही नहीं किया है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह मन्त्रि-मण्डल उसी में आ गया है।

श्री परसराम मदेरणा : जब कभी कोई प्राकृतिक प्रकोप आता है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : बहुत भिक्षुक हो गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप कलकत्ता जा रहे हैं। कभी कोई किसी को गोद ले रहे हैं। कभी कोई किसी को गोद ले रहे हैं। कभी अन्त्योदय को गोद ले रहे हैं। कभी ग्रामीण अंचल में बैंक कोई गांव गोद ले रही है। कभी मैकनमारा आ रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के स्वाभिमान को नहीं गिरायें। मुख्य मन्त्रीजी मध्य प्रदेश में गोद गये थे। उस परम्परा के अनुसार जो आदमी उनको तकलीफ में दिखाई देता है, उसको चट गोद में बैठा देते हैं। इस गोद प्रथा को समाप्त कीजिए। उनको अपने पैरों पर खड़ा कीजिए।

यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, मद्य निषेध के मामले में एक तरफ मुख्य मन्त्री महोदय डटे हुये हैं। उन्होंने पहले एलान किया। जब पहला सैशन हुआ तो उन्होंने एलान किया था मद्य निषेध के बारे में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब कहां हैं?

एक माननीय सदस्य : बीच में नहीं टोकिये।

श्री परसराम मदेरणा : 1977 में यह कहा है कि निश्चित अवधि से पूर्व ड्राई बनाने का निश्चय कर चुके हैं। इसके बाद पिछला साल आया।

श्री मदनसिंह दांता : अभी बजट के 6 दिन पहले कहा गया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बहुत बड़ा धोखा है। अगर आप मद्य निषेध लागू करना चाहते हैं तो बजट के आंकड़े बिल्कुल दूसरे होंगे। माननीय वित्त मन्त्री जी, आपने कहा है, "पूंजीगत खाते में संशोधित अनुमानों की अपेक्षा कम प्राप्तियां केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अल्पकालीन एवं अन्य ऋणों के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त होने के कारण है।"

यह जो फिगर्स की जगलरी कर रहे हैं यह कम्बरसम है, for this august House. यह जो आंकड़ों का मायाजाल है इसमें आप फंसाना चाहते हैं। आप कृपा करें। इसमें हम आने वाले नहीं हैं। इसलिये कृपा करके जो स्पष्ट चीज है, उसको कहें। पूर्व में भी आपने आंकड़े तोड़मरोड़ कर घाटा बताया था। इसलिये आंकड़ों को गलत तरीके से रखने की गलत परम्परा जो प्रारम्भ की है यह माने जाने के विपरीत है। मार्च, 1977 में गान्धी की समाधि पर शपथ ली है इसीलिये मेरा निवेदन है कि आप फंस गये हैं। आप कुछ दुविधा में फंसे हुए हैं। कोई भी निर्णय का एक ऐतिहासिक मौका होता है।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, प्रधान मन्त्री जी का वरद हस्त आपके ऊपर है। आप हिम्मत से निर्णय लीजिए। जहां तक विरोधी पक्ष का सवाल है, हम इस सवाल पर आपके साथ हैं।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : कितनी जल्दी आप उठते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या 30 साल तक हमारा ही इन्तजार कर रहे थे।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी हालत वह होने वाली है, जो ईरान के शाह की मोरक्को में हुई है।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने पिछले साल यह बात कही थी। पिछले साल भूमि भवन कर के बारे में जो निर्णय लिया था वह गलत था। अब हम लगा रहे हैं। इससे दो करोड़ की आय हो रही है इसलिये अब आप बोल नहीं रहे हैं। आंकड़े तोड़ मरोड़ कर सदन में रखने की आपकी परम्परा है। यह अच्छा नहीं है। इसको आप जल्दी ही तिलांजलि दें।

आपने सर्वांगीण ग्राम विकास की बात कही है। 104 गांवों का चयन किया था। वह कौन कौन से गांव है? कितना उनका विकास हुआ है? इस सवाल पर क्यों चुप हैं? इसका मतलब यह है कि पिछले साल आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हैं। अब बात यहां पर आई है। इसलिये ही मैं निवेदन कर रहा था।

वर्ष 78–79 में पेयजल के लिये प्रावधान रखा था। जुलाई, 77 में जब सदन पहली बार मिला उस समय पेयजल के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी। मुख्य मन्त्री जी ने दो ही घोषणाएं की थी, एक तो भ्रष्टाचार समाप्त करने की और दूसरी पेयजल उपलब्ध कराने की। अब 37 करोड़ के मुकाबले में 20 करोड़ 61 लाख पर आप आये हैं।

(व्यवधान)

सत्तारूढ़ पार्टी के एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था। बड़ा मार्मिक प्रश्न था। आपसे यह पूछा था कि डी. पी. ए. पी. में जो कार्य हुआ है उसका मूल्यांकन हुआ या नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डी. पी. ए. पी. अधिकारी हैं उनके मकान बन गये हैं। बाकी यह बहुत बड़ा धोखा है। जितनी जल्दी इसका मूल्यांकन कर लिया जाये अच्छा है। नहीं तो it will be too late ...। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अफसरों को लाभ मिला है।

श्री परसराम मदेरणा : 4 करोड़, 5 करोड़ की योजना बना रहे हैं। रेगिस्तान में समस्याओं का अम्बार है। ये बैकवर्ड स्टेट के मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स हैं। लेकिन, वित्त मंत्री जी, आपने इस क्षेत्र को सामाजिक न्याय के आधार पर नहीं देखा।

मैं हमेशा लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं की बात कहता रहा हूं। सर्वे हो चुका है। उस पर 1 लाख रुपया लगा था। आप उस

(श्री परसराम मदेरणा)

पर बोले नहीं। उस वक्त सैशन चल रहा था। आप राजस्थान कैनाल के नाम पर कह रहे थे कि सैशन जल्दी समाप्त करो। हमको शाह ईरान के साथ एग्रीमेण्ट करना है। कहां गये शाह और कहां गयी आपकी योजना।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : शाह तो वहां गये जहां आप गए।

श्री मदनसिंह दांता : ये जाने वाले हैं शाह की तरफ।

श्री परसराम मदेरणा : अगर आप हमको शाह बना रहे हैं तो आप पारखी हैं। इन्तजार कीजिये, जल्दी ही चारों तरफ से घेरा बढ़ रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी ने घोषणा पत्र निकाला उसमें राजस्थान मरुस्थल विकास बोर्ड को आश्वासन दिया है। कई बोर्ड और आयोग तो आपने बना लिए, यह बोर्ड क्यों नहीं बनाया ?

इसी घोषणा पत्र के अन्दर पशुओं का, फसल का और मकान का बीमा कराने की भी घोषणा थी। एक तिहाई अवधि आपकी निकल गई है और आप जल्दी में हैं भागने की। फिर भी जो वायदे आपने घोषणा पत्र में किए उनका कोई उल्लेख नहीं है।

आपने अखिल भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात कही है। बीस महीनों में अन्त्योदय की बात तो कही लेकिन गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता के सम्बन्ध में चुप्पी साधी है। घोषणाओं से वायदा फरोशी मत कीजिये। अब जनता आपको पहचान चुकी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कि इस बजट के अन्दर जो टैक्सेज लगाये गये हैं, ये राज्य की इकानामी पर बहुत विपरीत असर डालेंगे। विपरीत असर ही नहीं राज्य की इकानामी पर नहीं पड़ेगा, इसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वजह से डीजल की कीमतें बढ़ गई, 11 पैसा प्रति लीटर आपने बढ़ा दिया। पैट्रोल महंगा हो गया। व्हीकल्स पर दोनों प्रकार के टैक्सेज लगाये जा रहे हैं। इससे बस किराया बढ़ेगा, भाड़े में बढ़ोतरी होगी। एक ओर किसानों को राहत दी गई थी यूरिया के अन्दर, पांच रुपये प्रति कट्टे पर छूट दी गई थी और दूसरी ओर बड़ी छूट भारत सरकार के बजट में तम्बाकू उत्पादकों को दी गई है। लेकिन जो छूट मिली थी थोड़ी बहुत उसको आपने परोक्ष रूप से वापस लाद दिया है और नतीजा आज यह है कि किसानों को उत्पादन की पूरी प्राइस भी नहीं मिल रही है। मैं यह निवेदन करूं कि यही नहीं, किसानों पर···

श्री औंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, डिस्टर्बेन्स हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपस में बात न करें।

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मन्त्री) : बाहर से डिस्टर्बेन्स हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : 76 तक आपकी प्लानिंग कम्पलीट नहीं हुई थी, यह कहा गया। चाहे डीजल सैट हो या बिजली, आपने बिजली की दर 7 से 12 पैसा कर दिया। भेड़ और बकरी पर आपने सेल्स टैक्स लगाया है। इसको बढ़ा कर आपने प्रति बकरी और भेड़ पांच रुपया कर दिया। मेंढे और बकरी की बात तो अलग लेकिन भेड़ और बकरी पर भी आपने टैक्स लगाया इसलिए आप निर्दयी हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जुल्मी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : भू राजस्व में आपने 25 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की है।

श्री डूंगरराम पंवार : पहले वाले तो समूचा ही जीम गए थे।

श्री परसराम मदेरणा : वित्त मन्त्री जी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो आप सरचार्ज लगा रहे हैं, क्या यह लैण्ड रेवेन्यू नहीं है? मुख्य मन्त्री जी कह रहे थे कि यह तो पूर्व सरकार का लगाया हुआ है। कोई यह कहे कि पूर्व सरकार का प्रस्ताव है तो अगर फाइनेन्स डिपार्टमेंट से भी मूव हुआ तो तत्कालीन राजस्व मन्त्री का निश्चित रूप से उस पर नोट है कि बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिये। केबिनेट मीमो में उसकी राय इन्वर्टेड कॉमाज में जाती है। इसीलिए आपने राज्य की 96 तहसीलों में लैण्ड रेवेन्यू बढ़ाकर किसानों की जेब पर डाका डाला है।

इसी तरह से पचास पर्सेन्ट आपने इरिगेशन की रेट्स बढ़ाई हैं। आगे आपने कहा है कि 15% की रिबेट दी जायेगी और 27 प्वाइन्ट–कुछ परसेन्ट इरिगेशन रेट रहेगी। यह पेज 37 पर 27.50 प्रतिशत है या 27 रु. 50 पैसे है, मैं नहीं समझता कि यह छापने की गलती है या फाइनेन्स वालों ने आपको यह लिख कर दिया है.........

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) ठीक है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मन्त्री संसदीय कार्य) : पूरी सिंचाई की दर है।

श्री परसराम मदेरणा : फिर तो मैं कह सकता हूं कि आप मैथ्स में कमजोर हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हां।

श्री परसराम मदेरणा : गुणा भाग के जाल में आप मत फसिये, यह वित्त मन्त्री जी का काम है, वे ही इसको जानते हैं। उनकी स्मृति पर भरोसा रखिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपको क्या तकलीफ हो रही है।

श्री परसराम मदेरणा : चराई में आपने वृद्धि की है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व जोधपुर की अर्स्टवाइल स्टेट में चराई की दर पहले बहुत ज्यादा थी उसका आप किस प्रकार से रेशनाइलेजेशन करने जा रहे हैं। जो आपने निर्णय लिया है उसकी प्रति सदन की मेज पर रखनी चाहिये। केवल रेशनाइलेजशन

(श्री परसराम मदेरणा)

की बात कह देना ही काफी नहीं है। सदन को कान्फीडेन्स में लेना चाहिये ताकि हम उस पर अपना मत व्यक्त कर सकें।

आपने जो रियायतें देने की बात कही है उसमें यह कहा है कि ट्रेक्टर ट्रोली को यात्री व माल कर से छूट देने का प्रस्ताव है। एग्रीकल्चर के लिए काम आने वाले ट्रेक्टर ट्रोली पर तो पहले ही नहीं लगा रहे थे फिर यह समझ में नहीं आया कि आपने क्या किया। अगर आपसे वसूल नहीं हुआ है और आपने अनाउन्स कर दिया है तो यह आपके लिए खेद का विषय है।

आगे आपने सैल्स टैक्स की बात कही है। आपने बिक्री के कर के लिए कहा कि जो टाइम पर जमा नहीं कराते हैं पहले तीन महीने तक एक रुपया ब्याज लगाते थे, उसके बाद 1½ था, तथा उस 1½ रुपये को आपने सवा कर दिया है। यह भी एक बहुत बड़ी चालाकी है। 1½ रुपये से बनता है 18 फीसदी ब्याज, सवा परसेंन्ट से कम बनता है। 18 पर्सेन्ट तो मार्केट रेट आफ इन्ट्रेस्ट है, इसलिए वे लोग टैक्स समय पर जमा नहीं करायेंगे। इस प्रकार की जो रियायत आपने टैक्स इवेडर को दी है उसका औचित्य नहीं है। आपने डिफाल्टर को पेनल प्रोविजन्स से छूट दी है। डिफाल्टर को क्यों छूट दी ? एक तरफ तो आप मालगुजारी वसूल कर रहे हैं चाहे जहाँ अकाल भी है, कोई भी ऋण डेफर नहीं नहीं किया है धनाधन वसूली हो रही है। यह पहला साल है कि जब 11–11 हजार गांव अकाल में हैं और अकाल सहायता मंत्री महोदय वित्त मन्त्री की तरफ ताकते रहे हैं। वित्त मन्त्री का आदेश अन्दर ही अन्दर गुप्त चलता है, अण्डरग्राउण्ड की करो वसूली। लोग बहुत परेशान हैं, उसकी फिक्र नहीं और इवेडर्स को राहत दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि राज्य के रिसोर्सेज की वसूली के सम्बन्ध में आपने उन लोगों को निर्भय किया है जिन्होंने आपकी मदद की थी ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने की।

आपने वस्तुओं के निर्माताओं तथा आयातकों को रजिस्ट्रेशन के लिए टर्न ओवर की सीमा 5 हजार से 10 हजार की। इसमें तीन प्रकार के लोग आते हैं :—एक मैन्यूफक्चरर्स, एक सीरियल और पल्सज में जो डील करते हैं और तीसरे इम्पोटर्स। पहली दो केटेगरीज के लिए तो ठीक है लेकिन इम्पोटर्स को आपने जो छूट दी है, बाहर से वे माल लायेंगे, स्मगलिंग करायेंगे, इससे चोरियां बढ़ेंगी और बिना रजिस्ट्रेशन का धंधा प्रारम्भ हो जायेगा। यह आपने भूल की है जो पब्लिक फाइनेन्सज के किसी भी सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है।

आपने भेड़ बकरी पर जो टैक्स लगाया है। आज भेड़ व बकरी पालने वाला गरीब आदमी गांवों में घूमता रहता है। भेड़ पालने वाला और बकरी पालने वाला समाज का सबसे नीचे दर्जे वाला है, अन्त्योदयी है, एक अन्तिम व्यक्ति पर टैक्स लगा कर आपने अपनी नीतियों के डायमेट्रीकली आपोजिट कार्य किया है।

मैन्यूफेक्चरर्स, जो 1972 के बाद के हैं, को एक पर्सेन्ट सेल्स टैक्स देना पड़ता था लेकिन दूसरी एक्सेसरीज, जो उसकी आव-

(श्री परसराम मदेरणा)

श्यक थीं, मैन्यूफैक्चर के लिए, पर पूरा टैक्स टर्न ओवर लगता था, उसको आपने घटा कर 4 पर्सेन्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा? उसकी वजह से वह एक व्हीकल खरीदेगा, ट्रक खरीदेगा, तो बेनामी तौर पर खरीदेगा और बेचता रहेगा, ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन बाद में करायेगा। इस प्रकार से आपने कुछ लोगों को काला धन जमा करने की छूट दी है, यह आपने सरलीकरण किया है, बिक्री कर तो आप माफ नहीं कर सके। आपने घोषणा पत्रों में घोषणा कर दी लेकिन आपकी कोई नीति नहीं। बार बार एक दो मामलों में बिक्री कर में छूट देकर आप वाहवाही उठा रहे हैं। इस तरह आपने उनका मुंह बन्द करने का प्रयास किया है लेकिन इसके साथ में आपने बेनामी ट्रांजेक्शन्स और कालाबाजारी करने की छूट दी है।

टाइम बारिंग की जो बात कही गई है कि अनिश्चित स्थिति में हम असेसी को नहीं रखना चाहते हैं। एक पर्टीक्यूलर टाइम में कोई टैक्स नहीं देता है तो वह फ्री है। सी. टी. ओ. का उत्तरदायित्व है कि वह टाइम में असेस करे। राजस्व मन्त्री जी, सेक्शन 15– इम्पोजीशन आफ सीलिंग आन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स के अन्दर हम 6 साल वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनमें अनिश्चितता है, उन पर तलवार लटकती रहती है। आप उत्तरदायित्व फिक्स करने की कोशिश करेंगे सी. टी ओ. और ए. सी. टी. ओ. पर तो क्योंकि उनके पास असेसीज ज्यादा हैं तो नतीजा यह होगा कि वे असेसमेंट नहीं कर सकेंगे। टाइम बारिंग के अन्दर उसको छूट दी है तो वह आपस में सांठगांठ करेंगे।

आपने बिक्री कर लगाया है और माफ किया है शिशु आहार पर। डिब्बे वाले आहार पर केन्द्रीय सरकार ने लगाया है लेकिन जो चीजें खुली मिल रहीं हैं जिनका गरीब का बच्चा उपभोग करता है उसको छूट नहीं दी। जो टिन के डिब्बे में चाकलेट और दूसरी बच्चों की चीजें होती हैं, उनको आपने छूट दी है। केवल डिब्बे पर छूट दी लगाया है और यदि कागज में बन्द है तो कर लगेगा। इसके पीछे क्या औचित्य है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अफसरों के बच्चों को छूट दी है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति हेल्दी है या सिक है, अकेले राजस्थान की स्थिति का ही सवाल नहीं है, आप पूरे भारत की स्थिति के साथ में बंधे हुए हैं। निर्यात गिर रहे हैं, उसके साथ में पिछले साल जो घाटा आप 700 करोड़ का बता रहे थे वह 1500 करोड़ का हो गया है। आपने 85 करोड़ तो सोना बेच कर पूर्ति कर ली उसके बाद में निर्यात गिरता हुआ जा रहा है। सातवें वित्त आयोग ने आपकी कोई बात नहीं मानी है, वहां पर नाक रगड़ते रहे और यहां लम्बी चौड़ी बातें कीं कि गाडगिल फार्मूला बदल लेंगे। आप किस मुंह से कह रहे थे कि गाडगिल फार्मूला से हम नीचे आ रहे हैं। चौबे जी बनने गये थे छब्बेजी और दुबेजी बन कर आए।

(श्री परसराम मदेरणा)

गाडगिल फार्मूला के अनुसार भी रिसोर्सेज का डिवोल्यूशन नहीं किया है, इससे ज्यादा सरकार के लिए शर्मनाक बात नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने पूर्व में कहा है, सोशल टेन्शन्स बढ़ रहे हैं, हमें विजीलेंट रहने की बहुत आवश्यकता है। हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। अगर परिवर्तन नहीं करते हैं तो जनता पार्टी जो घटकवाद में फंसी हुई है यह देश के लिए बहुत ही घातक है और खतरनाक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जनता पार्टी के महामन्त्री श्री मधुलिमये, दिल्ली में लोक सभा के श्री ब्रह्मप्रकाश जी और उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व और तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री रामनरेश यादव और बनारसीदास गुप्ता इनके पीछे जबरदस्त खतरा हैं और खतरा इसलिए हैं कि मुख्य मन्त्री जी आपने बाकी तो आयोगों के गठन और जोखम कोष वगैरह की स्थापना करने की बात कर दी है लेकिन दिल्ली में जनता पार्टी के अध्यक्ष के मुख्य सलहकार बनने में कामयाब रहे हैं। जितनी कोशिश वहां कर रहे हैं उतनी ही कोशिश यदि राजस्थान की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए करते तो राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक होती। राजस्थान के अन्दर मैं देख रहा हूं कि आज लैगपुलिग चल रही है एक दूसरे का यही कारण है कि सरकार निश्चित आर्थिक नीति निर्देश नहीं दे सकी है।

अभी मैं पढ़ रहा था, उपाध्यक्ष महोदय 3 मार्च का 'करेन्ट' इसमें यह लिखा था कि साम्प्रदायिक दक्षिण पंथी उत्तरप्रदेश में भालौद और जनतन्त्रीय संघर्ष और समाजवादी ताकतें समूचे देश की रहनुमाई करने के लिए बख्तर बन्द हो गई हैं।' मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगा कि यह जो फोर्सेस आफ पोलेराइजेशन हो रहा है सैकुलर फोर्सेस का–आपको पूरी शक्ति और प्रयास लगाना चाहिए कि आप इससे आरपार निकल जायें।

इसके साथ ही मैं ऐसा देख रहा हूं कि एक आरोप हमेशा कांग्रेस के विरुद्ध लगाया जाता है कि आपसे हमें गरीबी विरासत में मिली, भूखा और नंगा राजस्थान मिला लेकिन पूरी की पूरी जनता पार्टी को जो नेतृत्व मिला है उसमें 4 नेता मिले हैं केवल एक तो राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जो सफेद टोपी लगाते हैं, दूसरे प्रधानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई, तीसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरणसिंह और चौथे श्री जगजीवन राम जी। उसके बाद तो नेतृत्व का दीवाला है......

श्री खेतसिंह राठौड़ : और चारों कांग्रेसी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इनके बाद कोई नेतृत्व नहीं।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, President is above party politics.

इसलिए उनके बारे में यहां कुछ नहीं कहा जाये। विरोधी दल के माननीय नेता को उनका नाम जनता नेताओं के साथ गिनाकर नहीं घसीटना चाहिए। यह शोभाजनक नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्यपालों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा है कि जो सेन्टर में बजट लाया गया है यह रूरल ओरियेन्टेड है क्योंकि तम्बाकू वाले लोग दक्षिण में हैं। मेनुफेक्चरार्स के ऊपर तो डबल लग गया है। यह तो छोड़ना पड़ेगा और जितना जल्दी छोड़ देंगे it will be better, otherwise it is very difficult to give it up.

मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो जनता सरकार लोकतांत्रिक परम्पराओं और मूल्यों की बात करती है, वह सरकार इस देश की एकमात्र विरोधी पार्टी कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को जिस तरह से लोक सभा से निष्कासित किया है, आपने लोकतांत्रिक मूल्यों की कब्र खोद दी है। आपने यहां पर यह बात भी कही थी.......

श्री बाऊदयाल जोशी : अभी महीने पहले की ही बात है आप इन्दिरा गांधी को गालियां देते थे। अभी इतनी जल्दी बदल गए।

श्री परसराम मदेरणा : हमने कभी गालियां नहीं दीं। हम उन व्यक्तियों में से नहीं हैं जो दो मुंह से बोलते हैं। मैंने तो आपके मुख्यमन्त्री जी से कहा था सितम्बर में वह उचक रहे थे और उतावले हो रहे थे, इम्पेशेन्ट हो रहे थे। हम बराबर यह कह रहे हैं कि आप प्रचण्ड बहुमत में हैं। प्रचण्ड बहुमत में कांग्रेस भी रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय अभी सदन में नहीं हैं। एक माननीय सदस्य ने यहां पर लाबी में भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल के वक्त विरोधी नेता थे। दो दिन भूख हड़ताल रही और दो दिन तक मैं आधे दर्जन से ज्यादा लोगों से मिला। माननीय सदस्य जैसलमेर से आने वाले ने भूख हड़ताल की। मैंने स्वयं ने फल के रस का गिलास पिलाया.......

श्री खेतसिंह राठौड़ : कालसिंह जी सौढ़ा थे किशनसिंह जी भाटी नहीं थे।

श्री परसराम मदेरणा : ... हमने एक तारीख को विरोध किया। आपने जिस तरह से विपक्ष की अवमानना की थी चीफ ह्विप महोदय यह आपके लिए शोभनीय नहीं है। आप प्रारम्भ में यहां आये थे तथा कथित दूसरी आजादी की क्रांति के बाद। माननीय सदस्य आर०एस०एस० को बढ़ावा दें लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जब हम यहां पर अनुपस्थित थे उन्होंने भी हमारे बारे में आक्षेप लगाया कि बौखला गये। हम कभी नहीं बौखलाये। हम भगौड़े नहीं हैं, भागना नहीं जानते। हम यहां विरोध स्वरूप गये। यहां पर जो असंवैधानिक रिजोल्यूशन आया हुआ था। आर्टिकल 176 (2) के नीचे जो रूल्स बनेंगे यह केवल 208 के रूल्स नहीं हैं, रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनेस में लिखा है कि राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण के ऊपर बहस की क्या प्रक्रिया होगी। 176 में उल्लेख है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव कहां है जो किशनसिंह जी भाटी ने रखा माननीय सदस्य समर्थक थे श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भटनागर उनके उस प्रस्ताव के ऊपर दस्तखत होते। वह प्रस्ताव नहीं था। उसके बाद असंवैधानिक कार्यवाही सदन में हो यह हम नहीं चाहते थे। इसी के विरोधस्वरूप हम सदन से बाहर गए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा जी, उस प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है अतः उस पर चर्चा नहीं करें।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी सलाह शिरोधार्य है, मैं चर्चा नहीं करूंगा।

एक बात के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, राज्यपाल महोदय ने जो पहला अभिभाषण दिया इस सदन के अन्दर षष्टम् विधानसभा के प्रारम्भ में 19-7-77 को उसके आखिरी पैरा में यह लिखा है :—

'हमारा यह भी प्रयास होगा कि शासक दल एवं विरोधी पक्ष में लगातार विचार विमर्श की एक नयी परम्परा स्थापित की जाये।'

श्री खेतसिंह राठौड़ : लिखा है लेकिन कभी नहीं की गयी।

श्री परसराम मदेरणा : इसके बाद आप कह कर चाट गए और आप कहते हैं कि सहयोग दीजिए। मैं अभी उल्लेख कर रहा हूं आधा पौन घन्टे से, वित्त मन्त्री जी, इन सब बातों में हम आंख मीच कर कैसे सहयोग दे सकते हैं। जब कभी भी कोई प्रश्न आया है हमने हाउस में मेगनेनिमिटी दिखाई है। सबसे पहले चित्तौड़ में साम्प्रदायिक दंगे हुए उस समय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं विरोधी पक्ष से बात करूंगा लेकिन आज तक नहीं हुई। उसके बाद में बारां गोली काण्ड हुआ तो इस मामले को शिफ्ट कर रहे थे बैठे बैठे।.... वित्त मन्त्री जी गांधीवादी विचार-धारा के हैं। बेशक गांधियन फिलासफी के हैं। इसलिए मद्य निषेध को निश्चित रूप से लागू कीजिए और दिलेरी और हिम्मत का परिचय दीजिए। आपने आंकड़ों से खिलवाड़ कर के सदन को गुमराह किया है। आप जैसे गांधीवादी वित्त मन्त्री से जैसा मुख्य मन्त्री चाहें कहला देते हैं। आपकी ओट के पीछे छुपकर वार करते हैं। जो सच्ची बात कभी भी करेगा, निश्चित रूप से सदन उसके साथ सहयोग करेगा लेकिन लुका छिपी के साथ, भूल भुलावे से, चतुराई के साथ बजट पास करवाना चाहते हैं। यह डाकुमेंट बहुत ही स्पिनिंग है, most spinning budget. यह किसान विरोधी बजट है। सरकार किसानों की नहीं है। किसानों का पहला प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस छोड़ी गई और उन्हें लाठियों से पिटवाया। उसके बाद में बराबर कभी स्टूडेन्ट्स की बारी है, कभी अन्य व्यक्तियों की बारी है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज बून्दी के अन्दर अल्पसंख्यकों की बारी आ रही है। उनके पीछे पड़े हुए हैं।

इस सदन के माध्यम से अपील करूंगा जो भारी बोझ उन पर डाल रहे हैं इसके लिए जबरदस्त रोष प्रकट करना चाहिए और इस सरकार के घुटने टिकाये जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन। मैं, जैन साहब, आपसे जानना चाहूंगा आप कितना समय लेंगे।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : केवल आधा घंटा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 22 जून, 1977 के बाद जनता सरकार का यह

(श्री कौशल किशोर जैन)

तीसरा बजट है। पहला तो हमारा अन्तरिम बजट था। अगर अन्तरिम बजट के बाद देखा जाए तो जनता पार्टी का यह दूसरा बजट है।

अभी माननीय सदस्य, विरोधी दल के नेता ने एक बात बड़े जोर शोर के साथ कही कि जनता सरकार ने हम पर यह आरोप लगाया था कि भूखा नंगा राजस्थान हमको विरासत में मिला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 महीने पहले जो राजस्थान हमको मिला, उसके बारे में एक शब्द मदेरणा जी कहने में चूक गये। वह शब्द मैं जोड़ना चाहूंगा। बिना उस शब्द के जोड़े जो राजस्थान हमको विरासत में मिला है उसका वर्णन पूरा नहीं होता। वह है भ्रष्टाचार। 30 साल के भ्रष्टाचार से लिप्त राजस्थान मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को ले जाना चाहता हूं 5–7 साल पहले के इतिहास में जब 1967 के चुनाव के बाद लोकतंत्र की हत्या कर राजस्थान के अन्दर मोहनलाल सुखाड़िया मुख्य मन्त्री बने थे। उस समय मैं कालेज में पढ़ा करता था। सुना करता था कई बार, राजस्थान के मन्त्री सोना खा गए। कोई गुड़ खा गये, कोई सोना खा गये। आश्चर्य होता है, सोना कैसे खाया जाता है? नाथद्वारा का सोना खा गये, छोटी सादड़ी का सोना खा गये। कोई गुड़ खा गये। उदयपुर डिवीजन एक के मन्त्री थे, वह एक्सप्लोसिव खा गये। एक्सप्लोसिव कैसे खा गये? यह सोना कैसे खाया जाता है? कई बार मैं सुना करता था........

श्री मदनसिंह दांता : On a point of order. जुडीशियल लडिगेशन हो चुका है। बेरी आयोग की सारी रिपोर्ट डिस्कस हो गई थी। जो जजेज फैसला देते हैं उसके बारे में ये बोल सकते हैं? व्यवस्था दीजिए। When there had been already a decision by the Judge, how can you refer and speak on that.

श्री कौशल किशोर जैन : उदयपुर डिवीजन के अन्दर....

श्री मदनसिंह दांता : आप व्यवस्था दीजिये।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : मैं सुना करता था उस समय....

श्री मदनसिंह दांता : आप व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कौशल किशोर जी, इस प्रकार की अनावश्यक चर्चा न करें। जो रेलेवेन्ट प्रश्न हो उसी पर चर्चा करें।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं सुना करता था कि पानरवा के जंगल खा गये। पानरवा के जंगलों के अन्दर होने वाला कत्था खा गये। यह पानरवा का जंगल क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मोटर साइकिल से निकल पड़ा। कोटड़ी छावनी का जंगल है, सारा का सारा जंगल साफ हो गया। कहां जंगल बचा? केवल एक लंगोटी लगाए नंगे आदिवासी, काले रंग के आदिवासी....

श्री मदनसिंह दांता : यह कौन से बजट पर बोल रहे हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कत्था कहां गया ? कत्था मिला, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर के गुलाम अब्बास को। चेतक सिनेमा के मैनेजर को तत्कालीन मुख्य मन्त्री की कृपा मिली। मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा के एक मन्त्री एक्सप्लोसिव खा गये। न्यू ब्राण्ड कम्प्रेशर एक दिन के अन्दर 120 से लेकर 150 के बीच होल कर सकता है। कम से कम 120 और ज्यादा से ज्यादा 150। जो भुगतान उठाया गया वह भुगतान उठाया गया 700 होल का। सारे भीलवाड़ा जिले में इतना एक्सप्लोसिव आया ही नहीं। वे एक्सप्लोसिव खा गये।

एक माननीय सदस्य : कौन से बजट पर बोल रहे हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कई बार विकास के कामों की चर्चा चली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार के कामों के विकास की योजनाएं बनाई गई। मैं उदाहरण देना चाहता हूं भीलवाड़ा जिले में मेजा बान्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, 31 फीट उसकी भराव क्षमता है। जिस समय वह बनाया गया उस समय उस योजना का व्यय था 92 लाख किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं आप अनेक बार मेजा बान्ध पर पधारे हैं, उस मेजा बान्ध के अन्दर पिछले सालों में 21 फीट से ज्यादा पानी नहीं भरा। फिर किसलिये बनी थी वह योजना ? आज उस मेजा फीडर को पूरा करने के लिए सरकार पर दायित्व आया है। हम उसे पूरा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं उस योजना पर 39 मील की लम्बी फीडर को जोड़ा जा रहा है। तीन करोड़ उस पर खर्च होंगे, वह बनास नदी मातृ कुण्डिया के पास बहती है....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कौन से खेत की मूली हो जो कहते हो कि हम पूरा करेंगे।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कैसी योजना बनाई गई 92 लाख की जिसकी फीडर को जोड़ने के लिये तीन करोड़ का खर्चा है। वह पूरी नहीं हुई, मेजा की योजना पूरी नहीं हुई तो उसका भराव नहीं होगा।

इसी प्रकार कान्या खेड़ी की योजना पता नहीं किसने बनाई है। आज उस पर 51 लाख रुपया लगाना पड़ रहा है। फीडर बन जाय इसलिए बनाना आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये दो उदाहरण इसलिए दिये हैं कि राजस्थान के कामों के जो मस्टर रोल लिखे हुए हैं उनमें नाम उन लोगों के हैं जो लोग वास्तविक काम मंत्री के खेतों पर कर रहे थे। नाम उन मजदूरों के मस्टर रोल पर लिखे हुए हैं, लेकिन वहां इंजीनियर जावें तो मिलते नहीं थे।

मैं कहना चाहता हूं 300 करोड़ रुपया अकाल राहत पर खर्च हुआ। मैं अधिकारपूर्वक कहने की स्थिति में हूं कि 100

(श्री कौशल किशोर जैन)

करोड़ रुपया विकास के कामों में लगा होगा, 200 करोड़ कहां गये ? यह सदन इस बात को बताये कि किसकी जेब में 200 करोड़ गये ? उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन्क्वायरी की जाय तो बड़े-बड़े फसेंगे, बड़े-बड़े मगर-मच्छ हैं....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : दांता साहब, इन्तजार करें, बेरी आयोग की रिपोर्ट आ रही है।

श्री कौशल किशोर जैन : केवल एक उदाहरण और देना चाहता हूं, अकाल राहत कार्यों में जो 20 साल....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लोगों ने 20 साल में बंगले बनाये किन्तु माननीय सदस्य ने तो 20 महीने में ही बंगला बना लिया।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा। यह बात सही है माननीय सदस्य कि मैंने बंगला बनाया है किन्तु इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत कामों का केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। कदनोर से भागसी सड़क बनाई गई उसमें एक करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। एक करोड़ में से कितना खर्च हुआ, कच्ची सड़क, डामर की नहीं, ग्रेवल की नहीं और 1 लाख 12 हजार में केवल एक मील सड़क बनी।

(व्यवधान)

डूंगरपुर से राजगढ़, राजगढ़ से चौहटन और चौहटन से चूरू रोड—सड़कों की चौड़ाई 24 फीट, ऊंचाई ढाई फीट। कोई भी जाकर देख ले। अन्त्योदय में जाकर देख लें, इन सड़कों की ऊंचाई ढाई फीट की नहीं मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब मूल बिन्दु पर आना चाहता हूं। नेशनल कौन्सिल फार इकोनोमिक्स ने जो हमको आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार राजस्थान में 56·30 प्रतिशत लोग गरीबी के नीचे थे। राष्ट्रीय औसत 42·43 थी, इतना नीचे नाम राजस्थान का था। इसी तरह शिक्षा के अन्दर राजस्थान का इक्कीसवां स्थान था। बिजली की खपत में पन्द्रहवां स्थान था।

अभी विरोधी दल के माननीय नेता कह रहे थे जल प्रदाय योजनाओं के बारे में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 30 साल के शासन में जल प्रदाय योजनाओं पर 12 अरब रुपया खर्च किया है राजस्थान के 33 हजार गांव के लोगों को मीठा पानी पिलाने के लिए लेकिन राजस्थान के गांवों के लोगों को पानी नहीं मिला। 12 अरब रुपये खर्च हो गए फिर भी आज सात हजार गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। 9 हजार गांव ऐसे हैं जहां पीने को मीठा पानी नहीं है—खारा पानी है और तीन हजार गांव ऐसे हैं जहां के पानी से नारू निकलता है। 30 साल के अन्दर जो सरकार स्वच्छ जल प्रदाय नहीं कर सकी वह स्वच्छ प्रशासन क्या प्रदान कर सकती थी ? इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल 20 महीने के हमारे शासन के बारे में, हमारे बारे में भारत के

(श्री कौशल किशोर जैन)

निष्पक्ष पत्र "दिनमान" ने लिखा है....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके बारे में ?

श्री कौशल किशोर जैन : हमारी सरकार के बारे में। बनेड़ा में जनता पार्टी की जीत राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत की नीतियों की है उन्होंने एक स्वच्छ और निष्पक्ष प्रशासन देने की विश्वसनियता अर्ज की है। पिछड़े वर्ग और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये कार्यक्रम शुरू किये हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका असर दिखाई देने लगा है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने पढ़ने की इजाजत दे दी क्या ?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी, शायद आपने इसी प्रकार राज्य चलाया होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 20 महीनों के अन्दर तीन बड़े कार्यक्रम हाथ में लिये हैं राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमन्त्री महोदय ने, राजस्थान के वित्तमन्त्री महोदय ने। मैं राजस्थान के वित्तमन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने राजस्व अभियान दिया, जिन्होंने अन्त्योदय योजना दी, जिन्होंने काम के बदले अनाज की योजना दी। मैं पूछना चाहता हूं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से कि इन 20 महीनों में यह बता दें... ...

(व्यवधान)

इन तीन कार्यक्रमों में कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचार दिखा हो। राजस्व अभियान को सब जानते हैं। उनको धन्यवाद देना चाहिये जनता सरकार को कि उसने जनता और जनता के प्रतिनिधियों के बीच की दूरी कम की है। 30 साल में कब ये जन-प्रतिनिधि, कब ये मंत्री, कब ये सांसद पटवारी से लेकर कलेक्टर तक को साथ लेकर गांव-गांव की चौपाल पर बैठे हैं ? इसका कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। हमने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों को मौका दिया। लोग कहते हैं कि नौकरशाही जनता सरकार पर हावी है। उपाध्यक्ष महोदय, कौन कहता है हमने नौकरशाही को इस ढांचे में ढाला है। कलेक्टर से लेकर पटवारी तक गांव-गांव की चौपाल पर बैठा है। कोई एक उदाहरण दे दें कि नामान्तरकरण के मामलों में, अन्त्योदय के चयन के मामलों में कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ हो। 25 करोड़ रुपया काम के बदले अनाज योजना में खर्च किया है। कोई उदाहरण दे दें कि अब तक इतने बड़े-बड़े कामों में भ्रष्टाचार हुआ हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं अन्त्योदय का चयन हमने गांव-गांव में किया है। उस चयन के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बारह हजार अल्पसंख्यकों के चयन हुये हैं। 1 लाख और कुछ हजार में से बारह हजार अल्पसंख्यक हैं। यह छः प्रतिशत चयन किसने किया है ? चयन किया है जनता पार्टी

(श्री कौशल किशोर जैन)

के एम एल. एज ने, चयन किया है गांव-गांव में बैठे हुए सरपंचों ने, चयन किया है एस. डी. ओ. और पटवारी ने। बहुतायत समाज ने चयन किया है। हमारे पर आरोप लगाते हैं विरोधी दल के लोग कि तुम लोग जनता पार्टी वाले मुसलमानों को खा जाना चाहते हो, मुसलमानों को समाप्त करना चाहते हो; उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे साम्प्रदायिक सौहार्द का उदाहरण भारत के किसी प्रान्त में देखने को मिला है ?

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : On a point of information, sir.

श्री रामनारायण चौधरी : कल ही बूंदी में मुसलमानों को खा गये हो।

श्री रघुनन्दन व्यास : केवल जनता सरकार के विधायक गांवों में गए तो क्या कांग्रस के विधायकों ने बायकाट कर रखा था ? इसका स्पष्टीकरण दिया जावे।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं निवेदन कर रहा था.....

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : यह जनता पार्टी की मीटिंग में बोल रहे हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इन बारह हजार लोगों का चयन किसने किया ? बहुतायत समाज ने किया है। इस प्रकार का साम्प्रदायिक सौहार्द राजस्थान के अन्दर कभी नहीं रहा। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री उदयपुर के थे लेकिन दो बार उदयपुर साम्प्रदायिक दंगों में जलता रहा, धधकता रहा। इन दो वर्षों में राजस्थान में एक भी साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ।

आज कई बार संघ की आलोचना की जाती है, जनसंघ की आलोचना की जाती है। जनसंघ आज नहीं रहा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 62 में चीन का आक्रमण हुआ था और 63 में 26 जनवरी को दिल्ली के अन्दर दोनों कांग्रेस, सम्मिलित कांग्रेस के प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के निमन्त्रण पर आज के दिल्ली के मुख्यमन्त्री केदारनाथ साहनी नेकर पहनकर जुलूस में निकले थे। नेकर पहनने से हमारा स्वाभिमान बढ़ता है, इसी नेकर के पहनने वालों से आपके पंडित नेहरू ने कहा था कि आइये, देश की रक्षा का सवाल है, देश के मनोबल का सवाल है। आइये, आगे बढ़िये। आज आप आरोप लगाते हैं हम पर। क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थ को छोड़ दीजिये। जनसंघ की ही यह बात थी और आज भी केदारनाथ साहनी जनसंघ के हैं। यह बात भी ठीक है कि आज राजस्थान के मुख्यमन्त्री जनसंघ के थे। यह जनसंघ ही है जिसके राज्य के अन्दर साम्प्रदायिक सौहार्द है। इस राज्य के अन्दर बारह हजार मुसलमानों का चयन अन्त्योदय योजना में किया गया है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : राजस्थान के मुख्य मन्त्री नेकरधारी नहीं हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : किसी प्रशासन की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से मेरा समय काटा जा रहा है।

(श्री कौशल किशोर जैन)

आज राजस्थान के आर्थिक विकास की गति क्या है ? एक बात। दूसरी बात कि जनता के प्रति संवेदनशीलता हमारी क्या है ? कई बार कहा जाता है कि इमर्जेन्सी में ग्रोथ रेट ज्यादा थी। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आज के मुख्यमन्त्री दिल्ली के सूबेदार नहीं हैं। हमारे मुख्यमन्त्री इमर्जेन्सी के अन्दर देश के प्रधानमन्त्री के लाडले को ऊंट से नीचे उतारने के लिए कन्धा देने वाले नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने विकास को गति दी है और एक माननीय सदस्य फर्मा रहे थे कि दिल्ली को केन्द्र बना दिया, दिल्ली को राजधानी बना दिया। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि दिल्ली को कौन राजधानी बना सकता है। यह दिल्ली कभी इन्द्रप्रस्थ था, पुरानी दिल्ली मुगलों की राजधानी थी और नई दिल्ली अंग्रेजों की राजधानी थी। इसको कौन बना सका है ? हमारे माननीय मुख्यमन्त्री महोदय दिल्ली में जाकर और हमारे माननीय वित्तमंत्री महोदय दिल्ली में जाकर राजस्थान के विकास की योजना के लिए पैसा लेकर आते हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है....

श्रीमती सुमित्रासिंह : लाए कहां ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपके वित्त मन्त्री ने माना है कि हमारा पैसा कट गया।

(व्यवधान).

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं संवेदनशीलता का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के तीन लाख कर्मचारी हैं उनमें डेढ लाख पर मुकदमे थे। कई इन्क्वायरी के केस थे, कई पदोन्नति के केस थे या किसी और प्रकार के केस थे। वित्त मन्त्री महोदय और राजस्थान के मुख्यमन्त्री महोदय को धन्यवाद है कि पिछले बीस महीनों में डेढ़ लाख में से एक लाख मुकदमे निपटा दिए। इस तरह से राजस्थान को स्वच्छ प्रशासन प्रदान किया है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर आज हाय हाय क्यों कर रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप भड़काते हो इसलिए।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ लघु विकास अधिकरण के बारे में। मैं कहना चाहता हूं विरोधी दल के लोगों से कि उन्होंने राजस्थान के अन्दर तीस वर्षों में गरीब-गरीब के अन्दर खाई खड़ी कर दी और आज वे बात करते हैं एकता की। उन्होंने राजस्थान के एक जिले से दूसरे जिले को भिड़ा दिया। राजस्थान के अन्दर केवल छः जिले थे जिनको केन्द्र के द्वारा लघु विकास अधिकरण के लिए अनुदान दिया जाता है। यह जनता सरकार की उपलब्धि है, यह मुख्य मन्त्री महोदय की उपलब्धि है और यह वित्त मन्त्री महोदय की उपलब्धि है कि डेढ़ साल के शासन के अन्दर हम राजस्थान के 26 जिलों को लघु विकास अधिकरण के लिए केन्द्र से अनुदान दिलाने में समर्थ हुए हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मुख्य मन्त्री जी की फोटो गले में डाल लो और ढोल पीटो।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने तो बहुत ढोल पीटे हैं। आज के मुख्य मंत्री ही नहीं राजस्थान के सारे मुख्य मंत्रियों के ढोल पिटते रहे। याद है या नहीं ......

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आर. एस. एस. में ढोल पीटा होगा।....

श्री दाऊदयाल जोशी : हम तो ढोल भी पीटेंगे, हम तो कार्यकर्ता हैं। तुम्हारी तरह दगा नहीं करते।

श्री मदनसिंह दांता : वह दगा नहीं था। तुम डरते हो तो मुख्य मन्त्री की फोटो गले में डाल लो और ढोल बजाओ।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम नेता का पीछा नहीं छोड़ने वाले।

श्री मदनसिंह दांता : इनकी तारीफ तो हम भी कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था विरोधी दल के लोगों से जो उछल रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम से कि उनकी उपलब्धि क्या है ? जितना केन्द्र से लघु विकास अधिकरण के लिए सन् 71 से लेकर 77 तक राजस्थान को अनुदान दिया विकास के लिए उसका चालीस प्रतिशत ही खर्च कर पाये बाकी लैप्स हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले तीस वर्षों में आपने क्या किया, चालीस प्रतिशत केवल दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1974 से 77 तक इस योजना के अन्दर केवल 3.84 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। जहां तीन साल के अन्दर केवल 3 84 करोड़ रुपया खर्च किया गया वहां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1978-79 के अन्दर 3.30 करोड़ की व्यवस्था थी और 1979-80 के बजट के अन्दर छः करोड़ की व्यवस्था हमने की है जो राजस्थान की तस्वीर बदल देगा। जहां पर आपने गरीब-गरीब के बीच में खाई खड़ी कर दी थी, मतभेद की दीवार खड़ी कर दी थी, उस दीवार को इस राज्य के वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय ने और इस राज्य के वित्त मंत्री महोदय ने ढहा दिया है। छः जिलों को जहां पर तीन करोड़ रुपया दिया था वहां पर अब 26 जिलों को एक ही वर्ष के अन्दर छः करोड़ रुपया मिलेगा।

अभी डी. पी. ए. पी. की चर्चा कर रहे थे विरोधी दल के नेता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये आंकड़े हैं, खाली कल्पना नहीं है। इसलिए शायद उनको भाषण में रस नहीं आया। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था इसीलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के समय बहिष्कार कर के चले गए। शायद उनके पास कहने को कोई सामग्री नहीं थी। सूखा सम्भावित क्षेत्रों के लिए 1974 से 1977 तक के तीन वर्षों के लिए केवल 13 करोड़ का प्रावधान था। चालू वर्ष के अन्दर हमने 18 करोड़ का प्रावधान किया है और 1970-80 में यह प्रावधान 25 करोड़ का है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सा गुनाह है। यह प्रावधान कितने गुना अधिक है। जो सरकार सूखा सम्भावित क्षेत्रों के विकास के लिए 25 करोड़ का प्रावधान करती है

116

(श्री कौशल किशोर जैन)

हम उसकी प्रशस्ति गाते हैं तो विरोधी दल के माननीय सदस्यों को आपत्ति होती है....

श्री मदनसिंह दांता : इसमें क्या आपत्ति है ?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान नहर के लिए, हमारे लिए बहुत महत्व है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दस मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस साल राजस्थान नहर के लिए हमारी सरकार ने 32.75 करोड़ का प्रावधान किया है।

मैं यहां पर योजना के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा जो कि इस डिबेट का मुख्य बिन्दु है। इस साल दिल्ली के अन्दर सारी स्टेट्स को मिलाकर कुल 80 करोड़ का प्रावधान किया गया था. उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं केवल राजस्थान के लिए हमारी सरकार उसमें से 40 करोड़ रुपया लेकर आई है। यह हमारे लिए हर्ष की बात है। 3 वर्षों के अन्दर पहली बार राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय केन्द्र से ऊपर आई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1977–78 में केन्द्र का प्रति व्यक्ति आय का औसत 107 रुपये था और स्टेट का 78 रुपये आया था। 1979–80 के अन्दर नेशनल एवरेज 102 रुपये पर पहुंचा है और स्टेट का 107 तक पहुंच गया। 1979–80 में स्टेट को 91 रुपये और राष्ट्रीय औसत 103 रुपये हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र का, या राष्ट्रीय औसत 103 से 102 रुपये हो गया यानि कम हो गया और उसके मुकाबले हमारे प्रदेश का औसत बढ़ा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की अगली योजना दो हजार करोड़ रुपये की होगी। यह प्रावधान इस सरकार ने किया है।

श्री मदनसिंह दांता : सेन्टर चलायेगा इन योजनाओं को। आपके हाथ में नहीं रहेगी।

श्री कौशल किशोर जैन : केन्द्र में भी हमारी ही सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर क्षेत्रीय असन्तुलन के बारे में भी बात कही गई है। शिक्षा के अन्दर, अन्त्योदय के अन्दर, एस. एफ. डी. और आदिवासी क्षेत्र विकास के अन्दर क्षेत्रीय असन्तुलन को हमने समाप्त किया है।

ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो बजट दिया है, उसको ग्रामपरक बनाया है। माननीय सदस्यों ने यहां पर यह शंका प्रकट की कि पिछली बार आपने ग्रामपरक बजट बनाया था, उसका क्या हुआ ? इस सम्बन्ध में मैं उनको एक निवेदन करना चाहता हूं। वर्ष 1978-79 और 1979–80 में हमने ग्रामीण विकास के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं उनमें ग्रामीण सड़कों के लिए जहां पहले 9.04 करोड़ रुपये का प्रावधान था वहां उसके मुकाबले अब 15.18 करोड़ का प्रावधान

(श्री कौशल किशोर जैन)

होगा। इसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पिछले साल 12.75 करोड़ रुपये का प्रावधान था, उसके मुकाबले इस वर्ष 42.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पेयजल के लिये 12.83 करोड़ रुपये का प्रावधान था उसके मुकाबले इस वर्ष 20.60 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसी प्रकार से शिक्षा के मद में 56 करोड़ 43 लाख के मुकाबले 68.88 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य के लिये 3.75 करोड़ जो पिछले साल था उसको बढ़ाकर 4.70 करोड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार पिछले साल जहां अन्त्योदय के लिए 0.25 करोड़ रखे गये थे, वहां इस वर्ष 3.50 करोड़ रुपये रखे गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल ग्रामीण विकास पर कुल 280.25 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया था, उसके मुकाबले इस वर्ष 466.06 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास के मद में व्यय होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछली बार ग्रामीण विकास का जो प्रतिशत था वह 64 प्रतिशत था, इस बार यह प्रतिशत 70 प्रतिशत होगा। आज तक किसी भी सरकार ने पिछले तीस साल में ग्रामीण विकास के लिए इतना खर्च नहीं किया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप चौपड़ पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कांत : आप से बड़ा धीमा बोल रहे हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर क्षेत्रीय असन्तुलन की बात कही जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, जब जनता पार्टी ने सत्ता सम्भाली थी तीन हजार की आबादी वाले 100 से 150 कस्बे ऐसे थे जहां पर सैकेन्डरी स्कूल नहीं थे।....

श्री श्योपतसिंह मकासर : This is repetition.

श्री कौशल किशोर जैन : शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री खेतसिंह, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य श्री मथुरादास जी माथुर ने भी इस बात की तारीफ की है कि इस साल सबसे ज्यादा स्कूल उनके क्षेत्र में खुले हैं। यह आपने स्वीकार किया है। सच्चाई तो वह है जो सिर पर चढ़कर बोले। जादू वह है जो सिर पर चढ़कर बोले।........

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक बात और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें कोई जादू नहीं है।

श्री कौशल किशोर जैन : इस बार राजस्थान सरकार ने ग्रामों के उत्थान की एक योजना बनायी है। पंचायत समिति के अन्दर....

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आपके मुख्य मंत्री बाहर चले गये हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक पंचायत समिति के अन्दर चार गांव छांटे गये हैं। 2500 से ऊपर आबादी है तो पांच गांव छांटे जायेंगे। राजस्थान में

(श्री कौशल किशोर जैन)

पहली बार यह व्यवस्था की जाएगी कि जितनी पंचायत समितियां है, उनके हिसाब से 1200 गांवों का चयन करके, इन गांवों के अन्दर सभी प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। सैकन्डरी स्कूल, चिकित्सालय, पंचायत भवन, उद्योग केन्द्र, जितने भी विकास के सोपान हैं, वे एक ही स्थान पर जोड़े जायेंगे। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूँ जहां पहले केवल 6 विकास के केन्द्र थे, जो डामर की सड़कों से जुड़े हुए थे, जहां स्कूल सरकार बनाती थी, किन्तु हमने राजस्थान के अन्दर 1200 केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गांवों के विकास की एक नई कल्पना की है। गांवों के विकास का सोपान हमने निश्चित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। केवल एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जिस समय हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे, उस समय हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी बांसवाड़ा आई थीं। उन्होंने वहां पर आदिवासियों को इकट्ठा किया था। 1976 में एक योजना बनाई गई थी, इस बात की घोषणा की गई थी कि हम जिले का चयन करेंगे और उसको विकास के सारे सोपान प्रदान करेंगे। हरिदेव जोशी के सारे कार्यकाल के अन्दर केवल एक जिला सलेक्ट किया गया। यह केवल डेढ़ मिनट का काम था। उस डेढ मिनट के काम के इतने गीत गाये गये। हमने अंत्योदय योजना के अन्तर्गत एक लाख लोगों का चयन किया। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत राजस्थान के गांव गांव को पक्की सड़कों से जोड़ दिया, 25 करोड़ रुपया खर्च करके रोजगार उपलब्ध कराया परन्तु हमारे विरोध दल के सदस्य वाक आउट करते हैं। वाक आउट करते रहें उसके बावजूद जनता पार्टी और उसकी सरकार आगे बढ़ती रहेगी, विकास के काम भी करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि अब जो भी माननीय सदस्य बोलें वे ज्यादा समय न लें। केवल 10-15 मिनट में ही वे अपने विचार प्रकट करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री भंवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी था।

श्री उपाध्यक्ष : एक-दो विरोधी दल के सदस्य भी बोल लें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को अपनी ओर से वर्ष 1979-80 का बजट पेश कर देने के उपलक्ष में बधाई देना चाहती हूं। बधाई इसलिए कि पांच दिन पहले तक ऐसा लगता था कि शायद इस वर्ष वे बजट प्रस्तुत नहीं कर पावें। भगवान की कृपा से, आपस के समझौते से इस बार भी वे बजट प्रस्तुत कर सके, इसके लिए उनको बधाई।

उपाध्यक्ष महोदय, 1979-80 का यह बजट, जो माननीय वित्त मन्त्री जी ने यहां

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पर प्रस्तुत किया है, वह एकदम निराशाजनक, समाज विरोधी, पूंजीवाद का पोषक, आर्थिक प्रगति के चक्र को उल्टी गति देने वाला, सर्वहारा के हितों के बिलकुल विपरीत, किसान विरोधी है, इस तरह का बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने सदन में पेश किया है।

अभी मुझसे पहले भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तो वे बड़े जोर शोर से आरोप लगा रहे थे। मुझे याद है, वे जोर-जोर से यह कह रहे थे, भूतपूर्व कांग्रेस प्रशासन ने, भूतपूर्व कांग्रेस शासन के मन्त्रियों ने गुड़ खाया, सोना खा गये, तो मुझे बड़ी हंसी आई। सोना तो खाने की चीज थी सोना खा गये, गुड़ खाने की चीज है गुड़ खा गये लेकिन जनता पार्टी का इस बार का यह बजट तो मतदाता को खा गया। मतदाता भी कोई खाने की चीज है क्या? वह तो जिन्दा रखने की वस्तु है। लेकिन आप तो उस गरीब को खा गये और डकार भी नहीं ली जिसने अपना मत देकर आपको यहां भेजा। मैं यह इसलिए कहती हूं, अन्त्योदय की गर्वोक्ति करने वालो, राजस्व अभियान का ढिंढोरा पीटने वालो, और काम के बदले अनाज योजना की बात करने वालो कि भेड़ और बकरी चराने वाले से अन्तिम व्यक्ति कोई नहीं होता। आपने उसे भी नहीं छोड़ा। एक तरफ तो आप उनके विकास की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ दो महीने के छोटे भेड़-बकरी के बच्चे, जिसकी कीमत 25-30 रुपये से ज्यादा नहीं होती, पर आपने फी नग 5 रुपये बिक्री कर लगा दिया····

(व्यवधान)

माननीय मुख्य सचेतक महोदय, कृपया तेज न होवें····

(व्यवधान)

माननीय मुख्य सचेतक महोदय, जिस शादी में दो करोड़ का खर्चा हुआ है वहां माल खाकर लौटे हैं, उपहार लेकर लौटे हैं इसलिये उनको याद आ गया कि मतदाता को खाने की बात क्यों कर रही हूं?

श्री दाऊदयाल जोशी : निमन्त्रण आपको भी दिया था।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : मुझे कुछ व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्या ने मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं····

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 40 मिनट तक आपने भाषण दिया तब तो स्पष्टीकरण दिया नहीं और मेरे भाषण के बीच में ख्वाहमख्वाह स्पष्टीकरण देने लगे।

मैं यह निवेदन कर रही थी....

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बाद में समय दिया जाय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आज के हमारे जो मुख्य मन्त्री और

(120)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सदन के नेता हैं वे जब यहां विरोधी दल की बेंच पर बैठा करते थे तो बड़े जोर-शोर से कहा करते थे कि चौथे, पांचवे और छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक आप चौथी, पांचवी और छठी योजना के लिए सहायता लेने से असफल रहे हैं, आप राजस्थान के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते, राजस्थान के ढाई करोड़ लोगों के साथ अपनी कुर्सी के लिए मजाक मत बनाओ। आज यही बात मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। उस समय की बात और थी। आज 7 वे वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राजस्थान को कम हिस्सा मिला है इसके बाद भी वे अपने नेतृत्व के बौने होने की बात नहीं कहते। 30 में से 22 दिन दिल्ली में रहते हैं और कहते हैं कि राजस्थान को विरासत में गरीबी, बहुत बड़ा भू-भाग मिला है जिसमें अनेक समस्यायें हैं। वे राजस्थान के पक्ष को सातवे वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे।

इस तरह का बजट रखा है वित्त मन्त्री जी ने जिन्होंने पहले बड़ी घोषणायें की थीं। हम भी सोचते थे कि भई, मुख्य मन्त्री जी कुछ भी करें लेकिन वित्त मन्त्री जी गांधीयन हैं, ये तो मौलिक विचारधारा देंगे, सर्वहारा की भलाई का बजट पेश करेंगे। लेकिन यह निराशाजनक बजट है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उन्हीं के आंकड़े प्रस्तुत करूंगी। आंकड़ों के जरिये उन्हीं से निवेदन करना चाहती हूं कुछ ऐसी बातें जो अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त के विपरीत हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय विकास की औसत दर के मुकाबले वे पर-केपिटा इनकम के बढ़ने की बात कह रहे हैं लेकिन यह तो सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य का बजट वही अच्छा होता है जिसमें नान टैक्स रेवेन्यू अधिक हो और टैक्स रेवेन्यू कम हो। आपके बजट भाषण से ही यह स्पष्ट है कि लगातार आपकी नान टैक्स रेवेन्यू घट रही है. जब कि टैक्स रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है। 1977-78 में जो टैक्स रेवेन्यू 72.71 थी वह 1978-79 में 198.89 और 1979-80 में 217.12 हो गई और नान टैक्स रेवेन्यू 1977-78 में 229.84 थी वह 78-79 में 308.69 और 79-80 में घट कर 245.46 हो गई। पिछले एक साल से ही कैसे लगातार आपकी नान टैक्स रेवेन्यू घट गई? किसी भी कल्याणकारी राज्य का सोशल और इकानामिक सर्विसेज में जो पर केपिटा खर्च है नान टैक्स रेवेन्यू है वह बढ़नी चाहिए। इसी तरह से पर केपिटा जो रिसीट्स हैं लैण्ड रेवेन्यू से जब हमने सत्ता छोड़ी थी तो वह 2.95 थी जो बढ़कर 4.09 हो गई। सैल्स टैक्स के बारे में घोषणा सरकार ने शासन सम्भालने पर तो की थी कि इसको बन्द करेंगे लेकिन हुआ उसका उलटा। बिक्री कर 32.85 से बढ़ कर पिछले साल 36.60 हुआ और इस साल 41.69 हो गया। नान टैक्स रेवेन्यू लगातार आपकी पिछले सालों की तुलना में गिरती जा रही है। जो पर केपिटा 98.86 था वह घट कर 76.94 हो गया है। दूसरी तरफ आप घोषणा कर रहे हैं कि हमने पर केपिटा इनकम बढ़ा दी है। कैसे क्या होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जिस सरकार के बजट में पर कैपिटा एक्सपेन्डिचर सोशल कम्युनिटी सर्विसेज में जहां घट कर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

58.59 हो गया वह सरकार कैसे समाजवाद की ओर बढ़ने वाली मानी जायेगी ? कैसे कल्याणकारी कही जा सकती है। सोशल कम्युनिटी सर्विसेज के ऊपर पिछले साल खर्च कर रहे थे 68.89 और इस बार आपका खर्चा है 68-50। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रही थी कि पर-केपिटा नान-टैक्स रेवेन्यू घट गई, पर केपिटा सोशल एण्ड कम्युनिटी सर्विसेज पर खर्चा घट गया है, उसके बाद भी यह सरकार दावा रखती है कि हमारी आर्थिक हालत पहले से अच्छी हो गई है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जब माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने पद का कार्यभार सम्हाला था उस समय सबसे पहले दो चीजों की घोषणा उन्होंने की। एक तो यह कहा था कि भ्रष्टाचार को राजस्थान से बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। दूसरी पेयजल की व्यवस्था के बारे में घोषणा की थी। पेय जल की व्यवस्था का भी यही हाल है। 1977-78 से लेकर अब तक जो प्रोवीजन है वह 1977–78 में कुल मिला कर 32.41 करोड़ था, फिर 1978–79 में 38.54 करोड़ हो गया और इस बार 39.70 करोड़ जिस हिसाब से पापुलेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से करीब-करीब उतना ही है, कोई वृद्धि नहीं हुई है।

तो मैं निवेदन कर रही थी कि भ्रष्टाचार की समाप्ति की घोषणा की गई थी तो भ्रष्टाचार का हाल यह हो गया कि पहले तो कहीं वह चोरी छिपे होता था लेकिन अब तो भ्रष्टाचार की जो हालत है उसको आपने स्वयं अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है। लॉ एण्ड आर्डर की जो स्थिति है वह निरन्तर गिर रही है। विरोधी दल का आप पर एक ही चार्ज था कि लगातार कानून और व्यवस्था की स्थिति राजस्थान में बिगड़ती जा रही है। आपने स्वयं अपने बजट भाषण में इस बात को स्वीकार भी कर लिया है तथा स्वीकार करके पुलिस के बजट को आपने बढ़ा दिया है। 3 करोड़ से अधिक पुलिस प्रशासन में केवल इस बात के लिए बढ़ाया गया है। आपने स्वयं इस बात को माना है कि जिस तरह का पुलिस प्रशासन है और जिस तरह की कानून और व्यवस्था की स्थिति बन गई है, उस सबको सुधारने की आवश्यकता है इसलिए पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अगले वर्ष के लिए तीन करोड़ अधिक की राशि की व्यवस्था की गई है। तो, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रही थी कि जो विरोधी दल का चार्ज था कि आपकी कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और भ्रष्टाचार आपका बढ़ता जा रहा है वह सही था।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आपने इस वार के बजट में जितने कर लगाये हैं वह सारे के सारे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को बिल्कुल क्षत-विक्षत अवस्था पर पहुंचा देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि सेन्ट्रल बजट में उप प्रधान मन्त्री श्री चरणसिंह जी ने जो कुछ थोड़ी बहुत छूट मामूली सी फर्टीलाइजर में देकर ग्रामीणों के आंसू पोंछने का प्रयास किया था। आपने ईर्ष्यावश ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के ऊपर तीखा प्रहार किया है, कुठाराघात किया है। एक तरफ तो बन्दोबस्त नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ आपने जितना लगान है

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उसका 25 पर्सेन्ट लगान बढ़ा दिया है। 20 साल से जिनके खेतों में कुए बने हुए हैं चाहे उन्होंने अपने ही पैसों से बनाये हों उनसे चाही दर से लगान वसूल लिया जायगा। सिंचाई की दरें आपने ड्योढ़ी कर दी। भेड़ और बकरी पर भी बिक्री कर 5 रुपया पर हैड कर दिया है जब कि वह पहले मूल्य पर था। क्या यह टैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पोषक है, क्या उसके कतई विपरीत नहीं है? दूसरी तरफ जो एक अच्छा कानून था। जो बड़े-बड़े लोग हैं वह बिक्री कर की चोरी करते थे और एक लाख की टर्न ओवर पर टैक्स नहीं देते थे, उनकी चोरी पकड़ी जाती थी तो उनको जेल की सजा एवं जुर्माने तथा दोनों का प्रावधान जिस कानून में था उसको हटा दिया। मेरी समझ में नहीं आता है कि उसको वापस संशोधित करके इनको छूट देने की आवश्यकता क्या थी? ऐसा लगता है, माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त मन्त्री जी और मंत्रिमण्डल ने इस सारे मामले में जो कुछ किया है वह इसलिए किया कि सत्ता में जिस प्रकार से आये थे और जिसकी सहायता से इनको सत्ता मिली, जिन साहूकारों के वोट लेकर यह आये थे उनको इसके लिए इनाम दिया गया है। यह जो उनका कदम है वह गलत ही नहीं अपितु प्रतिक्रियावादी है। ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लगाने का जो सिद्धांत है, जो समाजवादी सरकार कहलाना चाहती है जो अपने आपको कल्याणकारी सरकार कहती है उसका यह टैक्स उसके विपरीत है। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में टैक्स का यह सिद्धान्त है कि जिसकी क्षमता ज्यादा है उस पर ज्यादा टैक्स लगाये जायं....

श्री मूलचन्द डागा : यह घटकवादी सरकार है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और जिनकी क्षमता नहीं है उनको टैक्स से छूट दी जाय। यह सरकार प्रतिक्रियावादी सरकार है। इसका अब नकाब उतर गया है। नकाब पहन कर जो यह अपने आपको समाजवादी कहती थी इसका वह नकाब इन टैक्सों के लगाये जाने के बाद उतर गया है और यह प्रतिक्रियावादी सरकार सामने आई है।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहती हूं, माननीय वित्त मंत्री जी सम्पूर्ण उत्तरी भारत के सारे राज्यों के वित्तीय विवरण मंगाकर देखें कि इस फर्टीलाइजर के ऊपर उत्तरी भारत में दिल्ली प्रशासन के अलावा कहीं पर भी आक्ट्राय (चुंगी कर) नहीं लगता है, चुंगी कहीं नहीं लगती है। किसी भी प्रदेश को लें। राजस्थान में यदि दिल्ली से फर्टीलाइजर आया तो मल्टीपल पाइंट पर काश्तकार को टैक्स देना पड़ता है। जयपुर में आया तो जयपुर की म्यूनिसिपैलिटी चुंगी लगायेगी। मैं यह बात और कहना चाहता हूं कि आम तौर पर नगरपालिकायें हैं वह काश्तकारों की सुविधा के लिए कुछ नहीं करती हैं। किसानों को व खेती करने वालों को यह कोई सुविधायें नहीं देती हैं, इसलिए फर्टीलाइजर पर आक्ट्राय (चुंगी) लेने का कानूनी और नैतिक हक भी उनको नहीं है। वह उनको कोई सुविधायें नहीं देती हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उत्तर भारत के सारे प्रान्तों में फर्टीलाइजर पर चुंगी नहीं है अन्य राज्यों ने उसको चुंगी से मुक्त ही नहीं रखा है बल्कि हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय वित्त मन्त्री जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूं आप इसको

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सुनें और इस तरह से बात न करें। जो महत्वपूर्ण बात मैं कह रही हूं उसको समझने की कोशिश करें। इस तरह से गरीबों पर एक तरफ अपनी घोषणा में जबरदस्त टैक्स लगाया है और दूसरी तरफ अन्य राज्यों के मुकाबले में एक अजीब तरह की भेदभावपूर्ण, एक अजीब तरह की परम्परा यहां पर चल रही है। तीन प्रदेशों की सरकार ने फर्टीलाजर को चुंगी से मुक्त ही नहीं रखा है बल्कि यह तीनों सरकार फर्टीलाइजर के ऊपर 20 पर्सेंट से लेकर 25 पर्सेन्ट तक सब्सिडी और देती हैं। सब्सिडी की बात करें तो बहुत अच्छा है लेकिन कम से कम उत्तरी भारत के अन्य प्रान्तों की तरह से आप भी इस फर्टीलाइजर को तो चुंगी से मुक्त कर दें। मैं निवेदन कर रही थी कि एक तरफ तो जहां सारे उत्तरी भारत के अन्दर चुंगी मुक्त फर्टीलाइजर बिकता है वहां राजस्थान में न केवल एक जगह बल्कि मल्टीपल पाइन्ट पर जगह जगह चुंगी देनी पड़ती है। यदि खाद यहां आया तो जयपुर की चुंगी और जयपुर से बाहर गया तो यदि चौमू में म्यूनिसिपैलिटी है तो चौमू में चुंगी, वहां से चल कर फिर सीकर में चुंगी और सीकर के बाद झुन्झुनू जायगा तो वहां पर चुंगी""

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह क्या हो रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेन्चेंज को चाहिए कि वह माननीय सदस्यों के भाषणों को शांति से सुनें। मैं यहां पर बोल रही हूं, अपने सुझाव दे रही हूं और वह बातें कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

तो, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रही थी कि झुन्झुनूं के अन्दर पहुंचते पहुंचते नतीजा क्या होता है, यह आपको मालूम है।

एक माननीय सदस्य : समय समाप्त हो गया है।

एक माननीय सदस्य : टाइम बढ़ा दें।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि जो जबरदस्त गड़बड़ और घोटाले किये हैं, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगी""

एक माननीय सदस्य : समय समाप्त हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक का समय समाप्त हो गया है।

सदन की बैठक कल दिनांक 7 मार्च, 1979 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.00 बजे, बुधवार दिनांक 7 मार्च, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न से 129 का विवरण)

प्रदेश के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में वनस्पति एवं मरुस्थलीय वन्य प्राणी संरक्षण के लिए जैसलमेर, बाड़मेर जिले से लगती भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर एक राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थापित किया जा रहा है। इस मरु उद्यान में लुप्त प्रायः गुड़ावन को संरक्षण मिल सकेगा। यह मरु उद्यान लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत होगा।

इस परियोजना पर प्रारम्भिक पांच वर्षों में 3.32 करोड़ रु० व्यय होंगे। इस वर्ष (1978–79) में अनुसंधान, संचार संसाधान व अन्य सामग्री क्रय करने व अमले की व्यवस्था पर 18.11 लाख रु० व्यय होंगे।

गुड़ावन एक अत्यन्त दुर्लभ पक्षी है जो मुख्यतः रेतीले प्रभाग में पाया जाता है। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत इसे परिशिष्ट 1 में रखा गया है। परिशिष्ठ 1 में सम्मिलित समाप्त समस्त वन्य प्राणियों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम में परिशिष्ठ 1 में सम्मिलित पशु पक्षियों के अवैध शिकार पर कम से कम छः माह और अधिक से अधिक 6 वर्ष की कैद की सजा या/और कम से कम पाँच सौ रुपये या अधिक से अधिक 2000 रु० जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है। आगामी वर्ष इस पक्षी के प्रजनन के लिये केन्द्र स्थापित करने की भी योजना है।

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 131)

दि० 24-6-77 से 28-2-79 तक दण्डित किये गये राज्य सेवा के अधिकारियों की सूची

क्रमांक	नाम व पद	दिया गया दण्ड	आदेश दिनांक
1.	2	3.	4
1.	श्री कालूराम रेगर, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी	परनिन्दा	27-6-77
2.	श्री विजयसिंह कटिआर, पशु पालन प्रसार अधिकारी	लिखित चेतावनी	2-7-77
3.	श्री डी. एन. मजूमदार, सी. ए. एस.	दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	2-7-77
4.	श्री ओमप्रकाश शर्मा...	तीन...	13-7-77
5.	श्री एन. के. व्यास, अधि. अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग	लिखित चेतावनी	15-7-77
6.	श्री एस. एन. कपूर, सहायक शासन सचिव	तीन वेतन वृद्धियां संबंधी प्रभाव से रोकी गई।	15-7-77
7.	श्रीमति एल. टी. रामले, उपनिरीक्षक स्थूलन	परिनिन्दा	21-7-77
8.	श्री भवानी कुमार माथुर, विकास अधिकारी	परिनिन्दा	26-7-77
9.	श्री दीनमोहम्मद, सहायक अभियन्ता सा. नि. वि.	लिखित चेतावनी	27-7-77
10.	एस. एन. व्यास, आर. ए. एस.	तीन वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गईं।	9-8-77

1	2	3	4
11.	श्री ओ. पी. डी. माथुर, स्वा. अभियन्ता	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	31-8-77
12.	श्री सीताराम हल्दिया, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी	परिनिन्दा	21-9-77
13.	श्री आबिद अली, आर. ए. एस.	दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई।	24-9-77
14.	श्री प्रतापसिंह, लेखाधिकारी	एक ,,	3-10-77
15.	श्री सत्यदेव, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी	प्रत्येक की तीन वृद्धियां संचयी प्रभाव से	7-10-77
16.	श्री बी. डी. शर्मा, पर्यवेक्षक	रोकी गई	
17.	श्री एन. पी. कुशाल, अधि. अभियन्ता, जन. अभियान्त्रिक विभाग	लिखित चेतावनी	14-10-77
18.	श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी	एक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकी गई।	26-10-77
19.	श्री सुरेन्द्रसिंह, आर. ए. एस.	,, असंचयी ,,	26-10-77
20.	श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा, वैद्य	एक वेतन वृद्धि रोकी गई।	1-11-77
21.	श्री के. के. जैमन, आर. ए. एस.	एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई।	1-11-77
22.	श्री जी. पी. शर्मा, सहा. अभियन्ता, जन. अभियान्त्रिक विभाग	तीन वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	30-11-77
23.	श्री रमेशचन्द्र गुप्ता, आर. ए. एस.	परिनिन्दा	14-11-77
24.	श्री सी. एल. नाग, अधि. अभियन्ता	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	17-11-77
25.	श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा, आर. ए. एस.	दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	21-11-77

1	2	3	4
26.	श्री भंवरसिंह तंवर, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी	एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई।	28-11-77
27.	श्री आर. सी. जूनेजा, सहा. अभियन्ता	,, असंचयी ,, प्रभाव से रोकी गई।	5-12-77
28.	श्री हरिबल्लभ दिक्षित, उपनिरिक्षक विद्यालय	लिखित चेतावनी	7-12-77
29.	श्री गोविन्द, एम. यान्त्रिक, निरिक्षक विद्यालय	,,	,,
30.	श्री हरिमोहन भाटिया, अधि. अभियन्ता सिंचाई	परिनिन्दा	12-12-77
31.	श्री प्रेमसिंह देवड़ा, विकास अधिकारी	दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव में रोकी गईं।	,,
32.	श्री एच. एस. सागू, सहायक अभियन्ता	तीन ,,	21-12-77
33.	श्रीमती पूर्णिमा शर्मा, जी. ए. एस.	एक ,,	,,
34.	श्री आर. के. सुरोलिया, आर. पी. एस.	परिनिन्दा	28-12-77
35.	श्री एम. के. बक्षी, अधि. अभियन्ता	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	,,
36.	श्री एच. एस. राजपुरोहित, आर. ए. एस.	पेन्शन का 1/10 भाग एक वर्ष के लिए रोका गया।	29-12-77
37.	श्री जगदीश सांखला, सी. ए. एस.	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	,,
38.	श्री नारायण स्वरूप भटनागर, सहायक अभियन्ता सा० नि० वि०	,,	30-12-77
39.	श्री मोहम्मद ताहीर, डाक्टर (वेटनरी)	एक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकी गई।	4-1-78

1	2	3	4
40.	श्री डा० शान्तिनारायण माथुर, सी. ए. एम.	परिनिन्दा	12-1-78
41.	श्री मण्डलदत्त जोशी, विकास अधिकारी	"	"
42.	श्री सी. बी. शारदा, एक्स. ई. एन.	"	13-1-78
43.	श्री एम. एल. गर्ग, ए. ई. एन. (सिंचाई)	तीन वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गईं।	17-1-78
44.	श्री मदनमोहन व्यास, जिला रसद अधिकारी, खाद्य विभाग	परिनिन्दा	18-1-78
45.	श्री जमनालाल गोढा, आर. ए. एम.	1/4 पेंशन 5 वर्ष के लिए रोकी गई।	19-1-78
46.	श्री केदारनाथ मीना, व्याख्याता (शिक्षा)	चेतावनी (अलिखित)	27-1-78
47.	श्री श्यामलाल माथुर, ए. ई. एन. (लाइन)	एक वेतन वृद्धि प्रभाव से संचयी के बिना रोकी गई।	31-1-79
48.	श्री आर. सी. सचेया, उप निदेशक कृषि	परिनिन्दा	3-2-78
49.	श्री विमलचन्द जैन, जिला सांख्यकी	दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई।	4-2-78
50.	श्री लूनकरण शर्मा, सहा. आबकारी अधिकारी	दो वेतन वृद्धियां बिना संचयी प्रभाव से रोकी गई।	13-2-78
51.	श्री के. के. जैमन, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी	एक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकी गई।	13-2-78
52.	श्री एम. एस. गहलोत, आर. ए. एस.	परिनिन्दा	13-2-78
53.	श्री टी. सी. पाटनी, जनसम्पर्क अधि०	"	14-2-78
54.	श्री एच. के. अग्रवाल, सी. ए. एस.	एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई।	16-2-78

129

1	2	3	4
55.	डा० एल. एम. सिमलोत,....	एक चौथाई पेन्शन पांच वर्ष के लिए रोकी गई।	16-2-78
56.	डा० मदनलाल शर्मा, राजस्थान उप शासन सचिव सचिवालय सेवा	परिनिन्दा	21-2-78
57.	श्री जगदीशपुरी, अधि० अभियन्ता	एक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकी गई।	1-3-78
58.	श्री चन्द्र भूषण, अधि० अभि० सार्वजनिक निर्माण विभाग	पाई जा रही वेतन प्रणाली में 5 स्थान नीचे करने का आदेश	4-3-78
59.	श्री एल. एन. खण्डेलवाल, आर०ए०एस०	प्रशासनिक चेतावनी दी गई	9-3-78
60.	श्री महावीर जैन, ”	परिनिन्दा	”
61.	श्री पातउल्ली भट्ट, वैद्य ग्रेड–I	एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई।	10-3-78
62.	श्री एम. एम. कौशिक, आर. पी. एस.	1/10 पेन्शन एक वर्ष के लिये रोकी गई।	”
63.	श्री एस. एस. गहलोत. आर. ए. एस.	तहसीलदार के पद पर पदावनत	22-2-78
64.	श्री हरिकिशन रामेश्वर, प्रसाद अधिकारी (भेड व ऊन)	अभिलिखित चेतावनी	5-4-78
65.	श्री गुरुदेवसिंह, सहा० अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग	चार वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गईं।	11-4-78
66.	श्री गेंदालाल शर्मा, आर. ए. एस.	एक ”	15-4-78
67.	श्री रामेश्वरलाल माथुर, प्रसार अधि० भेड व ऊन	1— ” 2—रु. 275/- वसूल किये गये	15-4-78

1	2	3	4
68.	श्री एस. एन. कपूर, सहायक शासन सचिव	अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया	15-4-78
69.	श्री सोमचन्द शर्मा, आर, ए. सी. एस.	दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई	20-4-78
70.	श्री पी. पी. गुप्ता, ए. सी. एफ. (जंगलात)	परिनिन्दा	20-4-78
71.	श्री ए. पी. मालवी, अधि० अभियन्ता सा० नि० वि०	"	25-4-78
72.	श्री मानसिंह इन्दा, अधि० अभियन्ता राज. कैनाल बोर्ड	एक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकी गई।	27-4-78
73.	श्री विमलचन्द जैन, जिला सांख्यकी	दो "	"
74.	श्री जी. एस. अग्रवाल, आर. ए. एस.	परिनिन्दा	"
75.	श्री आर. एन. सक्सेना, जिला आ. अधिकारी	"	"
76.	श्री एम. सी. मोधवानी. अधि० अभियन्ता सिचाई	एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई।	"
77.	डा० एम. एस. माथुर, जूनि. स्पे.	परिनिन्दा	29-4-78
78.	श्री एस. एन. शर्मा, आर. ए. एस.	तीन वेतन वृद्धि रोकी सं. प्रभाव से	3-5-78
79.	श्री के. एन. माथुर, "	एक ग्रेड इन्क्रीमेंट बिना सं. प्रभाव से रोका गया	3-5-78
80.	श्री ओंकार प्रसाद शर्मा, "	दो वे. वृ. बिना संचयी प्रभाव से	3-5-78
81.	श्री दिग्विजय सिंह "	परिनिन्दा	3-5-78
82.	श्री श्रीनारायण माथुर "	परिनिन्दा	3-5-78
83.	श्री एन. सी. जैन "	दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से	3-5-78
84.	श्री शंकरलाल शर्मा, प्रोजेक्ट आ. लघु सिंचाई प्रोजेक्ट	एक वेतन वृ. सं. प्रभाव से	15-5-78

1	2	3	4
85.	श्री आर. एस. गोस्वामी, बी. ए. एस.	एक वेतन वृ. बिना सं. प्रभाव से	15-5-78
86.	श्री एम. एन. व्यास, आर. ए. एस.	परिनिन्दा	17-5-78
87.	डा० एच. सी. रामदेव, सी. ए. एस.	राज्य सेवा से पृथक किया गया	19-5-78
88.	डा० डी. के. नाथ, अ. जि. स्वा. अ. रतनगढ़	2/3 पेंशन 5 वर्ष के लिये रोकी गई	19-5-78
89.	श्री एल. एन. यादव, आर. ए. एस	एक वेतन वृद्धि बिना सं. प्रभाव से रोकी	19-5-78
90.	श्री बी. के. मुकर्जी, अधी० अभि०	एक वेतन वृ. संचयी प्रभाव से रोकी	24-5-78
91.	श्री जगमोहन तलवार, ए. ई. एन.	एक वेतन वृ. असंचयी प्रभाव से रोकी	27-5-78
92.	श्री एम. एस. गर्ग, सी. ए. एस.	एक वेतन वृ. सं. प्रभाव से रोकी	29-5-78
93.	श्री के. सी. तनेजा, प्रोजेक्ट अधी.	परिनिन्दा	29-5-78
94.	श्री जे. पी. वर्मा, सी. ए. एस.	तीन वेतन वृ. सं. प्रभाव से रोकी	29-5-78
95.	श्री देवकीनन्दन साहित्य, आर. ए. एस.	परिनिन्दा	31-5-78
96.	श्री के. एस. मेहता, अधी. अभि. सा. नि.	एक वर्ष के लिये पदोन्नति रोकी	31-5-78
97.	श्री नारायण सिंह, प्रसार अधि.	एक वेतन वृ. बिना सं. प्र. से रोकी	31-5-78
98.	श्री पुरुषोत्तमदास ओझा....	परिनिन्दा	31-5-78
99.	श्री एच. तलवार, ए सी. टी. ओ.	दो वे. वृ. रोकी गयी सं. प्रभाव से	31-5-78
100.	श्री एल. एन. अजमेरा, "	"	31-5-78
101.	श्री दरबारीलाल, प्रधानाध्यापक	परिनिन्दा	10-5-78
102.	श्री आर. डी. भार्गव, आर. ए. एस.	परिनिन्दा	30-5-78

1	2	3	4
103	श्री डी. सी. माथुर, सी. ए. एस.	एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी बई	2-6-78
104.	श्री गोगनारायण राजेश्वरी जिला शिक्षा अधि.	परिनिन्दा	6-6-78
105.	श्री डी. एन. शाहित्या, आर. ए. एस.	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गईं ।	6-9-78
106.	श्री डालूराम मीना, आर. ए. एस.	एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गइ ।	7-6-78
107.	श्री हुकमाराम गर्ग, आर. ए. एस.	परिनिन्दा	15-6-78
108.	श्री सोहनलाल विश्नोई, विभाग अधिकारी	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी	19-6-78
109.	श्री उम्मेदसिंह, आर. ए. एस.	एक वेतन वृद्धि तीन साल के लिये रोकी गयी ।	19-6-78
110.	श्री कानसिंह, आर. ए. एस.	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई ।	19-6-78
111.	श्री के. आर. गोयल, आर. ए. एस.	1/10 पेंशन दो वर्ष के लिये रोकी गई।	23-6-78
112.	श्री गेंदालाल माथुर, सहायक आबकारी अधिकारी	,,	,,
113.	श्री. जी. एच. अग्रवाल, आर. ए. एस.	कम्पलसरी रिटायर मेंट 2–2/3 पेंशन ही दी जायें	26-6-78
114.	श्री आर. पी. जोशी, आर. ए. एस.	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई ।	27-6-78
115.	श्री शिशिर मोहन आचार्य, वी. ए. एस.	,,	5-7-78
116.	श्री मन्नालाल आर्य, जिला आबकारी अधिकारी	परिनिन्दा	7-7-78

1	2	3	4
117.	श्री ओ. पी. खण्डेलवाल, लेखाधिकारी	अभिलिखित चेतावनी	10-7-78
118.	श्री एल. डी. जोशी, जिला उद्योग अधिकारी	10 प्रतिशत पेंशन दो वर्ष के लिये रोकी गई।	26-7-78
119.	श्री के. एल. सेठिया, प्रधि. अभि. कृषि विपणन बोर्ड, हनुमानगढ	परिनिन्दा	28-7-78
120.	श्री डी. डी. शर्मा, आर. ए. एस.	एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई।	31-7-78
121.	श्री भीमसिंह, ग्रार. ए. एस.	,,	,,
122.	श्री पी. ग्रार. एस. मेनन, ग्रार. ए. एस.	दो ,,	,,
123.	श्री ग्रार. सी. शर्मा, ,,	1/10 प्रतिशत पेंशन एक वर्ष के लिये रोकी गई।	31-7-78
124.	श्री जिन्दल, ,,	दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई।	31-7-78
125.	श्री रमेशचन्द्र माथुर, विकास अधिकारी	परिनिन्दा	9-8-78
126.	श्री देवेन्द्र सिंह बोदर, ग्रार. ए. एस.	,,	,,
127.	श्री रूपराम व्यास, ,,	1/10 पेंशन एक वर्ष के लिये रोकी गई।	19-8-78
128.	श्री जी. एल. मेहता, आई. ए. एस.	20 प्रति. पेंशन दो वर्ष के लिये रोकी गई।	21-8-78
129.	डा. उपेन्द्रसिंह, व्याख्याता एनाटामी	राज्य सेवा से पृथक कर दिया गया	25-8-78
130.	डा. विष्णु गुप्ता, सी. ए. एल.	वेतन संकला के निम्नतम स्टेज पर फिक्स करने का आदेश दिया गया।	30-8-78
131.	श्री रोशनलाल, विकास अधिकारी	परिनिन्दा	31-8-78

(134)

1	2	3	4
132.	श्रीमती उषा गोयल, व्याख्याता दर्शन शास्त्र	राज्य सेवा से पृथक किया गया	31-8-78
133.	डा० (श्रीमती) उषा किरन जौहरी, व्याख्याता मेडिकल कालेज	,,	,,
134.	डा० एस. के. गुप्ता, व्याख्याता	,,	,,
135.	डा० जोगेन्द्रसिंह, व्याख्याता एनाटोमी	,,	,,
136.	डा० डी.० पी. माथुर, व्याख्याता औषधविज्ञान	,,	,,
137.	डा० (श्रीमती) राधा सुखानी, व्याख्याता एनसतीसिया	,,	,,
138.	डा० अब्दुल अजीज कसार, व० प्रदर्शक, पेथोलोजी	,,	11-9-78
139.	श्री एस. के. दत्त शर्मा, आर. ए. एस.	,,	21-9-78
140.	श्री एम. एम. सिंघवी, अधि० अभियन्ता	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	22-9-78
141.	श्री जसवीरसिंह, जिला भेड व ऊन अधिकारी	परिनिन्दा	26-9-78
142.	श्री राजेन्द्रसिंह, व्याख्याता हिन्दी	,,	27-9-78
143.	श्री आर. सी. दत्ता, उपनिदेशक (प्रोजेक्ट) पशुपालन	,,	30-9-78
144.	डा. एम. एल. पालीवाल, सी. ए. एस.	अभिलिखित चेतावनी	,,
145.	श्री रामेश्वर पुरोहित, आर. ए. एस.	10 प्रति. पेंशन एक वर्ष के लिये रोकी गई।	,,
146.	श्री जे. एन. माथुर, सहा० अभि० सिंचाई	एक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकी गई।	,,
147.	श्री धर्मेन्द्रसिंह, कृषि एक्सटन आफिसर	तीन वेतन वृद्धि असंचय प्रभाव से रोकी गई	23-10-78

1	2	3	4
148.	श्री एच. सी. सिंघल, सहा. अभि. सिंचाई	परिनिन्दा	24-10-78
149.	श्री डी. एस. कोचर, लेखाधिकारी	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	25-10-78
150.	श्री घासीलाल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी	परिनिन्दा	26-10-78
151.	श्री के. एस. मेहता, प्रशिक्षण अभि०	अभिलिखित चेतावनी	27-10-78
152.	श्री उगमराज मेहनोत, जनसम्पर्क अधिकारी	परिनिन्दा.	3-11-78
153.	श्री बिरदीचन्द, आर. ए. एस.	,,	,,
154.	श्री कंवरसेन, उपअधिक्षक पुलिस	10 प्रतिशत पेंशन 5 वर्ष के लिये रोकी गई।	4-11-78
155.	श्री रघसिंह, अधिक्षक कारागार	परिनिन्दा	25-8-78
156.	सुरेशवसानन्द, अधिक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय	तीन वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई	9-10-78
157.	श्री गुलाबसिंह, विकास अधिकारी	एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई।	11-11-78
158.	श्री इन्द्रजीतसिंह, उपनिदेशक कृषि	लिखित चेतावनी	,,
159.	श्री ए० जिन्दल, आर. ए. एस.	परिनिन्दा	28-11-78
160.	श्री प्यारेलाल, उप निदेशक आयुर्वेद	,,	30-11-78
161,	श्री ए. सी. दुबे, भेड व ऊन प्रसार अधिकारी	दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	,,
162.	,, ऊन वर्गीकरण अधिकारी	तीन ,,	,,
164.	श्री एम. एल. आर्य, जिला आबकारी अधिकारी	परिनिन्दा	1-1-79
164.	श्री सुरेन्द्र घरानी, सी. ए. एस.	,,	9-1-79
165.	श्री एम. एल. सिकद्दर, आर. ए. एस.	दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	19-1-79

136

1	2	3	4
166.	श्री अजीतसिंह यादव, ,,	परिनिन्दा	27-1-79
167.	श्री वेदप्रकाश भोगियां, जिला आयुर्वेद अधिकारी	,,	,,
168.	श्री एन. एस. गहलोत, सहायक अभियन्ता	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	31-1-79
169.	श्री आर. के. शर्मा, सी. ए. एस.	,,	,,
170,	श्री के. के. सिंघवी. अधि० अभियन्ता	दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई।	8-2-79
171.	श्री एस. एस. राजवंशी, सहा० अभियन्ता	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	14-2-79
172.	श्री कश्मीरसिंह, विकास अधिकारी	दो ,,	16-2-79
173.	श्री जगमोहन तलवार, सहा. अभियन्ता	एक ,,	27-5-79
174.	श्री सी. एम. अरोड़ा, सी. ए. एस.	एक ,,	24-2-79
175.	श्रीमती मन्जू अग्रवाल, ,,	राज्य सेवा से पृथक कर दिया गया।	,,
176.	श्री शमीमुल हक, ,,	,,	26-2-79
177.	श्री रामेन्द्रसिंह, ,,	,,	28-2-79
178.	श्री रामलाल ढाबी, आर. ए. एस.	असंचयी प्रभाव से रोकी गई दो वर्ष के लिये।	28-2-79

उपरोक्त दण्डित अधिकारियों के अतिरिक्त निम्न 21 अधिकारियों का राज्य सरकार ने अन्तिम रूप से राज्य सेवा से प्रथक करने, बर्खास्त करने/पैंशन कर करने, वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड का निर्णय लिया है और इनके मामले राजस्थान लोक सेवा आयोग को राय हेतु भेजे हुए हैं, जिन पर अन्तिम आदेश आयोग की राय प्राप्त होने पर जारी किया जावेगा।

क्र. सं.	नाम व पद	प्रस्तावित दण्ड
1	2	3
1.	श्री ए. जे. जयसिंघानी, आर. ए. एस. सेवा निवृत्त	1/10 प्रतिशत पैंशन कम करने का।
2.	श्री एम. एल. सेठी, निदेशक, भू विज्ञान विभाग	पैन्शन रोकने।
3.	श्री. ए. जे. सिंघानी, आर. ए. एस सेवा निवृत्त	15 प्रति. पैन्शन कम करने, 2 वर्ष के लिये।
4.	श्री दलजीतसिंह, अधि. अभि. ,,	1/3 पैन्शन 5 वर्ष के लिये कम करना।
5.	श्री बी. के. पूरी, राज. वन सेवायें	बर्खास्त करने हेतु।
6.	श्री वीसेन्द्रपाल सिंह, आर. ए. एस.	अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति एवं 10 प्रति. एक साल के लिये पैन्शन कम करना।
7.	श्री एस पी. जोशी, अति. मु. अभियन्ता	3 वर्ष के लिये 1/10 पैन्शन कम करना।
8.	श्री उमादत्त शर्मा, वि. अधिकारी सेवा निवृत्त	पैन्शन रोकना।
9.	श्री. ए. के. अग्रवाल, आर. ए. एस.	तीन वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने हेतु।
10.	,, ,,	दो ,,
11.	श्री जगदीश चतुर्वेदी, जनसम्पर्क अधिकारी	तीन ,,
12.	श्री युगलकिशोर शर्मा, वैद्य, सेवा निवृत्त	पैन्शन रोकना।

(138)

1	2	3
13.	श्री के. एस. मेहता, अधी. अभियन्ता ,,	दो वर्ष के लिये पदोन्नति रोकना।
14.	डा. श्रीमती मंज्जू अग्रवाल, सी. ए. एस.	राज्य सेवा पृथक करने हेतु।
15.	श्री रोशनलाल वर्मा, ए. ई. एन. सेवा निवृत्त	दो वर्ष के लिये पैन्शन कम करना।
16.	डा. सामीमूल हक, सी. ए. एस.	राज्य सेवा से पृथक करना।
17.	डा, दर्शनसिंह, सी. ए. एस.	3 स्टेज वेतन कम करना।
18.	श्री एल. सी. अग्रवाल, आर. ए. एस.	एक वर्ष के लिये 20 प्रति. वेतन कम करना।
19.	डा. बलवन्त बाखरा	राज्य सेवा से पृथक करना।
20.	डा. रामेन्द्रसिंह	
21.	श्री के. एस. मेहता, एस. ई,	दो वर्षों के लिये पदोन्नत रोकना।
22.	डा. जी. सी. पितालियां	राज्य सेवा पृथक करना।
23.	डा. महेन्द्र सिन्हां	,,
24.	श्री बलजीतसिंह, अधि. अभियन्ता	पांच वर्ष के लिये 1/3 पैन्शन रोकने हेतु।

परिशिष्ट 3

समय भाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

भंवर समेणा सिंचाई परियोजना

132. श्री फारूभाई (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ के समीप भंवर सेमणा सिंचाई परियोजना गत 20 वर्षों से बनी हुई पड़ी है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(2) इस योजना में कितनी लागत आयेगी और कब तक पूरी हो जावेगी तथा इस योजना से कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

सर्वेक्षण पूर्ण होकर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राकलन तैयार किया जा रहा है।

(2) इस योजना की कुल लागत लगभग तीन सौ लाख रु. आने की सम्भावना है एवं लगभग 3400 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। योजना की तकनिकी जांच व लाभ लागत अनुपात ठीक होने के बाद ही स्वीकृति-प्रदान की जा सकेगी।

तहसील बेगूं में मिनी ट्राईबल ब्लॉक

133. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : क्या जन जाति क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील बेगूं के तहत मिनी-ट्राइबल ब्लाक बनाया गया है ? अगर हां, तो उसमें कितने गांव सम्मिलित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ट्राइबल ब्लाक के विकास के लिए राज्य सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है अथवा इस वर्ष स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

(3) राज्य सरकार ने जन जाति क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कोई योजना बनाई है ? अगर हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति के भैसरोड़गढ़ (तहसील बेगूं) में एक लघु ट्राइबल खण्ड बनाया गया है जिसमें 87 गांवों को शामिल किया गया है जिसकी सूची संलग्न है।

140

[जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री]

(2) इस वर्ष भारत सरकार ने 55 लघु ट्राईबल खण्डों के लिये एडवांस ऐक्शन के लिये रुपये 31·40 लाख प्राप्त होगा, इस राशि को जनजाति की आबादी के अनुपात में दिये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष हैं इसके अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले को 1·48 लाख रुपया दिया जाना प्रस्तावित है इस राशि से इस मिनी ट्राइबल ब्लाक में भी विशेष विकास कार्य क्रियान्वित किये जावेंगे।

2. इस मिनी ब्लाक के विकास के लिये राज्य सरकार ने अलग से धन राशि स्वीकृत नहीं की है राज्य सरकार की विभिन्न विकास उपयोजनायें इस क्षेत्र में भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

(3) राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्र के विकास के लिये वर्ष 1978 में जनजाति उपयोजना तैयार की है जिसमें निम्न क्षेत्रों को लिया गया है :—

1. बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर सम्पूर्ण जिला।

2. उदयपुर जिले की 6 तहसीलें— फलासिया, सेरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर, कोटड़ा, लसाड़िया एवं मिर्वा ब्लाक।

3. प्रतापगढ़ तहसील जिला-चित्तौड़गढ़।

4. आबूरोड़ तहसील जिला-सिरोही, सन् 78–83 की ट्राइबल सब प्लान उपयोजना की प्रति प्रस्तुत है।

(उपयोजना की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट–4
तांराकित प्रश्न सं, 133 की सूची

TRIBAL AREA DEVELOPMENT DEPARTMENT, RAJASTHAN

List of Villages included in Bhainsrorgarh Tribal Pocket — Code No. 13
Panchayat Samiti : Bhainsrorgarh, Tehsil : Begun, District : Chittorgarh

S. No.	Census Code No.	Name of Village	Area in Acre.	Total Population	S.T. Population	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	421	Laxmi Pura	1864	369	264	
2.	422	Neemoda	1805	389	82	
3.	424	Gurha Khera	646	106	71	
4.	423	Beg Pura	379	81	29	
5.	425	Arniya	509	36	8	
6.	430	Amar Pura	918	107	71	
7.	428	Balkundi Khurd	807	109	40	
8.	429	Balkundi Kalan	2038	349	96	
9.	431	Balaganj	195	84	55	
10.	434	Deopuriya	3844	539	22	
11.	427	Malkhera	1226	280	59	
12.	436	Kanwar Pura	2080	293	77	
13.	432	Neemri	862	62	24	

1	2	3	4	5	6	7
14.	435	Kherat	1055	217	165	
15.	265	Bhoonjar Kalan	364	296	296	
16.	266	Nasera	72	51	43	
17.	267	Bhoonjar Khurd	993	328	216	
18.	269	Amba	92	51	17	
19.	268	Khalgaon	472	24	16	
20.	290	Shripura	3480	846	510	
21.	286	Bhawani Pura	804	97	59	
22.	285	Shyam Pura	111	125	82	
23.	287	Udpuriya	314	64	63	
24.	307	Dhagan-Man; Khurd	15344	354	350	
25.	415	Haron-ki-Morwan	178	241	8	
26.	410	Parlai Khurd	1682	141	86	
27.	411	Bhanda Kuri.	1507	192	190	
28.	409	Bassi	3679	356	211	
29.	412	Tolon-ka-Luhariya	661	419	151	
30.	417	Kewaron-ka-Luhariya	3099	106	45	
31.	416	Hamerganj	196	163	6	
32.	413	Gujaron-ki-Morwan	958	234	81	
33.	419	Kharama	1359	46	11	
34.	414	Semaliya	428	111	49	
35.	452	Chitoriya	1130	75	62	

1	2	3	4	5	6	7
36.	445	Jheenkra	3512	243	80	
37.	447	Mawada	4011	184	153	
38.	405	Talai	512	189	126	
39.	407	Jagalya Rundi	292	26	26	
40.	408	Dariba	365	126	99	
41.	442	Prempura	631	96	70	
42.	449	Kua Khera	7830	296	51	
43.	456	Dotra	8458	82	66	
44.	457	Peepalda	2665	70	70	
45.	308	Mandesra	2875	629	392	
46.	311	Lohariya	4389	409	104	
47.	350	Kolpura	4201	279	236	
48.	347	Nali	2048	191	191	
49.	349	Phootpal	1245	19	19	
50.	345	Kushalgarh	244	192	192	
51.	309	Ratanpura	761	119	—	
52.	310	Hatoli	1104	125	114	
53.	312	Morthuka	234	12	12	
54.	313	Kalakhet	774	3	—	
55.	288	Bakhtpura	1891	449	245	
56.	314	Parajar Khurd	193	301	185	
57.	365	Baheliya	2051	280	128	
58.	359	Rajpura	1876	180	113	

1	2	3	4	5	6	7
59.	354	Rawatpura	592	184	178	
60.	356	Kripapur	3009	155	149	
61.	357	Agra	3171	417	403	
62.	402	Udpuriya	612	256	218	
63.	351	Ajpura	913	60	57	
64.	363	Dudi Talai	4091	454	404	
65.	360	Anira Kalan	1753	392	317	
66.	355	Kharnai	5030	559	490	
67.	278	Nee-ka-Khera	356	95	63	
68.	277	Baroliya	575	468	197	
69.	282	Deopuriya	496	221	21	
70.	280	Saneeta	1034	106	32	
71,	283	Saklon-ka-Dunda	895	47	—	
72.	281	Teendwa	200	—	—	
73.	284	Bhaupura	486	81	10	
74.	264	Khunanganj	3085	196	14	
75.	291	Lothiyala	1117	325	297	
76.	346	Khera Veeran	50	38	—	
77.	279	Kacholiyan	90	—	—	
78.	451	Umedpura @ Nayagaon	3842	69	—	
79.	348	Paral Banda	502	—	—	
80.	403	Narayanpura	1110	—	—	
81.	364	Rafoli	4575	—	—	

1	2	3	4	5	6	7
82.	406	Jaswantpura	831	—	—	
83.	437	Bakhari	178	—	—	
84.	438	Meghpura	239	—	—	
85.	418	Dolpura	1105	97	—	
86.	420	Jawada	3473	917	29	
87.	441	Mehpura	2602	108	2	
		Grand Total :—	153325	17119	9168	53.55%

H.K.
8-1-79.

सांचोर का "शास्त्री सदन" छात्रावास

134. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सांचोर में 'शास्त्री सदन' अनुसूचित जाति अनुदानित छात्रावास चल रहा है? अगर हां, तो उसमें कितनी सीटें हैं एवं उनमें कुल सालाना कितना खर्चा किया जा रहा है? क्या प्रति छात्र सरकार खर्चा महंगाई देखते हुए बढ़ाना उचित समझेगी? अगर हां, तो कब तक कितना प्रति छात्र खर्चा बढ़ाया जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास में पिछले साल कुछ सीटें बढ़ाने की मांग की गई थी? अगर हां, तो कितनी? छात्रावास में मांग के अनुसार सीटें क्यों नहीं बढ़ाई गई? अब सीटें कब तक बढ़ा दी जावेंगी?

(3) क्या उक्त छात्रावास को सरकार के अधीन लेने की मांग की गई है? अगर हां, तो उक्त छात्रावास को सरकार के अधीन कब तक ले लिया जावेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास के लिए विशेष मरम्मत हेतु सरकार ने रकम मन्जूर की थी? अगर हां, तो क्या उक्त छात्रावास भवन की अब तक विशेष मरम्मत करवा दी गई है? अगर हां, तो कब एवं उसमें कुल कितना खर्चा किया गया है? अगर नहीं, तो मरम्मत कब तक पूरी करवा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। छात्रावास के लिए 40 सीटें स्वीकृत हैं। विभाग द्वारा कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन करने वाले प्रति छात्र के लिए 95 रु. प्रति माह तथा कक्षा 9 से 11 तक अध्ययन करने वाले प्रति छात्र के लिए 100 रु. माहवार की सहायता दी जाती है। वर्तमान में अनुदान बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है क्योंकि अनुदान की राशि में वृद्धि जनवरी 1977 में ही की गई थी।

(2) जी नहीं। गत वर्ष इस छात्रावास में सीटें बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। सीटें बढ़ाने के लिए मांग प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

(3) छात्रावास को सरकार के अधीन लेने की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी हां, छात्रावास की विशेष मरम्मत हेतु विभाग ने वर्ष 77-78 में 35,000 रु की स्वीकृति दी थी किन्तु वर्ष 76 में भारी वर्षा के कारण भवन क्षतिग्रस्त हो गया था और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस भवन को मरम्मत के योग्य नहीं माना तथा यह प्रस्ताव दिये कि भवन को गिरा कर नये सिरे से बनाया जाय।

मत्स्य मार्केट के ठेके

136. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मत्स्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री गुल मोहम्मद)

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे निर्देश राज्य सरकार को दिये हुए हैं कि भूतपूर्व राजा एवं महाराजाओं को मत्स्य आखेट का ठेका देने का कोई अधिकार नहीं है सिर्फ मनोरंजन के लिए शिकार करने का अधिकार है ?

(2) यदि हां, तो बन्ध सरदार समंद जिला पाली का ठेका भूतपूर्व महाराजा जोधपुर द्वारा क्यों दिया गया ? क्या विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु यह अधिकार केवल उन्हीं जलाशयों के लिए है जो पूर्व में उनकी निजी सम्पत्ति थी और अब जिन पर राज्य सरकार का एकाधिकार है एवं उनका रख-रखाव तथा देखभाल राज्य सरकार ही करती है एवं जो जलाशय भूतपूर्व राजा महाराजाओं की फेमिली सम्पत्ति घोषित किये हुए है उन पर यह नियम लागू नहीं होता।

(2) मत्स्य अधिनियम, 1953 व मत्स्य नियम, 1958 के तहत निर्मित धारायें व नियम निजी क्षेत्र के जलाशयों पर लागू नहीं होते हैं, अतः भूतपूर्व महाराजा द्वारा ठेका दिया जा रहा है। क्या राज्य सरकार इसे रोक सकती है, इस संबंध में विचार-विमर्श विधि विभाग के साथ चल रहा है। इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जावेगा।

भीलवाड़ा की ग्राम आधार योजना

138 श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा तहसील में ग्राम आधार योजना के अन्तर्गत सात कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र चलते थे ?

(2) ग्राम आधार योजना समाप्त करने के साथ कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण क्या इस क्षेत्र में पशुधन की बर्बादी नहीं हो रही ?

(3) क्या राज्य सरकार इन सात स्थानों पर पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का विचार करेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम आधार योजना, भीलवाड़ा के अन्तर्गत पूर्व में 9 केन्द्र चल रहे थे।

(2) वैकल्पिक व्यवस्था होने से पशु धन की बर्बादी नहीं हो रही है।

(3) जी नहीं—क्योंकि जो कार्य कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर होता था वह आजकल गांव स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सचिव के मार्फत कराया जाता है।

राज्य का सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम

139. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती नारंगी देवी)

(1) राज्य में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में कितने वृक्ष लगाये गये? इसमें कितनी धनराशि व्यय की गई? कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं?

(2) क्या राज्य सरकार सभी लम्बे सड़क मार्गों के किनारे वृक्षारोपण का विचार रखती है? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने वृक्ष लगाये जा चुके हैं?

उत्तर

(1) राज्य में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वर्ष 1978-79 में 57-58 लाख पौधे लगाये गये। प्राप्त सूचना के आधार पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 72.82 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। लगभग 70-80 प्रतिशत पौधे जीवित हैं।

(2) जी हां। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 4.52 लाख पौधे लगाए गये हैं।

राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए योजना

140. श्री नूरा (मसूदा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार ने राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोई योजनायें बनाई हैं? यदि हां, तो वे योजनायें किन-किन जिलों के लिए बनाई गई हैं और उनके अन्तर्गत विकास के क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं?

(2) क्या राज्य सरकार ने प्रश्न के भाग (1) में उल्लेखित योजनाओं के लिए विश्व बैंक या अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी से वित्तीय सहायता लेने के लिए कोई समझौता किया है, यदि हां, तो यह समझौता कब किया गया है और उसकी शर्तें क्या-क्या हैं? कृपया समझौते की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सूखा सम्भावित क्षेत्रीय कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) एवं मरु विकास कार्यक्रम (डी. डी. पी.) की योजनायें बनाई गई हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्रों के जिलों में विकास अभिकरण का गठन किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलों को लिया गया है :—

1. जोधपुर
2. जैसलमेर
3. जालोर
4. नागौर
5. बाड़मेर
6. पाली
7. डूंगरपुर
8. बांसवाड़ा
9. चूरू
10. अजमेर की ब्यावर तहसील
11. झुन्झुनूं की चिड़ावा व झुन्झुनूं तहसीलों में
12. उदयपुर की भीम, देवगढ़ व शेरवाड़ा तहसीलों में

(कृषि मन्त्री)

13. बीकानेर

14. सीकर

15. गंगानगर

इस योजना के अन्तर्गत निम्न लिखित कार्यक्रम रखे गये हैं।

1. कृषि
2. भू-जल सर्वेक्षण एवं नलकूप निर्माण।
3. लघु सिचाई
4. पशु स्वास्थ्य
5. पशु एवं डेयरी विकास
6. एस. एफ. डी. ए अनुदान
7. ग्राम्य जल प्रदाय योजनायें
8. भेड़ विकास
9. विद्युत
10. वन एवं चरागाह विकास
11. दुग्ध मार्ग
12. सहकारिता

(2) जी हां। यह समझौता जनवरी, 1975 को किया गया था। विश्व बैंक यह सहायता सूखा-सम्भावित क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत जोधपुर व नागौर जिलों हेतु दे रहा है। यह सहायता सीधे भारत-सरकार को मिलती है जहां से यह सहायता राजस्थान सरकार को 2:1 के रूप में प्राप्त होती है। इस परियोजना प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल 6.30 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होनी है एवं समझौते अनुसार यह सहायता जून 1980 तक प्राप्त होती रहेगी। समझौते की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

CREDIT NUMBER 526 IN

RAJASTHAN
PROJECT AGREEMENT

(Drought Prone Areas Project)

BETWEEN

INTERNATIONAL DEVELOPMEYT ASSOCIATION
AND
THE STATE OF RAJASTHAN

DATED JANUARY 24, 1975.

RAJASTHAN PROJECT AGREEMENT

AGREEMENT, dated January 24, 1975, between INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (hereinafter called the Association) and THE STATE OF RAJASTHAN, acting by its Governor (hereinafter called Rajasthan).

WHEREAS by the Development Credit Agreement of even date herewith between India, acting by its President (hereinafter called the Borrower) and the Association, the Association has agreed to make available to the Borrower an amount in various currencies equivalent to thirty five million dollars ($35,000,000) on the terms and conditions set forth in the Development Credit Agreement, but only on condition that Rajasthan agree to undertake such obligations toward the Association as hereinafter set forth; and

WHEREAS Rajasthan, in consideration of the Association's entering into the Development Credit Agreement with the Borrower, has agreed to undertake the obligations hereinafter set forth;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows :

ARTICLE I

Definitions

Section 1.01. Wherever used in this Agreement, unless the context shall otherwise require, the several terms defined in the Development Credit Agreement and in the General Conditions (as so defined) have the respective meanings therein set forth.

ARTICEE II

Execution of the Project

Section 2.01. Rajasthan shall carry out that portion of the project described in Schedule 2 to the Development Credit Agreement located in Rajasthan, as such portion is further described in the Schedule to this Agreement with due diligence and efficiency and in conformity with appropriate administrative, financial and engineering practices, and shall provide or cause to be provide promptly as needed, the funds, facilities, services and other resources required for the purpose.

Section 2.02. Rajasthan undertakes to ensure that at all times prior to the Closing Date the positions of Project Manager of the DDA in the districts of Jodhpur and Nagaur shall be filled by persons with qualifications and experience satisfactory to the Association.

Section 2.03. (a) Rajasthan shall, not later than two months before the start of each fiscal year, furnish to the Association for its

comments, its proposed plan of works to be executed under the DPAP in the districts of Jodhpur and Nagaur.

(b) Rajasthan shall, not later than September 30 of each fiscal year, furnish to the Association a statement containing information on programs for that fiscal year related to the DPAP and procedures to coordinate tnem.

Section 2.04. In carrying out Part D of the Project, Rajasthan shall :

(a) Prepare a detailed extension program to assist farmers in the district of Nagaur in improving dry-farming;

(b) promptly establish a separate group of extension staff under the supervision of the Department of Agriculture to carry out the extension program referred to in paragraph (a) of this Section; and

(c) take all steps as shall be necessary on its part to ensure that farmers in the said district receive fertilizer in such quantities and at such times as are recommended in the said extension program.

Section 2.05. In carrying out part E of the Project :—

(a) Rajasthan shall furnish to the Association for its comments the final draft of the model by-laws of sheep growers primary cooperative societies; and

(b) If in any of the first four years of any such society's operations, that society is unable to generate revenues sufficient to pay the guaranteed amounts to its shareholders as specified in its by-laws, Rajasthan shall provide, or cause to be provided, to the society funds sufficient to enable such guaranteed amounts to be paid.

Section 2.06. With regard to Part F of the Project, Rajasthan shall ensure that the Western Rajasthan Milk Producers Union existing at the date of this Agreement shall be financially viable.

Section 2.07. Except as the Association shall otherwise agree, the goods, works and services (other than consultant's services) for the project to be financed out of the proceeds of the Credit, shall be procured in accordance with the provisions of Schedule 3 to the Development Credit Agreement.

Section 2.08. (a) Rajasthan undertakes to insure, or make adequate provision for the insurance of, the imported goods to be financed out of the prceeds of the Credit made available to it by the Borrower against hazards incident to the acquisition, transportation and delivery thereof to the place of use or installation, and for such insurance any indemnity shall be payable in a currency freely usable by Rajasthan to replace or repair such goods.

(b) Except as the Association may otherwise agree, Rajasthan shall cause all goods and services financed out of the proceeds of the Credit made available to it by the Borrower to be used exclusively for the project.

Section 2.09. (a) Except as the Association shall otherwise agree, Rajasthan shall furnish to the Association promptly upon their preparation, the plans, specifications, reports, contract documents and work and procurement schedules for the Project, and any material modifications thereof or additions thereto, in such detail as the Association shall reasonably request.

(b) Rajasthan : (i) shall maintain in its DPAP and in DDA in the districts of Jodhpur and Nagaur records adequate to record the progress of the Project in the said districts (including the cost thereof) and to identify the goods and services financed out of the proceeds of the Credit made available to it by the Borrower, and to disclose the use thereof in the Project; (ii) shall enable the Association's representatives to visit the facilities and construction sites included in the Project, and to examine the goods financed out of such proceeds and any relevent records and documents; and (iii) shall furnish to the Association all such information as the Association shall reasonably request concerning the Project, the expenditure of the Credit so made available to it and the goods and services financed out of such proceeds.

(c) Rajasthan shall furnish quarterly account summaries to the Borrower's General DPAP Unit not later than two months after the close of each quarter.

Section 2.10. (a) Rajasthan shall, at the request of the Association, exchange views with the Association with regard to the progress of the Project in Rajasthan, the performance of its obligations under this Agreement and other matters relating to the purpose of the Credit.

(b) Rajasthan shall promptly inform the Association of any condition which interferes or threatens to interfere with the progress of the Project in Rajasthan, the accomplishment of the purpose of the Credit therein, or the performance by Rajasthan of its obligations under this Agreement.

ARTICLE III

Other Covenants

Section 3.01. Rajasthan shall establish and maintain (i) an Interdepartmental Coordination Committee for DPAP under the chairmanship of the Chief Secretary, and (ii) a District Development Authority in the district of Jodhpur and Nagaur with membership, power and organization satisfactory to the Association.

Section 3.02. Rajasthan shall maintain records adequate to reflect, in accordance withc onsistently-maintained appropriate accounting practices, its operations and financial condition with respect to the Project.

Section 3.03. Rajasthan shall : (i) have its accounts and financial statments for the Project (balance sheets, Statements of income and expenses and related statements) for each fiscal year audited, in accordance with sound auditing principles consistently applied, by the Accountant General of Rajasthan; (ii) furnish to the Association as soon as available, but in any case not later than six months after the end of each such year, (A) certified copies of its financial statments for such year as so audited and (B) the report of such audit by said auditors, of such scope and in such detail as the Association shall have reasonably requested; and (iii) furnish to the Association such other information concerning the accounts and financial statments of Rajasthan and the audit thereof as the Association shall from time to time reasonably request.

Section 3.04. Rajasthan shall, not later than December 31,1975. initiate a program to update land records in the districts of Jodhpur and Nagaur.

Section 3.05. In order to improve the flow of credit to farmers in the districts of Jodhpur and Nagaur, Rajasthan shall :

(a) take all steps necessary on its part to promote the establishment of not less than two Farmers Service Societies in each of the said districts not later than December 31,1975, or such other date as the Association shall agree;

(b) appoint to the Jodhpur and Credit Coordination Committees respectively (i) the Projeet Manager of the DDAS of said districts; and (ii) the Sub-divisional Revenue Officers for the said districts; and

(c) complete not later than December 31, 1975 or such other date as the Association shall agree, a survey of short-term agricultural credit in the said districts, on terms of reference prepared in cooperation with the Central DPAP Unit, and shall furnish such survey to the Association upon its completion, for its comments

Section 3.06. Rajasthan shall at all times cause the facilities, plant, equipment and machinery required for that portion of the Project located in Rajasthan to be operated, maintained, renewed and repaired in accordance with appropriate engineering and management practices.

ARTICLE IV

Effective Date; Termination; Cancellation and Suspension

Section 4.01. This Agreement shall come into force and effect on the date upon which the Development Credit Agreement becomes effective.

Section 4.02. (a) This Agreement and all obligations of the Association and of Rajasthan thereunder shall terminate on the earlier of the following two dates :

(i) The date on which the Development Credit Agreement shall terminate in accordance with its terms; or

(ii) a date twenty years after the date of this Agreement.

(d) If the Development Credit Agreement terminates in accordance with its terms before the date specified in paragraph (a) (ii) of this Section, the Association shall promptly notify Rajasthan of this event.

Section 4.03. All the provisions of this Agreement shall conti-

nue in full force and effect notwithstanding any partial cancellation or suspension under the Development Credit Agreement.

ARTICLE V

Miscellaneous Provisions

Section 5.01. Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail telegram, cable, telex or radiogram to the party to which is is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making suchr equest. The addresses so specified are :

For the Association

International Development Association
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
United states of America

Cable address :

INDEVAS
Washington, D. C.

For Rajasthan :

The Commissioner and Secretary
to the Government
Department of Dairy Development
and Special Schemes
Jaipur
India

Cable address :

CHIEFSEC
Jaipur, India

Section 5.02. Any action required or permitted to be taken, and any documents required or permited to be executed, under this

Agreement on behalf of Rajasthan may be taken or executed by the Commissioner and Secretary, Department of Dairy Development and Special Schemes or such other person or persons as Rajasthan shall designate in writing.

Section 5.03. Rajasthan shall furnish to the Association sufficient evidence of the authority and the authenticated specimen signature of the person or persons who will, on behalf of Rajasthan, take any action or execute any documents required or permitted to be taken or executed by Rajasthan pursuant to any of the provisions of this Agreement,

Section 5.04. This Agreement may be executed in several counterparts, each of which shall be an original, and all collectively but one instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their representatives thereunto duly authorized, have caused this Agreement to be signed in their respective names in the District of Columbia, United States of America, as of the day and year first above written.

IFTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

By /s/M.L. Weiner
Regional Vice President
South Asia

THE STATE OF RAJASTHAN

By /s/T.N. Kaul
Authorised Representative,

THE] SCHEDULE

Description of the portion of the
Project to be carried out by
Rajasthan

I. In the district of Jodhpur

1, Under Part A of the Project : The Procurement of two air-hammer drilling rigs for the Rajasthan Ground Water Board and the construction of minor irrigation works including about 115 tubewells and improvements to about 300 existing tubewells.

2. Under Part B of the Project : Command area development of the Land irrigated by the tubewells to be constructed under Part A.

3. Under Part C of the Project : Watershed management consisting of : (i) the establishment of about 5,000 hectares of improved pasture on non-arable public lands and village common grazing lands (ii) the construction of bunds on about 15,000 hectares of private arable lands, and (iii) such other works as shall be agreed from time to time between Rajasthan and the Association.

4. Under Part E of the Project : The improvement of sheep and wool production by the establishment of sheepgrowers societies to manage the improved pasture on village common lands referred to in paragraph 3 above, distribution of cross-bred rams, and expansion of animal health services.

5. Under Part F of the Project : The Development of dairy production through the establishment of producer cooperative and milk collection systems, the establishment and staffing of three mobile veterinary units and a calf raising center and the expansion or establishment of one artificial insemination centre.

6. Under Part G of the Project : The establishment of fodder banks.

7. Under Part J of the Project : The training of project staff.

II. In the district of Nagaur

1. Under Part A of the Project : The construction of minor irrigation works including about 60 tubewells and improvements to about 300 existing dugwells.

2. Under Part B of the Project : Command area development on the land irrigated by the tubewells to be constrncted under Part A.

3. Under Part C of the Project : Watershed management consisting of (i) the establishment of about 16,000 hectares of improved pasture on non-arable public lands and village common grazing lands (about 11,000 hectares of which will be located in other districts in Rajasthan); (ii) the construction af bunds on about 15,000 hectares of private arable lands; (iii) the stabilization of about 1,000 hectares of sand dunes; and (iv) such other works as shall be agreed from time to time between Rajasthan and the Association.

4. Under Part D of the Project : A dry farming development programme for about 7,500 farms with a cultivated area of about 75,000 hactares.

5. Under Part F of the Project : The development of daily production through the establishment of producer coopratives and milk collection systems, and the establishment and staffing of one mobile veterinary unit.

6. Under Part G of the Project : The establishment of fodder banks; and

7. Under Part J of the Project : The training of project staff.

गांव के छोटे व्यापारियों को लाइसेन्स लेने की अनिवार्यता

141. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांवों में छोटे व्यापारियों को गेहूं, दाल, तिलहन व तेल तथा मोटे अनाज व गुड़, शक्कर आदि के अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इससे व्यापारियों को बहुत परेशानी रहती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लेने जा रही है ?

(3) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में से राज्य सरकार किन किन वस्तुओं का अभाव महसूस कर रही है तथा इस अभाव को दूर करने के क्या उपाय कर रही है ?

(4) राज्य में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कब से प्रारम्भ की जा रही है ? इस व्यवस्था के तहत किन किन चीजों का वितरण जनता को किया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। गेहूं, दाल, तिलहन, तेल मोटा अनाज व शक्कर आदि का लाइसेन्स, विभिन्न लाइसेन्सिंग आदेशों के अन्तर्गत लिया जाना आवश्यक होता है ।

(2) अलग अलग लाइसेन्स लेने से परेशानियां होती हैं । अतः राज्य सरकार ने विभिन्न लाइसेन्सिंग आदेशों का एकीकरण एवं सरलीकरण करने हेतु एक कमेटी का गठन किया था । कमेटी ने विचार विमर्श का कार्य पूर्ण कर लिया है एवं कमेटी के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर राज्य सरकार आवश्यक निर्णय लेगी ।

(3) आवश्यक वस्तुओं में सीमेंट एवं कोयले का अभाव महसूस किया जा रहा है । राज्य सरकार इस अभाव को पूर्ण करने के लिए सीमेंट का अधिक आवंटन देने एवं सीमेंट व कोयले की आवंटित मात्रा को प्राप्त करने के लिये रेल्वे से अधिकतम मात्रा में वेगन उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से निरन्तर सम्पर्क रखती है ।

(खाद्य मन्त्री)

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। जैसे ही केन्द्र सरकार अन्तिम निर्णय लेगी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रारम्भ की जावेगी। इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न चीनी, केरोसिन, कपड़ा, खाद्य तेल व वनस्पति, नहाने व कपड़े धोने का साबुन, नमक, माचिस, चाय, कापियां एवं साधारण किस्म की दवाईयां आदि आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये जाने की योजना है।

राजस्थान नहर फीडर आर. डी. 6 के पास साईफन टूटने से पानी का कम आयत

143. श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंजाब में राजस्थान नहर फीडर आर. डी. 6 के पास एक साईफन टूट जाने के कारण पंजाब सरकार पानी कम मात्रा में दे रही है? यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? क्या होने वाले भारी नुकसान का भी खयाल किया है?

(2) क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ने साईफन की मरम्मत हेतु राजस्थान सरकार से राशि मांगी थी? यदि हां, तो कब व कितनी?

उत्तर

(1) यह सही है कि पंजाब में राजस्थान फीडर की आर. डी. 6702 पर एक साइफन क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण कुछ मौकों पर पानी इन्डेन्ट (Indent) के मुकाबले कम मिला है। साइफन को ठीक करने के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह सजग है और मरम्मत की कार्यवाही पंजाब सरकार द्वारा की जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा उसे शीघ्र ठीक किए जाने के लिए आवश्यक धन राशि के साथ-साथ ट्रकें, पम्प सेट्स इत्यादि भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराकर सहयोग दिया जा रहा है।

(2) जी हां, और मुख्य अभियंता, सिंचाई पंजाब ने जुलाई 78 में चार लाख रुपये की तथा नवम्बर 78 में कार्य आरम्भ करने के लिए 5 लाख रुपये की संशोधित मांग रखी जिसकी स्वीकृति दे दी गई है।

पंचायत समिति लूनी के ग्रामों का विद्युतीकरण

144. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, लूनी जिला जोधपुर में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है व कितने गांव शेष बचे हैं?

(2) क्या शेष बचे हुये गांवों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या आर. ई. सी. द्वारा सर्वे कराया गया है या नहीं? यदि हां, तो कब तक बचे हुए गांवों के विद्युतीकरण हेतु योजना स्वीकृत हो जायेगी?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले की लूनी पंचायत समिति में कुल 107 गांव है जिनमें से 24 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 83 गांव अभी विद्युतीकरण के लिए शेष बचे हुए हैं।

(2) जी हां, विद्युत मण्डल द्वारा लूनी पंचायत समिति के शेष बचे सभी ग्रामों को विद्युतीकरण करने के लिए सर्वे कराकर एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। योजना कब तक स्वीकृत हो जायेगी इस स्थिति में निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

भेड़ चारागाहों में आये सार्वजनिक रास्ते

145. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डी. पी. ए. पी. नागौर द्वारा बनाये जा रहे भेड़ चारागाहों में से जो सार्वजनिक रास्ते कटान के आ जाते हैं उनको तारबन्दी करने से रोक दिया जाता है ? यदि हां, तो इसके स्थान पर रास्तों की क्या व्यवस्था की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम ठाकरीयावास, तहसील डीडवाना में इसी प्रकार से बन्द किये गये रास्तों को खोलने का आदेश हुवा था ? यदि हां, तो कब और रास्ता कब खोला गया तथा नहीं खोला गया तो क्यों और देरी का कारण क्या है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार ग्राम निवासियों तहसील लाडनू जिला नागौर में जो तीन रास्ते बन्द हो गये थे उसमें से एक को खोलने का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो कब तथा कब खोला गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

आदेश दिनांक 23-12-78 को हुये थे। 30-12-78 को 30 फुट रास्ता खोल दिया गया था।

(3) जी नहीं।

लाडनू तहसील में ऐसा कोई भूखण्ड नहीं है जिस पर रास्ता खोलने के आदेश हुये हों।

किशनगढ़ नगर में पावर लूम्स हेतु आवेदन

146. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) - क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के किशनगढ़ नगर में पावरलूम लगाने के वास्ते व्यवसाइयों द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को आवेदन किये जाते रहे

(श्री करतारसिंह)

हैं परन्तु बावजूद आवेदन के भी राज्य सरकार पावरलूम उद्योग लगाने वालों को टैक्समार्क नहीं दे रही है ? यदि हां, तो टैक्समार्क नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार अपने द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के अनुरूप ही किशनगढ़ नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पावरलूम उद्योग लगाने हेतु शीघ्र टैक्समार्क प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक सम्भव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि अजमेर जिले के किशनगढ़ नगर में पावरलूम लगाने हेतु समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते रहे हैं। किन्तु पिछले दस वर्षों से भारत सरकार द्वारा राजस्थान को कोई नया पावरलूम आवंटित नहीं होने से विभाग द्वारा परमिट नहीं दिये जा रहे हैं।

(2) भारत सरकार की नीति के अनुसार अब नये पावरलूम आवंटित नहीं किये जा रहे हैं। अतः नया पावरलूम अथवा इस हेतु टैक्समार्का देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति बामनवास में शिक्षा कर की राशि का मामला

147. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बामनवास, जिला सवाई माधोपुर के भू. पू. प्रधान श्री शंकरलाल एवं विकास अधिकारी द्वारा शिक्षा कर की राशि में से उ. प्रा. वि. भूतेश्वर, बामनवास के भवन आदि निर्माण के लिए रु. 40,000 एवं मा. विद्यालय, बामनवास पट्टी खुर्द के भवन निर्माण आदि के लिए रु. 1,50,000 व्यय किये गये हैं ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? यदि अवैध रूप से यह व्यय किया गया है तो राज्य सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी हां। भूतपूर्व प्रधान एवं विकास अधिकारी द्वारा शिक्षा कर की राशि में से उ. प्रा. विद्यालय, भूतेश्वर, बामनवास के भवन निर्माण कार्य पर रुपये 22898)- व्यय किये गये हैं। माध्यमिक विद्यालय बामनवास बड़ी खुर्द के भवन निर्माण पर रुपये 1,20,967.20 पंचायत समिति की निजी आय शिक्षा कर से किये गये हैं। नियमों के विपरीत किये गये व्यय की विभागीय जांच करवाई जा रही है। इस आशयार्थ एक शिकायत दिनांक 30–12–78 को प्राप्त हुई थी जिस पर जांच करवाये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री बालार्क भगवान मन्दिर (बाड़मेर) की व्यवस्था का मामला

149. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

162

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर में स्थित श्रीहिचर ब्राह्मण (जोशी) समाज बाड़मेर द्वारा संचालित श्री बालार्क भगवान मन्दिर की व्यवस्था के लिए लगभग दो वर्ष पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोतरा के आदेशानुसार सहायक आयुक्त, देवस्थान, जोधपुर ने एक निर्वाचित प्रबन्ध समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति को देवस्थान विभाग द्वारा अभी तक चार्ज नहीं दिलाया गया ? यदि हां, तो उक्त विलम्ब के क्या कारण रहे हैं और उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर की निर्वाचित प्रबन्ध समिति को चार्ज नहीं दिलाने से मन्दिर की सम्पत्ति और व्यवस्था पद्धति को भारी क्षति पहुँच रही है जिसके फलस्वरूप श्रीहिचर ब्राह्मण समाज में भारी असंतोष व्याप्त है ? देवस्थान विभाग उक्त निर्वाचित मन्दिर प्रबन्ध समिति को कब तक चार्ज दिलवा कर उनकी समस्या को हल कर सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, सहायक आयुक्त, देवस्थान, जोधपुर के आदेशानुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा, मन्दिर श्री बालार्क भगवान की व्यवस्था हेतु प्रबन्ध समिति का गठन दिनांक 16-5-76 को किया गया था।

(2) जी नहीं, सहायक आयुक्त, देवस्थान, जोधपुर द्वारा उक्त मन्दिर का पंजीयन सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दिनांक 5-11-76 को नियमानुसार किये जाने के पश्चात्, समिति को चार्ज दिलवाने हेतु लगातार लिखा जाता रहा है। एवं निरीक्षक देवस्थान विभाग, जोधपुर स्वयं भी चार्ज दिलवाने मौके पर पहुँचे, लेकिन भूतपूर्व कमेटी के सदस्यों द्वारा अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है।

(3) यह सही है कि अभी तक चार्ज नहीं होने से व्यवस्था पद्धति में क्षति पहुँच रही है। राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम 1959 में किसी भी सार्वजनीन प्रन्यास की निर्वाचित प्रबन्ध समिति को देवस्थान विभाग द्वारा बल पूर्वक चार्ज दिलवाने का प्रावधान नहीं है। यदि पुरानी प्रबन्ध समिति के सदस्य नवीन निर्वाचित प्रबन्ध समिति को चार्ज नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार सक्षम न्यायालय में वर्तमान नवीन निर्वाचित समिति द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये।

राज्य में लघु सिंचाई योजनाएं

150. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डलगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लघु सिंचाई योजनाओं में ट्यूब वेल्स का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में ट्यूब वेल्स सफल भी हो सकते हैं ? अगर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हां, तो राज्य सरकार इसके लिए क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राज्य में जियोलोजिकल फारमेशन की जल क्षमता के अनुसार कई स्थानों पर नलकूप सफल हो सकते हैं। और जहां-जहां तकनिकी रूप से उपयुक्त स्थान पाये गये हैं वहां नलकूप बनाने की योजना बनाई जाती है।

रणथमभंवर व टोंक रोड सवाई माधोपुर का औद्योगिक क्षेत्र

151. श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिला हैडक्वार्टर पर रणथमभंवर रोड व टोंक रोड पर इन्डस्ट्रियल ऐरिया घोषित हुये कितना समय हो चुका है तथा किस वर्ष में घोषित किया गया था ?

(2) रणथमभंवर रोड इन्डस्ट्रियल ऐरिया में कितने व्यक्ति कब कब रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं ? सूची मय तारीख, दरख्वास्त रजिस्ट्रेशन सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) किस किस व्यक्ति ने किस किस तारीख को डवलपमेंट चार्जेज जमा करा दिये हैं तथा किन किन व्यक्तियों का किस किस तारीख को इनके प्लाटों पर कब्जा करा दिया गया है ?

(4) जिन व्यक्तियों को अब तक कब्जा नहीं दिया गया है तथा इस में जिस अधिकारी की लापरवाही है, उसका नाम और ओहदा क्या है ? इस गफलत के कारण इन्डस्ट्रियलय डेवलपमेंट में रोक लगाने का कोई दण्ड उनको दिया जावेगा ?

(5) रणथमभंवर रोड इन्डस्ट्रियल ऐरिया को अब तक पूरी तरह डेवलप क्यों नहीं किया गया है तथा वहां अब तक बिजली व पानी क्यों नहीं दिया गया ? इस गफलत के लिए कौनसा अधिकारी जिम्मेदार है और उसका नाम व ओहदा क्या है ?

उत्तर

(1) रणथम्भोर रोड पर वर्ष 1971 व 1973 व टोंक रोड पर वर्ष 1960 में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों की भूमि विकसित करके उद्यमियों को भूखण्ड आवंटन करने हेतु क्रमशः दिनांक 21-5-75 व 26-5-75 तथा 21-4-1974 को राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि० को हस्तांतरित कर कब्जा दिया गया।

(2) सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पूर्ण विवरण की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(उद्योग मन्त्री)

(4) जिन व्यक्तियों को भूखण्डों का कब्जा नहीं दिया गया है उसका कारण यह है कि इन व्यक्तियों ने आवंटित भूखण्डों का लीज डीड अब तक संपादन नहीं कराया है। जबकि आवंटन आदेश में था कि 40 दिन के अन्दर-अन्दर संविदा निष्पादन करेंगे। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने इन्हें सूचित भी कर दिया है कि संविदा निष्पादित करावें। इस पर भी निष्पादन नहीं हुआ। अतः रेकार्ड पर सरकार के सामने इस प्रकरण में लापरवाही का कोई मामला नहीं बनता। इसलिए किसी अधिकारी की लापरवाही नहीं होने के कारण दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता है।

(5) इस क्षेत्र की ओर उद्यमियों का रुझान कम होने के कारण इनको अब तक पूरी तरह विकसित नहीं किया गया।

उद्यमी इस क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हों इस बाबत समुचित प्रयास किये जा रहे हैं। साथ-साथ पानी व बिजली की समुचित व्यवस्था भी की जा रही है। क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है केवल डामर का कार्य शेष है। उद्योग क्षेत्र के विकास कार्य पर निगम द्वारा 51,000 रु. व्यय किये जा चुके हैं। भारत सरकार की हाफ ए मिलियन जाब प्रोग्राम योजना के अन्तर्गत क्षेत्र में 5 शेड्स का निर्माण कार्य किया गया है एवं इनके निर्माण कार्य पर 3.38 लाख रु. व्यय किये गये हैं।

केवल 3 उद्यमी इस क्षेत्र में आये हैं। न तो यहां रजिस्ट्रेशन पर्याप्त हुए हैं न उद्यमी आने को उत्सुक हैं। अतः उक्त कार्यों के अलावा बिजली पानी आदि सुविधाओं की गति को कम कर दिया गया है। जैसे ही उद्यमी आगे आयेंगे इस कार्य को द्रुत गति से किया जावेगा।

सूची — 'अ'

औद्योगिक क्षेत्र, सवाई माधोपुर में भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्रों की सूची

क्रमांक	नाम आवेदक रणथम्भोर औद्योगिक क्षेत्र	लघु उद्योग में पंजीयन क्रमांक व दिनांक	आवंटित भूमि का क्षेत्र स्क्वायर मीटर में	आर. आई. एम. डी. सी. द्वारा आवंटन का क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1)	मैसर्स महावीर इंजीनियरिंग इण्ड. द्वारा महावीर आइरन एण्ड टिम्बर मर्चेन्ट बजरिया सवाई माधोपुर	17/22/00154/ प्रोवि./एस. एस. आई./दि.7-8-75	2000	आर./एफ./के7/ 6216 दि. 24-12-76
2)	मै. के. के. इण्डस्ट्रीज, सवाई माधोपुर	17/22/00226/ प्रोवि./एस. एस. आई./दिनांक 26-7-76	2000	,,
3)	मै. स. माधोपुर ग्राम विकास समिति, माधो भवन सब्जी मन्डी, स. माधोपुर	17/22/00414/ प्रोवि./एस.एस.आई/ 6-3-68	1000	3477 दि 28-8-78
4)	मै. रणथम्भोर सीमेंट वर्क्स इण्ड. एरिया द्वारा श्री मंजूरअली एडवोकेट वार्ड सं. 10 स. माधोपुर	17/22/422/ प्रोवि./एस.एस.आई./ दि. 27-5-78	2000	,,
5)	मैसर्स अग्रवाल आइस वर्क्स, द्वारा जुगलकिशोर अग्रवाल स. माधोपुर	17/22/00240/ प्रोवि./एस.एस.आई./ दि. 19-1-77	2000	6216 दि. 24-12-76
6)	गजानन्द केमीकल्स वर्क्स, सवाई माधोपुर	19/00245/प्रोवि./ एस.एस.आई./ दिनांक 28-3-77	आवेदन पूर्ति हेतु इकाई को राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, द्वारा लिखा गया।	

(166)

सूची "क"

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	डवलपमेंट चार्जेज जमा कराने की तिथि	कब्जा देने की तिथि	विशेष विवरण
1—	मै महालक्ष्मी इण्ड.	17-2-1977	26-5-1978	
2—	मै. महावीर इन्जीनियरिंग इण्ड.	13-3-1978	—	पार्टी ने लीज डीड नहीं बनवाई है, इसलिए कब्जा नहीं दिया गया।
3—	मै. के. के. इण्ड.	10-12-76	10-2-77	
4—	मै. रणथम्भोर सीमेंट वर्क्स	19-9-78	—	पार्टी ने लीज डीड नहीं बनवाई है, इसलिए कब्जा नहीं दिया गया।
5—	मै. अग्रवाल आइस फैक्ट्री	9-12-76	20-12-76	

बाड़मेर और पचपदरा तहसीलों में वर्षाभाव के कारण पीने के पानी की किल्लत

152. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर और पचपदरा तहसीलों में ऐसे कितने गांव हैं जहां इस वर्ष वर्षाभाव के कारण पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है ? कृपया इन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त गांवों में से कुल कितनी जनसंख्या इस जल संकट में प्रभावित है ?

(3) क्या राज्य सरकार की ओर से उक्त गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई ? यदि हां, तो कब से और कितने गांवों को ? आने वाले गर्मी के महीनों के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(4) क्या यह सही है कि उन जल संकट ग्रस्त गांवों को पूर्व में भी पानी उपलब्ध कराने की राज्य सरकार व्यवस्था रखती थी ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार से ? क्या जहां गहरे कुएं थे वहां पिलाई भी स्वीकृत की जाती थी ?

उत्तर

(1) बाड़मेर और पचपदरा तहसीलों में 22 और 66 गांव क्रमशः ऐसे हैं जहां पीने के पानी की कमी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। गांवों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है।

(2) लगभग 11,000 जन संख्या बाड़मेर तथा 43,000 पचपदरा तहसील में प्रभावित हैं।

(3) हां, जिले में पेयजल व्यवस्था हेतु 5 टैंकर दिनांक 31-1-79 को एवं 5 अतिरिक्त टैंकर 24-2-79 को आवंटिक कर दिए गए हैं। पचपदरा तहसील के गांव भीमरलाई, गोल तथा शिव तहसील का जयसिघर (रेल्वे स्टेशन) में रेल बोर्न टैंकरों से पेयजल सप्लाई करने हेतु जिलाधीश बाड़मेर को अधिकृत कर दिया गया है तथा मण्डल अधीक्षक उत्तरी रेल्वे को भी 20-2 79 को आदेश दे दिए गए हैं। आने वाली गर्मी के दिनों में अधिक टैंकर्स उपलब्ध कराकर पेयजल व्यवस्था की जावेगी।

(4) हां यह सही है। पूर्व में जल की कमी वाले अभावग्रस्त क्षेत्रों में ट्रक बोर्न टैंक्स तथा रेल बोर्न टैंक्स द्वारा पेयजल व्यवस्था की जाती रही है। गहरे कुओं पर पियाई की स्वीकृति 1975-76 तक ही दी गई थी।

पेयजल व्यवस्था के प्रस्ताव "प्रपत्र" तहसील पचपदरा

क्र. सं.	प्रस्तावित गांवों का नाम		प्रस्तावित गांवों की जन संख्या
1	2		3
1.	जैरला	—	179
2.	पटाऊ कुल्ला	—	138
3.	पटाऊ खुर्द	—	305
4.	तँवाई	—	361
5.	साजीयाली जीराजा वेरी	—	551
6.	,, मूलराज ब्यार	—	392
7.	,, पदमसिंह	—	428
8.	आवड़ली छतसिंह	—	491
9.	,, बक्सीराम	—	160
10.	वारड़ी	—	455
11.	मेवा नगर	—	200
12.	भीमरलाई गांव	—	700
13.	वजावास	—	250
14.	मेकरना	—	200
15.	चट्टू	—	1305
16.	गूगरी	—	302
17.	चादेसरा	—	1500
18.	विजपाला	—	1200
19.	सिडली जागीर	—	1800
20.	सौमालिया	—	800
21.	सिनली चौसीरा	—	1500
22.	सरवडी	—	1500
23.	तिरसीजरी सौढ़ा	—	600

1	2		3
24.	तिरसीजडी चौहात	—	150
25.	छाछरलाई	—	350
26.	झाकराला	—	1000
27.	छाड्सी का वाड़ा	—	800
28.	मौरड़ा	—	500
29.	ढ़ाणी संखला	—	800
30.	धर्मसर	—	1500
31.	कोरना	—	4000
32.	परालीया धामर	—	600
33.	परालीया सांसण	—	600
34.	पिण्डारन	—	900
35.	थवि	—	1743
36.	रेंवाडासोठा	—	123
37.	" बेथाड	—	779
38.	" दम्रासिया	—	28
39.	" जथमाला	—	354
40.	" बारठान	—	68
41.	" सण्डायसा	—	42
42.	बागावास	—	1700
43.	पतासर	—	640
44.	मेघावास	—	272
45.	मोहनपुरा	—	338
46.	नेडली	—	78
47.	भावली	—	99
48.	समरखीया	—	968
49.	माडपुरा	—	520
50.	सातूनीचा खान	—	239
51.	" पुरोहितान	—	298

1	2		3
52.	वडनामाचा रवास	—	663
53.	पाटोदी (तवातला)	—	4450
54.	कालेवा	—	1597
55.	ब्यार चारवास	—	25
56.	पाटीयाल चोसिरा	—	67
57.	रीछोली	—	773
58.	कोडूका	—	268
59.	इवडानी	—	248
60.	चम्पावेरी	—	166
61.	रैवाड़ा खुर्द	—	463
62.	रैवाड़ा कला	—	457
63.	कवरली	—	478
64.	साजीयाली मूलजी	—	25
65.	वाणीयावास	—	274
66.	खरड़ा	—	398
			43698

तहसील बाड़मेर के उन गांवों की सूची जहां वर्ष 1979 में पेयजल की आवश्यकता रहेगी

क्रम संख्या	गांव का नाम	ग्राम की जनसंख्या सन् 1971 के अनुसार
1	2	3
1.	खारड़ा भारत सिंह	749
2.	लायून्दड़ा मलवेंचान	279
3.	„ चौरणात	408
4.	„ तरली	898
5.	मलवा (स्कूल टाका)	530
6.	कूपालिया (स्कूल टाका)	1526
7.	मायूटी	80
8.	अंजवाणी	80
9.	मालानी	70
10.	भेलून	150
11.	सगरानी	120
12.	सेलाउ	382
13.	उमरे का पार	307
14.	खाटिया (सुथारों की ढाणी)	494
15.	लसूवा	135
16.	गिड़ा	1279
17.	केटावा	375
18.	डबे का पार	247
19.	चूली	320
20.	भद्रेस	858
21.	कोसटिया (बेटिया वाली स्कूल)	1383
22.	सेतराऊ	1104
		11824

172

राजस्थान से बाहर की जेलों में राजस्थान के सजायाफ्ता कैदी

154. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने सजायाफ्ता कैदी राजस्थान के बाहर की जेलों में सजा भुगत रहे हैं और कब से ? उनके नामों की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन कैदियों को राजस्थान के बाहर भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान के न्यायालयों द्वारा दण्डित 23 बंदी राजस्थान राज्य के बाहर की जेलों में सजा भुगत रहे हैं। इनके नामों की सूची, मय स्थानान्तरण के दिनांक के संलग्न है।

(2) इन कैदियों में से क्रमांक 1 से 3 तक के बंदियों को पारस्परिक स्थानान्तरण के आधार पर (Transfer on Reciprocal Basis) तथा शेष को कारागृह में हिंसात्मक कार्रवाइयां करने के कारण राजस्थान के बाहर भेजा गया है।

राजस्थान राज्य के न्यायालयों द्वारा दण्डित उन बंदियों की संख्या, जो राजस्थान के बाहर की जेलों में सजा भुगत रहे हैं

क्रमांक	बंदी, उसके पिता का का तथा निवास स्थान	न्यायालय, जहां से सजा हुई	सजा का विवरण	सजा की दिनांक	स्थानान्तरण की तारीख	कहां से स्थानान्तरित	कहां को स्थानान्तरित हुआ	स्थानान्तरण का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	करतार सिंह पुत्र मथैल सिंह गुड़गांव	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अलवर	302, 307 एवं 148, 149 आजीवन कारावास	31-8-70	12-7-73	केन्द्रीय कारा-गृह, जयपुर	केन्द्रीय कारागृह, अम्बाला	हरियाणा राज्य का निवासी होने के कारण।
2.	रामचरण पुत्र हल्लू जिला ग्वालियर	अतिरिक्त सत्र जिलाधीश, गंगानगर	धारा 302, 395, 396, 397 में क्रमशः आजीवन कारावास तीन वर्ष की सजा 324 में। एक वर्ष की सजा दफा 323 में। सजा साथ-साथ भुगती जाएंगी।	9-7-70	20-12-76	जिला कारा-गृह, कोटा	केन्द्रीय कारागृह, ग्वालियर	कारागृह ग्वालियर निवास स्थान के नजदीक होने के कारण।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	खेमचंद पुत्र दीपचंद जिला रोहतक	सैशन जज, बीकानेर	तीन केसों में आजीवन कारावास व 100) रु. जुर्माना प्रति केस एवम् 1 वर्ष आर. आई. (साथ-साथ सजा भुगती जाएगी) ।	1-5-52	31-5-78	केन्द्रीय कारागृह जोधपुर	केन्द्रीय कारागृह, रोहतक	रोहतक का निवासी होने के कारण ।

राजस्थान के सजायाफ्ता बंदियों की जिले-वार सूची, जो इस समय राजस्थान राज्य की कारागृहों के बाहर मध्य-प्रदेश की केन्द्रीय कारागृह इन्दौर में दिनांक 10-6-78 को स्थानान्तरण किये गये

केन्द्रीय कारागृह, इन्दौर

क्रम. सं.	बंदी का नाम व पिता का नाम	आयु	निवास स्थान का जिला	जुर्म दफा	सजा	सजा का दिनांक	न्यायालय का नाम जहां से सजा हुई	स्थानान्तरित किए जाने की तिथि व कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बंदी सं. 2015 रामेश्वर पुत्र-श्योनाथ	32	सीकर	302, 147, 325 आई. पी. सी.	आजीवन कारावास दो वर्ष, दो वर्ष (साथ-2)	31-1-75	अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, सीकर	दिनांक 10-6-78 कारागृह भवन में तोड़ फोड़ करना व बलवा करना तथा बंदियों को नियमानुसार कार्य न करने देना व भड़काना।
2.	बंदी सं. 1899 सूरमा उर्फ श्रवण पुत्र गजानन्द	24	,,	302, 382 आई. पी.सी.	आजीवन कारावास	31-8-76	,,	,,

176

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	बंदी सं. 19599 चिमनाराम पुत्र सुखराम	40	सीकर	302 भा. दं. सं.	आजीवन कारावास	25-2-77	अपर जिला सैशन न्यायाधीश, सीकर	दिनांक 10-6-78 कारागृह भवन में तोड़ फोड़ करना व बलवा करना तथा बंदियों को नियमानुसार कार्य न करने देना व भड़काना।
4.	बंदी संख्या 19483 रामेश्वर पुत्र केशोराम	31	,,	302 व 307 भा.दं. संहिता	आजीवन कारावास व आठ वर्ष (साथ-साथ)	15-1-77	सत्र न्यायाधीश सीकर	,,
5.	बंदी संख्या 19390 मालीराम पुत्र दाताराम	24	झून्झुनू	169 आर्म्स एक्ट 307 भा.दं.सं.	3 वर्ष	10-9-76	आफिसर कमान्डेन्ट टेन्थ बटा. बिहार रेजी.	,,
6.	बंदी संख्या 20770 रामकुंवार पुत्र मोहनलाल	30	,,	302 ,,	आजीवन कारावास	31-10-77	आफिसर कमाण्डेन्ट 25 बी. एस. एफ.	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	बंदी संख्या 20919 दाताराम पुत्र लादूराम	32	झून्झुनू	169 (2) आर्म्स एक्ट	दो वर्ष	14-2-78	ए. डी. एम. आफिसर कमान्डेन्ट	दिनांक 10-6-78 कारागृह भवन में तोड़ फोड़ करना व बलवा करना तथा बंदियों को नियमानुसार कार्य न करने देना व भड़काना।
8.	बंदी सं. 19620 प्रद्युम्न-कुमार पुत्र कंवरलाल	23	कोटा	302 भा. दं. सं.	आजीवन कारावास	28-2-77	सत्र न्यायाधीश, बारां	"
9.	बंदी सं. 20470 लक्ष्मीनारायण पुत्र मूंगाराम	43	ग्वालियर (एम.पी.)	395, 397 व 398 भा. दं. सं. केन्द्रीय कारागृह, जबलपुर	5 वर्ष, 7 वर्ष (साथ-साथ)	3-12-77	अतिरिक्त सत्र न्याया-धीश, बारां	"
10.	बंदी सं. 18884 रामेश्वर पुत्र हीरालाल	35	सीकर	302 भा. दं. सं.	आजीवन कारावास	27-7-76	सत्र न्यायाधीश, सीकर	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	बंदी सं. 20668 प्रेमसिंह उर्फ प्रेमचंद पुत्र हनुमानाराम	23	सीकर	302 भा. दं. सं. 149/148/447	आजीवन कारावास 1 वर्ष 3 माह (साथ-साथ)	27-1-78	सत्र न्यायाधीश, सीकर	दिनांक 10-6-78 कारागृह भवन में तोड़ फोड़ करना व बलवा करना तथा बंदियों को नियमानुसार कार्य न करने देना व भड़काना ।
12.	बंदी सं. 18993 लालिया उर्फ राजेन्द्र पुत्र मक्खनलाल	20	,,	302/34 भा. दं. सं.	,,	27-1-78	,,	,,
13.	बंदी सं. 20669 नजीरखां पुत्र नन्नूखां	63	,,	302, 149, 159, 447 भा. दं. सं.	,, 2 वर्ष 3 माह साथ-साथ	27-1-78	अतिरिक्त ,,	,,
14.	बंदी सं. 20689 बरमा पुत्र मखमा	24	,,	302, 149, 147, भा. दं. सं.	,, 1 वर्ष साथ-साथ	31-1-78	,,	,,
15.	बंदी सं. पूरण पुत्र डालू	25	,,	302, 149, 148	आजीवन कारावास 3 वर्ष (साथ-साथ)	4-1-75	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	बंदी सं. महेन्द्र सिंह पुत्र गोपालराम	30	झुन्झुनू	304, 149, 147 भा. दं. सं.	7 वर्ष, 6 वर्ष (साथ-साथ)	23-4-77	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झुन्झुनू	दिनांक 10-6-78 कारागृह भवन में तोड़ फोड़ करना व बलवा करना तथा बंदियों को नियमानुसार कार्य न करने देना व भड़काना।
17.	बंदी सं. योगेन्द्र सिंह पुत्र सज्जनसिंह	27	"	"	"	"	"	"
18.	बंदी सं. 16519 भोला पुत्र गजानन्द	27	"	202 भा. दं. सं.	आजीवन कारावास	31-11-74	अति. जिला सत्र न्यायाधीश, टोंक	"
19.	बंदी सं. 17756 मिश्रीया पुत्र मूला	44	सवाई-माधोपुर	302/34/325/34 भा. दं. सं.	3 वर्ष एक वर्ष (साथ-साथ)	23-10-75	अति. सत्र न्यायाधीश, गंगापुर सिटी	"
20.	बंदी सं. 19147 भेरूलाल पुत्र रामपाल	31	अजमेर	302, 325, भा. दं. सं.	आ.का. 4 वर्ष (साथ-साथ)	13-6-75	अति. सत्र न्यायाधीश, अजमेर	"

179

चित्तौड़गढ़ व निम्बाहेड़ा की सीमेन्ट फैक्ट्रियां

155. श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने बिडला सीमेंट फैक्ट्री, चन्द्रसरिया, चित्तौड़ तथा जे. के. सीमेंट फैक्ट्री, निम्बाहेड़ा को सीमेंट किस पदार्थ से बनाने का परमिट दिया है ?

(2) उपरोक्त दोनों फैक्ट्रियां किस-किस पदार्थ में सीमेन्ट बनाती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त फैक्ट्रियां परमिट में स्वीकृति दिए गए पदार्थ से सीमेन्ट नहीं बनातीं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त अनियमित कार्यवाही के लिए दोनों फैक्ट्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) उपरोक्त दोनों फैक्ट्रियों को किस भाव से सीमेन्ट विक्रय करने की अनुमति दे रखी है ?

6) पत्थर के स्थान पर मिट्टी या ईंटों से सीमेन्ट बनाने पर क्या राज्य सरकार सीमेन्ट बिक्री दर कम नहीं कर सकती ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने दर कम क्यों नहीं की ? अब क्या दर कम करवाने की कार्यवाही की जायेगी ?

(7) क्या यह सही है कि ईंटों से बनाई गई सीमेन्ट को मकानों के निर्माण कार्य में उपयोग में लेने से मकानों में दरार पड़ने की अधिक सम्भावना रहती है ? यदि हां, तो इस सीमेन्ट की ऐसे स्थानों पर बिक्री क्यों नहीं की जाती जहां पर दरार नहीं पड़े ?

(8) क्या राज्य सरकार ईंटों से बनी सीमेन्ट को नहर निर्माण कार्यों व अन्य ऐसे स्थानों के निर्माण कार्यों में जहां नमी रहती हो उपयोग में लेने हेतु ही बिक्री करने का प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री चन्द्रसरिया (चित्तौड़गढ़) तथा जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री निम्बाहेडा को पोर्टलैंड सीमेंट बनाने हेतु लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाकर भारत सरकार द्वारा दिया गया है। भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत भारतीय मानक 1489/1976 में वर्णित मानक के अनुसार सीमेन्ट बनाने हेतु चुने का पत्थर लैटेराइट तथा जिप्सम का उपयोग होना आवश्यक है।

(2) दोनों ही फैक्ट्रीयां पोर्टलैण्ड सीमेंट व पीनीलाना सीमेन्ट का उत्पादन करती हैं, पोर्टलैण्ड सीमेन्ट हेतु चुने या पत्थर, लैटेराइट तथा जिप्सम का उपयोग किया जाता है जबकि पीनीलाना सीमेन्ट हेतु सिविसियल मैटेरियल अर्थात पर्टरीज (एक प्रकार का पत्थर) तथा ऐश ब्रिक्स (एक प्रकार का ईंटों का चूरा) भी मिलाया जाता है।

(उद्योग मंत्री)

(3) यह सही नहीं है । वस्तुतः फैक्ट्रियों द्वारा स्वीकृत पदार्थों से ही सीमेन्ट बनाई जाती है । राज्य सरकार के पास अस्वीकृत पदार्थों से सीमेन्ट बनाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(4) उत्तर से स्पष्ट है कि उपरोक्त फैक्ट्रियों द्वारा अनियमित कार्य नहीं किया जा रहा है । अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(5) सीमेन्ट फैक्टियों को केन्द्रीय सरकार के आदेश संख्या भी थी/सी.जी./8(7)/79/80 दिनांक 3 जनवरी, 1979 के अनुसार । 1-1-79 से 31-3-79 तक इस रु. 4,57.71 पैसा प्रति टन की दर से, सीमेन्ट विक्रय करने की अनुमति दी गई है। यह हर पोर्टलैण्ट तथा पोर्टलैण्ड पोजीलाना दोनों के लिये समान रूप से लागू है ।

(6) सीमेन्ट की विक्रय दर सीमेन्ट कन्ट्रोल आर्डर 1967 के खण्ड 6 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है । केन्द्रीय सरकार ने पोर्टलैण्ड एवं पोर्टलैंड पोजीलाना के लिये सम्मान दर निर्धारित की है ।

(7) ईंटों से बनाई गई सीमेन्ट का तात्पर्य समस्या पोर्टलैण्ड पोजीलाना किस्म की सीमेन्ट से है । पोर्टलैण्ड पोजीलाना सीमेन्ट में देने का समय (सैटिंग टाइम) एवं पानी की तराई का समय पोर्टलैण्ड सीमेन्ट के अनुपात में ज्यादा होता है । पूर्ण तराई हो जाने के पश्चात् दरार पड़ने की संभावनायें नहीं रहती हैं। भारतीय मानक संस्थान के मानक 1489/1976 के अनुसार जहां पानी की भर अधिक होती है वहां पं.टलैण्ड पोजीलाना सीमेन्ट अधिक लाभदायक मानी गई है ।

(8) वर्तमान में नहर निर्माण कार्य एवं अन्य निर्माण कार्यों में भी पोर्टलैण्ड पोजीलाना सीमेन्ट का भी उपयोग हो रहा हैं । भारत सरकार ने ऐसे नमी वाले स्थानों में प्रयोग हेतु लगभग 35127 टन सीमेन्ट का आवंटन प्रथम निम्न ही 1979 में किया है जिसमें मुख्तया पोजीलाना सीमेन्ट भी काम में आयेगी । वैसे सीमेन्ट का आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है अतः किस प्रकार की सीमेन्ट आवंटन किस कार्य के प्रयोग के लिये किया जाय यह निर्णय केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है ।

कठूमर से मण्डावर सड़क की स्वीकृति का मामला

156. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कठूमर से मण्डावर सड़क किस योजना में स्वीकृत हुई थी ? इसका निर्माण कार्य कब चालू किया गया था ? अब तक कितने किलो मीटर सड़क का पूर्ण निर्माण हो चुका है और कितना होना बाकी है ? जो बाकी है वह कब तक पूर्ण कर दी जावेगी ?

182

(श्री गंगासहाय)

(2) इस सड़क निर्माण पर कितनी धन राशि अब तक व्यय की जा चुकी है? क्या इस सड़क पर नियमित बसें चलने लगी हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या इस सड़क निर्माण हेतु जिन जिन किसानों की कृषि भूमि सरकार ने अवाप्त की थी उन सभी को मुआवजा दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुई थी।

कार्य 1967-68 के वर्ष में चालू किया गया था। इस सड़क की कुल लम्बाई 26 कि. मी. है जिसमें से 20 कि. मी. तक पूर्ण हो चुकी है आगे 2 कि. मी. 79-80 तक पूर्ण हो जावेगी। शेष 4 कि. मी. की सड़क के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(2) रुपये 5, 58, 886 खर्च हो चुके हैं। सड़क पर ट्रक व ट्रेक्टर का आना जाना चालू है।

जी नहीं। अभी लगातार बस की सेवा उपलब्ध नहीं है, नियमित को चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

(3) जी नहीं।

भूमि अवाप्ती नियम के अन्तर्गत कार्यवाही चालू है व शीघ्र पूर्ण करवाई जाकर भुगतान कराया जायगा।

गंगानगर जिले की भाखरा नहर व राजस्थान नहर से सिंचित हो सकने वाली भूमि

157. श्री हरचंद सिंह (पीलीबंगा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार गंगानगर जिले के भाखरा क्षेत्र की भूमि, जो भाखरा नहर से सिंचित नहीं हो सकती, परन्तु राजस्थान नहर से लेवल के हिसाब से सिंचित हो सकती है और राजस्थान नहर क्षेत्र की कुछ भूमि लेवल के हिसाब से भाखरा नहर से बढ़िया सिंचित हो सकती है, को परस्पर क्षेत्रों में तब्दील करवाने की व्यवस्था करेगी? अगर नहीं, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार मोघों में ए. पी. एम. एस. लगवाने की सोच रही है? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भाखरा प्रणाली का कुछ क्षेत्र राजस्थान नहर प्रणाली पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। कुछ और क्षेत्र में राजस्थान नहर की सूरतगढ़ शाखा से पानी देने के प्रस्ताव विचाराधीन है। राजस्थान नहर के क्षेत्र को फाखड़ा में स्थानान्तर करने के कोई प्रस्ताव नहीं है।

रावी और व्यास नदी के पानी का बंटवारा

158. श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 29 जनवरी, 1955 को हुए अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार रावी और व्यास नदी के पानी में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और काश्मीर का कितना कितना हिस्सा हैं ?

(2) क्या पंजाब ने उक्त नदियों के पानी का अपना सारा हिस्सा उपयोग में ले लिया है ? यदि हां, तो फिर पंजाब को रावी नदी पर थीन बांध बनाकर सिंचाई और बिजली के साधन जुटाने का क्या हक है ?

(3) क्या पंजाब सरकार ने बिना राजस्थान व अन्य राज्यों की सहमति के थीन बांध पर जोर शोर से काम शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार और भारत सरकार से प्रोटेस्ट किया है ? यदि प्रोटेस्ट किया है, तो उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या राजस्थान सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि थीन बांध योजना से उत्पन्न होने वाली बिजली में राजस्थान सहित अन्य संबंधित राज्यों को कितनी 2 बिजली प्राप्त करने का हक है ?

उत्तर

(1) 29 जनवरी 1955 को हुए अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार रावी एवं व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का विभाजन निम्न प्रकार है :—

1.	अविभाजित पंजाब	5.90 एम ए एफ
2.	कश्मीर	0.65 एम ए एफ
3.	राजस्थान	8.00 एम ए एफ
4.	भूतपूर्व पेप्सू	1.30 एम ए एफ
		15 85 एम ए एफ

इसमें हिमाचल प्रदेश का कोई हिस्सा नहीं हैं ।

(2) उक्त नदियों का सोर पानी का पूर्व उपयोग थीन बांध बनने पर हो सकेगा । पंजाब द्वारा रावी नदी पर थीन बांध परियोजना प्रस्तावित है जिससे संचार एव विद्युत लाभ होगे । राजस्थान का दावा है कि इसमें राजस्थान का भी भाग होना चाहिए ।

(3) 3 अक्टूबर 1977 को प्रधान मन्त्री द्वारा की गई बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार पंजाब ने इस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है । राजस्थान ने भारत सरकार को ज्ञापन दिया है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(4) राजस्थान का यह दावा है कि विद्युत उत्पादन में भी राजस्थान को उतना ही भाग मिलना चाहिए जितना राजस्थान का सिंचाई के जल में भाग है ।

184

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न सं० 130 की सूची)

विधान सभा प्रश्न सं० 2/गृह मं० द्वारा श्री गोपाल पचेरवाल, विधायक के प्रश्न के भाग एक में चाही गई सूचना की सूची

क्रमांक	दिनांक	नाम रिपोर्ट कुनिन्दा	नाम जिसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई	कार्यवाही पुलिस
1	2	3	4	5
1.	15-11-78	श्री पूसाराम कानि० 362 थाना के० पाटन	1. जानकी लाल लुहार 2. परश पंडा 3. लड्डू सरदार 4. कैलाश चन्द्र गर्ग 5. टीकम ब्राह्मण 6. नन्दा जेथलावाला	मु० नं० 134/78 धारा 149/147/332 थाना के० पाटन में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। मुकदमा जेर तफ्तीश है।
2.	15-11-78	श्री दुर्गालाल कानि० नं० 7 थाना के० पाटल।	मुलजिम हीरालाल बैरवा	मु० नं० 135/78 धारा 4 (2) मध्य निशेष अधिनियम 1969 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर बाद तफ्तीश मुलजिम के खिलाफ दिनांक 17-12-78 को चालान पेश किया गया।

1	2	3	4	5
3.	18–11–78	श्री प्रभु पत्र श्री किशन कोम कुम्हार नि० देलूंदा ।	1. रतना पुत्र मांगी लाल कुम्हार नि० देलूंदा । 2. भरधा पुत्र मांगीलाल कुम्हार ,, 3. नदकिशोर पुत्र मांगीलाल 4. रामकिशन पुत्र कजोड़ कुमार 5. छीतर 6. प्रभू पुत्र जैसा कुम्हार	मुलजिमान द्वारा एक राय होकर फरियादी एवं उसके भाई के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाने के कारण अभियोग संख्या 136/78 धारा 147/149/323 ता. हि. के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर अनिवेशणोपरान्त मुलजिमान के विरुद्ध धारा 147/323 ता: हि: के अन्तर्गत दि० 31–12–78 को न्यायालय में चालान पेश किया गया ।
4.	19–11–78	श्रीमती सम्पती ध० पत्नि मुरारी मीणा सा० बालिया	भंवर लाल पुत्र नारायण मीणा सा० बालिया	मुलजिम द्वारा परिवादिया के मकान में अनाधिकार प्रवेश कर उसकी इज्जत लूटने के प्रयास करने पर अभियोग संख्या 137/78 धारा 354/451 ता. हि. के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर तफ्तीश की गई । बाद तफ्तीश जुर्म साबित होने पर दिनांक 31–12–78 को न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है ।
5.	29–11–78	श्री रामानन्द पुत्र श्री पांचू जाति छीपा सा० के० पाटन	1. भेरू पुत्र गंगाराम 2. पांचू पुत्र केशरी लाल 3. भेरू पुत्र गणेशी लाल	मुलजिमान द्वारा फरियादी के खेत में बिना उसकी रजामंदी के फसल काट ले जाने के संबंध में अभियोग सं० 138/78 धारा 447/427/379 ता. हि. का जुर्म तफ्तीश से प्रमाणित पाये

185

1	2	3	4	5
				जाने पर मुलजिमान के विरूद्ध दिनांक 31-12-78 को चार्जशीट मुर्तीब की गई है ।
1.	14-11-78 र० नं० 430	मु० जानकी	1. गिर्राज 2. मु० मांगी 3. नंद कवरी 4. मु० तुलछा आदि	प्रार्थियां के साथ रास्ते में मारपीट व गाली ग्लोच करने पर जुर्म धारा 323/504 ता. हि. का घटित होने पर जुदागाना कार्यवाही हेतु राय दी गई.।
2.	15-11-78 र० नं० 451	मदनलाल पुत्र गोपीलाल बलाई	देवलाल	मुसगस ने रिपोर्ट की कि उसको देवलाल से जान का खतरा है। अतः धारा 107 जा. फौ. के अन्तर्गत न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत की गई।
3.	15-11-78 र० नं० 411	शिवनारायण	—	मुस्तगीस द्वारा मां के खो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे तलाश करने हेतु हिदायत कर रूकसत दी गई। मुस्तगीस की मां दि० 16-11-78 को मिल गई।
4.	16-11-78 र० नं० 529	श्री रघुवीर सिंह कानि० नं० 467	श्री रामेश्वर	रात्री में गस्त के समय संदिग्ध हालत में पाये जाने पर मुलजिम को गिरफ्तार किया जाकर 41/109 जा० फौ० का इस्तगासा पेश किया गया।

1	2	3	4	5
5.	17–11–78 र० नं० 539	सद्दीक मोहम्मद	रघुवीर सिंह	मुस्तगीस ने रिपोर्ट की कि वह सामान बेचने का ठेला लगा रखा है, जिसके गिराहकों को रघुवीर सिंह बुला लेता है या मना करने पर गाली-गलोच करता है । अतः धारा 504 ता.हि. का वक्र में आना पाया जावे पर अदालत में कार्यवाही करने की हिदायत की गई ।
6.	17–11–78 र० नं० 540	राजेन्द्रसिंह	नाथूलाल पुत्र रामा बलाई	रास्ते चलते पर लाठी से मारपीट करने पर धारा 107 जा० पी० का जुर्म वक्र में आना पाया जाने पर अदालत में चारा जोरी करने के हिदायत की गई ।
7.	17–11–78 र० नं० 545	गोकुल पुत्र छोटू गुजर	मोहन, मकान, रोड़	मुस्तगीस के साथ मारपीट करने पर धारा 423 ता: हि: /107 जा० पी० का जुर्म वक्र में आये जाने पर अदालत में चाराजोरी करने की हिदायत की गई ।
8.	17–11–78 र० नं० 546	श्री गोरीलाल पुत्र नन्दलाल मीणा	1. छीतर पुत्र कल्याण व 2. मोडू मीणा	मुस्तगीस के साथ दोनों ने मारपीट की धारा 107 जा० पी० का जुर्म वक्र में आना पाया गया जिसे अदादलत में चाराजेरी करवे की हिदायत की गई ।

187

1	2	3	4	5
9.	17–11–78 र० नं० 555	मोहम्मद सुलतान खां एस०एच०ओ०थाना के० पाटन।	सब्बेर पुत्र लट्टूरशाह फकीर	इस व्यक्ति को संदिग्ध हालात में मेले में घूमता हुआ रात्री में पकड़ा गया, जिसके विरूद्ध धारा 41/109 ता० हि० की कार्यवाही कर इस्तगासा न्यायालय में पेश किया जावेगा।
10.	18–11–78 र० नं० 593	श्री मदन लाल माली	देवा पुत्र रामनाथ बलाई	मुस्तगीस के हाली कोलिया बलाई पर मुलजिमान गंडासा लेकर हमलावर हुए, मामला मार पीट का पाया जाने पर धारा 107 जा० पी० के अन्तर्गत अदालत में चाराजोरी करने की हिदायत की गई।
11.	20–11–78 र० नं० 653	बुदीलाल गुजर	प्रहलाद गुजर	फरियादी औरत मु० धापू के कथित मुलजिम प्रहलाद जो कि रिस्ते में फरियादी का बाबा का लड़का लगता है से विगत 2 साल से अनैतिक सम्बन्ध थे जिसके कारण वह अपना व अन्य सामान लेकर प्रहलाद के साथ कहां चली गई। मगवैया मु० धापू की उम्र 25/26 वर्ष पाई गई जो बालिग है और अपने गहने पर स्त्री धन होने से पूर्ण अधिकार है। मामला 488 ता० हि० का पाया गया। अतः फरियादी को न्यायालय में चाराजेरी करने की हिदायत दी गई।

189

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न सं० 39 की सूची)

राजस्थान की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा प्राप्त कुल आय का विवरण

(हजार रुपयों में)

क्र० सं०	जिला	मण्डी समिति	1975-76	76-77	77-78
1	2	3	4	5	6
1.	अलवर	1. अलवर	1847	2653	2697
		2. खैरथल	809	923	813
		3. खेडली	829	912	801
2.	भरतपुर	4. भरतपुर	954	1116	1313
		5. कामां	295	242	227
		6. डीग	360	355	386
		7. नदबई	424	543	413
		8. धौलपुर	348	460	348
		9. बाडी	222	237	301
		10. बयाना	218	283	311
		11. नगर	(स्थापना ही 30-7-77 को हुई)		35
		12. भुसावर	"	"	
3.	जयपुर	13. जयपुर (अनाज)	3250	6658	5215
		14. जयपुर (फल-सब्जी)	402	808	979
		15. दौसा	437	982	737
		16. कोटपुतली	227	365	298
		17. बान्दीकुई	243	460	447
		18. चाकसू	152	232	231
		19. नरेना	106	217	264
		20. चौमू	266	390	334
4.	अजमेर	21. अजमेर	1533	2148	2275
		22. मदनगंज	430	397	889
		23. विजय नगर	457	1090	737

1	2	3	4	5	6
		24. ब्यावर	1039	1710	2158
		25. केकड़ी	663	1045	1223
5.	सीकर	26. सीकर	621	924	868
		27. नीमकाथाना	235	438	258
		28. श्रीमाधोपुर	398	555	438
		29. फतहनगर	161	237	171
6.	झुन्झुनूं	30, सूरजगढ़	86	423	216
		31. चिड़ावा	–	477	328
		32. झुन्झुनूं	(स्थापना 30-8-77 को हुई)		
		33. नवलगढ़	(स्थापना 12-3-78 को हुई)		
7.	सवाई माधोपुर	34. सवाई माधोपुर	411	503	654
		35. गंगापुर	1124	1525	1569
		36. हिण्डौन	411	663	756
		37. महुआ मण्डावर	310	487	1046
8.	कोटा	38. कोटा	2217	3019	3241
		39. बारां	1050	2270	846
		40. सुमेरगंज	187	320	158
		41. अन्ता	260	272	394
		42. इटावा	97	320	276
		43. रामगंजमण्डी	1085	1214	1042
		44. छबड़ा	(स्थापना 18-2-76 को)	224	219
9.	झालावाड़	45. भवानी मण्डी	374	403	344
		46. चौमेला	159	201	130
		47. खानपुर	53	186	146
		48. झालरापाटन	(स्थापना 4-12-76 को)	90	173
10.	बून्दी	49. बून्दी	626	1322	394
		50. केशवरायपाटन	(स्थापना 7-4-76को)	163	169
11.	टौंक	51. टौंक	292	376	351
		52. मालपुरा	375	402	388

(191)

1	2	3	4	5	6
		53. निवाई	307	479	488
		54. देवली	335	345	374
12.	उदयपुर	55. उदयपुर	946	1633	1177
		56. नाथद्वारा	39	157	123
		57. भीण्डर (पुन. स्थापना 2-10-76)		61	50
		58. फतेह नगर	297	617	345
13.	चित्तौड़गढ़	59. कपासन	107	181	130
		60. निम्बाहेड़ा	684	789	1339
		61. बेगूं	176	253	236
		62. प्रतापगढ़	320	429	517
14.	भीलवाड़ा	63. भीलवाड़ा	564	1417	920
		64. गुलाबपुरा	154	358	256
		65. माण्डलगढ़	67	210	197
		66. आसीन्द	97	248	225
		67. शाहपुरा (स्थापना 13-1-77 को हुई)			128
		68. जहाजपुर (स्थापना 15-1-77 को हुई)			86
15.	बांसवाड़ा	69. बाँसवाड़ा (पुन: स्थापना 12-5-76)			512
16.	डूंगरपुर	70. डूंगरपुर (पुन. स्थापना 11-5-77)			40
17.	जोधपुर	71. जोधपुर (मण्डोर रोड)	2749	4267	4843
		72. बिलाड़ा	82	133	150
		73. पीपाड़सिटी	94	168	176
18.	पाली	74. पाली	273	574	375
		75. सोजतरोड़	278	510	596
		76. जैतारण	149	238	399
		77. रानी	117	222	300
		78. सुमेरपुर	1722	2380	2374
19.	सिरोही	79. शिवगंज	177	249	183
		80. आबूरोड़	249	334	399

192

1	2	3	4	5	6
20.	नागौर	81. नागौर	326	799	718
		82. मेड़तासिटी	388	738	733
		83. कुचामनसिटी	327	405	336
		84. डीडवाना (स्थापना 16-5-77 को हुई)			
21.	जालौर	85. भीनमाल	403	583	709
22.	बाड़मेर	86. बाड़मेर	628	1745	1709
		87. बालोतरा	199	340	342
23.	बीकानेर	88. बीकानेर	1621	2750	3144
		89. नोखा	195	467	544
24.	चूरू	90. सादुलपुर	—	437	259
		91. तारानगर (स्थापना 15-7-77 को हुई)			
		92. चूरू (स्थापना 8-7-77 को हुई)			508
		93. डूंगरगढ़ (स्थापना 24-9-77 को)			
		94. सरदारशहर (पुन. स्थापना 10-12-76 को)			196
		95. सुजानगढ़ (स्थापना 26-3-77 को)			100
25.	श्रीगंगानगर	96. श्रीगंगानगर	3921	5037	4895
		97. रायसिहनगर	863	1358	1159
		98. श्रीविजयनगर	847	1202	1294
		99. श्रीकरणपुर	1053	1093	1222
		100. हनुमानगढ़	1948	2753	2202
		101. सांगरिया	1200	1670	1654
		102. पदमपुर	936	1136	789
		103. गजसिहपुर	697	1152	921
		104. केसरीसिहपुर	826	1130	765
		105. सादुलशहर	838	1224	1128
		106. पीलीबंगा	1569	1621	1607
		107. नोहर	788	1169	1631
		108. भादरा	280	600	464
		कुल टोटल	55879	87196	86515

राजस्थान की कृषि उपज मण्डी समितियां

क्र. सं.	जिला	मण्डी समिति	क्र. सं.	जिला	मण्डी समिति
1.	1. अलवर	1. अलवर		6. झुन्झनू	30. सूरतगढ़
		2. खैरथल			31. चिडावा
		3. खेतडी			32 झुन्झनू
					33. नवलगढ़
	2. भरतपुर	4. भरतपुर			
		5. कामां		7. सवाई माधोपुर	34. सवाई माधोपुर
		6. डीग			35. गंगापुर
		7. नदबई			36. हिण्डौन
		8. धौलपुर			37. महुआमण्डावर
		9. बाडी			
		10. बयाना		8. कोटा	38. कोटा
		11. नगर			39. बारा
		12. मुसावर			40. सुमेरगंज
					41. अन्ता
	3. जयपुर	13. जयपुर			42. इटवा
		14. जयपुर			43. रामगंज मण्डी
		15. दौसा			44. छबडा
		16. कोटपुतली			
		17. बान्दीकुई		9. झालावाड	45. भवानी मण्डी
		18. चाकसू			46. चौमेला
		19. नरेना			47. खानपुर
		20. चौमूं			48. झालरापाटन
	4. अजमेर	21. अजमेर		10. बून्दी	49. बून्दी
		22. मदनगंज			50. केश्वरायपाटन
		23. विजय नगर			
		24. ब्यावर		11. टोंक	51. टोंक
		25. केकड़ी			52. मालपुरा
					53. निवाई
	5. सीकर	26. सीकर			54. देवली
		27. नीम का थाना			
		28. श्री माधोपुर		12. उदयपुर	55. उदयपुर
		29. फतहपुर			56. नाथद्वारा

(194)

क्र. सं.	जिला	मण्डी समिति	क्र. सं.	जिला	मण्डी समिति
		57. भीण्डर	20.	नागौर	82. नागौर
		58. फतेहनगर			83. मेडतासिटी
					84. कुचामनसिटी
13.	चित्तौड़गढ़	59. चित्तौड़गढ़			85. डीडवाना
		60. कपासन			
		61. निम्बाहेडा	21.	जालोर	86. भीनमाल
		62. बेंगू			
		63. प्रतापगढ़	22.	बाडमेर	87. बाड़मेर
					88. बालोतरा
14.	भीलवाड़ा	64. भीलवाड़ा	23.	जैसलमेर	89. जैसलमेर
		65. गुलाबपुरा			
		66. माण्डलगढ़	24.	बीकानेर	90. बीकानेर
		67. आसीन्द			91. नोखा
		68. शाहपुरा			
		69. जहाजपुर	25.	चुरू	92. सादुलपुर
					93. तारानगर
15.	बांसवाड़	70. बांसवाड़ा			94. चुरू
					95. डूंगरगढ़
16.	डूंगरपुर	71. डूंगरपुर			96. सरदार शहर
					97. सुजानगढ़
17.	जोधपुर	72. जोधपुर (मण्डोर रोड)	26.	श्री गंगानगर	98. श्रीगंगानगर
					99. रायसिंहनगर
18.		73. विलाड़ा			100. श्रीविजयनगर
		74. पिपाडसिटी			101. श्रीकरणपुर
					102. हनुमानगढ़
18.		75. पाली			103. सांगरिया
		76. सोजत रोड			104. पदमपुर
		77. जैतारण			105. गजसिंहपुर
		78. रानी			106. केसरीसिंहपुर
		79. सुमेरपुर			107. सादुलशहर
					108. पीलीबंगा
19.	सरोही	80. शिवगंज			109. नोहर
		81. आबू रोड़			110. भादरा

195

नई मण्डी समितियां

1. बहरोड़
2. बड़ी सादड़ी
3. देवगढ़
4. बनेड़ा
5. राजगढ़
6. जालौर
7. सांचोर
8. आमेट

196

परिशिष्ट

(अतारांकित प्रश्न

Statement showing loan disbursed and loan sanctioned but

S. No.	Districts.	COOPERATIVE BANKS				COMERCIL	
		Loan Disbursed		San. but not Disbursed		Loan Disbursed	
		No.	Amt.	No	Amt.	No.	Amount
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ajmer	402	9.68	449	10.06	476	11.73
2.	Alwar	1428	27.47	557	11.64	908	16.46
3.	Banswara***	415	4.37	1573	21.93	191	2.26
3.	Barmer	727	20.24	727	35.72	97	2.32
5.	Bharatpur*	503	9.73	944	18 88	828	15.77
6.	Bhilwara	183	4.85	257	5.90	157	3.52
7.	Bikaner	115	3.59	47	1.75	443	10.71
8.	Bundi*	125	2.98	1192	38.31	334	8.31
9.	Chittorgarh	2156	43.71	955	18.11	831	19.23
10.	Churu	842	16.05	636	18.20	492	11.57
11.	Dungarpur	1102	11.76	1555	43.14	19	0.18
12.	Ganganagar	285	12.18	471	17.99	362	15.67
13.	Jaipur*	1103	23.37	1043	37.31	1671	31.15
14.	Jaiselmer	140	4.03	110	3.48	41	1.57
15	Jalore*	639	14.01	244	7.37	570	9.60
16.	Jhalawar	371	12.83	809	8.48	298	2.53
17.	Jhunjhunu	662	15.75	23	0.62	1286	31.62
18.	Jodhpur	611	16-18	225	10.15	145	3.45
19.	Kota*	582	5.08	2966	23.19	619	5.80
20.	Nagaur*	494	10.43	624	25.55	1116	20.93
21.	Pali**	575	12.78	438	17.34	775	11.48
22.	S. Madhopur*	1454	35.84	532	16.44	1197	24.09
23.	Sikar	1112	23.82	321	4 97	813	15.51
24.	Sirohi	727	15.70	—	—	103	1.10
25.	Tonk	618	10.74	155	5.32	927	16.59
26.	Udaipur	2202	48.40	—	—	1622	21.38
	TOTAL	19576	415.57	16863	403.85	16318	314.53

Figures up to Oct. **Figures up to Nov.

-6

संख्या 40 की सूची)

not disbursed under Antyodaya upto 31. 1. 79.

(Rs. in lacs)

BANKS		TOTAL			
San. but not Disbursed		Loan Disbursed		San. but not Disbursed	
No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt
9.	10.	11.	12.	13.	14
382	7.31	881	21.41	831	17.31
92	2.59	2333	43.93	649	14.23
16	0.11	606	6.63	1589	22.04
44	1.54	824	22.56	771	37.26
605	13.26	1331	25.50	1549	32.14
163	8.11	340	8.37	410	14.01
267	7.34	558	14.30	314	9.09
224	11.56	459	11.29	1416	49.87
845	8.81	2987	62.94	1810	26.92
419	14.54	1334	27.62	1055	32.74
153	1.86	1121	11.94	1708	45.00
567	2.99	647	27.85	1038	20.98
1483	26.78	2774	54.52	2526	64 09
46	1.33	181	5.60	156	4.81
194	5.95	1209	23.61	430	13.32
131	1.27	669	15.35	940	9.75
279	8.34	1948	47.37	302	8.96
70	2.02	756	19.63	295	12.17
255	12.16	1201	10.88	3821	35.35
454	13.10	1610	31.36	1078	38.65
490	27.24	1350	24 26	929	44 58
219	6.44	2651	59.93	751	24.88
294	5.93	1925	39.33	615	10.90
—	—	830	16.50	—	—
461	10.97	1545	27 33	616	16 29
178	3 07	3824	69.78	178	3.07
8931	204.62	35894	730.10	25794	608.47

*Figures up to Dec.

ABSTRACT ?

	Coope Banks		Commer. Banks,		Total.	
	No.	Amt.	No.	Amts	No.	Amt.
Loan disbursment.	19676	415.57	16318	314.53	35894	730.10
San. but not disbursed	16863	403.85	8931	204.62	25794	608.47
Total	36439	819.42	25249	519.15	61688	1338.57

(198)

PROGRESS OF ANTYODAYA

S. No.	Districts	No. of villages.	No. of families identified	No. of families deleted	Net No of families to be benefitted	No. of Old age pension
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sirohi	436	2584	—	2584	543
2.	Jaipur	3029	15495	155	15339	1933
3.	Jodhpur	101	3622	—	3622	1626
4.	Alwar	1276	8572	11	8561	1260
5.	Tonk	1005	43[illegible]1	524	3797	556
6.	Bikaner	538	2394	—	2394	274
7.	Dungarpur	823	4160	—	4160	479
8.	Banswara	1462	7133	454	6679	163
9.	Jaipur	2716	12726	484	12242	1988
10.	Pali	821	4614	267	4347	633
11.	Bundi	733,	3330	3	3327	—
12.	Jaiselmer	409	2214	474	1740	180
13.	Jalore**	595	3606	187	3419	786
14.	Sikar	811,	5873	267	5606	1449
15.	Kota*	1878	8559	149	8410	1189
16.	Churu	844	4173	230	3943	320
17.	Chittorgarh	2358	8896	76	8820	447
		S	T	A	T	E
18.	Nagaur*	1209	6219	408	5811	774
19.	Jhunjhunu	686	3402	115	3287	485
20.	S. Madhopur*	1531	6923	—	6923	1381
21.	Barmer	844	3942	162	3780	516
22.	Bharatpur	1886	11596	168	11428	3664
23.	Jhalawar	1450	6911	397	6514	686
24.	Ganganagar	151	6329	257	6072	1741
25.	Bhilwara	1521	5706	—	5706	89
26.	Ajmer	957	7217	435	6782	787
	Total :	32638	160516	5223	155293	23949

* As on 15.1.79

PROGRAMME IN RAJASTHAN AS ON 31-1-70

families benefitted under various Scheme							
Land allot-ment	Employ-ment	Credit Coverage			Other	Grand Total	% of families coverd
		Loan disbursed	Sanctioned but not disbursed	Total			
8	9	10	11	12	13	14	15
1206	5	830	—	830	—	2584	100.0
9382	18	3024	178	4002	4	15339	100.0
310	33	756	295	1051	602	3622	100.0
4108	127	2333	649	2982	84	8561	100.0
1503	36	1565	130	1695	7	3797	100.0
527	33	558	314	872	688	2394	100.0
471	281	1221	1708	2929	—	4160	100.0
3727	488	1993	202	2195	—	6573	98.4
2523	1297	2810	2318	5128	1008	1194	97.6
1278	99	1404	808	2212	3	4225	97.2
1292	36	493	1382	1875	—	3203	96 3
1036	13	181	156	337	100	1666	95.7
781	47	1209	438	1647	—	3261	95.4
83	64	1925	625	2550	1198	5341	95.3
1667	139	1201	3776	4977	38	8010	95.0
367	11	1334	1055	2389	641	3728	94.5
2503	273	2973	1050	4023	993	8239	93.4
A	V	E	R	A	G	E	
315	1004	1895	834	2729	120	4942	85.0
—	17	1948	302	2250	19	2771	84.3
495	73	2651	751	3402	471	5822	84.1
920	8	824	239	1063	599	3106	82 2
786	1262	2310	1291	3601	—	9213	81.5
2469	223	669	940	1609	74	5041	77.7
808	78	821	647	1468	589	4604	77.1
2944	38	340	144	484	17	3572	62.6
1165	223	881	831	1712	7	3894	57.4
42666	5926	38949	21063	60012	7262	139815	90.0

** As on 31 12.78

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न सं० 43 की सूची)

जिला बूंदी के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

पंचायत समिति तालेड़ा

1. खेडला
2. लाम्बा पीपल
3. खेरोली
4. रघुनाथपुरा
5. सन्दिडी
6. भादिडी
7. नयावरण
8. केथुग्रा
9. जालकी झोपड़ियां
10. बालापुरा
11. पीतामपुरा
12. बल्लोप
13. गोविन्दपुर बावडी
14. छोपतपुरा
15. जाखमुण्ड
16 तुलसी
17. नोटारा
18. तीतरवास
19. बकसपुरा
20. डगलावदा
21. देलुन्दा
22. देहित
23. चान्द नहेली
24. सेदडी
25. डाबी
26. बुंदूषपुरा
27. गोरधनपुरा
28. गोपालपुरा
29. थडी
30. भवानीपुरा
31. कंवरपुरा
32. चक खेडा
33. बून्दी
34. तालेडा
35. देवपुरा
36. छत्रपुरा
37. अकतांसा
38. अलफानगर
39. सुन्थली
40. अकलोदिया
41. बरछन
42. नमंना
43. मालीपुरा
44. हरीपुरा
45. सुन्दरपुरा
46. सीतापुरा
47. खरगड
48. गांगास
49. अघेर
50. जमीलपुरा
51. गुढा
52. बीबनघां
53. रामनगर
54. गजड
55. नाखकपुरा
56. छपावदा
57. खेरून्डा
58. माटुन्डा
59. दौलाडा

60. मण्डावरा
61. मण्डावरी
62. मैहूरामपुरा
63. करजना
64. भैरपुरा
65. भीमपुरा
66. व्यास बावडी
67. दलैलपुर
68. बावडीखेडा
69. जरखोदा
70. रघुवीरपुरा
71. कांटी
72. अस्थोली
73. धामथून

पंचायत सिमिति केशवराय पाटन

74. लाखेरी
75. चिताबा
76. पापड़ी
77. बडाखेड़ा
78. ज'रला
79. लबान
80. हथनापुर
81. भीमा
82. कामेन
83. अडीला
84. रडी
85. चन्डी
86. अरनेडा

पंचायत समिति हिण्डोली

87. हिन्डोली
88. भोतीपुरा
89. हरना
90. भीमगंज
91. टोकडा
91. पेच की बावडी
93. बड़ा नया गांव
94. रघुनाथपुरा
95. बीचड़ी
96. बोरखण्डी
97. बडोदिया
98. तलाब गांव
99. ठीकरदा
100. सिंगाडी
101. अलोद
102. बालापुरा
103. सथूर
104. मांगलीखुर्द
105. बीकरण
106. दाता
107. चतरगंज
108. अकलोर
109. नेत
110. उगारिया
111. थोवडा
112. चेता
113. उभर
114. बटवारी
115. देवा का खेडा
116 वासनी
117. पंगारा
118. किशनगंज

पंचायत समिति नैनवा

119. नैनवा
120. धीरपुर
121. कोरमा
122. सूवानियां
123. करवर
124. बूढाकरवर

125. कल्यानखेडी
126. कनकपुरा
127. वाछोला
128. दुगारी
129. बांसी
130. देई
131. जरखोदा
132. सीसोला

पंचायत समिति तालेडा

133. लक्ष्मीपुरा
134. सुवांसा
135. इश्वरीनगर
136. रामगंज

तहसील हिन्डोली

1. अबड
2. आकोदा
3. अमरपुरा
4. अलमगंज
5. दलखुरा
6. बाल
7. बन्दा का खेडा
8. बडगांव
9. बाडी का खेडा
10. बरवास
11. बंसीली
12. बील का खेडा
13. भराडी
14. भवानीपुरा
15. भवानीपुरा
16. भैरूपुरा
17. भुतपुरिया
18. बिसधारी
19. बिसनपुरा
20. बोरदा
21. बोरखेडा
22. बोरखेडा
23. ब्राह्मणों की झोपड़ियां
24. चैनपुरिया
25. छापडियों का नया गांव
26. चोहडा
27. डाबला
28. दबलाना
29. दारा का नया गांव
30. डाटुन्दा
31. डाबेरा
32. डेरोली
33. धाबाइयों का नया गांव
34. धनाव
35. धारधडी
36. धेगन्या
37. फतेहगढ़
38. गणेशगंज
39. गोकुलपुरा
40. गोपालपुरा
41. गोरस्या का खेडा
42. गोरधनपुरा
43. गोठडा
44. गुढा
45. गुरक्या
46. हरिपुरा
47. हीलासपुरा
48. जहजपुरिया
49. कलजावर
50. जाखोलीकला
51. जखोलीखुर्द
52. जमनिवास
53. जड नया गांव
54. जैतपुरा
55. काबरी

56. काछोला
57. कअनारिया
58. कालामाल
59. करखुखेडी
60. केशवपुरा
61. खडेरया
62. खटावदा
53. खातीखेडा
64. पीन्या
65. बेजडा
66. खेरखटा
67. खोडी
68. कुपरला
69. लुहारिया
70. लुहारिया
71. मांगलकला
72. मरडिया
73. मेंडी
74. मुन्डायसा
75. नारायणपुरा
76. नठावा
77. नठावा
78. नेगड
79. नेहडी
80. नीमोद
81. ग्रोदन्दा
82. ग्रोवन
83. पाजलपुरा
84. पानीडाल
85. पपराला
86. पायरा
87. फालन्डा
88. रघुनाथपुरा
89. रघुनाथपुरा
90, रलामता
91. रामचन्द्रजी का खेड़ा
92. रामपुरिया
93. रामपुरया
94. रामपुरया
95. रानीपुरा
96. रेण
97. रिगडंदी
98. रोसन्दा
99. रोनीजा
100. रोसन्दा
101. सहसपुरया
102. सलावत्या
103. सांवतगढ़
104. सरोदला
105. सरसोद
106. सोलता का खेडा
107. सियाना
108. सुहरी
109. सोरण
110. सुखपुरा
111. सुखपुरा
112. स्वरूपगढ़
113. टहला
114. टाकला
115. तलोदा
116. टरडक्या
117. थाना
118. तुरकडी
119. विजयगढ़

नैनवा तहसील

120. ग्रातरडा
121. ग्रावका खेडा
122. ग्ररन्या
123. ग्ररजूनपुरा
124. ग्ररनेठा
125. बागेडा

126. बालापुरा
127. बामनगांव
128. बम्बूली
129. बांसी
130. बंसोली
131. बन्थली
132. दावडी
133. बड़ी पंडांप
134. बटावरी
135. बीजलवा
136. मैंसी का नया गांव
137. भजनेरी
138. भामर
139 भन्डेडा
140. मंवरपोल उर्फ अर्जुनपुरा
141. भावपुरा
142. भवानापुरा
143. मीमगंज
144. बिहारीपुरा
145. बिन्जवा
146. बोरदा
147. चकभवानीपुरा
148. चावन्डपुरा
149. छोटीपडाप
150. चिपल्डा
151. डेलपुरा
152. देवपुरा
153. देवपुरा
154. देवरीभडवा
155. देवरिया
156. घाबून
157. धानूगांव
158. डोकुन
159. फतेहगंज
160. फतेहपुरा
161. गाडरया
162 गम्भीरा
163. गम्भीरा
164. गणेपुरा
165. गांवडी
166. गोबल्या
167. गुजरिया खेडा
168. गुडली उर्फ जय, नगर
169. गुढा देवजी
170. गुडागोपालजी
171. गुडा सदाबरत्या
172. गुरजन्या
173. हीरापुरा
174. हीरापुरा
175. हीरापुरा
176. जगदीशपुरा
177. जगमुदा
178. जेतपुरा
179. जीवनपुरा
180. कालामाल
181. कलम्या
182. कालानाला
183. कांकरिया
184. करीरी
185. काशीपुर
186. केमला
187. केथूघा
188. बजुरा
189. बजूरा
190. खानपुरा
191. खासपुरिया
192. खेडी
193. खेरुना
194. खोलाडा
195. खुरी
196. किशनगंज
197. कोलाटेका

198. कोटडी
199. कुम्हारिया
200. कुशालीपुरा
201. लक्ष्मीपुरा
202. लाम्बावरडा
203. लीलदा
204. लुहारपुरा
205. मालेडा
206. माएकचोक
207. मांदपुरा
208. माणी
209. मानपुरा
210. मानपुरा
211. मानपुरा
212. मरा
213. मरडिया
214. मेढकपुरा
215. मीनों की झोंपडिया
216. मेणा
217. मोडसा
218. मोहब्बतपुरा
219. मूंडली
220. नाहरगंज
221. नाहरी
222. नेनवा ग्रामीण
223. नन्दगांव
224. नाथडा
225. नाथडी
226. नया गांव उर्फ बाकिया
227. नया गांव उर्फ रामगंज
228. नाम का खेडा
229. पाई
230. पाण्डूला
231. पाडुला
232. पीपत्या
233. पीपरवाला
234. पीपरवाला
235. फ्लासथुनी
236. फटूकडा
237. फुलेता
238. फुलेता उर्फ लक्ष्मागंज
239. रजलावता
240. रालडा
241. रामगढ
242. रामपुरिया
443. रासहाली
244. रठोदा
245. रुगनाथगंज
246. सब्बलपुरा
247. सादेडा
248. सगतपुरिया
249. समोथी
250. सन्डीला
251. सांगोदा
252. सात्ती
253. शहन
254. शिवदानपुरा
255. शिवपुरा
256. शेरिया
257. श्रोपुरा
258. सुसा
259. सुसडिया
260. सुरली
261. सुरगली
262. सुवासवाडा
263. तलवास
264. टोपा
265. उगेन
266. उरासी

बूंदी तहसील :

267. अजेता

268. अखेड
269. आमर्ली
270. अन्थडा
271. अनूपपुरा
272. बगली
273. बागडा
274. बहादुरपुरा
275. बकवचि
276. पालापुरा
277. बलदेवपुरा
278. बलदेवपुरा
279. बबोरी
280. बड़न्दा
281. बनका खेडा
282. बांकी
283, बाडा धूंवलाजी
284. बडपुर
285. बरखेडा
286. बारवास
287. बाथवाडा
288. बीचर्डा
289. वीलूबा
290. मलेसवा
291. मंवरदा
292. भवरिया कुआ
293. भाटो का खेडा
294. भवानीपुरा
295. भवानीपुरा उर्फ बांगमात
296. भीमगंज
297. भीम का खेडा
298. भेरुपुरा ओझा
299. भूमा खेडा
300. बीजारी
301. बीजनावर
302. बोनायका
303. चक मोहीपुरा
304. चांदा का तलाब
305. चापरास
306. छांट का खेडा
307. छापरदा
308 छावनी
309. डबूसर
310. दौलतपुरा
311. दयालपुरा
312. देवगढ़
313. धनातर
314. धनेसर
315. धीरेला
316 डोरा
317. दूल्हपुरा
318 ऐबरा
319. फतेहपुरा
320. गदिगाल
321. गामल
322. गणेशपुरा
323. गणेशपुरा
324. गणेशपुरा उर्फ लाडपुरा
325. गनपतपुरा
326. गुरदडा
327. गरनाल
328. गोगपुरा
329. गोलपुरा
330. गोपालनिवास
331. गोपालपुरा
332. गोरधनपुरा
333. गोवरिया
334 गुलखेडी
335. गुमानपुरा
336. गुढा
337. गुडामगदुका
338. गुवार
339. गुडावा

340. हनोत्या
341. हरीपुरा
342. हटीपुरा
343. हजारीभैरू की झोपड़िय
344. होलासपुरा
345. ईटोडा
346. जखाना
347. जालेडा
348. जलोदा
349. जलोदी
350. जलोदी
351. जावरा
352. जावटीकला
353. जावटीखुर्द
354. झरबालापुरा
355. कछाल्या
356. काजरीसिलोर
357, कालपुरिया
358. कल्याणपुरा
359. कराड का बरखा
360. करण
361. कटुन्दरा
362. केसरपुरा
363. केवडिया
364. बडीपुर
365. खानखेना
366. खडीबारा
367. खटियाडी
368. खटकड
369. खुनेटया
370, शवदा
371. किशनपुरा
372. किशनपुरा
373. कोथिया
374. कोटखेडा
375. कुम्हारिया
376. कुवारती
377. लाडपुरा
378. लाखों की झोपड़िया
379. लालपुरा
380. लम्बा खोह
381. लोलेड व्यासान
382. लीलाड चारनान
383. लोहली
384. लाड़चा
385. महराना
386. मडीत्या
387. मंगाल
388. मांगली
389. मेगारावत की झोपड़ियाँ
390. मोहनपुरा
391. मोहीपुरा
392. मोतीपुरा
393. मोटुका
394. नेनदा
395. नन्दपुरा
396. नरोली
397. नरसिंहपुरा
398. नयागांव
399. नीम का खेगा
400. ओनारजी की झोपड़ियां
401. ओंकारपुरा
402. पाकलपुरिया
403. पलका
404. पराना
405. पराना
406. परता धावडी
407. पीपल्या
408. पीपल्दा
409. प्रेमपुरा
410. रघुनाथपुरा
411. रघुनाथपुरा

(२०८)

412. रायथल
413. राजपुरा
414. रजवास
415. रामपुरिया
416. रामपुरिया
417. रामपुरिया
418. रतनपुरा
419. रायता
420. रिहाना
421. रूपनगर
422. सालरिया
423. सामरवा
424. संगावदा
425. सांकड़दा
426. साँवलपुरा
427. सप्तीजा
428. सरवण की झोपड़िया
429. साथेन्डी
430. सवर
431. सिलोर
432. सीन्ता
433. सीन्ता
434. सीन्वा
435. शाहपुरा
436. शिवशक्ति का खेड़ा
437. श्रीनगर
438. श्यामू
439. श्योपुरा की बावड़ी
440. श्योपुरया
441. सूतड़ा
442. तालाब बरघा
443. तीखा बड
444. तीरथ
445. ठीकरिया कलां
446. ठीकरिया खुर्द
447. जुलेडा
448. उमरथूना
449. उमरच
450. उमालिया

केशोरायपाटन तहसील

451. आजन्दा
452. अमरपुरा
453. अणतपुरा
454. अरणिया
455. अरडाना
456. बगली
457. बहुडावली
458. बालापुरा
459. बालापुरा
460. बलदेवपुरा
461. बालदड़ा
462. बालीथा
463. बलकासा
464. बालोद
465. बाँझडली
466. बनिवानी
467. बरानी
468. बडगांव
469. बीरज
470. बीरमपुर
471. मैंनीली
472. मैंसखेड़ा
473. भांडगवार
474. भिन्डी
475, विजयनगर
476. विशनपुरा
477. बुडया
478. बोरडा कछियान
479. बोरदमाल
480. बोयाखेड़ा

481. चहीचा
482. चमावली
483. चरडाना
484. चीतरा खेड़ा
485. चावला
486. छरकवाडा
487. छारगांव
488. छोड़ेदा
489. डडवाडा
490. डागाहेडी
491. डपडा
492. डपडा
493. देईखेड़ा
494. देवली
495. देवपुरा
496. डंगारिया
497. धरावण
498. डीगसी
499. डोलर
500. दोताना
501. गरजनी
502. गेडोली कलां
503. गेडोली खुर्द
504. घाटा का बराना
505. गूंता
506. गोपालपुरा
507. गोठडा
508. गुडला
509. गुहाडा
510. गुडली
511. हाडियाखेड़ा
512. हालीहेड़ा
513. हरीपुरा
514. हीगुन्था
515. हीरापुर
516. इन्द्रपुरया
517. इसरदा
518. इसरनगर
519. जगन्नाथपुरा
520. जगदरा
521. जगनाथा
522. जहूरिया
523. जैथल
524. जाखरूण
525. जालेडा
526. जलोदा
527. जाडोल
528. झालीजी का बराना
529. झपायतो
530. झरानिया
531. झुवासा
532. कमोलर
533. कालीहेड़ा
534. कांकरा डूंगर
535. कांकरा मेज
536. कंवरपुरा
537. करीरिया
538. करवाला
539. करवाला की झोपड़िया
540. केशवनगर
541. खाखटा
542. खरायता
543. खेडली
544. खेडली बन्धा
545. खेडली व्यासाना
546. खेडली देवली
547. खेडली मेहता
548. खेडली दुरजन
549. खेडयामल
550. कोडीजा
551. कोडक्रियान

552. बोडकिया बालाजी
553. कोटा खुर्द
554. काटडी
555. कुम्रागांव
556. लक्ष्मीपुरा
557. लक्ष्मीपुरा
558. लाखेरी ग्रामीण
559. लेसरदा
560. लोहली
561. माधोराजपुरा
562. मट्ठुम्रा
563. मालकपुरा
564. मनखेड़ा
565. मायजा
566. मोरखुना
567. नयागांव
568. नयागांव
569. नीमोद
570. नीमोथा
571. नोथाड़ा
572. नोथाड़ा
573. पच्चीपल्ला
574. पादडा
575. पाली बसवाड़ा
576. पापड़ली
577. पाटोल्या
578. पीपल्दा
579. पीपलदा
580. पीपल्दा (थागा)
581. फोलाई
582. प्रतापगढ़
583. रघुनाथपुरा
584. रघुनाथपुरा
585. रामगंज
586. रामपुरया
587. रंगपुरया
588. रंगराजपुरा
589. रैंवारपुरा
590. रोटेडा
591. सखावदा
592. समदपुरया
593. सारसला
594. सहनपूर
595. इम्पूरया
596. श्रीपुरा
597. सुनगर
598. टाकड़वाला
599. ठीकोली
600. ठीकरी
601. ठीमली
602. उतराना

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 44 की सूची)

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं के अन्तर्गत विद्युत प्रसार के लिए सम्मिलित पंचायत समितियों की सूची जिनमें कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

क्रम संख्या	पंचायत समिति
1	2
	जिला अजमेर
1.	पीसांगन
2.	श्रीनगर
3.	किशनगढ़
4.	मसूदा
5.	जवाजा
6.	केकड़ी
	जिला अलवर
7.	बहरोड
8.	सोमराना
9.	मंडावर
10.	राजगढ़
11.	रानी
12.	गोविन्दगढ़
13.	कठूमर
	जिला बांसवाड़ा
14.	गढी
15.	सज्जनगढ़
16.	बागीडोरा
17.	कुशलगढ़
18.	घाटोल
19.	तलवाड़ा
20.	पीपलखूंट
	जिला भरतपुर
21.	कामां
22.	नगर
23.	डीग
24.	नदबई
25.	वैर
26.	सेवर
27.	बयाना
28.	रूपवास
29.	बाड़ी
30.	बसेडी
31.	धौलपुर
32.	राजाखेड़ा
	जिला भीलवाड़ा
33.	आसींद
34.	रायपुर
35.	बनेड़ा

1	2	1	2
36.	सुवाना	58.	जमवारामगढ़
37.	कोटडी	59.	जोबनेर
38.	सहाड़ा		
			जिला नागौर
	जिला बूंदी		
		60.	मेड़ता
39.	हिन्डोली	61.	डेगाना
		62.	परबतसर
	जिला चित्तोड़गढ़	63.	स्यिांवड़ी
		64.	मकराना
40.	राश्मी		
41.	प्रतापगढ़		**जिला पाली**
42.	छोटी सादडी		
43.	निम्बाहेड़ा	65.	सुमेरपुर
44.	अचनेरा	66.	रानी
45.	डूंगला		
46.	कपासन		**श्री गंगानगर**
	जिला डूंगरपुर	67.	सादुलशहर
		68.	हनुमानगढ़
47.	डूंगरपुर	69.	सूरतगढ़
48.	आसपुर		
49.	सांगवाड़ा		**जिला सीकर**
	जिला जयपुर	70.	पिपिराली
		71.	दांतारामगढ़
50.	बस्सी	72.	श्रीमाधोपुर
51.	सांगानेर		
52.	बान्दीकुई		
53.	सिकराय		**जिला झुंझुनुं**
54.	गोविन्दगढ़		
55.	आमेर	73.	चिड़ावा
56.	शाहपुरा	74.	खेतड़ी
57.	बैराठ	75.	मुवाना

1	2	1	2
	जिला झालावाड़	83.	सपोटरा
76.	झालरापाटन		**जिला टोंक**
77.	बकानी	84.	निवाई
	जिला कोटा	85.	देवली
78.	सांगोद	86.	टोंक
79.	अटर	87.	उनियारा
80.	चेचट		**जिला उदयपुर**
	जिला सवाई माधोपुर	88.	सलूम्बर
81.	महूवा	89.	गिर्वा
82.	टोडामीम	90.	रेलमगरा

परिशिष्ट 'ब'

उपभोग विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के अन्तर्गत विद्युत प्रसार के लिए सम्मिलित पंचायत समितियों की सूची जिनमें कार्य चालू हैं ।

क्रम संख्या	पंचायत समिति
1	2
	जिला अलवर
1.	बान्सूर
2.	उमरेन
3.	रामगढ़
4.	किशनगढ़
	जिला भरतपुर
5.	कुम्हेर
	जिला भीलवाड़ा
6.	हुर्डा
7.	शाहपुरा
8.	जहाजपुर
9.	मांडल
10.	मांडलगढ़
	जिला बीकानेर
11.	लूणकरणसर
12.	नोखा
	जिला बूंदी
13.	तालेड़ा
14.	नेनवा
	जिला चित्तौड़गढ़
15.	चित्तौड़गढ़
16.	भोपालसागर
17.	बेगूं
	जिला चूरू
18.	राजगढ़
19.	रतन नगर
20.	सुजानगढ़
21.	सरदारशहर
	जिला डूंगरपुर
22.	बिच्छीवाड़ा
23.	सोमलवाड़ा
	जिला जयपुर
24.	लालसोट
25.	झोटवाड़ा
26.	दूदू
27.	दौसा
28.	कोटपुतली
	जिला जालौर
29.	बोनमाल
30.	रानीवाड़ा

1	2
31.	अहोर
32.	सांवला
33.	जसवंतपुरा
	जिला झुंझुनुं
34.	सूरजगढ़
35.	झुंझुनुं
36.	उदयपुर वाटी
37.	नवलगढ़
	जिला झालावाड़
38.	खानपुर
	जिला जोधपुर
39.	ओसियां
40.	बिलाड़ा
41.	शेरगढ़
42.	गोपालगढ़
43.	वालेमर
44.	फलोदी
45.	वाप
	जिला कोटा
46.	छबड़ा
47.	अन्ता
48.	बारां
49.	सुल्तानपुर
	जिला नागौर
50.	जायल
51.	कुचामन
	जिला पाली
52.	सोजत
53.	पाली
54.	बाली
55.	खारची
56.	रायपुर
57.	देसूरी
58.	रोहत
	श्रीगंगानगर
59.	नौहर
60.	पदमपुर
	जिला सिरोही
61.	पिंडवाड़ा
62.	शिवगंज
63.	रेवदर
	जिला सीकर
64.	नीम का थाना
65.	खण्डेला
	जिला सवाईमाधोपुर
66.	खन्डार
67,	हिन्डौन
68.	नादोती
69.	सवाईमाधोपुर

(216)

1	2	1	2
70.	गंगापुर	76.	आमेट
71.	बोंली	77.	कुम्भलगढ़
		78.	गोगुन्दा
	जिला उदयपुर	79.	कोटडा
		80.	धरियावाद
72.	समनोर	81.	राजसमन्द
73.	बड़ गांव	82.	सराड़ा
74.	सिन्डर	83.	झाड़ोल
75.	खेरवाड़ा		

परिशिष्ट 'स'

जनता सरकार के शासन काल में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं में सम्मिलित पंचायत समितियों की सूची :—

क्रम संख्या	पंचायत समिति	जिला	क्रम संख्या	पंचायत समिति	जिला
1.	रामगढ़	अलवर	24.	झुंझुनु	झुंझुनु
2.	कुम्हेर	भरतपुर	25.	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़
3.	नादोती	सवाईमाधोपुर	26.	कुचामन	नागौर
4.	हिन्डौन	,,	27.	जायल	,,
5.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	28.	शेरगढ़	,,
6.	भोपालसागर	,,	29.	खानपुर	जोधपुर
7.	बिच्छीवाड़ा	डूंगरपुर	30.	अन्ता	कोटा
8.	झाड़ोल	उदयपुर	31.	किशनगढ़	अलवर
9.	कोटड़ा	,,	32.	सूरजगढ़	झुंझुनु
10.	गोगुन्दा	,,	33.	सुजानगढ़	चूरू
11.	जहाजपुर	भीलवाड़ा	34.	सरदारशहर	,,
12.	राजगढ़	चूरू	35.	नोखा	बीकानेर
13.	लूणकरणसर	बीकानेर	36.	लालसोट	जयपुर
14.	देसूरी	पाली	37.	नैनवा	बून्दी
15.	रोहत	,,	38.	बारां	कोटा
16.	पदमपुर	श्रीगंगानगर	39.	मेडिल	भीलवाड़ा
17.	नोहर	,,	40	बोंली	सवाइमाधोपुर
18.	सायला	जालौर	41.	करोली	,,
19.	जसवंतपुरा	,,	42.	झालरापाटन	झालावाड़
20.	अहोर	,,	43.	खानपुर	,,
21.	ओसियां	जोधपुर	44.	बालेसर	जोधपुर
22.	बिलाड़ा	,,	45.	फलोदी	,,
23.	रतन नगर	चूरू	46.	बाप	,,

218

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 57 की सूची)

सेवा सदन के भिक्षुओं आवासियों की व्यक्तिगत खाते की जमा रकम की तालिका

आवासी वाइज

क्र० सं०	नाम आवासी	खाता नम्बर	खाते की रकम
1	2	3	4
1.	श्री अल्लादीन	1	00.50
2.	श्री गोपाल	2	00.33
3.	श्री मनोहरलाल	4	40.06
4.	बशीर	6	4.00
2.	एस ताम्बी	7	1.33
6.	मोहम्मद दाऊद	8	00.50
7.	डाया भाई	9	00.33
8.	रोशन खां	10	150.00
9.	शंकर	11	89.40
10	लालिया जगराम	12	6.00
11.	रामचन्द्र	13	15.32
12.	नूरमोहम्मद	14	16.20
13.	बद्रीनारायण पाण्डे	15	00.50
14.	रहमान प्रथम	16	0.56
15.	काला गूंगा	18	622.28
16.	हापू	20	37.00
17.	रघु	21	45.00
18.	शिवराम	23	59.25
19.	देवकीदास	24	97.23
20.	अवर्गीवृद	25	2213.89
21.	बैंक एकाउण्ट नम्बर 1342 के ब्याज के	26	147.60
22.	विशन पिता अतारदास	27	4.00
23.	यूसूफ	28	9.20

1	2	3	4
24.	रामप्रसाद	29	10.40
25.	बद्रीप्रसाद पाटिल	32	0.25
26.	गोविन्द पिता लाडू	33	4.46
27.	मैंरू	34	16.50
28.	रमेश	35	19.00
29.	श्री मनोहर गुंगा	36	60.00
30.	बावूडिया	37	15.00
31.	अब्दुल कादर	39	106.35
32.	शेलु	40	213.90
33.	सत्यनारायण	41	14.69
34.	राजाराम	42	919
35.	होयाय बादशाह	43	9.09
36.	प्रकाश नामदेव	44	5.00
37.	सलीम	46	438.95
38.	केशव उडिया	48	2.50
39.	मोहम्मद कुर्बान अली	49	2.00
40.	बख्तावर	50	15.00
41.	मगी	51	197.39
42.	जमशेद अली	52	44.09
43.	भीमा पुत्र जुर्गसिंह	53	17.00
44.	मुनी	54	15.00
45.	बावलिया	55	12.00
46.	सुमरेमल	56	3.00
47.	हरिप्रसाद	57	10.00
48.	हनुमान आवासी	58	3.00
49.	शिवन	59	82.95
50.	मदन	60	3.00
51.	बन्शीलाल	61	3.00
52.	विजय गुंगा	63	40.00
53.	प्रेमनाथ	64	294.65
54.	मलेप्पा	65	155.00
55.	हरिहर	66	5.50

1	2	3	4
56.	अन्ना	67	77.00
57.	मोहन	68	36.29
58.	विजय	69	27.50
59.	महबूब	70	62.00
60.	हुकमचन्द	71	51.80
61.	शेरअली	73	50.00
62.	बाबुलाल	74	2.00
63.	हृदयलाल	75	50.00
64.	रामबहादुर	76	12.00
65.	इमामुद्दीन	77	31.00
66.	अब्दुल करीम	78	50.00
67.	किशन पृथ्वी	79	108.90
68.	कयूम खां	81	162.00
69.	अहमद हसन	82	58.00
70.	अब्दुल मजीद	83	5.00
71.	बालबोध	88	5.00
72.	सैयद मेहबूब	90	30.00
73.	गणपत	91	1.00
74.	श्री राम	92	17.00
75.	महारी	93	39.00
76.	रामप्रसाद	94	29.00
77.	तुलाराम	95	7.00
78.	अब्दुल रहमान	96	22.50
79.	जोहरी	97	9.75
80.	शफीक	98	10.00
81.	घनश्याम	100	7.00
82.	राजू	102	4.00
83.	ताराचन्द	103	22.00
84.	काशीराम	104	3.00
85.	जी. सत्यनारायण	108	78.00
86.	कबीरुद्दीन	109	20.00
87.	तुकाराम	110	18.00

1	2	3	4
88.	जोन अब्राहम	111	14.00
89.	किशनसिंह	114	150.00
90.	लक्ष्मण राजेवाय्या	115	15.00
91.	प्रेम यादव	116	10.00
			6663.82
		बैंक ऑफ बड़ौदा की पास बुक में जमा	6156.60
		आवासियों की रोकड़ का श्री पोते बाकी	507.22
			6663.82

राजकीय सेवा सदन (भिक्षुक गृह) के कर्मचारियों का वर्ष 76-77 और 77-78 में चुकाये गये वेतन भत्ते तथा टी.ए. और चिकित्सा खर्च की रकम (परिशिष्ट अ)

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पद	वर्ष 1976-77				वर्ष 1977-78			
			वेतन भत्ते	यात्रा भत्ता	चिकित्सा	योग	वेतन भत्ते	यात्रा भत्ता	चिकित्सा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	श्री गोपालकृष्ण शर्मा	अधीक्षक	10426.00	338.80	11.95	10776.75	17779.16	204.30	13.77	17997.23
2.	श्री रामचन्द्र नैना	अन्वेषक	6288.58	57.52	—	6346.10	6780.00	50.68	140.92	6971.60
3.	श्री माधवलाल वर्मा	क. लेखाकार	8027.30	—	233.80	8261.10	8556.77	140.50	340.23	9037.50
	श्री हीराचन्द माहेश्वरी	"	—	—	—	—	—	293.14	—	293.14
4.	श्री मोहनलाल जोधा	क्राफ्ट टीचर	6462.00	143.92	65.49	6671.41	7350.00	—	101.14	7451.14
5.	श्री लक्ष्मीलाल पुरोहित	कम्पाउण्डर	6203.80	—	—	6203.80	6665.00	—	—	6665.00
6.	श्री द्वारका प्रसाद शर्मा	क. लिपिक	5093.46	100.22	—	5193.68	5612.00	24.88	35.10	5891.98
7.	श्री किशन थानवी	"	5045.20	304.48	38.95	5388.63	5380.00	43.00	158.23	5581.23
8.	श्रीमती शशि रूहा	नर्स	—	—	—	—	5380.00	—	—	5380.00
9.	श्री सन्न राम	चतुर्थ श्रेणी	3040.50	8.52	—	3049.02	3488.00	—	—	3488.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	श्री मदन सिंह	चतुर्थ श्रेणी	3459.00	—	—	3459.00	—	—	29.60	29.60
11.	,, देवीलला	,,	2410.00	258.84	30.70	2699.54	—	—	—	—
12.	,, आशाराम	,,	3198.00	—	—	3198.00	3452.00	—	—	3452.00
13.	,, नारायणलाल	,,	3174.00	—	19 66	3193.66	3714.00	—	10.35	3724.35
14.	,, नानकराम	,,	3124.00	—	—	3124.00	3386 00	—	—	2386 00
15.	,, बाबूलाल	,,	3111.00	—	—	3111.00	3371.00	52.52	—	3423.52
16.	श्रीमती देवीकुंवर	,,	3126 00	—	69.80	3195 80	3404.00	—	—	3404.00
17.	श्री तेजमाल	,,	1431.00	—	—	1431.00	—	—	—	—
18.	श्री नारायण दास	जमादार	1798.35	58 32	6.40	1863.07	3614.00	—	77.05	3691.05
19.	श्री गं राम	च. श्रे.	—	—	—	—	3127.00	—	—	3127.00
20.	श्री अविनाश कोहली	पा. टा. डा. फिक्स 75/–	900.00	—	—	900.00	900.00	—	—	900.00
	योग		76318.19	1270.62	476.75	78865 56	91958.93	1029.02	906.39	93894.34

223

राजकीय सेवा सदन उत्पादन केन्द्र के कर्मचारियों का वर्ष 76-77 व 77-78 में चुकाये गये वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते, चिकित्सा व्यय का विवरण

(परिशिष्ट 'अ')

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पद	वर्ष 76-77				वर्ष 77-78			
			वेतन भत्त	यात्रा भत्ता	चिकित्सा	योग	वेतन भत्ते	यात्रा भत्ता	चिकित्सा	योग
1.	श्री केशर सिंह	व. लिपिक	4861.92	591.56	195.42	5558.90	—	—	—	—
2.	श्री मोहनलाल शर्मा	क्रा. कला प्रशिक्षक	9173.72	134.50	—	9308.22	8589.60	—	59 18	8648.78
3.	श्री जयचन्द गावा	लुहारी प्रशिक्षक	7059.40	307.35	17.90	7384.65	7940.00	296.85	133.32	8370.17
4.	श्री विरदीचन्द	बुनाई प्रशिक्षक	6586.23	52.90	—	6639.13	6780.00	844 08	—	7624.08
5.	श्री रमेशचन्द	क. लेखाकार	—	—	—	—	6056.78	593.40	694.69	7344.87
6.	श्री लल्लूलाल	मेट	3474.00	136.47	19.15	3629.62	4197.35	506.59	39.39	4743.20
7.	श्री गोविन्द नारायण	,,	3459.00	35.22	39.22	3533.44	3922 86	52.72	—	3975.58
8.	श्री अर्जुनलाल	,,	3302.00	334.30	—	3636.30	4344.00	543.28	—	4887.28
9.	श्री अब्दुल जब्बार	चतुर्थ श्रेणी	3313.52	139.78	84.34	3537.64	3438.00	149.32	52.40	3639.72
10.	श्री तेजमाल	,,	1843.17	—	—	1843.17	1680 00	—	—	1680 00
11.	श्री हीराचन्द	,,	—	—	—	—	615.67	—	—	615.67
12.	श्री रामसिंह	,,	—	—	—	—	506.30	—	—	506.30
		योग	43072.96	1642.08	356.03	45071.07	48070.56	2936.17	978.99	52035.71

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न सं० 58 की सूची

सूची वृद्धावस्था पेन्शनर्स तहसील पीपल्दा (विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा)

क्र.सं.	नाम पेन्शर	सकूनत	दिनांक	रकम	चयनित		जाति
					अन्त्योदय	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
	दिनांक 1-4-77 से पूर्व के स्वीकृत						
1.	मु० छोटी बाई बेवा विजयसिंह	गेता	12-3-66	40.00	—	अन्य	—
2.	मु० मोल्या बाई ,, भंवरसिंह	,,	23-8-69	40.00	—	,,	—
3.	मु० पुष्पाबाई ,, रामप्रताप	पीपल्दाकला	,,	40.00	—	,,	—
4.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र देवा	आमल्दा	14-12-70	40.00	—	,,	मीना
5.	भूरी बाई बेवा मांगीलाल	गेता	5-10-73	40.00	—	,,	राजपूत
9.	बुद्धी बाई ,, पुष्करनारायण	खाताली	21-3-75	40.00	—	,,	—
7.	मन्नी बाई ,, रामनाथ	पीपल्दाकला	,,	40.00	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	दिनांक 1-4-77 से 31-3-78 तक स्वीकृत						
1.	कल्याणी बाई बेवा रतनसिंह	बालूपा	9-1-78	40.00	अन्त्योदय	—	राजपूत
2.	जगनाथी बाई ,, छीतरलाल	,,	24-1-78	40.00	,,	—	काछी
3.	सरदार बाई ,, भीमसिंह	,,	,,	36,00	,,	—	राजपूत
4.	गोकुल ,, ओंकार	,,	,,	40.00	,,	—	भील
5.	नुरका ,, मोतीलाल	केथेदा	,,	40,00	,,	—	दर्जी
6.	गुलाबचन्द पुत्र श्रीलाल	करवाड	,,	40.00	—	अन्य	ब्राह्मण
7.	घन्ना बाई बेवा जगन्या	अयाना	,,	40.00	अन्त्योदय	—	कन्डारा
8.	रामकुंवार बाई बेवा गुमानसिंह	गनेशगंज	,,	40.00	,,	—	राजपूत
9.	गोरा बाई बेवा शिवप्रसाद	खातोली	,,	40.00	—	अन्य	—
10.	आनन्दी बाई बेवा रामचन्द्र	करवाड	,,	40.00	अन्त्योदय	—	छीपा
11.	नन्दवाल पुत्र माघोलाल	गेता	,,	40.00	—	अन्य	महाजन
12.	धुली बाई बेवा बाला	इटावा	,,	40.00	—	,,	कोली
13.	मथरालाल पुत्र गोंकार	,,	,,	40.00	अन्त्योदय	—	नायक
14.	दाखां बाई बेवा जगन्नाथ	,,	,,	40.00	,,	—	राजपूत
15.	रामप्यारी बेवा लालसिंह	,,	,,	40.00	,,	—	—
16.	पागूलाल पुत्र रूपा	डोपरी	,,	40.00	,,	—	चमार

17.	जगन्नाथी बेवा बजरंगलाल	बालूपा	24-1-78	40.00	अन्त्योदय	—	नाई
18.	भंवरलाल पुत्र भवाना	इटावा	,,	40.00	,,	—	नायक
19.	किशनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह श्री बाई पत्नी	फरेरा	28-1-78	60.00	,,	—	राजपूत संयुक्त परिवार
20.	काली बाई बेवा जत्रा	बालूपा	,,	40.00	,,	—	हरिजन
21.	फुला बेवा ओंकार	करवाड	,,	40.00	अन्त्योदय	—	कोली
22.	गुलाब बेवा मोड़ू	तलाव	,,	40.00	,,	—	काछी
23.	मेना बेवा गोपाल	बयाना	29-1-78	40.00	—	अन्य	कुम्हार
24.	धुलीलाल पुत्र सांड्या	,,	,,	40.00	अन्त्योदय	—	नायक
25.	गोरधनी बेवा भामा	इटावा	,,	40.00	,,	—	कोली
26.	धन्नी बेवा नारायण	ठीपरी	,,	40.00	,,	—	बैरवा
27.	पारो ,, बाबूलाल	इटावा	,,	40.00	,,	—	नायक
28.	शोली ,, गोरीलाल	हथेली	,,	40.00	,,	—	—
29.	पन्नालाल पुत्र डूंगा	जलोदा खातियान	,,	40.00	,,	—	—
30.	समुन्द्रसिंह पुत्र चन्दनसिंह	खेडली जागीर	,,	40.00	,,	—	—
31.	ज्याना बेवा विशना	बिनायका	,,	40.00	,,	—	बेरवा
32.	हीरालाल पुत्र चतरा (संयुक्त परिवार) गेन्दी पत्नी	तलाब	,,	60.00	,,	—	बेरवा

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दोल्या पुत्र किशना (संयुक्त भूली पत्नी परिवार)	प्रेमपुरा	29-1-78	60.00	अन्त्योदय	—	बेरवा
34.	किशनचन्द पुत्र जुगलकिशोर	इटावा	,,	40.00	—	अन्य	—
35.	मंगली बेवा देवा	देवनीमडी	,,	40.00	अन्त्योदय	—	पेन्शन लेने से इन्कार होने पर निरस्त
36.	बिहारी पुत्र ओंकार	कथेडा	,,	40.00	,,	—	भील
37.	धन्नालाल पुत्र छोटूलाल	सनमानपुरा	,,	40.00	,,	—	बेरवा
38.	मांगी बेवा भोली	गेता	,,	40.00	—	अन्य	बेरवा
39.	गंगा विशन पुत्र शंकर	,,	,,	40.00	अन्त्योदय	—	माली
40.	काली बाई बेवा लटूर	,,	,,	40.00	—	अन्य	खारवाल
41.	भंवरी बेवा किशनलाल	सनमानपुरा	,,	40.00	अन्त्योदय	—	महर
42.	मोहर बाई बेवा बजरंगलाल	खातोली	,,	40.00	,,	—	महाजन फोत हुई
43.	जगन्नाथी बाई बेवा रामभूसिंह	गेता	,,	40.00	,,	—	—
44.	केसरीलाल पुत्र नन्दलाल	खातोली	,,	40.00	,,	—	महाजन
45.	बजरंग पुत्र लालो	उदयपुरा	,,	40.00	,,	—	नाई (फोत हुई)

46.	देऊ बेवा भूरालाल	मीठोद	29-1-78	40.00	अन्त्योदय	—	बेरवा (फोत हुई)
47.	धवेता बाई बेवा रमजानी	गनेशगंज	25-2-78	40.00	—	अन्य	मुसलमान
48.	रामनारायण पुत्र भैंरूलाल	करबाड	5-4-78	40.00	अन्त्योदय	—	माली
49.	बिरधी बेवा भैंरू	इटावा	1-5-78	40.00	—	अन्य	धाकड़
	दिनांक 1-4-78 से						
1.	बशीर मोहम्मद पुत्र नबीसिंह	तलाब	30-8-78	40.00	—	अन्य	मुसलमान
2.	धीसी बाई पुत्री गंगाविशन	अयान	,,	40.00	—	,,	
3.	गुलाब बाई बेवा बच्छराज	खातोली	,,	40.00	—	,,	
4.	नुरका बेवा मन्ना	जोरावरपुरा	23-9-78	40 00	—	,,	बेरवा
5.	रामशंकर पुत्र बाला बख्श	लुआवद	4-10-78	40.00	—	,,	सुनार
6.	ईदा बेवा मकबूल	पीपल्दाकलां	23-10-78	40.00	अन्त्योदय	—	मुसलमान
7.	रामगोपाल पुत्र रामलाल धुली बाई पत्नी	बयाना	7-11-78	60.00	—	अन्य	बेरवा (संयुक्त)
8.	अलानूर पुत्र वजीरा	खातोली	9-11-78	40.00	—	,,	मुसलमान
9.	भंवरी बेवा पन्ना	इटावा	,,	40.00	—	,,	कोली
10.	दाखा बेवा गोविन्दा	खातोली	,,	40.00	—	,,	हरिजन
11.	लक्ष्मन पुत्र जयलाल	इटावा	,,	40.00	—	,,	गूजर

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	नारायणी बेवा भंवरलाल	खातोली	,,	40.00	—	अन्य	दर्जी
13.	निजाम मोहम्मद पुत्र खान मोहम्मद	केशापुरा	,,	40.00	—	,,	मुसलमान
14.	नन्दू बेवा प्रभुलाल	सुमेरपुरा	15-12-78	40.00	—	,,	खादी
15.	फेफा बेवा नृसिंह	केशोपुरा	,,	40.00	—	,,	
16.	ग्यारस्या पुत्र मन्ना	गिरधरपुरा	,,	40.00	अन्त्योदय	—	बेरवा
17.	रम्मा बेवा रोडू	रजोपा	,,	40.00	—	अन्य	भोई
18.	धूल्या पुत्र भंवरलाल	गिरधरपुरा	,,	40.00	अन्त्योदय	—	मीना
19.	नेनमा पुत्र पांचु	केशोपुरा	,,	40.00	—	अन्य	बेरवा
20.	चतरभुजी बेवा कल्याण	करवाड़	26-12-78	40.00	अन्त्योदय	—	नाई
21.	भवरीबाई बेवा सावलसिंह	,,	31-12-78	40.00	,,	—	
22.	यासीन मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद हुसैनी पत्नी	तलाव	,,	60.00	,,	—	मुसलमान (संयुक्त)
23.	नन्दू बाई बेवा माधो	खातोली	,,	40.00	—	अन्य	कोली
24.	रामचन्द्र पुत्र खेमा	,,	,,	40.00	—	,,	बेरवा
25.	धन्नी बेवा धूलीलाल	पीपल्दाकलां	1-1-79	40.00	अन्त्योदय	—	खटीक
26.	गनेशीराम पुत्र कालू कजोड़ी पत्नी	,,	,,	60.00	,,	—	बेरवा (संयुक्त)

27.	गोमदी बेवा ओंकार	ख्यावदा	1-2-79	40.00	अन्त्योदय	—	बेरवा
28.	ग्यारस्या पुत्र कालू	,,	,,	40.00	,,	—	,,
29.	कंवरलाल पुत्र बिरधीलाल	चकखेडली	,,	40.00	,,	—	मीना
30.	गेंदी बाई पत्नी घन्नालाल	दौलतपुरा	9-2-79	40.00	,,	—	तैली
31.	भूरी बाई बेवा गोबरीलाल	,,	,,	40.40	,,	—	
	दिनांक 1-4-77 से पूर्व के						
1.	भंवरलाल	खातोली	1-10-74	40.00	—	अन्य	महर
	दिनांक 1-4-77 से 31-3-78 तक के स्वीकृत						
1.	भूरी बेवा पीरू	इटावा	24-1-78	40.00	अन्त्योदय	—	बेरवा
2.	कान्हा पुत्र रोडू	गेता	,,	40.00	,,	—	धाकट
3.	पन्नालाल पुत्र घासीलाल मु० पांची पत्नी	मेरभाना	28-1-78	60.00	,,	—	— (संयुक्त परिवार)
4.	केदारलाल पुत्र बजरंगलाल	बमूल्याकलां	,,	40.00	,,	—	नाई
5.	शिवकंवरी बेवा मोतीलाल	ख्यावदा	29-1-78	40.00	,,	—	बेरवा
6.	पन्नालाल पुत्र शंकरलाल	नलावता	,,	40.00	,,	—	गूजर
7.	मेरू पुत्र गोपाल	इटावा	25-2-78	40.00	—	अन्य	माली

1	2	3	4	5	6	7	8
	दिनांक 1-4-78 से 2/79 तक						
1.	बजरंगा पुत्र ओंकार	इटावा	9-11-78	40.00	—	अन्य	कोली
2.	भूरी पुत्री धूल्या	डूंगाली	15-12-78	40,00	अन्त्योदय	—	भील
3.	इदेशाह पुत्र कालू शाह फकीर	करवाड़	26-12-78	40.00	,,	—	मुसलमान

सूची पेन्शनर्स वृद्धावस्था पेन्शन नायब तहसील इन्द्रगढ़ भुगतान केन्द्र कोष कार्यालय कोटा

(विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा)

क्र.स. 1	श्रो.ए.पी. न. 2	पेन्शनर का नाम मय पिता या पति का नाम 3	जाति 4	ग्राम 5	माहवारी पेन्शन की राशि 6
1.	198	सरस्वती बाई बेवा शम्भुदयाल	ब्राह्मण	इन्द्रगढ़	25.65
2.	317	इमामन बाई ,, नत्थे खां	मुसलमान	,,	40.00
3.	338	गुलाब बाई ,, सोरीलाल	,,	,,	40.00
4.	343	रामदास पुत्र रामचन्द्र	कायस्थ	,,	40.00
5.	355	जय गोपाल ,, वृजगोपाल भगवती देवी/जय गोपाल	ब्राह्मण महाजन (संयुक्त)	,, ,,	40.00 60.00
6.	484	बजरंगलाल पुत्र माधोलाल एवं पानाबाई/बजरंग लाल	संयुक्त महाजन	,,	60.00
7.	506	भूरे खां पुत्र अब्दुल खां	मुसलमान	ढीपरी	40.00
8.	508	केसर बाई बेवा किशन लाल	×	इन्द्रगढ़	40.00
9.	509	म्याना बाई बेवा चन्द बख्श	ब्राह्मण	,,	40.00
10.	512	लक्ष्मी बाइ बेवा हरीचरण	,,	मोहनपुरा	40.00
11.	513	फात्मा बेवा बशीर मोहम्मद	मुसलमान	इन्द्रगढ़	40.00
12.	514	हुसेनी बेवा भूरे खां	,,	,,	40,00
13.	515	पुन्दी बाई बेवा मुकुट विहारी	ब्राह्मण	,,	40.00
14.	516	पन्नालाल पुत्र तेजमल	तेली	,,	40.09
15.	517	मोडसिंह पुत्र सांवल सिंह	राजपूत	,,	40.00
16.	518	देवीशंकर पुत्र घूलजी	ब्राह्मण	,,	40.00
17.	619	ग्यारस्या पुत्र शंकर गेन्दी जोजे ग्यारस्या	संयुक्त कीर	ढीपरी	60.00
18.	520	पुन्दी बाई बेवा ईसरलाल	लुहार	मोहनपुरा	40.00
19.	521	कान्ही बेवा हरबख्श	×	चादण खुर्द	40.00
20.	523	हजारी पुत्र छीतर एवं केसर जोजे हजारी	संयुक्त×	ढीपरी	60.00

1	2	3	4	5	6
21.	524	शकूरन बेवा नूरमोहम्मद	मुसलमान	इन्द्रगढ़	40.00
22.	525	लाडकवंर वाई बेवा मोहनसिंह	राजपूत	,,	40.00
23.	526	राधा देवा माधो	,,	अनघोरा	40.00
24.	527	पन्नी वार बेवा किशन	रेगर	मोहनपुरा	40.00
25.	528	गीरो बेवा जागीरा	मेवाती	इन्द्रगढ़	40.00
26.	529	नन्दू बाई बेवा मांगी लाल	लुहार	मोहनपुरा	40.00
27.	530	नार्थी बाई बेवा रामा	बेरवा	,,	40.00
28.	533	माधो पुत्र भैरू	धाकड़	ढीपरी	40.00
29.	536	बद्री पुत्र सांवला	कीर	,,	40.00
30.	539	केसा बाई बेवा चतरा		टोकमपुरा	40.00
31.	541	प्रभुलाल पुत्र धन्ना लाल	ब्राह्मण	दोलतपुरा	40 00
32.	648	किशन सिंह पुत्र सुख सिंह	राजपूत	,,	40.00
33.	653	रुघनाथ बेवा दल्ला	,,	,,	40.00
34.	666	कल्याण पुत्र माधो	गूजर	इन्द्रगढ़	40.00
35.	668	कालूलाल पुत्र जगन्नाथ	ब्राह्मण	मोहनपुरा	40 00
36.	674	बुन्दन बेवा पीर खां	मुसलमान	सुमेर गंज मण्डी	40 00
37.	705	चन्दा पुत्र बद्री	काछी	सुमेरपुरा	40.00
38.	706	किशन नाथ पुत्र चमन नाथ	नाथ	नीमोला	40.00
39.	725	गुरुमुख सिंह पुत्र मदन सिंह	सिख	सुमेरगंजमण्डी	40.00
40.	726	रूपा बेवा जम्मा	रेबारी	जयनगर	40.00
41.	729	मूली बाई बेवा छोटू	पावान	सुमेरगंजमण्डी	40.00
42.	730	नारायणी बेवा भवर लाल	ब्राह्मण	इन्द्रगढ़	40.00
43.	731	केष्या पुत्र देव्या	माली	छत्रपुरा	40.00
44.	735	परसादी लाल पुत्र बुशी लाल खाती एवं जोडी बाई/परसादी लाल संयुक्त परिवार		सुमेरगंजमण्डी	60.00
45.	757	केशरी बेवा नारायण	रेबारी	बालापुरा	40.00
46.	758	माधो पुत्र छम्मा	,,	मोसनपुरा	40.00
47.	759	नन्दू बेवा भंवर लाल	लुहार	इन्द्रगढ़	40.00

1	2	3	4	5	6
48.	764	मांगी बाई बेवा रवि नारायण	गोस्वाली	सुमेरगंजमण्डी	40.00
49.	765	सुन्दर बाई बेवा रामचन्द्र	माली	,,	40.00
50.	766	नारायणी बाई बेवा नन्दलाल	गुसाई	इन्द्रगढ़	40.00
51.	767	रम्मा बेवा मूलचन्द	राजपूत	सुमेरगंजमण्डी	40.00
53.	768	गणेशी बाई बेवा किशन	कन्दारा	,,	40.00
52.	769	केसर लाल पुत्र लक्ष्मणपुरी	,,	,,	40.30
54.	770	गेन्दीबाई बेवा मोड़	भीला	भाकडखेडी	40.00
55.	771	कान्हा पुत्र गेन्दीलाल	गूर्जर	इन्द्रगढ़	40.00
56.	772	गोरा देवा भंवरलाल	बलवान	,,	40.00
57.	778	गोकुलदास पुत्र बजरंगदास	बेरागी	,,	40.09
58.	679	रामचन्द्र पुत्र शंकर लाल	,,	मोहनपुरा	40.00
59.	800	जमना बाई देवा सुवा	रेगर	,,	40.00
60.	801	भमरी बेवा पन्ना	,,	,,	40.00
61.	806	बसन्ती बाई बेवा ईसरलाल	मोई	इन्द्रगढ़	40 00
62.	807	बद्रीलाल पुत्र श्रीराम	मालो	छत्रपुरा	40.09
63.	808	चन्द्री देवा देवबक्श	बेरवा	नवलपुरा	40.00
64.	809	दयाली बेवा पांवू	,,	ग्रनघोरा	40.00
				कुल योग	2685.65

सूची पेन्शनर्स अपाहिज पेन्शन नायब तहसील इन्द्रगढ़ भुगतान केन्द्र कोटा

1.	32	नूर ग्रहमद पुत्र अहमद खां	मुसलमान	गुढा	40.00
2.	41	बद्रीलाल पुत्र छगनलाल	देरागी	इन्द्रगढ़	40.00
3.	50	भैरू सिह पुत्र बनेसिह	राजपूत	करावदा	40.00
4.	51	भंवरलाल पुत्र नेनू	माली	सुमेरगंजमण्डी	40.90
5.	54	हटीला पुत्र बजीर खां	मुसलमान	,,	40.00
6.	58	घन्ना पुत्र देवा	बेरवा	ग्रनघोरा	40.90
				कुल योग	240.00

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न सं० 59 की सूची

चूरू जिले में संचालित संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा एवं समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दी गई सहायता की सूची

समाज कल्याण विभाग द्वारा चूरू जिले में जिन-जिन संस्थाओं को सहायता दी गई है उनकी सूचना निम्न प्रकार है :—

1. बापू सेवा सदन सरदार शहर की सूचना

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत अनुदान	प्रयोजन जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया।
1973-74	58,400 रु०	एक माध्यमिक स्कूल का संचालन सरदार शहर में किये जाने हेतु आवंटन अनुदान किया गया।
1974-75	85,912 ,,	
1975-76	89,386 ,,	
1976-77	89,485 ,,	
1977-78	1,01,358 ,,	
1976-77	32,500 रु०	विद्यालय के अधूरे पुस्तकालय भवन तथा छात्रावास के रसोई घर, भोजन गृह, स्नान गृह एवं शौचालय के निर्माण हेतु अनावंतक अनुदान।
1976-77	30,000 रु०	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं फर्नीचर क्रय करने हेतु अनावंतक अनुदान।
1977-78	30,000 रु०	विद्यालय के पुस्तकालय हाल तथा छात्रावास के रसोईघर डाइंग हाल शौचालयों के निर्माण कार्य को पूरा कराने हेतु।
1973-74	34,624 रु०	छात्रावास में रहने वाले अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों को खाना, कपड़ा, पुस्तकें आदि के लिए।
1974-75	39,404 रु०	
1975-76	38,655 रु०	
1976-77	56,902 रु०	
1977-78	65,250 रु०	

2 : गांधी विद्या मन्दिर सरदार शहर जिला चूरू को 50 निराश्रित बच्चों के गृह चलाने हेतु दी गई सहायता का विवरण :—

क्रमांक	वर्ष	रकम
1	1975-76	56,475
	1976-77	51,461
	1977-78	36,902
	1979-79	45,421
	योग	1,90,259

समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दी गई सहायता

क्र. सं.	नाम संस्था	उद्देश्य	स्वीकृत एवं प्रेषित राशि वर्ष 1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सुभाष बाल मन्दिर डूंगरगढ़	(1) पोषाहार	823.00	580.00	1576.00	1585.00	1585.00	
		(2) बालवाड़ी	700.00	700.00	1300.00	1000.00	1009.00	
2.	बालवाड़ी विशिष्ट मान्टेसरी स्कूल गांधी विद्या मन्दिर सरदार शहर	(1) पोषाहार	1516.00	—	—	—	—	
3.	अभिनव बाल भारती राजलदेसर	(1) पोषाहार	645.00	—	—	—	—	
		(2) बाल अवकाश शिविर	—	—	—	300.00	—	
		(3) बालवाड़ी	700.00	700.00	1400.00	1400.00	1400.00	
4.	बालवाड़ी-जांसवाल सभा बीदासर	(1) पोषाहार	645.00	—	—	—	—	
		(2) बालवाड़ी	700.00	700.00	1200.00	1000.00	1000.00	
5.	समाज कल्याण योजना राजगढ़	(1) पोषाहार	1200.00	—	—	16920.00	—	
6.	लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संघ लोहिया	(1) पोषाहार	—	—	160.00	1000.00	—	

239

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	श्री महावीर शिशु कल्याण केन्द्र सरदार शहर	(1) पोषाहार	—	—	—	455.00	—	
		(2) बाल अवकाश शिविर	—	3000.00	—	—	—	
		(3) बाल बाड़ी	—	500.00	1000.00	1000.00	1000.00	
8.	नेहरू बाल मन्दिर राजगढ़	(1) पोषाहार	—	—	—	—	577.00	
		(2) बालवाड़ी	700.00	700.00	1400.00	1200.00	1200.00	
9.	गांधी बाल निकेतन समिति रतनगढ़	(1) पोषाहार	—	—	—	—	1558.00	
		(2) बाल वाड़ी	700.00	700.00	1400.00	1000.00	1000.00	
10.	समाज सेवी मित्र मण्डल रतनगढ़	(1) पोषाहार	—	—	—	—	3120.00	
11.	समाज कल्याण संघ सरदार शहर	(1) समाज कल्याण योजना कार्यक्रम	8190.00	10,920.00	22894.50	20358.30	20567.10	
12.	गांधी विद्या मन्दिर सरदार शहर	(1) कन्डेन्स्ड कोर्स	—	—	—	—	43500.00	
		(2) योजना अवधि अनुदान (बालवाड़ी)		18,000 00 (74 से 79 हेतु)			(78-80 कोर्स)	
13.	श्री सरस्वती अपर प्राइमरी स्कूल राजलदेसर	(1) बाल अवकाश शिविर	—	—	3000.00			
14.	श्री भंवर लाल काला बाल मन्दिर सुजानगढ़	(1) बालवाड़ी	700.00	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	श्री घापूदेवी सेठिया शिक्षा सदन सुजानगढ़	(1) बालवाड़ी	700.00	700.00	1400.00	1000.00	—	
16.	बाल निकेतन, श्री डूंगरगढ़	(1) बालवाड़ी	700.00	700.00	1300.00	1000.00	—	
17.	श्री घनराज कुण्डलिया महिला मण्डल सुजानगढ़	उद्योग शाला	1000	—	—	—	—	
18.	बाल भारतीय श्री डूंगरगढ़	बालवाड़ी	700.00	700.00	1400.00	1000.00	1000.00	
19.	श्री भारतीय विद्या मन्दिर समिति	बालवाड़ी	700.00	700.00	1200.00	1000.00	—	
20.	श्री नेहरू बाल भारतीय राजेन्द्र विद्यालय-सरदार शहर	बालवाड़ी	700.00	—	—	—	—	
21.	श्री गौत्तम ग्राम्य पाठशाला रतनगढ़	बालवाड़ी	1000.00	—	—	—	—	
22.	ग्रामोद्योग ग्राम ज्योति केन्द्र गांधी विद्या मन्दिर सरदार शहर	स्वास्थ्य केन्द्र	1000.00	1000.00	1700	1500.00	2000.00	

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न सं. 64 की सूची)

राजस्थान सरकार

(मन्त्रिमण्डल सचिवालय)

राजस्थान के निगमों, बोर्डों एवं न्यासों में नियुक्त अध्यक्षों की सूची

क्र सं.	निगम, बोर्ड न्यास की विगत	अध्यक्ष का नाम
1.	राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल	श्री जी. एस. माथुर
	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड।	" पृथ्वी सिंह
3.	राजस्थान सांभर साल्ट्स लि. जयपुर।	" रूपराज पुरोहित
4.	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन, जयपुर।	" मोहिन्द्र सिंह
5.	राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लि.।	" जी. के. भनोत
6.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	श्रीमती गायत्री देवी
7.	नगर विकास न्यास, बीकानेर	श्री मक्खनलाल जोशी
8.	राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि.।	" रमाकान्त शर्मा
9.	राजस्थान स्टेट टेनरीज लि.	" ओंकार सिंह
10.	राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन।	" निरंजन सिंह
11.	राजस्थान स्टेट होटल्स कार्पोरेशन लि.।	" एस. एल. जोशी
12.	राजस्थान लैण्ड डवलपमेन्ट कार्पोरेशन।	" एम. के. वर्मा
13.	राजस्थान बोर्ड ग्राफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर।	" अब्दुल कयूम अख्तर
14.	नगर विकास न्यास, अजमेर	डॉ. बाल मुकुन्द शर्मा
15.	राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि.।	श्री पी. एन. भार्गव
16.	नगर विकास न्यास, कोटा	" हरि कुमार औदिच्य
17.	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.	" सतीश कुमार
18.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम	" अजीतसिंह मेहता
19.	राजस्थान राज्य बीज निगम लि.	" आर. एस. कुमठ
20.	नगर विकास न्यास, उदयपुर	" मदन लाल धुप्पड़
21.	राजस्थान हाथ कर्घा परियोजना मण्डल, जयपुर	" राम शरण

अंत्यानुप्रासी

22.	नगर विकास न्यास, जोधपुर।	" रेवा चन्द
23.	जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम लि. उदयपुर	" विजय शर्मा
24.	राजस्थान स्टेट डेयरी डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.	" आर. जे. मजीठिया
25.	राजस्थान आवासन मण्डल	" जी. आर. हुकमानी
26.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	" वी. एन. ढोसियाल
27.	राजस्थान वित्त निगम।	" आर. डी. थापर
28.	हाइटेक परसिशन ग्लास लि.।	" जसवन्त मल जी कर्नावट
29.	राजस्थान खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक बोर्ड जयपुर।	" गोकुल भ[illegible]
30.	राजस्थान लघु उद्योग निगम,	" डी. आर. मेहता
31.	राजस्थान राज्य विद्युत निगम।	" पृथ्वी सिंह
32.	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्।	" राज सिंह
33.	श्री गंगानगर शुगर-मिल्स लि.	" डी. आर. मेहता
34.	राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल।	" एम. डी. कोरानी
35.	नगर विकास न्यास, जयपुर।	" गिरधारी लाल भार्गव
36.	नगर विकास न्यास, अलवर।	जिलाधीश, अलवर
37.	पुष्कर तीर्थ विकास बोर्ड।	मुख्य मन्त्री महोदय
38.	राज्य आयोजना मण्डल।	मुख्य मन्त्री महोदय
39.	राजस्थान नशाबन्दी मण्डल।	श्री सिद्ध राज ढड्ढा

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 71 की सूची)

पंचायत समिति की वसूली 5000)– या उससे अधिक की बकाया राशि के बाकीदारों की सूची पं. स. इटावा (पीपल्दा क्षेत्र)

क्र० सं०	नाम, पिता का नाम एवं जाति	ग्राम का नाम	बकाया राशि
1)	श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह	खेडली, जागीर	38922
2)	श्री अशोक कुमार ध्रुवकुमार पुत्र श्री रामनारायण शर्मा	लाखनी	31031
3)	श्रीमती घासी बाई पत्नी श्री तेजमल महाजन	मोहनपुरा ना० तह० इन्द्रगढ़	38560
3)	श्री तेजमल पुत्र श्री हार्थीमल महा०	मोहनपुरा ना० तह० इन्द्रगढ़	26783
5)	ग्राम श्रम सेवा सहकारी समिति बिनायका	बिनायका तह० पीपल्दा	18750
6)	श्री भैरू पुत्र श्री चन्दा मीणा	बिनायका	14322
7)	,, कालू वल्द चन्दा मीणा	मूडली	14293
8)	,, प्रहलाद पुत्र भंवरलाल मीणा	ककरावदा	12000
9)	,, सूरजमल पुत्र घासीलाल मीणा	रणोदिया	10258
10)	,, बालमुकुन्द पुत्र रामनाथ ब्रा०	इटावा	10181
11)	,, कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल टांक	निमोदा	9700
12)	,, बद्रीलाल पुत्र सुखदेव ब्रा०	लुहावद	8145
13)	,, महेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत	घटोद	6000
14)	,, बालकृष्ण पुत्र हरजी रेबारी	जयनगर	6050
15)	,, किशनगोपाल पुत्र हरदेव मिणा	दौलतपुरा	5811
15)	,, गोकुलसिंह पुत्र बलवन्तसिंह राजपूत	बालापुरा	5700
17)	श्रीमती सुशीला पत्नी गिरीशकुमार ड्राइवर	बारां	5255

———

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–2) विभाग

प्रेषिती,

समस्त जिलाधीश ।

क्रमांक प० 4/2/राज/ग्रुप-2/78 जयपुर, दिनांक 27 जनवरी 1979

विषय :—पंचायत समिति ऋण एवं कर की वसूली ।

महोदय,

पिछले दो तीन वर्ष में पंचायत समिति ऋण एवं कर की वसूली सन्तोषजनक नहीं रही है । वर्ष 1975–76 के अन्त में रुपये 14,059,710)– की राशि बाकी रही । वर्ष 1977–78 में ऋण की वसूली केवल 7.3 प्रतिशत व कर की 32.9 प्रतिशत हुई है । यह बहुत ही असन्तोषजनक स्थिति है ।

इन सम्बन्ध में मुख्य सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या एफ–173/2/247/एल. आर/अकाउन्ट्स/78/2700 दिनांक 16/21 फरवरी 1978 के द्वारा भी आपको लिखा गया है कि जिले के राजस्व अधिकारियों की मीटिंग बुला कर पंचायत समिति बकाया की वसूली की ओर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देश दिये जावें । किन्तु इसके उपरान्त भी वसूली की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । यद्यपि इस कार्य के लिए कुछ जिलों में अतिरिक्त पटवारी भी लगाये गये हैं । वसूली सीजन में पंचायत समिति की जीपें भी तहसीलदारों के डिस्पोजल पर दी जाती हैं । राजस्व मण्डल द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली समीक्षा में भी वसूली से तेजी लाने की ओर ध्यान दिये जाने हेतु लिखा जाता रहा है ।

इन सभी उपायों के उपरान्त भी पंचायत समिति के ऋण एवं करों की वसूली में सुधार नहीं होना एक विचारणीय प्रश्न है ।

अतः पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि पंचायत समिति बकाया की वसूली तेजी से की जावे ।

कृपया पत्र की प्राप्ति की सूचना भिजवायें ।

भवदीय

ह० कैलाशदान शि० उज्वल

राजस्व आयुक्त ।

प्रतिलिपि :—

1—निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

2—वित्त (वसूली) बजट विभाग ।

3—सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग को उनके पत्र सं. 31/31/लेखा/निरी–1/78/25529 दिनांक 6-12-78 के सन्दर्भ में ।

ह०/–

सहायक शासन सचिव ।

245

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न सं. 76 की सूची

मानचित्र तहसीलदार/नायक तहसीलदारों के विरुद्ध मण्डल में प्राप्त शिकाय के सम्बन्ध में

	नाम व पद 1	जिला 2	मण्डल स्तर पर की गई कार्यवाही 3
1.	श्री रामलाल तहसीलदार	जोधपुर	जिलाधीश से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दिनांक 7-4-78 को समाप्त कर दी गई।
2	श्री गोपालदास ,,	(महुवा) स० माधोपुर	जिलाधीश सवाईमाधोपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
3.	श्री भगवतीप्रसाद, तह०	स० माधो०	जिलाधीश को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
4.	श्री हरभजनसिंह, तह०	अजमेर	जिलाधीश को दिनांक 23 2-78 से शिकायत वास्ते जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया। जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।
5.	श्री जगदीश प्रसाद, तह०	टौंक	जिलाधीश को शिकायत भेजकर जांच रिपोर्ट चाही गई है।
6.	श्री रामेश्वरदयाल, तह०	भरतपुर	जिलाधीश को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
7	श्री रामराज्य प्रजापति, नां०तह०	कोटा	जिला वन बन्दोबस्त अधिकारी, कोटा से जांच प्रतिवेदन मय टिप्पणी चाहा गया है। वन संरक्षक पूर्वी वृत्त कोटा से उतर प्राप्त हो चुका है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

	1	2	3
8.	श्री कपूरचन्द गोयल तह०	अजमेर	जिलाधीश को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
9.	श्री हरिसिंह यादव, तह०	जालौर	जिलाधीश जालौर को वास्ते जांच भेजी गई है।
19.	श्री अमीलाल, तहसीलदार	गंगानगर	जिलाधीश को शिकायत में अंकित तथ्यों की जांच कर जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया है।
11.	श्री जगमालसिंह, तह०	गंगानगर	जिलाधीश को जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु दिनांक 7-2.79 को स्मरण कराया गया है।
12.	श्री रामधन, ना० तह०	अजमेर	जिलाधीश से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। दिनांक 7-2-79 को स्मरण कराया गया है।
14.	श्री तहसीलदार	बूंदी	जिलाधीश बूंदी से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
13.	श्री मोहनलाल राजपुरोहित पाली उपपंजीयक	पाली	जिलाधीश से प्राप्त जांच प्रतिवेदन मण्डल स्तर पर विचाराधीन है।
15.	श्री शेरसिंह, तहसीलदार	जालौर	राजस्व विभाग से प्राप्त शिकायत जिलाधीश को भेजी गई है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
16.	नरपतसिंह चौधरी, तह०	नागौर	जिलाधीश को जांच करने हेतु शिकायत भेजी गई है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
17.	श्री उपपंजीयक, ब्यावर	अजमेर	शिकायत जिलाधीश को भेजी गई है। जांच पूर्ण होने पर सम्बन्धित मुद्रांक राशि वसूल हो चुकी है।
18.	श्री रामसिंह मेहता, तह०	उदयपुर	शिकायत जिलाधीश को वास्ते जांच भेजी गई है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
19.	श्री शान्तीस्वरूप गोयल, तहसीलदार	अजमेर	शिकायत जिलाधीश को वास्ते जांच भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
20.	श्री दरियावसिंह, तह०	जोधपुर	शिकायत जिलाधीश को वास्ते जांच भेजी गई। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
21.	श्री जगदीश प्रसाद सोनी, तह०	नागौर	जिलाधीश को शिकायत भेजकर शिकायत की जांच करने हेतु लिखा गया। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

22.	श्री भगवानसिंह, ना० तह०	चित्तौड़गढ़	जिलाधीश को शिकायत वास्ते जांच करने हेतु भेजी गयी। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
23.	श्री राजकुमार बंसल, तह०	स० माधोपुर	शिकायत की जाने करने पर शिकायत में अंकित तथ्य साबित पाये गये। जिलाधीश से आरोप पत्र आदि अपेक्षित है।
24.	श्री कल्याण सहाय वर्मा, तह०	अलवर	जिलाधीश को वास्ते जांच शिकायत भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
25.	श्री नरपतसिंह राठौड़, तह०	पाली	शिकायत वास्ते जांच जिलाधीश को भेजी गई। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
26.	श्री रामचन्द्र गुप्ता, प्रशासक नगर पालिका राजगढ़।	अलवर	जिलाधीश ने जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शिकायत निराधार पाई जाने पर उक्त मामला मण्डल स्तर से समाप्त कर दिया गया।
27.	श्री नेमीचन्द मेहता, तह०	भरतपुर	शिकायत वास्ते जांच भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
28.	श्री सफदरे आलम, तह०	जयपुर	शिकायत जिलाधीश को वास्ते जांच भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
29.	श्री ब्रह्मदत्त कौशिक, तह०	सीकर	शिकायत में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाने पर ड्राफ्ट चार्जशीट जिलाधीश से अपेक्षित है।
30.	श्री ओमप्रकाश, तह०	बीकानेर	शिकायत में अंकित तथ्यों की जाँच करने हेतु भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
31.	श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव, तहसीलदार।	कोटा	जिलाधीश को शिकायत भेजकर जांच प्रतिवेदन मांगा गया। जाच रिपोर्ट अपेक्षित है।
32.	श्री हरीशकुमार, तह०	नागौर	जिलाधीश को शिकायत की जांच करने हेतु भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
33.	श्री रामजीलाल जैन, ना० तह०	स० माधो०	जिलाधीश को दिनांक 7-2-79 को स्मरण कराये जाने पर भी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
34.	श्री मनोहरलाल, ना० तह०	बीकानेर	जिलाधीश को शिकायत की जांच करने हेतु लिया गया। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
35.	श्री रामकुमार बंसल, तहसीलदार	स० माधो०	शिकायत की जांच करने हेतु जिलाधीश को भेजी गई। जांच प्रतिवेदन अपेक्षितहै।
36.	श्री जगदीशप्रसाद गर्ग, तह०	अलवर	दिनांक 19-2-79 को स्मरण कराये जाने के बावजूद भी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
37.	श्री नायब तहसीलदार	अजमेर	जिलाधीश को शिकायत की प्रति भेज कर जांच रिपोर्ट चाही गई। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

247

	1	2	3
38.	श्री नवलकिशोर जैन, तह०	अजमेर	प्रशासक, नगरपालिका को शिकायत की प्राप्ति भेज कर जांच रिपोर्ट चाही गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
39.	श्री देवीकीनन्दन, तह०	उदयपुर	जिलाधीश को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
40.	श्री किशोरीलाल अग्रवाल	अजमेर	जिलाधीश अजमेर को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई। जिलाधीश से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
41.	श्री नरपतसिंह व लेखराज, तहसीलदारान।	जालोर	शिकायत वास्ते जांच जिलाधीश को भेजी गई। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
42.	श्री रिद्धकरण, तहसीलदार	गंगानगर	जिलाधीश गंगानगर को वास्ते जांच भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
43.	श्री पृथ्वीसिंह, तहसीलदार	नागौर	जिलाधीश को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
44.	श्री नरपतकरण, तहसीलदार	पाली	जिलाधीश पाली को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
45.	श्री महाराजकृष्ण लोहरा तह०	नागौर	जिलाधीश नागौर को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
46.	श्री हमीरसिंह, तहसीलदार	सिरोही	जिलाधीश को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई। जिलाधीश से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
47.	श्री नेमीचन्द जैन, तहसीलदार	भरतपुर	शिकायत वास्ते जांच जिलाधीश को भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
48.	श्री सब रजिस्ट्रार	नागौर	जिलाधीश नागौर को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
49.	श्री जुगलकिशोर माथुर, तह०	उपनिवेशन	उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर को वास्ते जांच भेजी जा रही है।
50.	श्री तहसीलदार,	फतहपुर	जिलाधीश सीकर को शिकायत में अंकित तथ्यों की जांच करने हेतु शिकायत भेजी जा रही है।